दशम माला, खंड 7, अंक 16

गुरुवार, 12 दिसम्बर, 1991
21 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 7 में अंक 11 से 22 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 12 दिसम्बर, 1991 / 21 अग्रहायण, 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
1	6	"श्री सी॰पी॰मुदाला गिरियप्पदपा" के स्थान पर "श्री सी॰पी॰मुदाल गिरियप्पा" पढ़िये।
7	11	"श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रक" के स्थान पर "श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन" पढ़िये।
15	14, 19 नीचे से पंक्ति 3	"श्री भीरूलाल मीणा" के स्थान पर "श्री भेरूलाल मीणा" पढ़िये।
26	नीचे से पंक्ति 9	"श्री कृष्ददत सुल्तानपुरी" के स्थान पर "श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी" पढ़िये।
29	11	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
41	18	"(ग)" यदि हां तो इस सम्बंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है, पढ़िये।
64	9	"संसावन" के स्थान पर "संसाधन" पढ़िये।
81	नीचे से पंक्ति 6	"(।)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
96	नीचे से पंक्ति 10	प्रश्न संख्या "3505" के स्थान पर "3502" पढ़िये।
106	1	शीर्षक में "खात" के स्थान पर "खमत" पढ़िये।
107	11	"(ख)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
114	5	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
126	नीचे से पंक्ति 5	"श्री सन्त कुमार मण्डल" के स्थान पर "श्री सनत कुमार मंडल" पढ़िये।

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
127	3	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
128	9	पंक्ति के प्रारम्भ में "(क)" पढ़िये।
	11	"(घ)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
130	9	"(घ)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
	10	"(क)" के पश्चात "और (ख)" अन्तःस्थापित करिये।
133	नीचे से पंक्ति 4	"(क)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
150	9	"(ख)" के स्थान पर "(ङ)" पढ़िये।
152	नीचे से पंक्ति 2	"5557" के स्थान पर "3557" पढ़िये।
155	12	मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अन्तःस्थापित करिये।
167	7	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
171	नीचे से पंक्ति 9	"(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
	नीचे से पंक्ति 13	"(य)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
176	8	शीर्षक में "विशमुक्त" के स्थान पर "विषमुक्त" पढ़िये।
177	5	"(घ)" के स्थान पर "(ङ)" पढ़िये।
187	11	"सरस्य" के स्थान पर "सदस्य" पढ़िये।
196	13	"श्री शोभनाद्रीश्वरराव वोड्डे के स्थान पर "श्री शोभनाद्रीश्वरराव वाड्डे" पढ़िये।
198	10	"अध्यक्ष" के स्थान पर "उपाध्यक्ष" पढ़िये।
208	नीचे से पंक्ति 12	"एल·संख्य ।टी" के स्थान पर "संख्या एल·टी" पढ़िये।
217	नीचे से पंक्ति 1	"कुमारी फ्राइडा टोपनो" के स्थान पर "कुमारी फ्रिडा तोपनो" पढ़िये।
230	नीचे से पंक्ति 11	"डा· खुशीराम हुगरीमल जेस्वानी" के स्थान पर "डा· खुशीराम डुंगरीमल जेस्वाणी" पढ़िये।

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरूवार, 12 दिसम्बर, 1991 / 21 अग्रह

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
1	6	"श्री सी॰पी॰मुदाल
		"श्री सी॰पी॰मुदाल
7	11	"श्री मुल्लापल्ली र
		मुल्लापल्ली रामचन्
15	14,19	"श्री भीखलाल मीण
	नीचे से पंक्ति 3	मीणा" पढ़िये।
26	नीचे से पंक्ति 9	"श्री कृष्णदत सुल्ता
		कृष्णदत्त सुल्तानपुरी
29	11	"(ग)" के स्थान प
41	18	"(ग)" यदि हाँ तो
		कदम उठाने का वि
64	9	"सैतावन" के स्थान

विषय-सूची

दसम माला, खंड 7 दूसरासत्र' 1991/1913 (शक)

अंक 16 गुरुवार, 12 दिसम्बर, 1991/21 अग्रहायण, 1913 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 304, 305, और 307	—	7-23
प्रश्नों के लिखित उत्तर।		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 308 से 324	—	23-39
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3436 से 3511, 3513 से 3560, और 3562 से 3597	—	40-182
सभापटल पर रखे गये पत्र	—	208-209
राज्य सभा से सन्देश	—	209
लोक लेखा समिति		
दूसरा प्रतिवेदन—प्रस्ताव	—	209
नियम 377 के अधीन मामले	—	211-214
(एक) महाराष्ट्र में चन्द्रपुर जिले के चिमूर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस कदम उठानेकी आवश्यकता श्री विलास मुत्तेमवार	—	211-212

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(दो) हिमाचल प्रदेश में और अधिक शैक्षणिक संस्थाएं खोलने के लिए राज्य सरकार को और अधिक केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी — 212

(तीन) आंध्र प्रदेश-उड़ीसा सीमा पर गंजम और श्रीकाकुलम जिलों में नौपदा-गुनुपुर छोटी लाइन खंड पर रेलगाड़ी सेवाएं बहाल करने की आवश्यकता

श्री गोपी नाथ गजपति — 212-213

(चार) एच. ई. सी., रांची, बिहार कार्य प्रणाली की समीक्षा करने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी — 213

(पांच) राजस्थान में "बीसलपुर पेयजल तथा सिंचाई परियोजना" को शीघ्र पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत — 213

(छः) पोलिस्टर धागे की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता

श्री राम बदन — 213-214

(सात) असम में बरपेटा के सरतेबाड़ी, बनियाकुची और हुवो गांवों में पीतल धातु और कांसा उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री उद्धव बर्मन — 214

(आठ) तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले के पश्चिमी तट पर समुद्र के भीतर ऊंची विरोधक दिवारों का निर्माण करने की आवश्यकता

श्री एन. डेनिस — 814

नियम 193 के अधीन चर्चा — 215-279

आतंकवाद, अलगाववाद और अपहरण की घटनाओं में हाल में हुई बढ़ोतरी के संदर्भ में देश के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की सामान्य रूप से बिगड़ती हुई स्थिति

श्री संतोष कुमार गंगवार — 215-217
कुमारी फ्रिडा तोपनो — 217-219
श्री मोहन रावले — 219-220
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी — 220-224
श्री भगवान शंकर रावत — 224-226
श्री विजय कुमार यादव — 226-227
धर्मपाल सिंह मलिक — 227-230
डा. खुशीराम जेस्वाणी — 230-232
श्री भीम सिंह पटेल — 233-236
श्री इन्द्रजीत — 236-243
श्री राम लाल राही — 243-246
श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन — 246-248
श्री यादमा सिंह युमनाम — 248-250
श्री एस. एम. लालजान बाशा — 250-252
श्री चन्द्रजीत यादव — 252-258
श्रीमती दिल कुमारी भंडारी — 258-259
श्री गिरधारी लाल भार्गव — 261-264
श्री सूर्य नारायण यादव — 264-265
श्री मंजय लाल — 266-267
श्री तेज नरायण सिंह — 268-269
श्री रामदेव राम — 269-270
श्री नवल किशोर राय — 270-272
श्री रति लाल वर्मा — 272-274
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री — 274-275
प्रो. राशा सिंह रावत — 275-277
श्री पी. सी. थामस — 278
श्री सत्यनारायण जटिया — 278-279

लोक सभा

गुरुवार 12 दिसम्बर, 1991/ 21 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

(इस समय श्री सी. पी. मुदाला गिरियप्पा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये)

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान से ही क्यों नहीं बोलते ? यदि आप सदन कूप में आकर बोलेंगे तो कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। आपको अपने स्थान से बोलना चाहिये। अगर आप यहां आकर बोलते हैं तो वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : महोदय, कूप में पानी नहीं है। इसलिए कोई समस्या नहीं है। उन्हें खड़े होने दीजिये।

श्री एच. डी देवगौड़ा (हसन) : महोदय, उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिये जाने के पश्चात जब माननीय जल-संसाधन मंत्री वक्तव्य दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि सभा में चर्चा किए जाने से पहले आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी लेकिन दुर्भाग्य से, कल माननीय मंत्री ने सभा पटल पर न केवल एक अधिसूचना बल्कि इस अधिसूचना के बारे में एक वक्तव्य भी दिया। इस अधिसूचना के कारण आज कर्नाटक में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। लगभग पांच जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति अत्यधिक गम्भीर है। महोदय, मैं आपके तथा भारत सरकार के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूँ कि न्यायाधिकरण में कर्नाटक द्वारा पेश की गई पुनर्विचार याचिका की सुनवाई हेतु 13 तारीख अर्थात् कल का दिन निर्धारित किया गया था और अगर इस मामले को और एक या दो दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाता तो आसमान नहीं गिर पड़ता। मैं नहीं जानता कि किस

* कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

प्रकार भारत सरकार द्वारा यह अविचारित कार्यवाही की गई तथा क्यों यह अधिसूचना जल्दी में जारी की गई। इस सम्बन्ध में, हम प्रधानमंत्री अथवा जल संसाधन मंत्री से एक स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं, अन्यथा, [illegible] सहयोग देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं आपके सम्मुख यही कहना चाहता हूं।

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर) : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक की सभी पार्टियों ने कल बन्द का आह्वान किया है। यह सरकार द्वारा आयोजित बन्द है। इसलिए सभी दलों ने कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित बंद का समर्थन किया है। पहले ही, कल ही यह विचार व्यक्त किया गया था कि कर्नाटक में भी वही दुःखद स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जैसी हम देश के उत्तरी भागों में देख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : बेहतर विचार में, आप इस विषय को 12 बजे उठा सकते हैं। अब आगे के कार्य को लेते हैं। प्रश्न काल के पश्चात मैं आपको इसे उठाने की अनुमति दूंगा।

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद (चामराजनगर) : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि कम से कम प्रधानमंत्री को आकर कुछ कहना चाहिये। यह पहले भी कहा गया था कि जल बटवारे की समस्या न्यायालय से बाहर सुलझाई जायेगी। अतः हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिये और इस बारे में कुछ कहना चाहिये। अन्यथा इससे बहुत मुश्किल होगी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं एक या दो सदस्यों को 12 बजे अपनी बात कहने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 304।

(व्यवधान)

श्री एच. डी. देवगौड़ा : यह बात कार्यवाही में आ गई है कि माननीय जल संसाधन मंत्री चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं। यह सामिका क्यों रखी गई है मैं जानना चाहता हूं। मैं विरोध करने नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊंगा। यह सामिका केवल अखिल भारतीय अध्यक्ष प्रमुख को अपनी समस्यायें करने की अनुमति देने हेतु रखी गई है। ऐसा पिछले दो वर्षों से चला आ रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। (व्यवधान)

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : इस सम्मानित सभा के सभी सदस्यों को प्रश्न पूछने के अवसर से वंचित किया जा रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे 12 बजे पूछ सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : ऐसी सहमति हुई है कि प्रधानमन्त्री वक्तव्य देंगे। प्रधानमन्त्री ने पहले भी एक स्पष्ट बयान दिया। था कि इसे आपसी बातचीत से सुलझाया जाना

चाहिये। मंत्री यहां बैठे हैं। मंत्रियों को कुछ कहने दीजिये। वे यहां बैठे हुए हैं। उन्हें उठकर कुछ कहना चाहिए।

श्री डी. धनंजय कुमार : मैं नहीं जानता किस प्रकार श्री शंकरानन्द मौन साधे हुए हैं जब कर्नाटक के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। जब कर्नाटक के लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, मैं नहीं समझता हूं कि श्री शंकरानन्द कैसे इस तरह बैठ सकते हैं।

श्री एच. डी. देवगौड़ा : मैं दूसरा पंजाब या असम बनाना नहीं चाहता। यदि ऐसा ही होता रहा तो मैं घोषणा करूंगा कि कर्नाटक के लोगों के लिए उत्तेजित होने के लिए यह दूसरा मामला होगा। मैं आप से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि भारत सरकार को इस विषय में स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। श्री शंकरानन्द, आप जीवन पर्यन्त मंत्री नहीं रहेंगे। आप कुर्सी से इतना चिपके हुए क्यों हैं। आप कर्नाटक के लोगों के लिए क्यों नहीं खड़े होते हैं और कुछ बोलते क्यों नहीं हैं। यह तो बहुत दुःख की बात है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप हमारा नाम ले सकते हैं तभी हम विरोध करेंगे। (व्यवधान)

श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद : अधिसूचना जारी करके, आप इस अंतरिम आदेश का कार्यान्वयन नहीं कर सकते। यह बहुत ही कठिन है। मैं इसे नहीं समझ सकता हूं।

श्री एच. डी. देवगौड़ा : यहां तक कि ब्रिटिश शासन ने भी इतनी क्षति नहीं की थी। उसने पानी तक नहीं दिया। आपने किसानों को जहर दिया है : आप सरकार को जोकि एआईएडीएमके रहम पर उसे बचाना चाहते हैं। आपने इस बारे में आश्वासन दिया है। [illegible] सभा में बहस किए जाने के लिए आश्वासन दिया है। आप इस आश्वासन से क्यों हट रहे हैं? हमने आपके शब्द सत्य वचन समझे थे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप परिणाम जानते नहीं हैं। हमारे लोग मर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देवगौड़ाजी, आप चाहते क्या हैं।

श्री एच. डी. देवगौड़ा : हम बहस चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम कक्ष में बात करेंगे। मैं संसदीय कार्यमंत्री को बुलाऊंगा, हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे कर्नाटक के मित्र चर्चा चाहते हैं तो चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चर्चा हो सकती है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे कि यह कैसे किया जा सकता है। लेकिन प्रश्नकाल के दौरान नहीं।

श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा : कर्नाटक के लोग उत्तेजित हैं। भारत सरकार को इस पर वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप यह बताएं कि आप चाहते क्या हैं। क्या आप चर्चा चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री वी. धनंजय कुमार : प्रधानमन्त्री महोदय को सदन में आने दें। (व्यवधान)

श्री एच. डी. देवगौड़ा : हम आपसे इस पर चर्चा के लिए निवेदन करते हैं। ताकि हम सदन को समझाना चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान किस तरह किया जा सके। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ भी बात नहीं करता हूँ। मैं अन्य सदस्यों को भी बुलाऊंगा और इस पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : महोदय, कर्नाटक में गंभीर स्थिति उत्पन्न पैदा हो रही है। मैं सोचता हूँ कि अध्यक्ष इस पर चर्चा के लिए अनुमति देंगे ताकि प्रत्येक सदस्य इस पर अपना विचार व्यक्त कर सके। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सरकार इस पर चर्चा चाहती है, मुझे इसलिए कम परेशानी है। मैं इसके लिए समय निर्धारित करूंगा।

(व्यवधान)

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : श्रीमान, यह बहुत ही गंभीर मामला है। पूरा राज्य जल रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर बहस के लिए मुझे समय निर्धारित करने दीजिए, सरकार की ओर से चर्चा की मांग की गई है।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या श्री शंकरानन्द अपने निजी हैसियत में बोल रहे थे या सरकार की ओर से।

श्री बी. शंकरानन्द : जब मैं यहां बोलता हूं तो मैं अपनी निजी हैसियत से नहीं बोलता हूँ बल्कि पैट्रोलियम मंत्री की हैसियत से बोलता हूं। और मैं आशा करता हूं कि समस्या को सुलझाने के लिए इस विधेयक पर बहस से मदद मिलेगी। कृपया चर्चा की अनुमति दी जाती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या यह बयान सरकार की ओर से नहीं था ?

श्री बी. शंकरानन्द : मैं नहीं सोचता हूं कि अध्यक्ष महोदय इस तरह का भेद-भाव करेंगे

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे करना होगा, अन्यथा संसदीय कार्यमंत्री मेरे से इस बारे में करेंगे

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और कानून, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्रीमान मैं सदन और अध्यक्ष को आश्वासन देता कि सरकार बहस कराना चाहती है । यही नहीं, मैं सदस्यों को आश्वासन देना चाहूंगा कि सरका इस मामले को हल करना चाहती है·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय ; यदि आप सभी इस तरह एक साथ खड़े होकर बोलेंगे तो मैं जारी नहीं रख सकता । मैं जानना चाहता हूं कि आप चाहते क्या हैं । आपने कहा कि आप इस पर बहस चाहते हैं । मैं इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि सरकार की प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाये ।

श्री शंकरानन्द ने कहा कि वे इस विषय पर चर्चा करने के इच्छुक हैं और संसदीय कार्य मंत्री इसके लिए तैयार हैं । मैं इसके लिए समय नियत करूंगा । अब कृपया आप अपने स्थान ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान)

श्री एच. डी. देवगौड़ा : महोदय, जल संसाधन मंत्री आ गए हैं । हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं ।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यदि मंत्रीजी इसका उत्तर दें । लेकिन आपने कहा है कि आप चर्चा करना चाहते हैं और सरकार ने भी कहा है कि वह चर्चा के लिए तैयार हैं । मैं इसके लिए समय नियत करूंगा ।

श्री एच डी. देवगौड़ा : हम चर्चा की मांग केवल इसीलिए कर रहे हैं, क्योंकि हम उस समस्या को उजागर करना चाहते हैं जो आज हावी हो रही है । यह सरकार के हाथ में है कि यदि वह चाहें तो न्याय करे । चर्चा के बाद, हमें सुनने के बाद, यदि सरकार मामला सुलझाना न चाहे तो हमें इस मामले को लोगों तक पहुंचाने की छूट होगी और हम अपना तरीका अपनाएंगे···

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमत है । कर्नाटक में गंभीर स्थिति विकसित हो रही है । यह बेहतर होगा यदि मामले पर आज ही चर्चा कर ली जाए, ताकि सरकार का जवाब सद्भावपूर्ण स्थिति बनाने में सहायक हो सके । (व्यवधान)

श्री एच. डी. देवगौड़ा : कृपया आज ही चर्चा कीजिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से दबाव मत डालिए। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। कृपया समझिए कि प्रश्न-काल निजी सदस्यों का समय है। अब अनेक सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं। लेकिन आप समय को व्यर्थ कर रहे हैं। अब आप चर्चा करना चाहते हैं। मैंने सरकार से अनुरोध किया अथवा जब तक सरकार ने जवाब नहीं दिया, उसका इन्तजार किया। जब सरकार ने सरकारात्मक उत्तर दिया तब मैंने कहा कि मैं चर्चा के लिए समय नियत कर दूंगा। अब आप और क्या चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : कर्नाटक के सदस्य सभा की प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं डालते। हम बहुत अनुशासित सदस्य हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा करना चाहते हैं। मैं आपको चर्चा का अवसर दे रहा हूं। अब आप क्यों खड़े हैं ?

(व्यवधान)

श्री एच. डी. देवगौड़ा : आज ही चर्चा कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकार आज ही चर्चा के लिए तैयार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी अध्यक्ष से कोई लड़ाई नहीं है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : हम चर्चा के लिये तैयार हैं। लेकिन यदि वे चाहते हैं कि प्रधानमन्त्री इसका जवाब दें तो फिर मुझे देखना होगा।

अध्यक्ष महोदय : चीन के प्रधानमन्त्री आए हुए हैं। वह उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। इसलिए वह व्यस्त है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : तभी मैंने कहा था कि मैं प्रधानमन्त्री से मालूम करूंगा। अन्यथा जल संसाधन मंत्रालय के माननीय मंत्री महोदय चर्चा के लिये तैयार हैं।

श्री एच. डी. देवगौड़ा : हम आज ही चर्चा लिये तैयार हैं।

———

11.18 म. प.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

कृषि नीतियों और कार्यक्रमों सम्बन्धी समिति।

* 304. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि नीतियों और कार्यक्रमों सम्बन्धी भानुप्रताप सिंह समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) समिति ने भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों से सम्बन्धित कृषि के भिन्न पहलुओं के बारे में अनेक सिफारिशें की हैं। सभी सम्बन्धित विभागों के विचार प्राप्त किये जा रहे हैं ताकि इस समिति की रिपोर्ट पर सुविचारित निर्णय लिये जा सकें।

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया जवाब थोड़ा असन्तोषजनक है। न केवल संसद सदस्य होने के नाते, बलिक एक किसान के रूप में, मैं बहुत निराश हुआ हूं कि इस रिपोर्ट को डेढ़ साल पहले प्रस्तुत किया गया था और तब से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तब से अब तक तीन सरकारें बदल चुकी हैं। एक सभापति और 11 सदस्यों वाली इस समिति को 6.2.90 को नियुक्त किया गया था। श्री बी. एस. राव भी इसमें एक सदस्य थे। रिपोर्ट को भी सही ढंग से 26.7.90 को प्रस्तुत किया गया था। अब आठवीं योजना तैयार हो रही है। पिछले डेढ़ वर्षों मे सिफारिशें विभिन्न विभागों को भेजी जा रही हैं। यह पता नहीं है कि जवाब कब दिए जाएंगे। सालाना प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ नहीं रही हैं और लगभग 170 कि.ग्रा. पर रुकी हुई है। प्रति व्यक्ति वार्षिक आय भी घटकर 420 रु. की सीमा तक पहुंच गई है। खाद्यान्नों की वृद्धि दर का वर्तमान लक्ष्य 4 . 7 प्रतिशत है और अगले 15 वर्षों में खाद्यान्नों की उत्पादकता को दुगुना करके 350 मिलियन टन करने का विचार है। इस परिपेक्ष्य में, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इन सिफारिशों को स्वीकार करने, उन्हें आठवीं योजना में शामिल करने और एक राष्ट्रीय कृषि नीति बनाने के लिये वचनबद्ध है। यदि ऐसा है, तो इन सिफारिशों पर विचार करने, उन्हें आठवीं योजना में शामिल करने और एक राष्ट्रीय कृषि नीति बनाने के लिये क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

राष्ट्रीय औद्योगिक नीति 19-8 में बनाई गई थी, लेकिन अब तक कोई कृषि नीति तैयार नहीं की गई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ? अब आप कृषि नीति को छोड़कर औद्योगिक नीति की बात कर रहे हैं।

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार भानुप्रताप सिंह समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए वचनबद्ध है, क्या इन सिफारिशों को आठवीं योजना में शामिल किया जाएगा और क्या राष्ट्रीय कृषि नीति तैयार होने वाली है और यदि ऐसा है, तो कब तक।

श्री बलराम जाखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं इसमें कोई विलम्ब नहीं है। यह प्रक्रिया का प्रश्न है और इसलिए किसी नीति के विद्यमान न होने का प्रश्न भी नहीं है, क्योंकि यदि कृषि पर कोई जोर न दिया गया होता या इस बारे में कोई नीति न अपनायी गई होती तो हम इस स्तर पर कभी न पहुंचते, जहां आज हम है। स्वाभाविक रूप से हम यह कहते हैं, हम नहीं, बल्कि पिछली सरकार कि वे हम ही हैं, जिन्होने समिति को यह प्रस्तुत किया और इसके ये दो विशिष्ट प्रयोजन थे : (1) देश में कृषि विकास संवर्धन के लिए नीति और कार्यक्रम की समीक्षा करना विशेष रूप से निर्यात अधिशेष उत्पन्न करने के उद्देश्य से ; (2) कृषि को उद्योग के रूप में घोषित किए जाने की संभाव्यता और वांछनीयता की जांच करना अथवा फलस्वरूप समुचित सुविधा और रियायत पाने के उद्देश्य से कृषि को उद्योग के समतुल्य समझे जाने के लिए। यह नीति भानुप्रताप सिंह समिति ने तय की थी और इसे सितम्बर 1990 में सरकार को सौंप दिया था। नीति संकल्प का प्रारूप मंत्रिमंडल का प्रस्तुत कर दिया गया था किन्तु उस पर चर्चा नहीं की गयी थी और उसे अपनाया नही गया। फिर इसे विभिन्न राज्य सरकारों और मंत्रालयों को संस्तुति और उनके विचारों के लिए भेजा गया। अभी तक सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों और मंत्रालयों की सभी संस्तुतियां प्राप्त नहीं हुई हैं। इसे इस कार्य को शीघ्र पूरा करना चाहता हू किन्तु इसमें समय लगता है। मेरा मंत्रालय उन्हें यदा-कदा स्मरण कराता रहता है। हमने हाल ही में उनसे अपील की है कि उनके पास भेजे गए मामलों पर वे अतिशीघ्र अपने मन्तव्य भेजे। अभी भी कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जिन्होने अब तक इसका उत्तर नहीं दिया है। लगभग नौ मंत्रालय ऐसे हैं, जिन्हें अपने मन्तव्य अभी देने हैं। इस परिवर्तित परिस्थिति में, जबकि औद्योगिक नीति सामने प्रस्तुत है, कुछ उदारीकरण अपनाया गया है, इस पर भी हमारा कुछ नया दृष्टिकोण होना चाहिए। किन्तु इस बीच इसका यह अर्थ नहीं कि हम लोग निष्क्रिय हो रहे। कृषि पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आपने देखा है कि मैं सदन में इस बात पर बार-बार बल देता रहा हूँ कि कृषि को औद्योगिक आधार वाली या उद्योग न मानते हुए ही, इसका फालतू भंडार बना लो इसे निर्यातोन्मुख बनाने कृषकों के लाभकारी मूल्य प्रदान करने इसे नियमित करने संबंधी भानुप्रताप सिंह समिति की सिफारिशों को शीघ्र ही कार्यान्वित करेंगे : इन सब बातों को समुचित परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। मैं इन सभी तथ्यों को प्राप्त करना चाहता हूं. उस पर चर्चा करना चाहता हूँ तथा मंत्रि परिषद में प्रस्तुति पश्चात् सदन में यथा शीघ्र प्रस्तुत करना चाहता हूं। यही मेरा विचार है।

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटस्वरलु : श्रीमन, मान्य मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि कृषि को उद्योग के समतुल्य रखा जाए और इस प्रक्रिया में किसान लाभकारी मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। अत: मैं

माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या भानुप्रताप सिंह समिति ने संस्तुति की थी लाभकारी मूल्य निर्धारित करने के लिए कृषि उत्पादों की लागत और उससे अर्जित लाभ को ध्यान में रखकर गणना करते समय प्रबन्धकीय लागत के साथ-साथ जोखिम घटक को प्रमुख घटक मानकर सम्मिलित किया जाये और यदि हां तो उसके ब्यौरे क्या हैं।

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि मैंने पिछले उत्तरों में ही सारी बात स्पष्ट कर दी है। किन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि जहां तक लाभकारी मूल्य का सम्बन्ध है हम भानुप्रताप सिंह समिति की सिफारिशों से भी आगे निकल चुके हैं। और उनकी संस्तुति से भी बहुत अधिक कर रहे हैं। मैं आपको इसके सारे मानक दूंगा। मैं कह सकता हूं कि कृषि व्यवस्था संबंधी आदानों भूमि उसकी संरचना, कृषि उपकरण आदि हरेक बात पर ध्यान दिया गया है और कुछ भी छोड़ा नहीं गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर : अध्यक्ष महोदय, भानुप्रताप सिंह समिति की स्थापना कब हुई थी, उसने क्या-क्या सिफारिशें की हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह रिपोर्ट बहुत लम्बी होगी।

[हिन्दी]

श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर : आप मेन-मेन बता दीजिए।

[अनुवाद]

श्री बलराम जाखड़ : मैं आपको समिति के सदस्यों के नाम बता सकता हूं :

1. सर्व श्री भानुप्रताप सिंह—	सभापति
2. कुम्भाराम आर्य—	सदस्य
3. हरदेव सिंह सांगा—	"
4. एम. जी. देव सहायम—	"
5. श्री पी. शोभनाद्रीश्वर राव—	"
6. श्री सूरजभान पूर्व सांसद—	"
7. प्रो. वी. एम. राव, सामाजिक आर्थिक— परिवर्तन संस्थान बंगलौर	"
8. डा. बी. आर. सैनी—	"

9. श्री डी. सी. मिश्र— सदस्य सचिव

सरकार के अनुमोदन से निम्न दो सदस्यों को समिति मे सहयोजित किया गया है :

1. कर्नल महिन्दर सिंह, दिल्ली— सदस्य

2. डा. डी. एन. बारेठाकुर— सदस्य

समिति में यही लोग सम्मिलित थे। समिति द्वारा सितम्बर 1990 में सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, कृषि मंत्री ने यह कहा है कि हम इसको काफी प्राथमिकता देते हैं और इस पर हम विचार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस बीच में नयी ग्रोद्योगिक नीति ग्रौर नयी ग्रर्थ नीति ग्रा गई हैं इसलिए इस सब पर विचार करके हमको निर्णय लेना पड़ेगा।

श्रीमन्, इस देश के किसानों में एक भावना यह जागती है कि किसानों को प्राथमिकता नहीं मिलती ग्रौर उद्योग को ज्यादा प्राथमिकता मिलती है और यह बात सही भी है कि सरकार ने उद्योग नीति और नयी ग्रर्थ नीति तो बना ली लेकिन कृषि नीति नहीं बनी ग्रौर ग्रभी आठवीं पंचवर्षीय योजना बनने जा रही है। ग्रगर ग्राठवीं पंचवर्षीय योजना बनने से पहले एक संपूर्ण कृषि नीति ग्राप नहीं बना लेंगे ग्रौर उसके ऊपर विचार नहीं करेंगे तो किसानों के साथ न्याय नहीं हो सकेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 8वीं पंचवर्षीय योजना पर विचार हो रहा है ग्रौर ग्रापको भारत सरकार के मंत्रालयों ने रिपोर्ट नहीं दी है, ग्रापको राज्यों से रिपोर्ट नहीं ग्राई, तो क्या इसकी ग्रावश्यकता को ध्यान में रखते हुए कि तात्कालिक महत्व का प्रश्न है, राष्ट्रीय नीति से संबंध रखता है, ग्राप एक बैठक अपने मंत्रालयों की, राज्य के मुख्य मंत्रियों की या उनके कृषि मंत्रियों को बुलाकर प्लानिंग कमीशन के साथ राष्ट्रीय कृषि नीति पर 8वीं पंचवर्षीय योजना के ग्रन्तिम स्वरूप बनने से पहले निर्णय लेंगे ? यह मैं ग्रापसे जानना चाहता हूं।

श्री बलराम जाखड़ : ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के जो विचार हैं, मैं उनसे पूरी तरह से ग्रवगत भी हूं ग्रौर सहमत भी हूं ग्रौर मैं उतनी ही शीघ्रता करना चाहता हूं जितनी ग्राप करना चाहते हैं। लेकिन यह भी मैं ग्रापको बताना चाहता हूं कि उनकी पालिसी ग्रभी तक ग्रपूर्ण न होने के बावजूद भी मैं उसी तरफ चल रहा हूं जहां वह पालिसी हमें ले जाना चाहती है। मैं यह भी देखना चाहता हूं कि हम सिर्फ सस्टेन नहीं कर सकें, ग्रपने ग्रापको सिर्फ रोटी ही न दे सकें बल्कि मैं किसान की ग्रार्थिक हालत भी सुधारना चाहता हूं। उसके लिए आवश्यक है कि एक नया दृष्टिकोण ग्रपनाया जाए, नया नीति-निर्धारण किया जाए जिसकी वजह से उसकी जेब में भी कुछ पैसे जा सकें ग्रौर उसको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का जो तरीका है वह पनप सके इस विचार के साथ मैं यह पालिसी लाना चाहता हूं। उसरो मैं इसके साथ भी जोड़ना चाहता हूं जो ग्रार्थिक नीति ग्राई है ग्रौर जो व्यापार नीति ग्राई है। उसका हम कितना फायदा उठा सकते हैं, कितना उसके साथ मिला सकते हैं, उस को भी मैं जोड़ना चाहता हूं। इसलिए देरी हो रही है और मैंने

उनको पिछले दिनों लिखा है और आपके कहने के बाद मैं एक बार फिर उनको बुलाने की चेष्ट करूंगा कि यथा शीघ्र काम बने और हम इसका विश्लेषण करके एक नयी प्रक्रिया शुरू क सकें।

[अनुवाद]

श्री एस. बी. सिदनाल : मान्यवर, कृषि की पहले से ही सदैव उपेक्षा हुई। श्री राजीव गांध ने कहा था कि कृषि को उद्योग के समकक्ष रखा जाएगा। इसी पृष्टभूमि में, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कृषि को उद्योग के समकक्ष रखने जा रही है सिर्फ यह कह देना कि भविष्य में कुछ किया जा रहा है, नहीं चलेगा, क्योंकि औद्योगिक नीति पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है। चूंकि यह एक ऐसा देश है, जहां कोई कृषि नीति नहीं है और मन्त्री जी बता नहीं रहे कि वे ऐसा क करने जा रहे हैं, किस तरह से करने जा रहे हैं। इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि इस काम में एक मास या एक वर्ष या जितना भी समय निर्धारित हो, लगेगा।

श्री बलराम जाखड़ : यह एक गलत धारणा है कि हमारी कोई कृषि नीति नहीं है। हम किसी न किसी नीति के अनुसार चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप भी सदस्य थे। 1988-89 के दौरान जब श्री राजीव गांधी प्रधान मन्त्री थे, हमने एक संकल्प पारित किया था तथा कतिपय बातों को स्पष्ट किया था। यदि आप चाहें तो मैं आपको उसके कुछ उद्धरण दे सकता हूं, यह एक बड़ी लम्बी सूची है। कृषि के प्रत्येक पहलुओं पर बल देने के लिए हम इसे औद्योगिक नीति के पीछे नहीं रहने देना चाहते हैं क्योंकि इस देश के आर्थिक बुनियादी ढांचों का आधार केवल कृषि ही है तथा प्रत्येक प्रगतिशील देश को कृषि को सर्वोपरि वरीयता देनी चाहिए। यही आधार होना चाहिए तथा कृषि हेतु यही वास्तविक आधार होता है, यदि औद्योगिक क्षेत्र में कुछ निर्यात करते हैं वह एक छोटा भाग ही सही किन्तु जो हम उत्पन्न करते हैं, कृषि में बेचते और निर्यात करते हैं हम लोगों के लिए लाभपूर्ण होता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्य श्री चन्द्रजीत यादव जो सवाल पूछ रहे थे, उसका मन्त्री जी ने ठीक तरीके से उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय कृषि नीति, जैसे औद्योगिक नीति होती है, तथा औद्योगिक नीति का बाकायदा पालन होता है, उसे लागू किया जाता है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसी संदर्भ में, जो भानुप्रताप कमेटी की रिकमैंडेशन्स हैं, अभी तक हमने इन सवालों को गम्भीरता से नहीं लिया है। अब मौका है कि हम गम्भीरता से लें। मैं बताना चाहता हूं कि देश में दो ही फंस-फाप है—यानी एक जूट है, पिछले साल उसके दाम 800-900 रुपये प्रति क्विटल थे, इस साल उसके दाम 250 रुपये प्रति क्विटल रह गये यानी बहुत ज्यादा कम हो गये जबकि तकरीबन 3 करोड़ किसान जूट के उत्पादन में लगे हुए हैं। दूसरे, गन्ने के दाम आप देखें कि 18 रुपये और 22 रुपये प्रति क्विटल के हिसाब से बिक रहा है। औद्योगिक नीति के अन्तर्गत किसी कारखाने में उत्पादित वस्तु के दाम, कारखाने के बिगड़ने या बन्द होने पर एक ठोस नीति के साथ, कोई चीज

लागू होती है। मेरा निवेदन है कि हमारी कृषि नीति आज भी वैसी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप सजेस्शन मत दीजिये, प्रश्न कीजिये।

श्री शरद यादव : मेरा निवेदन यह है कि हमारी जो राष्ट्रीय कृषि नीति है, जैसे औद्योगिक नीति को लागू करने में संकल्प है, उसी तरह इसमें भी संकल्प हो। आज स्थिति यह है कि सरकार किसी चीज के जो दाम तय करती है, कई वस्तुएं उससे नीचे दामों पर बिक रही हैं। आपकी कृषि नीति के रहते, यह काम हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि अब पोजीशन जो है, आपके समय में भी, आपके पास यह सितम्बर में आयी और आप उसको नवम्बर-दिसम्बर तक पूरा नहीं कर सके थे। अब मैं थोड़ा वक्त ले रहा हूं, सब कुछ सोचकर कर रहा हूं कि किस तरह से चलाऊं सब कुछ ठीक ढंग से चलाऊं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रत्येक कार्य चाहे वह जल्दबाजी में ही क्यों न किया गया हो, कुछ न कुछ समय तो लेता ही है। मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जो धमाकेदार हो व नहो मुझे कोई ऐसा काम करना है जो लाभकारी हो, मैं एक उत्पादनशील नीति पर चलना चाहता हूं, मैं यह किसानों की भलाई के लिए चाहता हूं, और मैं हर उस मान्य सिफारिशों पर गौर कर रहा हूं जिससे इसे कार्य रूप दिया जा सके।

[हिन्दी]

और मैं यह भी देख रहा हूं, आपने तो सिर्फ जूट की बाबत देखा, दूसरी चीजों की बाबत नहीं देखा कि कितने अच्छे भाव पर वे चीजें बिक रही हैं। आज तक वे नहीं बिकी थीं, उस भाव पर। जैसे पैडी आप देख लें, काटन देख लें। बाकी मैं देखकर, जितना मुझसे हो सकेगा, करने की कोशिश करूंगा।

श्री शरद यादव : मैंने जूट और शुगरकेन के बारे में आपसे पूछा था कि आप क्या कर रहे हैं। किसानों को बड़ी दिक्कत है। मैं उन इलाकों से होकर आया हूं और तभी मैंने आपसे निवेदन किया था।

अध्यक्ष महोदय : श्री मेघे।

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, हम बहुत सालों से बात कर रहे हैं कि हमारे किसान को उसकी लागत की तुलना में, वह जो पैदावार करता है, उसमें किसान का खर्चा ज्यादा आता है, जब कि उसे पैदावार का मूल्य ठीक नहीं मिलता है, जब वह अपनी पैदावार को बेचने जाता है। मैं

जानता हूं कि जाखड़ साहब, इसमें काफी इन्टरेस्ट लेकर काम कर रहे हैं और हम सब लोगों को आपसे आशा बढ़ गयी है। हमारी जो कृषि नीति है, क्या आप बतायेंगे कि किसान का किसी फसल की पैदावार में खर्च आता है, आप उसे ज्यादा देने की व्यवस्था करेंगे। यह सही बात है कि चाहे गन्ना पैदा करने वाला किसान हो या कपास पैदा करने वाला हो, उसका पैदावार करने में जो खर्च और मेहनत लगती है, वह खर्च ज्यादा आता है। उसके मुकाबले, पैदावार का दाम उसे नहीं मिलता है। इसी कारण हमारे किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर है। हमारी कृषि नीति का लक्ष्य है कि किसान का पैदावार में जो खर्च हो, जब वह अपनी पैदावार को बेचने आये, वह कीमत उसे अपेक्षाकृत ज्यादा मिले। क्या आप इसकी व्यवस्था करेंगे, यही मैं कृषि मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं।

श्री बलराम जाखड़ : मैं इनको आश्वासन दूं, पिछली बार जो दिया है उसका अनुपात देखें, लेकिन मैं मेरे साहब को कहना चाहता हूं कि मेघ कृपा रखे तो सारा कल्याण ही हो जाए। मेघ राजी नहीं होता तब चिन्ता होती है।

श्री राम नाईक : मन्त्री महोदय ने कहा कि मेघ की कृपा हो तो बड़ा अच्छा होगा। यह कांग्रेस का मैनीफेस्टो है। इसमें लिखा है।

[अनुवाद]

"प्रबंधन और कमान क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक नीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस सरकार प्रत्येक वर्ष सिंचाई के लिए एक मिलियन कुओं के निर्माण के लिए सहायता देगी।"

अध्यक्ष महोदय : यह सिंचाई से संबंधित है कृषि नीति से नहीं, हमें इनके अन्तर को समझना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : मेरा सवाल यह है कि इन्होंने बताया कि पालिसी बनाई जा रही है। क्या आप सदन को इसके बारे में कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम बताने के लिए तैयार हैं कि एग्रीकल्चरल पालिसी की घोषणा कब करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : वह पालिसी पहले से ही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ्रीश्वर राव पांडे : अध्यक्ष महोदय, मुझे कृषि मंत्री की निष्ठा पर संदेह नहीं है। लेकिन इस मामले में तथ्य यह है कि यह वह बहुत ही नाजुक अवधि है जब हम अगले पांच वर्षों के

लिए निर्णय लेने जा रहे हैं। आप भली भांति जानते हैं कि हमारे कृषि क्षेत्र को अतीत में आवश्यक पूंजी के अभाव के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन वर्षों के दौरान कृषकों को निवेश या ऋण के रूप में पूंजी उपलब्ध न नहीं की जा रही है। क्या सरकार वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं ऋण का कम से कम एक तिहाई भाग कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएगी।

इसके अतिरिक्त भानु प्रताप सिंह समिति ने कुछ ऐसे क्षेत्र बनाने के लिए विशिष्ट सिफारिश की है जहां निर्यात के लिए कुछ फसलें उगाई जा सकें और साथ ही कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए वित्त निगम का गठन किया जाए। इसलिए क्या सरकार इस संबंध में आठवीं योजना तैयार करने से पहले इस संबंध में तत्काल निर्णय लेगी ताकि इसके नतीजे आठवीं योजना से प्राप्त होने लगें और पूरे देश में कृषि की स्थिति सुधार सकें।

श्री बलराम जाखड़ : महोदय माननीय सदस्य भली भांति जानते हैं कि मैंने इस सभा में कई बार कहा है कि मैं कृषि की विविधता पर जोर देना चाहता हूं जिससे कृषकों को अधिक मात्रा में कृषि उत्पाद प्राप्त हो सके और उनका निर्यात किया सके। इस कार्य के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं अपेक्षित हैं, हमें ग्रेडिंग, पैकिंग, प्रेषण विपणन प्रसंस्करण और परिवहन की सुविधाएं जुटानी होंगी। इसलिए मैं हर सम्भव तरीके से यह सब करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको वे सब बातें बताना चाहता हूं जो हम करने जा रहे हैं लेकिन इनकी सूची काफी लम्बी है। और इसमें सदन का समय लगेगा।

[हिन्दी]

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, 1971 में पहली बार देश की आजादी के बाद राष्ट्रीय कृषि आयोग बना। उसने 1975 में 39 वाल्यूमस में कई कृषि उत्पादन के रिसोर्सेस की सिफारिश की। उसकी 3443 सिफारिशें थीं। कितनी सिफारिशें इस सरकार ने अभी उसकी मानी हैं और कितनी नहीं मानी है, इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय इस सदन को विवरण दें। इसके अलावा इसकी जो रिपोर्ट है वह करीब 1400 पेज की है। इन्होंने कभी वह पढ़ी भी नहीं और कृषि नीति को चलाने जा रहे हैं। इसकी कितनी सिफारिश सरकार ने मानी हैं और कितनी नहीं मानी हैं, इसका ब्योरा वह सदन को दें।

श्री दाऊ दयाल जोशी : आप हमारे साथ इस तरफ थे तो बहुत अच्छे थे—(व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : आपने उनको गुमराह कर दिया। ठीक वक्त पर ठीक हो गया, क्या हर्ज हो गया? मैं जानता हूं कि नाथू राम जी चेयरमैन थे और इन्होंने नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन के हिसाब से काम किया है। जब वह उसके चेयरमैन थे तो मैं उस समय बतौर फार्मर के तौर पर था। तब से मैं उनका अनुसरण और अनुकरण करता रहा हूं।

श्री नाथू राम मिर्धा : आप उसकी रिपोर्ट लागू करो।

श्री बलराम जाखड़ : मुझे आज इस कार्य को लिये हुए पांच महीने हो गये हैं। मुझ से 15—20 साल पहले जो नहीं हो पाया, उसको अब मैं करके दिखाऊंगा। मैंने आपके दिखाये हुए पथ के अनुसार ही पथ प्रदर्शन किया है और उसके अनुसार ही काम करूंगा। मैं आपकी राय से काम करूंगा, आप निश्चिन्त रहिये। अच्छा हुआ आप उनसे छूट गये।

श्री रविराय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछने से पहले डाक्टर साहब को यह एहसास कराना चाहता हूं कि इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है और यह करोड़ों लोगों की जिन्दगी के साथ जुड़ा हुआ है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस तरह से बात करेंगे तो मुझे आपके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ेगी, यदि आप सदन की मर्यादा बनाए रखना चाहते हैं तो आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहनलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय हमने कई दफा हाथ खड़ा किया है; लेकिन आपने हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हद हो गई मैं बात नहीं कर रहा हूं। सदस्य बात कर रहें हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन लाल मीणा : हमारे मन में भी तो बातें होती है। बोलने के लिए हमें भी समय दिया जाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. कार्तिकेश्वर पात्र : माननीय अध्यक्ष कृपया उन सदस्यों की तरफ ध्यान दें जिन्हें उपेक्षित कर दिया गया है।···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन लाल मीणा : मैं आप पर आरोप नही लगा रहा हूं। हमें भी कुछ कहने का अधिकार है। (व्यवधान)

हमें भी कुछ कहने का अधिकार है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस तरह बैठ कर पंक्तियां कसना सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है।

(व्यवधान)

मैं नहीं बोल रहा हूं। सदस्य बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। यह ठीक नहीं है। मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, जाखड़ साहब के दिमाग में किसानों के लिये तड़प है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दुनिया भर में टर्म्स आफ ट्रेड खेती और किसानों के खिलाफ गया है और विशेषकर हिन्दुस्तान में यह किसानों के खिलाफ गया है। वह जब कृषि नीति आगे चलकर रखेंगे तो क्या वह किसानों के माफिक बनाने के बारे में सोचेंगे ? दूसरी बात यह है कि शरद यादव जी का जो ठोस सवाल जूट के सम्बन्ध में था उसके सम्बन्ध में यह चाहता हूं कि उड़ीसा में और खास कर मेरे निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रपाड़ा में जूट की पैदावार सबसे ज्यादा होती है लेकिन उसके दाम 800 रुपये से गिर कर ढाई सौ रुपये हो रह गये हैं। मैं उन्हें फिर याद दिलाना चाहता हूं कि वह कृषि मंत्री होने के नाते किसानों का पूरा ध्यान रखें। पिछले साल जूट के जो दाम किसानों को मिले थे, उसके अनुसार उसके दाम दिलाने के लिये क्या भारत सरकार जे. सी. आई. पर दबाव डालकर किसानों का भला करेगी ?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय रवि राय जी की बात सही है कि जूट पैदा करने वाले किसानों को जो कष्ट हो रहा है, उसका निवारण होना चाहिये। मैं टैक्सटाइल मिनिस्टर से इस सम्बन्ध में सम्बन्ध स्थापित करूंगा।

श्री श्रीकान्त जेना : आपने उसके सपोर्ट प्राइस भी फिक्स नहीं किये हैं।

श्री बलराम जाखड़ : वह भी करेंगे।

[अनुवाद]

प्रो. कार्तिकेश्वर पात्र : मेरा प्रश्न संख्या 323 भी इस नीति के संबंध में है, मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि हमारे राज्य में पान के पत्तों के उत्पादन के संबंध में भानु प्रताप सिंह समिति की सिफारिशें क्या थी। उड़ीसा पान के पत्तों का उत्पादन करने में अग्रणी है और इसका कुल वार्षिक उत्पादन एक हजार करोड़ रुपए से भी अधिक है।

मैं जानना चाहता हूं कि पान के पत्तों के विकास और इनके निर्यात तथा इससे संबंधित अन्य बातों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है।

श्री बलराम जाखड़ : मैं उन्हें सटीक सिफारिशें बताऊंगा। उनका प्रश्न आज की सूची के

क्रम संख्या 19 पर है। लेकिन मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम पान के पत्तों के विकास में गहरी रुचि लेते हैं क्योंकि अब इनका बड़ी मात्रा में निर्यात होता है। भविष्य में इनका टूथ-पेस्ट और अन्य चीजों में इस्तेमाल होने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। कल मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि पान के पत्तों का उपयोग 'एन्टीबायोटिक्स' और ऐसी ही अन्य चीजों में हो सकता है। यह किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मैंने अपने वैज्ञानिकों से इसके उत्पादन पर विशेष बल देने के लिए कहा है क्योंकि ये किसी बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं जिससे पत्तों को बहुत क्षति पहुंच सकती है। अधिक उत्पादन और पान के पत्तों की खेती पर अधिक बल देने के लिए हम कुछ करेंगे।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने वाले हैं और आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने वाले हैं और आर्थिक स्थिति पर चर्चा करते समय सदस्य कृषि नीति और कृषि मूल्यों पर भी चर्चा कर सकते हैं। हमने इस प्रश्न पर आधा घण्टा से अधिक लगा दिया है। अत: मैं अगले प्रश्न पर आता हूं।

दिल्ली दुग्ध योजना में घाटा

*305. श्री चेतन पी. एस. चौहान :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना निरन्तर घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस घाटे को न्यूनतम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) घाटा होने का मुख्य कारण दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा कम विक्रय मूल्य पर तरल दूध को सप्लाई करना है।

(ग) उठाये गये कदमों में क्षमता का इष्टतम उपयोग उपयोगिताओं तथा उपभोग्य वस्तुओं को कम इकाई खपत, प्रशासनात्मक कुशलता में सुधार तथा दुग्ध और दुग्ध उत्पाद के विक्रय में आवधिक रूप से संशोधन शामिल हैं।

श्री चेतन पी एस. चौहान : दिल्ली दुग्ध योजना को दूध के पैकेटों में रिसाव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह प्रतिदिन के 5 लाख लिटर के कुल उत्पादन का 2 प्रतिशत है जिसका मूल्य 50,000 रुपये है। इस वजह से वार्षिक घाटा 1.82 करोड़ रुपये होता है। प्लास्टिक की थैलियों के रिसाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री के. सी लेंका : दि. दुग्ध योजना पैकेटों में रिसाव को रोकने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। हाल ही में हमने प्लास्टिक के पैकेटों की लागत 20 प्रतिशत कम की है। उसे कम करने के पश्चात् दूध के पैकेज के लिए अन्य विकल्प भी तलाश रहे हैं ताकि दूध का रिसाव न हो।

श्री चेतन पी. एस. चौहान : विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि कर्मचारी सील के साथ छेड़खानी करते हैं, तथा दूध का रिसाव 'क्रेट्स' में होने देते हैं और जब सम्भव होता है उसमें पानी मिला देता है। अक्सर दूध के रिसाव के लिए एक पिन चुभाना ही काफी होता है। फिर उस रिसे हुए दूध को हलवाइयों और ढाबा-मालिकों, चाय की दुकानों तथा झुग्गी निवासियों को बेचा जाता है।

इससे बचने के लिए क्या दि. दु यो. मदर डेरी की भांति वितरण के लिए गैर सरकारी परिवहन की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है लेकिन यूनियन के दबाव के कारण यह व्यवस्था पहले बंद कर दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पूछना चाहिये, उसे पढ़ना नहीं है।

श्री चेतन पी एस चौहान : क्या दिल्ली दुग्ध योजना अभी भी गैर सरकारी ट्रांसपोर्टरों का उपयोग करने पर विचार कर रहो है।

श्री के सी. लेंका : प्रश्न दिल्ली दुग्ध योजना के घाटे के बारे में था। दि दु. यो. एक बड़ी दूरी को तय करते हुए महाराष्ट्र, गुजरात पंजाब और उत्तर-प्रदेश से दूध प्राप्त करता है। उस मामले में भी हम गैर-सरकारी परिवहन की सेवाओं का प्रयोग करने पर विचार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि डी एम एस के द्वारा पिछली बार कब और कितने परसेंट कीमतें बढ़ाई गई, कीमतें बढ़ाने से पूर्व घाटा क्या था और कीमतें बढ़ाने के बाद उसमें कितना घाटा कम हुआ था ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तो स्टेटिसटिक्स की बात है जो आपको भेजी जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बार-बार कीमतें बढ़ाई जाती हैं वह घाटा जो होता है वह इनएफिशिऐंसी और जिसका जिक्र अभी चव्हाण साहब ने किया कि करप्शन की वजह से घाटा है। तो क्या आप कोई ऐसी जांच कमेटी, हाउस के सदस्यों की बनाएंगे जो घाटे के कारणों की जांच करे और जो कीमतें बार-बार बढ़ाई जाती हैं वे न बढ़ें तथा घाटे के कारणों की जांच करके उसके उपाए किए जाएं।

श्री के. सी. लेंका : दिल्ली दुग्ध योजना के घाटे का मुख्य कारण दूध के निर्धारित बिक्री मूल्य का उत्पादन लागत से कम होना है। दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की प्रतिलिटर लागत लगभग

7.75 रुपए है जबकि हम 5 रुपए प्रति लीटर बेच रहे हैं और प्रतिलीटर 2.75 रुपये का नुकसान उठा रहे हैं। इस प्रकार यह घाटे का मुख्य कारण है। हमने पिछले एक वर्ष से बिक्री मूल्य नहीं बढ़ाये हैं। (व्यवधान) पिछले एक वर्ष से वे इसी मूल्य पर बेच रहे हैं। जहां घाटे का सम्बन्ध है यह वर्ष 1988-89 18.88 करोड़ रुपये 1989-90 में यह 16.51 करोड़ रुपये तथा 1991-92 में यह 15.38 करोड़ रुपये था तथा इस वर्ष अक्तूबर तक इसका अस्थायी रूप से अनुमान लगाया गया है और यह घाटा 23 करोड़ रुपये तक होगा।

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न 307 लेते हैं। प्रश्न 306 स्थगित कर दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : बहुत से नियम हैं। अगर आपको नियमों की जानकारी नहीं है तो आपको नियमों का पता लगाना चाहिए। अगर सदस्य चाहें, तो इसे स्थगित किया जा सकता है।

हिंदुस्तान कापर लिमिटेड का आधुनिकीकरण

*307. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को अतिरिक्त वित्तीय शक्तियां देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड अब अपनी क्षमता का विस्तार करने की स्थिति में है; और

(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के विस्तार एवं आधुनिकीकरण की योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) व (ख) सरकार के साथ समझौता ज्ञापन करने वाले और 200 करोड़ रुपये से अधिक की सकल परिसम्पत्ति वाले सरकारी प्रतिष्ठानों के निदेशक मंडलों को सरकार ने पूंजीगत व्यय की मंजूरी करने की अतिरिक्त शक्तियां प्रायोजित की है, बशर्ते कि वह धनराशि कम्पनी के आतरिक स्रोतों से जुटाई जा सके और वह व्यय सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजी बजट में शामिल किसी मद पर किया जाए अथवा उक्त परिव्यय का वार्षिक योजना में प्रावधान किया गया हो। इन अपेक्षाओं को पूरा करने पर हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड अब परिवर्द्धनों, परिवर्तनों एवं नए निवेशों पर मौजूदा 20 करोड़ रुपए की बजाए 50 करोड़ रुपए तथा परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन और नवीनीकरण पर

मौजूदा 50 करोड़ रुपए की बजाए 100 करोड़ रुपए तक व्यय करने हेतु अतिरिक्त वित्तीय शक्तियों का उपयोग करने का हकदार हो गया है।

(ग) और (घ) जी हां। हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने अपनी क्षमता विस्तार की अनेक योजनाओं का निर्धारण कर लिया है, जिनके लिये अंशतः कम्पनी के आंतरिक स्रोतों से और अंशतः बजट सहायता से वित्त व्यवस्था की जा सकेगी। धन उपलब्ध होने पर, 8वीं योजना के दौरान हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित विस्तार और आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण योजनाएं इस प्रकार हैं :—

I पश्चिमी सेक्टर (राजस्थान)

1. खेतड़ी प्रगालक और रिफाइनरी का विस्तार 31,000 टन से बढ़ाकर 45,000 वार्षिक टन करना।

2. कोलिहान खान की वार्षिक अयस्क उत्पादन क्षमता को 0.6 मिलियन टन से बढ़ाकर 0.75 मिलियन टन करना।

3. 0.6 मिलियन टन वार्षिक अयस्क क्षमता की बनवास खान का विकास।

4. खेतड़ी सान्द्रक का आधुनिकीकरण।

II केन्द्रीय सेक्टर (मध्य प्रदेश)

1. मलंजखंड खान का 2 मिलियन टन वार्षिक से 3 मिलियन टन वार्षिक तक विस्तार।

III पूर्वी सेक्टर (बिहार)

1. 0.75 मिलियन टन अयस्क और समान क्षमता के सान्द्रक सहित चापरी सिद्धेश्वर खान का विकास।

2. सिंहभूम पट्टी में इंडियन कापर कम्पलेक्स की मौजूदा खानों का विस्तार और आधुनिकीकरण।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, सरकार आधुनिकीकरण योजना ला रही है और आधुनिकीकरण के लिए काफी धन इस कम्पनी को दिया जा रहा है। मैं सरकार से यह प्रश्न करती हूं कि क्या यह कम्पनी आधुनिकीकरण योजना के योग्य है?

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के लेखाओं की समीक्षा की गई थी जिसमें वर्ष 1988-89 का लाभ 83 करोड़ रुपए दिखाया गया था। लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसे वास्तविक रूप प्रदान करके 46 करोड़ रुपए तक ले आये। क्या कम्पनी ने इस वर्ष में वास्तव में लाभ अर्जित किया है? अगर लाभ हुआ है तो वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन में लेखा-परीक्षकों ने विशेष रूप से व्यावहारिक आंच करने पर गम्भीर टिप्पणियां की है विशेष रूप से 'टाल स्मैल्टिंग' के बारे में अचल संपत्ति के बारे में इस प्रकार की कोई व्यवहारिक

जांच नहीं की गई। वर्ष 1987-88 में यह संपत्ति 38,000 लाख रुपए की थी। वर्ष 1989-90 में यह बढ़कर 42,000 लाख रुपए हो गई। उन्होंने पूछा है कि कच्चे माल की व्यवहारिक जांच-पड़ताल क्यों नहीं की गई तथा यह केवल विभागीय जांच ही क्यों की गई और वह भी सरसरी तौर पर ही क्यों की गई। तीन वर्षों में स्टाक 66 करोड़ रुपए से बढ़कर 2000 करोड़ रुपए हो गया है। यह तो उस कहावत की भांति है कि एक माइक्रोफोन की कीमत मेरी नजर में 10 रुपए जबकि माननीय मंत्री की नजर में 100 रुपए है लेखा परीक्षकों का यह कहना क्यों है कि भंडार। पुर्जों का केवल एक अपेक्षित भाग ही इस जांच प्रणाली के अंतर्गत लिया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन प्रतिकूल है।

(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : ये प्रश्न हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड से किए जाने हैं (व्यवधान) अगर ये सारी बातें नहीं होती तो फिर कम्पनी लेखाओं में परिशिष्ट में इन सब बातों के लिए सहमत क्यों हुई कि ये सभी आरोप सत्य थे और कुछ किया जाना चाहिए। क्या हम कम्पनी के कार्य में अनियमितता तथा धन का दुरुपयोग देखते हुए हम वास्तव में आगे कार्यवाही सकते हैं और एच. सी. एल. को आधुनिकीकरण की योजना के कार्यान्वयन के लिए आदेश दे सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न काफी लम्बा है और मन्त्री महोदय इसका उत्तर नहीं दे पायेंगे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार किस प्रकार की कठोर कार्यवाही करने जा रही है ताकि यह प्रक्रिया बन्द हो सके। मैं जानना चाहूंगा कि क्या जांच होने जा रही है, यदि हां तो कितनी जल्दी होने जा रही है। अनियमितताएं इतनी अधिक हैं कि मैं सोचता हूं कि दूसरे पूरक प्रश्न की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है या भाषण दिया है और मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या उत्तर दूं। इससे मैं मोटे तौर पर यही कह सकता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, मैंने उनसे पूछा है कि वह इस आधुनिकीकरण कार्यक्रम को किस तरह व्यावहारिक रूप देंगे विशेषकर जब कम्पनी ने सन् 1980 से ही धन के दुरुपयोग किया हो, सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति ने इसे सही पाया है। जब कम्पनी में घाटा ही घाटा हो रहा हो, तो आधुनिकीकरण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अनुमति कैसे दे दी जाए।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : श्रीमान् कम्पनी की उत्पादन क्षमता और लाभ दोनों ही बहुत

अच्छे हैं और लगभग 5 वर्ष से यह कम्पनी लाभ कमा रही है । इसलिए यह शंका नहीं होनी चाहिए कि कम्पनी माडर्नाइजेशन और एक्सटेंशन स्कीम को नहीं लिया जा सकता है ।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : श्रीमान् क्या यह सच नहीं है कि लोक लेखा समिति ने वर्ष 1981 में स्पष्ट कहा था कि इस कम्पनी में बड़े पैमाने पर घोटाला चल रहा है । और लोक लेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट और सुझाव सं. 19. में साफ कहा था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इसकी जांच कराई जाएगी । और इस पर अमल भी किया गया था । क्या मैं जान सकता हूं कि बाद में सरकार द्वारा इसे क्यों छोड़ दिया गया है और किस उद्देश्य से ।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, इस सम्बन्ध में मुझे जानकारी रही है । यह प्रश्न माडर्नाईजेशन से सम्बन्धित नहीं है । फिर भी माननीय सदस्या ने यह बात हमारी जानकारी में लाई है, मैं इसको दिखाऊंगा और इसके बाद आपको सूचित करूंगा ।

[अनुवाद]

श्रीमती मुखर्जी : श्रीमान् यह बहुत ही गम्भीर मामला है ।

[हिन्दी]

श्रीमती वसुन्धरा राजे : अध्यक्ष महोदय, इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री मयूर झा : जनाब सदर-ए-मोहतरम, सबसे पहले मैं मोहतरमा वसुन्धरा जी का बहुत आभारी हूं, उनका मशकूर हूं कि उन्हें यह प्रश्न पूछा । यह प्रश्न मेरी कांस्टीट्वेंसी से संबंधित है । मैं यह जानना चाहता हूं कि कम्पनी के माडर्नाइजेशन पर 260 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं, इतनी बड़ी राशि खर्च करने जा रहे हैं, इसके बावजूद वहां से उत्पन्न पोल्यूशन से किसानों के कुओं का पानी सूख गया है, किसानों की खेती उजड़ गई है, वहां के 50 परसेंट वर्कर्स को टीबी हो गई है, तो इस पोल्यूशन के सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ।

श्री बलराम सिंह यादव : माडर्नाइजेशन एक्सपेंशन स्कीम 260 करोड़ की नहीं, बल्कि 1350 करोड़ की प्रस्तावित है । जहां तक पोल्यूशन का सवाल है, इसके लिए करीब 95 करोड़ रुपए का प्रावधान हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के लिए अगली आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है ।

श्री अन्ना जोशी : अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी फैक्ट्री बनाई गई, उससे पहले क्या जियालाजीकल सर्वे रिपोर्ट ली गई थी, क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट ली गई थी और जिन कम्पनियों के साथ टाल्स मिल्टिंग और रिफाइनिंग वगैरह के लिए कांट्रैक्ट किया था, क्या उन कम्पनियों की काम करने की क्षमता के

बारे में पूरी जानकारी ली गई थी ? क्योंकि मेरा सवाल यहां से उठता है कि जिस मार्क रिच कम्पनी को आपने स्टोन स्मैलटिंग का कांट्रैक्ट दिया था अब उस कम्पनी को ब्लैक-लिस्ट किया गया है। इस कम्पनी के जो ऐडज्वाइनिंग सैक्रेटरी थे, मिस्टर बी. पी. सिंह, उन्होंने अभी यू. के. में जाकर कम्पनी निकाली है "ट्रांस माइन्स" उस कम्पनी को आपने अभी स्टोन स्मैलटिंग का कांट्रैक्ट दिया है। (व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने जियालाजीकल सर्वे किया था ? प्रोजैक्ट रिपोर्ट ली है क्या ? जिस कम्पनी के साथ कांट्रैक्ट किया था उसकी एबिलिटी देखी है या नहीं ? अगर देखी है तो उसको ब्लैक-लिस्ट क्यों किया ?

श्री बलराम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य प्रश्न कर रहे हैं इस प्रश्न का मूल प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है। लेकिन फिर भी माननीय सदस्य की सूचना को आधार पर मान कर आपको इसकी जानकारी करने की कोशिश करूंगा।

प्रश्न काल समाप्त हुआ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विजयवाड़ा में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय

*308. श्री के. पी. रेड्डय्या यादव :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृष्णा जिले में तथा गोदावरी बेसिन में पाए गए गैस और तेल के प्रचुर भंडार को ध्यान में रखते हुए विजयवाड़ा में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक खोला जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) (क) से (ग) मद्रास स्थित दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय इस समय क्षेत्र का कार्य देख रहे हैं। कार्यभार के न्यायसंगत होने पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और राजमुंद्री स्थित परियोजना कार्यालय नए कार्यालय खोलने पर विचार करेगा।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

*309. श्री राम टहल चौधरी :

श्री रामलखन सिंह यादव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के लिए प्रत्येक राज्य से कितने-कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) राज्यवार ऐसे कितने प्रस्तावों को इस बीच स्वीकृति दे दी गई है, और

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास राज्यवार कितने प्रस्ताव अभी भी लंबित पड़े हैं।

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

1.10.1988 से 30.9.1991 तक प्राप्त नयी वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति

नयी वृहद और मध्यम परियोजनाओं की संख्या

क. सं.	राज्य	कुल प्राप्त परियोजनाएं	कुछ टिप्पणियों की राज्य द्वारा अनुपालना के अध्यधीन परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार किया गया तथा स्वीकार्य पाई गई	ऐसी परियोजनाएं जो परामर्शदात्री समिति को प्रस्तुत की गई, लेकिन जिन पर विचार करना आस्थगित कर दिया गया	परियोजनाएं जिन पर राज्य विभिन्न तकनीकी आर्थिक मुद्दों को हल करना है।	राज्य सरकारों को लौटाई गयी परियोजनाएं
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	6	0	0	1	5
2.	असम	8	0	1	2	5
3.	बिहार	18	2	0	0	10
4.	गुजरात	11	4	0	5	2
5.	हरियाणा	5	0	1	4	2
6.	जम्मू और कश्मीर	2	0	0	1	2
7.	कर्नाटक	2	0	0	1	2
8.	केरल	2	0	0	1	
9.	मध्य प्रदेश	13	2	1	9	
10.	महाराष्ट्र	24	8	0	8	

1	2	3	4	5	6	7
11.	मणिपुर	1	0	0	1	0
12.	उड़ीसा	10	3	0	4	3
13.	पंजाब	3	0	0	0	3
14.	राजस्थान	15	0	0	4	11
15.	उत्तर प्रदेश	6	3	0	2	8
16.	अरुणाचल प्रदेश	2	0	0	0	2
	योग	128	22	3	48	55

टिप्पणी : उपर्युक्त परियोजनाओं में से किसी भी परियोजना को निवेश स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी।

विश्वविद्यालयों द्वारा कृषि अनुसंधान कार्य

*310. श्री काशीराम राणा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा क्या उल्लेखनीय अनुसंधान कार्य किया गया है ; और

(ख) सरकार ने कृषि विश्वविद्यालयों को आधुनिक उपकरणों एवं सुविधाओं से लैस करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) महोदय, भारत के कृषि विश्वविद्यालयों में अधिक पैदावार देने वाली किस्मों और संकरों के विकास, फसल उत्पादन टेक्नोलाजी, बागबानी, पशुपालन और डेयरी से सम्बन्धित बहुमूल्य अनुसंधान कार्य किए गए हैं। ये टेक्नोलाजियां विविध कृषि जलवायु वाली स्थितियों के लिए उपयुक्त हैं और इनसे भारत की अनेक कृषि जिन्सों के उपज और उत्पादकता में सुधार लाने में सहायता मिली है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विश्वविद्यालयों को अनेक प्रकार से सहायता प्रदान करती है—जैसे अनुसंधान और विकास के लिए अनुदान उपलब्ध कराना। इसमें आधुनिक उपकरण और अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना तथा अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं के तहत भी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।

उत्तर प्रदेश में नलकूप

*311. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश में नलकूप लगाने हेतु विश्व बैंक से मिली वित्तीय सहायता का ब्योरा क्या है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस सहायता से कितने नलकूप लगाये गये ;

(ग) ऐसे कितने नलकूप खराब पड़े हैं, और

(घ) और (ङ) इनके रखरखाव के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी का नाम क्या है तथा खराब पड़े नलकूपों को चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ; और

(ङ) विश्व बैंक से प्राप्त सहायता से राज्य में वर्ष 1991-92 के दौरान कितने नलकूपों का निर्माण करने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विश्व बैंक सहायता प्राप्ति "दूसरी उत्तर प्रदेश सार्वजनिक नलकूप परियोजना" के अन्तर्गत वर्ष 1988-89, 89-90 तथा 90-91 दौरान क्रमशः 28.055 मिलियन डालर, 22.269 मिलियन डालर तथा 19.35 मिलियन डालर की क्रेडिट/ऋण सहायता प्राप्त हुई।

(ख) उक्त अवधि के दौरान 1712 नलकूप खराब पड़ें हैं।

(ग) विश्व बैंक सहायता प्राप्त "दूसरी उत्तर प्रदेश सार्वजनिक नलकूप परियोजनाओं के अंतर्गत लगाए गए नलकूपों में से 67 नलकूप खराब पड़े हैं।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार का सिंचाई विभाग इन नलकूपों का रखरखाव करता है। इस समय खराब पड़े 67 नलकूपों को चालू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आवश्यक उपचारात्मक उपाय कर रही है।

(ङ) "दूसरी उत्तर प्रदेश सार्वजनिक नलकूप परियोजना" के लिए विश्व बैंक क्रेडिट 31.3.1991 को समाप्त हो गया है। अतः विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1991-92 के दौरान और कोई नलकूप नहीं लगाया जाएगा।

भूकम्प से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता

* 312. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी** :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को पर्वतीय क्षेत्रों में हाल के भूकम्प से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) राहत खर्च के लिये धन व्यवस्था करने हेतु पहली अप्रैल, 1990 से लागू वर्तमान योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के आपदा राहत कोष के तहत 90.00 करोड़ रुपये का एक वार्षिक आबटन है जिसमें 67.50 करोड़ रुपये केन्द्रीय अंश के तथा 22.50 करोड़ रुपये राज्य के अंश के हैं। वर्तमान वर्ष के लिए सारा केन्द्रीय अंश निर्मुक्त किया

जा चुका है। राज्य सरकार सड़कों सहित विभिन्न क्षेत्रों को हुई क्षति की हद के अनुसार उनकी मरम्मत के लिये आपदा राहत कोष की धनराशि में से खर्च कर सकती है।

राजस्थान में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

*313. श्री रामनारायण बैरवा :

क्या पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों में तेल शोधक कारखाने स्थापित किये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार का राजस्थान में कोई तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान कोई नई रिफाइनरी स्थापित नहीं की गई है।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

पश्चिमी देशों में भारत विरोधी प्रचार

314. श्री सनत कुमार मंडल :

श्री रवि राय :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेताओं ने यह बात दोहराई है कि कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों के अनुरूप हल कराने के लिए उनकी सरकार इसे संयुक्त राष्ट्र में उठायेगी :

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार को पश्चिमी देशों में किये जा रहे भारत-विरोधी प्रचार की जानकारी है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) 1991 के दौरान भारत-विरोधी इस प्रचार का प्रतिकार करने के लिए सरकार ने देश-वार, क्या-क्या कदम उठाये हैं ;

(च) क्या भारतीय राजनयिकों पर इस दुष्प्रचार का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है ; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) समय-समय पर कुछ नेता इस बात का अनुरोध करते रहे हैं कि कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्र संकल्पों के अनुरूप सुलझाया जाना चाहिए। तथापि, संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मसले को उठाने की बात लेबर पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं है।

(ख) लंदन स्थित हाई कमीशन लेबर पार्टी के नेतृत्व के साथ बराबर संपर्क बनाए हुए हैं और उसने उनको सही तथ्यों की जानकारी तथा सरकार की इस सुविदित नीति की जानकारी दी है कि कश्मीर मसले को 1972 के शिमला समझौते के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए।

(ग) जी हां।

(घ) उग्रवादी और अलगाववादी ग्रुप तथा पाकिस्तानी समर्थक तत्व लोगों की सहानुभूति और अपने काम के लिए उनका समर्थन पाने के उद्देश्य से भारत विरोधी प्रचार कर रहे हैं :

(ङ) से (छ) उन देशों में स्थित भारतीय मिशन विभिन्न वर्गों के नेताओं, भारतीय समुदाय के नेताओं, समाचार जगत और अन्य मत-निर्धारकों से नियमित संपर्क बनाये हुए है ताकि उन्हें भारत की घटनाओं और विभिन्न मसलों पर हमारी स्थिति की जानकारी दी जा सके। जिन देशों भारत विरोधी प्रचार किया जा रहा है उन सभी में यह प्रक्रिया नियमित और सतत रूप से चलती रहती है। इसके अलावा विदेश मंत्री और विदेश राज्य मंत्री ने यू. के., फ्रांस, कनाडा, अमरीका, जर्मनी और इटली की अपनी हाल ही की यात्राओं के दौरान अनेक राजनैतिक नेताओं तथा समाचार जगत और जातीय संगठनों से मुलाकात की और उनको हमारे दृष्टिकोण की जानकारी दी।

भारत विरोधी प्रचार ने विदेशों में भारत की छवि को प्रतिबिम्बित करने के भारतीय राजनयिकों के काम को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को एशिया विकास बैंक से ऋण सुविधा

*315. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया विकास बैंक ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को तब तक ऋण सुविधा देने से मना कर दिया है जब तक आयोग अपने तेल खोजी संगठन को सुव्यवस्थित नहीं कर लेता है ;

(ख) यदि हां, तो एशिया विकास बैंक ने जिन विशिष्ट कमियों का उल्लेख किया है, वे क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी नहीं :

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में ग्रेफाइट भंडारों की खोज

*316. श्री रामशरण यादव :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के खगड़िया और रांची जिलों में ग्रेफाइट के भंडारों की खोज के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) यदि नहीं, तो वहां ग्रेफाइट की खोज के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई) के पास अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, बिहार के खगरिया और रांची जिलों में ग्रेफाइट खनिजीकरण के कोई संकेत नहीं है। इन जिलों में ग्रेफाइट गवेषण का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सोन नहर का आधुनिकीकरण

*317. श्री छेदीलाल पासवान :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में सोन नहर परियोजना के आधुनिकीकरण के कार्य में कितनी प्रगति हुई है, और

(ख) इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना सोपान-1 की जांच की गयी तथा इसे तकनीकी आर्थिक रूप से स्वीकार्य पाया गया लेकिन इस परियोजना को पर्याप्त बजट संबंधी सहायता प्रदान करने में राज्य सरकार की असमर्थता के कारण योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति नहीं दी जा सकी। राज्य सरकार को योजना आयोग द्वारा सुझाए गए सैद्धान्तिक अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को पुनः प्रतिपादित करना तथा लागत प्राक्कलन को अद्यतन करना अपेक्षित है। इसी दौरान सोन नहर प्रणाली की डुमरांव शाखा नहर को राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना में शामिल किया गया है तथा उसमें शामिल सुधार कार्यों के लिए विश्व बैंक से सहायता प्रदान की गयी है।

[अनुवाद]

इजराइल के साथ राजनयिक सम्बन्ध

318. श्री लालकृष्ण आडवाणी :

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यूरोप, मध्य पूर्व तथा अन्य क्षेत्रों में हाल के राजनैतिक घटना चक्र को ध्यान में रखते हुए इजराइल के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(घ) क्या सरकार का विचार पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने हेतु रचनात्मक भूमिका निभाने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) इजरायल के साथ संबंध सामान्य बनाना इस बात पर निर्भर करता है कि पश्चिम एशिया में चल रही शांति प्रक्रिया में कितनी प्रगति होती है।

(घ) और (ङ) भारत पश्चिम एशिया में उचित और व्यापक समाधान ढूंढने के सभी प्रयासों का समर्थन करने के प्रति वचनबद्ध है। हम इसके लिए बराबर काम करते रहेंगे।

दक्षिण अफ्रीका पर लगाए गए प्रतिबन्ध

*319. श्री शरद दिघे :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांस्कृतिक और खेलों के क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका के बहिष्कार सहित जनता के स्तर पर प्रतिबन्धों को समाप्त करने का भारत का निर्णय केवल अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को ही सूचित किया गया था, दक्षिण अफ्रीका सरकार को नहीं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी हां, इस निर्णय की जानकारी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को दी गई थी, न कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार को।

(ख) चूंकि भारत के दक्षिण अफ्रीका की सरकार के साथ सम्बन्ध नहीं हैं, अतः इस निर्णय की जानकारी उनको नहीं दी गई।

मध्य प्रदेश में ताम्र-संयंत्र की स्थापना

*320. श्री प्रफुल पटेल :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलंजखंड तांबा खानों में तांबे का विशाल भंडार विद्यमान है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार वहां एक ऐसा ताम्र-संयंत्र स्थापित करने का है जैसा कि खेतड़ी (राजस्थान(में है ;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ; और

(घ) इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है और वह कहां स्थापित किया जायेगा ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) मध्य प्रदेश में ताम्र प्रगालक संयंत्र स्थापित करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) तथा (घ) मलंजखन्ड ताम्र-निक्षेपों के इष्टतम विदोहन के लिए साध्यता अध्ययन चल रहा है, जिसमें अन्य के अलावा, प्रगालक संयंत्र की स्थापना का प्रश्न और साथ ही उसकी लागत और स्थान से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

*321. श्री बलराज पासी :

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्राकृतिक गैस तथा कच्चे तेल का कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) उनका उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं। उठाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान लगभग 100 मिलियन टन कच्चे तेल और 48.2 बिलियन घन मीटर गैस का उत्पादन हुआ।

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक तेल और गैस विकास परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

[अनुवाद]

कृषि विज्ञान केन्द्र

*322. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री राम पूजन पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रहे कृषि विज्ञान केन्द्रों की राज्य-वार संख्या क्या है ;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में ऐसे और केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ये कहां-कहां खोले जायेंगे ; और

(घ) इन केन्द्रों को कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) :)क) महोदय, अभी तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश भर में 109 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये हैं । इनकी राज्य वार सूची विवरण में दी गई है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) कृषि विज्ञान केन्द्रों को संख्या और स्थान वित्तीय संसाधनों और ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं ।

विवरण

कृषि विज्ञान केन्द्रों की राज्यवार सूची

क्र. सं.	राज्य	स्थान
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. सैदाबाद, पो. आ., संतोषनगर, हैदराबाद 500659
		2. राजामुन्द्री 533105
		3. गड्डी पल्ली 508201
		4. यागान्ती पल्ले करनूल जिला 518524
		5. कमलानगर जिला अनन्तपुर 515001

1	2	3
		6. गांव माल्याल जिला वारंगल
		7. अमदल वालसे जिला श्रीकाकुलम 532185
		8. राल्लेकुलावाई जिला विजयनगरम 532523
2.	असम	9. माम्पा, जिला तेजपुर
		10. गोसाईगांव (कुकराझार)
3.	बिहार	11. मोराबादी, रांची 834008
		12. सर्वोदय आश्रम, सोखोदेवरा 85106
		13. सुजानी, पो. आ. बोरलाश 814152
		14. हालोकास बी. टी. आई. हजारीबाग 825301
		15. भगवानपुर, जिला-सहरसा
		16. मुंगेर
		17. बांके, जिला भागलपुर
		18. चाईबासा, जिला सिंह भूम
4.	गुजरात	19. गांधी नगर, रधेजा 382620
		20. लीला, जिला बनसकांटा
		21. देवगढ़रिया, पंचमहल
		22. बघई, डॅगस
		23. देवताज (सोजित्रा) जिला खेड़ा
5.	हरियाणा	24. रामपुरा, रिवाड़ी
		25. करनाल 132001
		26. सिकोहपुर, जिला गुड़गांव
		27. सवालपुर, जिला हिसार
6.	कर्नाटक	28. बेलाली 571248

1	2	3
		29. हुलकोटी 58248
		30. हनुमानमथी जिला धारवाड़
		31. बिदार
		32. मुदिगेरे, चिकमंगलूर
7.	केरल	33. नरक्कल 682505
		34. वेल्लनाद, मित्रनिकेतन 695543
		35. व्यनाय, अम्बालवबेयाल
		36. पेताम्बी, जिला पालघाट
8.	मध्य प्रदेश	37. कस्तूरबा ग्राम (के. जी. एन. एम. टी.) इन्दौर 452620
		38. बिलासपुर
		39. चंदनगांव, जिला छिंदवाड़ा 48001
		40. झबुआ
		41. भोपाल 462010
9.	महाराष्ट्र	42. सेलसुरा, जिला वर्धा
		43. औरंगाबाद
		44. शिरगांव, जिला रत्नगिरि
		45. धुले
		46. कोसबाद हिल 401703
		47. पाल, ताल राबेर, जिला जलगांव
10.	उड़ीसा	48. सिमिलिगुड्डी, जिला कोरापुट
		49. क्योंझर
		50. बलियापाल, जिला बालासुर
		51. भंजननगर, जिला गंजम

1	2	3
		52. कौशल्यागंज, वाया भुवनेश्वर 751002
11.	पाण्डिचेरी	53. पाण्डिचेरी 605010
12.	तमिलनाडु	54. नवल्लूर-कुट्टापुट्टू जिला तिरुचिरापल्ली
		55. कट्टूपक्कम, जिला चिंग्रगलपुट्ट-602303
		56. वृधाचलम
		57. कोन्नूर 643101
		58. गांधीग्राम 624302
		59. विवेकानन्दपुरम, कोयम्बटूर
14.	उत्तर प्रदेश	60. बहराइच
		61. बस्ती
		62. पिल्खी, जिला मऊ
		63. प्रकेलधरवा फार्म, जिला बलिया
		64. मर्जीलाहन फार्म, जिला वाराणसी
		65. रानीचौड़ी जिला टिहरी गढ़वाल
		66. भरारी, झांसी
		67. मथुरा
		68. रायबरेली
		69. थैंथों फार्म, जिला फतेहपुर
		70. इज्जतनगर 243122
		71. सुल्तानपुर-228001
		72. अवागढ़-207301, जिला ऐटा
		73. बरकच्छा, जिला-मिर्जापुर
		74. गोन्डा-271001
14.	राजस्थान	75. फतेहपुर शेखावटी, जिला-सीकर

1	2	3
		76. बनासवाड़ा
		77. ओसवाल, बीकानेर
		78. जालोर
		79. कुम्हेर, जिला-भरतपुर
		80. सिरोही
		81. श्रीगंगानगर
		82. गोनेरा (कोटपुतली), जिला-जयपुर
		83. बुहाना, जिला-झुंझनू
		84. जोधपुर-342003
		85. बड़गांव, उदयपुर-313001
15.	पंजाब	86. गुरदासपुर
		87. फिरोजपुर
		88. कपूरथला
		89. भटिंडा
		90. फरीदकोट
		91. होशियारपुर
16.	हिमाचल प्रदेश	92. धौला कुंआं, जिला-सिरमौर
		93. हमीरपुर
		94. बजोरा, पालमपुर
17.	जम्मू व कश्मीर	95. मलंगपुर, जिला अनन्तनाग
18.	पश्चिम बंगाल	96. रामसाई, जिला-जलपाइगुड़ी-735219
		97. सोनामुखी-722207
		98. कापगड़ी, जिला मिदनापुर-721505
		99. नीमपीठ आश्रम-743338
		100. काकद्वीप-543347
19.	अरुणाचल प्रदेश	101. बसार, जिला सियांग
20.	गोआ	102. एला, पुराना गोआ 403402
21.	मणिपुर	103. लामफेलपेट, इम्फाल-795004

1	2	3
22.	नागालैंड	104. मेदीजीफेमा, झरनापानी
23.	सिक्किम	105. सरम्सा, रानीपुल-738135
24.	मेघालय	106. तूरा, पश्चिम गारो हिल्स-794004
25.	त्रिपुरा	107. बीरचन्द्रनगर मानू, दक्षिणी त्रिपुरा
		108. छेबरी, खोवई, त्रिपुरा (पश्चिम)
		109. कोलासिब-796031

प्रशिक्षु प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	राज्य	प्रशिक्षु प्रशिक्षण केन्द्रों के स्थान
1	2	3
1.	आन्ध्रप्रदेश	सी. आर. आई. डी. ए. डाकघर सैदाबाद संतोषनगर हैदराबाद 500659
2.	हरियाणा	एन. डी. आर. आई. करनाल 132001
3.	कर्नाटक	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान 255 ऊपर पैलेस ओरचरडस बंगलौर : 56006
4.	केरल	प्रशिक्षु प्रशिक्षण केन्द्र प्रोन कलचर फार्म (सी. एम. एफ. आर. आई) नरक्कल—612505
5.	मध्यप्रदेश	सी. आई. ए. ई. श्रीगुरू तेग बहादुर काम्पलैक्स टी. टी. नगर भोपाल 462003
6.	नागालैंड	आई. सी. ए. रिसर्च काम्पलैक्स कोर एन. ई. एच. क्षेत्र झरनापानी मडजीफेमा (नागालैंड)
7.	उड़ीसा	सी. आई. एफ, ए. कौशल्यागंगा वाया भुवनेश्वर उड़ीसा-751002
8.	तमिलनाडु	अविनेशलिंगम. महिला गृह विज्ञान और उच्च शिक्षा संस्थान कोयम्बाटूर-641043

पान के पत्तों का उत्पादन

*323 डा. कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उड़ीसा पान के पत्तों का मुख्य उत्पादक राज्य है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान पान के पत्तों के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पान के पत्तों के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसका उत्पादन बढ़ाने और तदनुसार निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी हां। उड़ीसा देश के मुख्य पान उत्पादक राज्यों में से एक है।

(ख) पान के पत्तों के पिछले दो वर्षों के राज्यवार क्षेत्र तथा उत्पादन के आधिकारिक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार 700 करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार सहित पान के पत्तों की खेती के तहत 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) पान के पत्तों की खेती तथा इसके निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए गए/किए जाने वाले वाले उपायों में रोग संवरण के प्रति रोग निरोधक कार्रवाई, रोगों तथा उत्पादकता के विभिन्न पहलुओं पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किए जा रहे अनुसंधान, जिसके तहत उत्पादकता बढ़ाने के लिए जनन द्रव्य की परख, जीवरेज्ञानिक/रासायनिक नियन्त्रण तथा विभिन्न खादों, उर्वरकों तथा सूक्ष्म पोषकों का उपयोग आते हैं, शामिल हैं। भारत सरकार कृषि और संसाधित खाद्यों के निर्यात के प्रवर्द्धन के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। ये योजनाएं पान के पत्तों के उत्पादकों के लिए भी उपलब्ध हैं।

दूध का उत्पादन

***324 श्री नवल किशोर राय :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान प्रत्येक राज्य में दूध का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या चक्रीय कमी के कारण चालू वर्ष के दौरान दूध के उत्पादन में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इस चक्रीय कमी के क्या कारण है; और

(घ) सरकार ने दूध के उत्पादन में चक्रीय कमी को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान दुग्ध उत्पादन के राज्यवार अनुमान प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) चालू वर्ष के लिए दुग्ध उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है। अतः यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि वर्ष के दौरान चक्रीय कमी के कारण दुग्ध के उत्पादन में कमी हुई है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-1

क्रम संख्य	राज्य	दूध का उत्पादन 1987-88	("000" 1988-89	मीटरी टन) 1989-90
1.	आंध्र प्रदेश	2807	2814	3030
2.	अरुणाचल प्रदेश	37	38	40
3.	असम	610	603	617
4.	बिहार	2648	2826	3000
5.	गोवा	25	27	25
6.	गुजरात	2997	3041	3351
7.	हरियाणा	2558	2785	3351
8.	हिमाचल प्रदेश	478	500	520
9.	जम्मू और कश्मीर	400	450	487
10.	कर्नाटक	2189	2248	2291
11.	केरल	1426	1513	1600
12.	मध्य प्रदेश	4272	4382	5294
13.	महाराष्ट्र	2657	2800	3266
14.	मणिपुर	77	80	82
15.	मेघालय	41	47	47
16.	मिजोरम	8	8	9
17.	नागालैंड	30	33	32
18.	उड़ीसा	423	424	455
19.	पंजाब	4365	4626	4972
20.	राजस्थान	3911	403	42716
21.	तमिलनाडु	3109	3238	3410
22.	त्रिपुरा	26	27	27
23.	उत्तर प्रदेश	8595	8824	9145
24.	पश्चिम बंगाल	2664	2704	2805
25.	सिक्किम	22	25	27
26.	सभी संघ राज्य क्षेत्र	296	299	304
		46671	48408	51448

दिल्ली के पेट्रोल पम्पों पर हेराफेरी

3436. श्री जीवन शर्मा

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अक्तूबर, 1991 के जनसत्ता में "पेट्रोल पम्पों पर हेराफेरी शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कम पेट्रोल देने वाले और असामाजिक गतिविधियों से लिप्त जिन पेट्रोल पम्पों का निरीक्षण किया गया है उनका ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन महीनों के दौरान उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) पेट्रोल पम्पों का जिनके लाइसेंस इस कारण रद्द किए गए हैं; और

(घ) क्या दिल्ली में और पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली में निम्नलिखित 9 खुदरा बिक्री केन्द्रों में कम सुपुर्दगी के मामले का पता लगाया गया:—

खुदरा बिक्री केन्द्रों के नाम		
1. गोविन्द लहरी अनिल कुमार	—	इंडियन आयल कारपोरेशन
2. कवीन्ज रोड सर्विस स्टेशन	—	इंडियन आयल कारपोरेशन
3. इंटीमेट्स स्टेशन	—	इंडियन आयल कारपोरेशन
4. सर्विस सर्कल	—	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन
5. बत्रा आयल कम्पनी	—	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन
6. राजोकड़ी आयल कम्पनी	—	आई. ओ. पी.
7. जी. डी सिद्धू एंड कम्पनी	—	आई. ओ. पी.
8. कुमार सर्विस स्टेशन	—	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन
9. नारायण सर्विस स्टेशन	—	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन

विपणन अनुशासन मार्ग निर्देशों के अनुसार इन खुदरा बिक्री केन्द्रों से बिक्री को उस समय तक स्थगित कर दिया गया जब तक कि दिल्ली प्रशासन का माप और तोल विभाग द्वारा जांच और पुनः व्यासमापन का कार्य पूरा नहीं कर लिया गया।

(ग) उक्त खुदरा बिक्री केन्द्रों में किसी के भी लाइसेंस को रद्द नहीं किया गया क्योंकि इन समस्त मामलों के माप और तोल विभाग की तोल ठीक पाई गई थी।

(घ) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 23 खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

पशु चिकित्सालय :

3437. कुमारी दीपिका चिखलिया

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गुजरात में प्रत्येक ग्राम-पंचायत में पशु चिकित्सालय की सुविधा उपलब्ध है

(ख) यदि नहीं, तो ग्रामीण जनता के लाभ के लिए यह सुविधा कब तक प्रदान कर दी जाएगी; और

(ग) गुजरात के बड़ोदरा जिले में इस समय कितने पशु चिकित्सालय कार्य कर रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी लेंका) : (क) से (ग) तक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एल्यूमीनियम फास्फेट की खुले बाजार में बिक्री

3438 श्री सुरेन्द्र पाल पाठक

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि कीटनाशकों में प्रयोग किए जा रहे एक विषाक्त रसायन, एल्यूमीनियम फास्फेट का उपयोग करने के कारण मौतें हो रही हैं;

(ख) क्या सरकार को इस रसायन की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग से संबधित ज्ञापन/सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) एल्यूमीनियम फास्फेट नामक कोई भी कीटनाशी नहीं है। तथापि एल्यूमीनियम फास्फाइड नामक कीटनाशी अधिनियम' 1968 के अन्तर्गत पंजीकरण किया गया है। एल्यूमीनियम फास्फाइड से आत्महत्या की कुछ रिपोर्टें सरकार की जानकारी में आयी है।

(ख) और (ग)

जी, हां। पहले ही यह प्रतिबन्ध लगा हुआ है कि एल्युमीनियम फास्फाइड की बिक्री और का उपयोग सरकारी विशेषज्ञों और अन्य विशेषज्ञों जिनकी विशेषज्ञता को भारत सरकार के पौधे संरक्षण सलाहकार ने अनुमोदित कर दिया है, कि कड़ी निगरानी में सरकार/सरकारी प्रतिष्ठानों/सरकारी संगठनों द्वारा किया जाए।

[अनुवाद]

तेल और गैस विकास परियोजनाएं

3439 श्री के. प्रधानी

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हाल ही में कुछ तेल और गैस विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये परियोजनाएं कहां-कहां स्थापित की जायेंगी ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने अक्टूबर, 1990 से 5 तेल क्षेत्र विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। ये परियोजनाएं पश्चिमी अपतट में नीलम, मुक्ता और पन्ना तेल के विकास और बम्बई हाई क्षेत्र के एल-II और एल-III रिज़रवायरों के अतिरिक्त विकास की है।

बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन

3440. श्री गोपीनाथ गजपति

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है,

(ख) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि रही है, और

(ग) इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) 1991-92 में 145 लाख टन परिसज्जित इस्पात के उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) अक्टूबर, 1991 तक 79.0 लाख टन परिसज्जित इस्पात का उत्पादन हुआ।

(ग) इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों में इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और अनुरक्षण, आदानों की सप्लाई का प्रबोधन उन्नत निजी विद्युत का उत्पादन, बेहतर प्रौद्योगिकी और जनशक्ति अनुशासन को अपनाना तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र में नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना करना शामिल है।

इस्पात के उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु अब इस्पात क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

इंडियन आयल कारपोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, आयल इंडिया लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम लिमिटेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद

3441. श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, आयल इंडिया लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम लिमिटेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अनेक पद खाली पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

किसानों की समस्याओं की जांच करने हेतु समिति

3442. श्री डी. वेंकटेशन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में किसानों की समस्याओं की जांच करने के लिए किसी समिति को गठित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस समिति में कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों और संसद सदस्यों को सम्मिलित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो समिति कब तक गठित कर दी जाएगी और वह कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एल्यूमिनियम का उत्पादन

3443. श्री परसराम भारद्वाज :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 से एल्यूमिनियम के उत्पादन में गिरावट आई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं, अपितु एल्यूमिनियम के उत्पादन में गत कुछ वर्षों से लगातार वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

काजू की खेती

3444. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काजू की खेती के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का तेजी से विस्तार करने और काजू के उत्पादन में वृद्धि के लिए संबंधित राज्यों को प्रोत्साहन देने लिए ठोस योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) तथा (ख) 1991-92 के दौरान काजू के क्षेत्र और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सक्षम राज्यों को 1.00 करोड़ रुपए के परिव्यय से केन्द्रीय क्षेत्रक समन्वित काजू विकास कार्यक्रम के तहत् सहायता पहुँचायी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत कृन्तक पौध रोपण सामग्रियों से क्षेत्र का विस्तार करने के लिए काजू उत्पादकों को 3750 रुपए की राज सहायता 5 वार्षिक किस्तों में दी जाती है। इसके अलावा काजू उत्पादकों में कृन्तक खेती को लोकप्रिय बनाने के लिये 0-4 हेक्टेअर क्षेत्र के आकार वाले प्रदर्शन प्लाट तैयार किये गये हैं जिनकी प्रति प्लाट 2200 रुपए की सहायता देकर हिफाजत की जाती है। पौध संरक्षक उपायों को अपनाने के लिए प्रति किसान 3900 रुपए/हैक्टेयर और सार्वजनिक क्षेत्र के काजू निगम को 1500 रुपए/हैक्टेयर की राजसहायता उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकारों को भी उत्पादन केन्द्रों की स्थापना करने तथा काजू उत्पादकों को क्लोनल पौध-रोपण सामग्री की आपूर्ति करने के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई गई है।

गोवा में खान मालिकों को दी गई रायल्टी तथा उनसे वसूल किया गया उपकर

3445. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान गोवा में खान मालिकों को कितनी रायल्टी दी गयी तथा उनसे कितना उपकर वसूल किया गया है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों की सप्लाई

3446. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू रबी मौसम के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम से मांगी गई बीजों की मात्रा का फसलवार ब्योरा क्या है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य को सप्लाई की गई बीज की मात्रा का ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मात्रा क्विंटल में

क्र. सं.	राज्य	फसल	रबी 1991-92 के लिए राज्यों द्वारा अनुमोदित मांग	रबी 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा राज्यों को सप्लाई की गई मात्रा
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	गेहूं	500	230
2.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	मक्का	30	29
		मूंगफली	10	8
		मूंग	10	10
		उड़द	12	12
		अरण्ड	0.50	—
		सरसों	1.00	—
		सूरजमुखी	0.50	—
			64.00	59
3.	अरुणाचल प्रदेश	गेहूं	250	250
		मटर	200	—
		सरसों	100	—
		चना	50	—
			600	250
4.	असम	गेहूं	25000	12362
		मटर	2000	1485
		उड़द	1000	200
			28000	14047

1	2	3	4	5
5.	बिहार	गेहूं	11250	8750
		चना	—	14
		मसूर	80	—
		सरसों	975	912
		अलसी	133	—
			12438	9676
6.	दिल्ली	गेहूं	1000	1042
		चना	20	12
		सरसों	10	537
		सूरजमुखी	—	75
			1030	1666
7.	गुजरात	गेहूं	500	148
		मक्का	—	16
		सरसों	—	1
			500	165
8.	हरियाणा	गेहूं	1300	1168
		सरसों	—	2
			1300	1170
9.	हिमाचल प्रदेश	गेहूं	—	828
		मटर	—	539

1	2	3	4	5
		मसूर	—	28
		चना	—	19
		सरसों तोरिया	—	5
		सूरजमुखी	32	32
			32	1451
10.	जम्मू व कश्मीर	गेहूं	7600	5500
		चना	100	213
		मटर	400	—
		मसूर	200	—
		जई	1000	631
		सरसों	325	214
			9625	6558
11.	कर्नाटक	धान	2400	—
		मक्का	—	102
		गेहूं	200	200
		मूंग	50	340
		लोबिया	30	—
		सूरजमुखी	—	76
		सोरघम	200	—
			2880	718
12.	केरल	धान	1300	1340
		लोबिया	320	12

1	2	3	4	5
		उड़द	200	91
		मूंग	370	—
			2190	1443
13.	मध्य प्रदेश	गेहूं	शून्य	553
		चना	600	440
			600	993
14.	महाराष्ट्र	गेहूं	—	6767
		चना	—	183
		कुसुम	—	490
		सूरजमुखी	—	88
			—	7528
15.	मणिपुर	गेहूं	700	694
		मटर	2075	2075
		चना	350	350
		सरसों एवं तोरिया	320	320
		सूरजमुखी	140	140
			3585	3579
16.	मेघालय	गेहूं	3700	2740
		धान	400	60
		उड़द	90	55
		चना	50	29

1	2	3	4	5
		सरसों व तोरिया	280	177
		मटर	223	127
			4743	3188
17.	मिजोरम	गेहूँ	20	20
		मटर	195	195
		सूरजमुखी	5	5
		मक्का	100	44
		उड़द	5	5
			325	269
18.	नागालैंड	गेहूँ	150	100
		मटर	500	256
		चना	50	45
		सरसों	350	637
		अलसी	40	40
		मक्का	20	21
			1110	1099
19.	उड़ीसा	गेहूँ	15000	7448
		मक्का	148	100
		उड़द	1350	—
		चना	1300	520
		मटर	1000	309

1	2	3	4	5
		अरहर	25	—
			18923	8377
20.	राजस्थान	गेहूं	—	1494
		सरसों/तोरिया	—	1273
		चना	—	7
		जई	50	33
		रिजका	40	1
			90	2808
21.	सिक्किम	गेहूं	2400	2400
		सरसों/तोरिया	500	539
			2900	2939
22.	तमिलनाडु	धान	—	1400
23.	त्रिपुरा	गेहूं	2500	2164
		धान	2500	2500
		मटर	400	400
		चना	200	—
		मसूर	120	80
		तोरिया	250	250
			5970	5394
24.	उत्तर प्रदेश	मटर	—	8

1	2	3	4	5
		सरसों/तोरिया	—	90
			—	98
25.	पश्चिम बंगाल	गेहूं	10000	11500
		धान	3000	3400
			13000	14900
		कुल योग	1,10,405	90,005

[अनुवाद]

कच्चे तेल के राज्य शुल्क निर्धारण की जांच करने के लिए ईश्वरन समिति का गठन

3447. श्री एस. बी. सिदनाल :

क्या पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल उत्पादन राज्यों में निकाले गये कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस क राज शुल्क दर के निर्धारण की जांच करने के लिए ईश्वरन समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के विचारणीय विषय क्या हैं ;

(ग) समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ; और

(घ) क्या देश के प्रमुख तेल उत्पादक राज्यों ने समिति को एक विस्तृत ज्ञापन पेश किया है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. कृष्णकुमार) : (क) जी, हां।

(ख) निर्देश संलग्न विवरण में है।

(ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 10.1991 को प्रस्तुत कर दी है।

(घ) जी, हां।

विवरण

समिति के निर्देश निबंधन निम्न थे :—

(1) निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए कच्चे तेल और गैस पर रायल्टी की दर के संशोधन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं की जांच करना :

1) आगामी दशक में तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए तेल और गैस क्षेत्र में बड़े निवेश की आवश्यकता।

2) ऐसे निवेशों के लिए आन्तरिक स्रोत के सृजन और बजटीय समर्थन की अनुपलब्धता पर पूर्ण निर्भरता की वर्तमान नीति।

3) विभिन्न प्रकार के अन्य खनिजों के लिए रायल्टी की दर में संशोधन के लिए अपनाये जाने वाले सिद्धान्त।

4) इस क्षेत्र में वर्द्धित निवेश से और इस पर वर्द्धित आर्थिक और औद्योगिक कार्यकलापों के माध्यम से तेल और गैस की अधिक उपलब्धता द्वारा बिक्री कर और अन्य करों के माध्यम से राज्य के राजस्व में वृद्धि।

5) सम्बन्धित राज्य सरकारों की स्वीकृति, और

6) इस पहलू से सम्बन्धित कोई अन्य मामला।

(2) रायल्टी की दर में आवधिक संशोधन के लिए विशिष्ट सिद्धान्तों की सिफारिश करना ताकि तदर्थ आधार पर रायल्टी की दर में संशोधन को समाप्त किया जा सके, और

(3) इस विषय पर सहकारिया आयोग की सामान्य सिफारिश को ध्यान में रखते हुए रायल्टी की दर में संशोधन के लिए अवधि के बारे में सुझाव देना।

कोंकण पट्टी में तेल की खोज

3448. श्री वी एस. विजयराघवन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरुवनन्तपुरम कोलम क्षेत्र में कोंकण पट्टी में तेल की खोज में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पास केरल में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की कोई योजना है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यह कार्यालय कब तक खोल दिया जाएगा ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) इस क्षेत्र में सतह भूगर्भीय चित्रांकन तथा हवाई फोटोग्राफ सम्बन्धी

अध्ययन किए गए हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा केरल समुद्री तट पर गुरुत्वाकर्षण सर्वेक्षण भी किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा तेल की खोज

3449. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विदेशी तेल कम्पनियों ने भारत में तेल की खोज करने में अपनी रुचि बताई है ;

(ख) क्या उन्होंने हाल ही में अपनी विदेश यात्रा के दौरान इन कम्पनियों के साथ कोई विचार-विमर्श किया था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) जी, हां। अनेक विदेशी तेल कम्पनियों के साथ विचार-विमर्श किया गया जिन्होंने बोली के चौथे दौर में भाग लेने में गहरी रुचि दिखाई।

नारियल बागान

3450. श्री बी. कृष्ण राव :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान देश में नारियल का राज्यवार कुल कितना-कितना उत्पादन हुआ है ;

(ख) क्या कर्नाटक और केरल के कुछ नये क्षेत्रों को नारियल बागान के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) नवीनतम उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 1989-90 के दौरान नारियल का राज्यवार उत्पादन निम्न प्रकार रहा :—

राज्य	उत्पादन (मिलियन गिरियाँ)
आंध्र प्रदेश	654.7

असम	69.4
गोवा	107.5
कर्नाटक	1158.7
केरल	4394.0
महाराष्ट्र	108.3
उड़ीसा	113.7
तमिलनाडु	2302 4
त्रिपुरा	4.2
पश्चिम बंगाल	2?8.5
अन्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	83.1
लक्षद्वीप	25.2
पांडिचेरी	23.7

(ख) और (ग) नारियल विकास बोर्ड द्वारा 1991-92 के दौरान क्रियान्वित की जा रही है केन्द्र क्षेत्र की योजना के तहत, कर्नाटक और केरल में 1500 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में नारियल की पौध लगाने का प्रस्ताव है। किसानों को 3000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राजसहायता 3 वार्षिक किस्तों में दी जाती है।

पेट्रोल/डीजल खुदरा दुकानों और रसोई गैस एजेन्सियों का आबंटन

3451. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कम्पनियों द्वारा वर्ष 1990 में और वर्ष 1991 के पहले छः महीनों के दौरान आबंटित पेट्रोलियम, डीजल खुदरा दुकानों और रसोई गैस एजेंसियों की राज्यवार, अलग-अलग संख्या कितनी है ;

(ख) उपरोक्त संख्या सहित एजेंसियों की 30 सितम्बर, 1991 को राज्यवार संख्या कितनी थी ; और

(ग) वित्तीय वर्ष में शेष अवधि के दौरान स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित एजेंसियों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्णकुमार) : (क) से (ग) 1.10 91 के अनुसार देश में 3,999 एल. पी. जी. एजेंसियां तथा 15077 पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र थे। वर्ष 1990-91 के दौरान तेल कम्पनियों द्वारा 229 खुदरा बिक्री केन्द्र और 102 एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप में दी गई। विपणन योजनाओं उत्पाद की उपलब्धता आदि के अनुसार देश के विभिन्न स्थानों पर एल. पी. जी. की एजेंसियां और

पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र खोले जाते हैं। 1.10.91 के अनुसार एल. पी. जी. एजेंसियों और पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

राज्य	एल. पी. जी. कुल	खुदरा बिक्री केन्द्र कुल
1	2	3
आंध्र प्रदेश	337	1192
अरुणाचल प्रदेश	12	26
असम	108	321
बिहार	143	912
गोवा	25	65
गुजरात	292	965
हरियाणा	119	491
हिमाचल प्रदेश	29	76
जम्मू और कश्मीर	55	115
कर्नाटक	238	925
केरल	271	698
मध्य प्रदेश	217	868
महाराष्ट्र	550	1524
मणिपुर	9	28
मेघालय	14	48
मिजोरम	10	12
नागालैंड	14	26
उड़ीसा	82	325
पंजाब	165	947
राजस्थान	161	893
सिक्किम	2	9
तमिलनाडु	205	1402
त्रिपुरा	11	29

1	2	3
उत्तर प्रदेश	443	1891
पश्चिम बंगाल	222	1001
संघ राज्य क्षेत्र		
अंडमान और निकोबार	1	3
चंडीगढ़	26	19
दादरा और नागर हवेली	1	3
दिल्ली	215	237
दमन और दीयू	2	4
लक्षद्वीप	1	—
पांडिचेरी	5	25
योग :	3999	15077

(1.10.91 के अनुसार आंकड़े)

[हिन्दी]

विकासशील देशों के कृषि वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण

3452. श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विकासशील देशों के कृषि वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. लेंका) : (क) और (ख) महोदय, विकासशील देशों द्वारा प्रायोजित कृषि वैज्ञानिकों/तकनीकी विदों को द्विपक्षीय समझौतों और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारतीय संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

[अनुवाद]

हावड़ा में उद्योगों को कच्चे लोहे की सप्लाई

3453. श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा के उद्योग कच्चे, लोहे की कम सप्लाई होने के कारण संकट का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने हावड़ा और पश्चिम बंगाल स्थित उद्योगों को कच्चे लोहे की सप्लाई में वृद्धि करने तथा इसकी नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) और (ख) कच्चे लोहे की कम सप्लाई के कारण हावड़ा में उद्योगों द्वारा संकट का सामना किए जाने के बारे में कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं। यद्यपि देश में कच्चे लोहे की सामान्य कमी है। इसलिए किसी भी क्षेत्र की पूरी आवश्यकता को घरेलू उत्पादन से पूरा नहीं किया जा सकता। वैसे सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत कच्चे लोहे के आयात की अनुमति है।

वर्ष 1991-92 में पश्चिम बंगाल में लघु उद्योग क्षेत्र को 41,500 टन कच्चे लोहे का आवंटन किया गया जबकि वर्ष 1990-91 में यह आवंटन केवल 35,000 टन किया गया था।

भूचाल प्रवण क्षेत्र

3454. श्रीमती डी. के. भण्डारी :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में भूचाल प्रवण क्षेत्र की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या ऐहतियाती उपाय किये गये हैं ?

खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) पिछले भूकम्पों और भूवैज्ञानिक तलाकृतियों के आंकड़ों के आधार पर, देश में 5 भूकम्पीय जोनों का निर्धारण किया गया है। जोन-5 अधिक भूकम्प-सक्रिय है और इन भूकम्पीय अवयव के साथ, भूकम्पीय तीव्रता शनैः शनैः कम हो रही है। प्रत्येक भूकम्पीय जोन में निम्नलिखित क्षेत्र हैं :—

जोन—5 : उत्तर पूर्व राज्य, हिमालय क्षेत्र, कच्छ और अंडमान-निकोबार द्वीप-समूह।

जोन—4 : जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल के उत्तरी भूभाग तथा गुजरात के कुछ भूभाग।

जोन—3 : पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओड़ीसा, राजस्थान, गुजरात तथा कर्नाटक के कुछ भूभाग।

जोन—2 : राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ भूभाग।

जोन—1 : कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओड़ीसा, राजस्थान के कुछ भूभाग।

(ग) भूकम्प एक प्राकृतिक घटना है। भूकम्प प्रवण क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन चल रहा

है। तथापि, भारतीय मानक ब्यूरो ने 1986 में जारी अपने प्रकाशन संख्या आई. एस. 1983-1984 में देश के विभिन्न भूकम्पीय जोनों के बारे में संरचनाओं भूकम्प रोधी डिजाइन के लिए मानदण्ड निर्धारित किए हैं।

लोहे का मूल्य

3455. श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहे के मूल्य में गिरावट आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सतोष मोहन देव) : (क) और (ख) कच्चे लोहे का उत्पादन मुख्य रूप से एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा किया जाता है। संयुक्त संयंत्र समिति (जे. पी. सी.) ने कच्चे लोहे की कीमतों कोई कमी नहीं की है।

[हिन्दी]

आदर्श किसान योजना

3456. श्री मृत्युन्जय :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भानु प्रताप सिंह समिति के सुझाव के अनुरूप आदर्श किसान योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) आदर्श किसान योजना कब तक प्रारम्भ कर दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) मोडल कृषक स्कीम से संबन्धित कृषि नीति तथा मूल्य पर भानु प्रताप सिंह समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप

3457. डा. सी. सिलवेरा :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत के आंतरिक मामलों मे पाकिस्तान द्वारा हस्तक्षेप के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में अथवा किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने का है जिसमें खबत

देश द्वारा शिमला समझौते की भावनाओं के उल्लंघन की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को यह तो बता दिया गया है कि पाकिस्तान शिमला समझौते का और अन्तर राज्यीय आचरण के सार्वभौम रूप से स्वीकृत मानदंडों का उल्लंघन कर रहा है तथा पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है किन्तु फिर भी सरकार का यह विचार है कि पाकिस्तान के साथ-साथ सभी मतभेद शिमला के समझौते के अनुसार शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से द्विपक्षीय तरीके से सुलझाए जाने हैं।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

3458. श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा गत डेढ़ वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश से मंजूर की गई बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : पिछले डेढ़ वर्ष में निवेश स्वीकृति प्रदान करने हेतु हिमाचल प्रदेश की कोई बृहद अथवा मध्यम परियोजना केन्द्रीय सरकार के पास विचारार्थ प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

कावेरी जल-विवाद

3459. श्री सी. के. कुप्पुस्वामी :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

कावेरी जल-विवाद को हल करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राज्यीय कावेरी नदी के संबंध में जल विवादों के अधिनिर्णय के लिए अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 2.6.1990 को कावेरी जल विवाद अधिकरण गठित किया है।

व्यापक फसल बीमा योजना

3460. श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में 1 अक्तूबर, 1991 को कितने किसानों से विस्तृत फसल बीमा योजना का प्रीमियम एकत्रित किया गया था और 1990 और 1989 के खरीफ की फसल के संगत आंकड़े क्या थे;

(ख) क्या सरकार का व्यापक फसल बीमा योजना को बन्द करने का विचार; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) आंध्र प्रदेश में 1.1.1991 तक उन किसानों की संख्या 5 07,642 है, जिनसे व्यापक फसल बीमा योजना के लिए प्रीमियम इकट्ठा किया गया है। खरीफ, 1989 तथा खरीफ, 1990 के लिए संगत आंकड़े क्रमश: 7,20,593 और 1,95,568 हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसिन में पाई गैस

3461. श्री यशवंतराव पाटिल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसिन में गैस काफी समय पहले से पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस गैस का दोहन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस गैस का उपयोग करने के लिए सरकार ने कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ विदेशी कम्पनियां भी इस कार्य में सहयोग देने की इच्छुक हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का उनकी सहायता स्वीकार करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इन क्षेत्रों में गैस का पहले से ही दोहन किया जा रहा है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने तानुकू और कोव्वुर के बीच पाइपलाइन बिछाया है। गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड भी तातीपाका से काकीनाडा के बीच पाइपलाइन बना रही है। इस क्षेत्र में उपलब्ध गैस के लिए अवरोही उपभोक्ताओं को पहले ही वचनबद्धता कर दी गई है।

(घ) से (च) बोली के चौथे दौर में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए विदेशी और देशी

कम्पनियों को कृष्णा-गोदावरी अपतटीय बेसिन में चालू ब्लाकों और कावेरी अपतट में एक ब्लाक को देने का प्रस्ताव किया गया है।

कोयले पर रायल्टी की दरें

3462. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या कोयलेमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कोयले के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) कोयले पर रायल्टी/उपकर का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयले पर इसके भार के बजाए मूल्य के आधार पर रायल्टी तय करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को संसद और विधान सभा के सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का कोयले पर रायल्टी की दर बढ़ाने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और रायल्टी की दरों में कब तक संशोधन किया जाएगा ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) महाराष्ट्र में वर्ष 1989-90 1990-91 और 1991-92 (अप्रैल से नवम्बर) की अवधि के दौरान हुए कोयले के उत्पादन को नीचे दिया गया है :—

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	उत्पादन
1989-90	16.34
1990-91	16.85
1991-92 (अप्रैल से नवम्बर)	10.78

(ख) विभिन्न राज्यों में चल रही कोयले पर रायल्टी की ग्रेडवार दरें, नीचे दी गई हैं :—

ग्रेड	सभी राज्य, केवल पश्चिम बंगाल, असम तथा आंध्र प्रदेश को छोड़कर	आंध्र प्रदेश	असम तथा पश्चिम बंगाल
		(रु. प्रति टन)	
इस्पात ग्रेड I और II तथा हाथ			

1	2	3
से उठाया गया	150.00	7.00
बाशरी ग्रेड I	150.00	7.00
बाशरी ग्रेड II और III	120.00	6.50
बाशरी ग्रेड-IV	75.00	5.50
अर्ध-कोकनकर ग्रेड I और II	120.00	6.50
अकोककर ग्रेड ए/बी	120.00	6.50
अकोककर ग्रेड "सी"	75.00	5.50
अकोककर ग्रेड डी/ई	45.00	4.50
अककोकर ग्रेड एफ/जी	25.00	2.50
सभी ग्रेड		70.00

करों तथा उपकरों की दरें, जो कि राज्य सरकारों द्वारा कोयले पर लगाई जा रही हैं, संलग्न में दी गई हैं। अधिकांश उपकरों को न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल तथा असम राज्य में उपकर का संग्रहण किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) कोयले पर रायल्टी की दरों में संशोधन किए जाने के प्रश्न पर जांच किए जाने के लिए गठित अध्ययन दल ने कीमतों के आधार पर रायल्टी के निर्धारण के पक्ष मे मत व्यक्त नहीं किया था। रायल्टी की दरों का निर्धारण अध्ययन दल की सिफारिश पर विचार करने के बाद किया गया है।

(ङ) से (छ) कोयले पर रायल्टी की दरों में दिनांक 1-8-1991 से वृद्धि की गई है। खान एवं खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 तीन वर्ष की अवधि के अन्दर दरों में वृद्धि किए जाने को प्रतिबंधित करता है।

विवरण

राज्यों द्वारा कोयले पर लगाए गए करों तथा उपकरों की दरें

1.	पश्चिम बंगाल	ग्रामीण रोजगार तथा उत्पादन उपकर	1.4.88 से पिटहैड कीमत का 35%
		प्राथमिक शिक्षा उपकर	पिटहैड कीमत का 5%
		सार्वजनिक निर्माण	1 रु. प्रति टन

		कार्य तथा सड़क उपकर स्वास्थ्य उपकर का आसनसोल खान बोर्ड	0.40 रु. प्रति टन

इसके अलावा पश्चिम बंगाल ने एक उत्पादन (टर्न ओवर) कर आरम्भ किया है जो कि कोयले के उपभोक्ताओं से वसूली योग्य नहीं है।

2.	बिहार	कोयले पर उपकर	16.12.87 से पिटहेड कीमत का 40%
		रायल्टी पर उपकर	रायल्टी का 5%
		स्वास्थ्य का झरिया खान बोर्ड	3.50 रुपये प्रति टन
		विकास उपकर	4.00 रु. प्रति टन (कोक पर)
3.	खनन क्षेत्र विकास	खनन क्षेत्र विकास उपकर	रायल्टी का 125%
		भण्डारण उपकर	5 रु. प्रति टन
		एस. ए. डी. ए.	सड़क प्रेषण का 0.10 रु. प्रति टन

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भी 5,000/-रु. प्रति हैक्टेयर की दर से सम्पूर्ण खनन भूमि पर भू-राजस्व लगाने की शुरूआत की थी। किन्तु इसे उच्च न्यायालय द्वारा अमान्य कर दिया गया है।

4.	उड़ीसा	खनिज क्षेत्र विकास उपकर	14.8.89 से पिटहेट कीमत पर 30%
5.	महाराष्ट्र	रायल्टी पर उपकर	रायल्टी का 10%
6.	आंध्र प्रदेश	खनिज राजस्व कर	15.00 रु. प्रति टन
		जिला बोर्ड उपकर	1.25 रु. प्रति टन
7.	असम	कोयले पर कर	100/-रु. प्रति टन

[अनुवाद]

सीमेंट उत्पादकों को कोयले की आपूर्ति

3463. श्रीमती बासवा राजेश्वरी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उत्पादकों ने सरकार से कोयले की आपूर्ति में वृद्धि करने हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड़) (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा सभी उपभोक्ताओं, जिसमें सीमेंट संयंत्र भी शामिल है, को कोयले की उपलब्धता में सुधार किए जाने की दृष्टि से कोयले के प्रेषण तथा उत्पादन में वृद्धि किए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सीमेंट संयंत्रों को कोयले का प्रेषण किए जाने के कार्य पर प्रत्येक सप्ताह निगरानी रखी जाती है, और जहां भी कोयले की कमी होती है, उसे पूरा किए जाने के प्रयास किए जाते हैं।

आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

3464. श्री रामकृष्ण कोनाला :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश की मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश को 104.36 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की सिंगुर सिंचाई परियोजना नामक एक परियोजना को ही अप्रैल 198 में योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा "धारा" की सप्लाई

3465. श्री ताराचंद खंडेलवाल :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लोकप्रिय खाद्य तेल "धारा" का देश भर में सार्वजनिक वितरण के माध्यम से वितरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास द्वारा खाद्य तेल "धारा" के उत्पादन की मात्रा सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरण हेतु पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और

(ङ) सरकार ने "धारा" को दिल्ली में सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडारों में उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) (क) और (ख) जी नहीं सरकार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से धारा वितरित करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ)

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के बाजार हस्तक्षेप प्रचालन के निबंधन

और शर्तों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा प्राप्त किए गए तेल के वितरण की परिकल्पना नहीं की गई है।

(ङ) इस समय धारा दिल्ली में सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार के कुछ बिक्री केन्द्रों द्वारा बेचा जा रहा है। यह उस मात्रा के अतिरिक्त है जिसकी राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के फल तथा सब्जी बूथों और नियमित रूप से कार्यरत खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से बिक्री की जा रही है।

प्रधान मंत्री की जर्मनी यात्रा

3466. श्री सुधीर गिरि

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में जर्मनी की यात्रा की; और

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा के क्या उद्देश्य थे और उसके क्या ठोस परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां 15 से 7 सितम्बर, 1991 तक।

(ख) इस यात्रा के मुख्य उद्देश्यों तथा इसके परिणामों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री द्वारा 13 सितम्बर, 1991 को लोक सभा में अपनी ओर से दिए गए वक्तव्य में दी गई है.

सहकारी क्षेत्र में कार्य निष्पादन

3467. श्री अन्ना जोशी

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में सहकारी क्षेत्र में कार्य निष्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई व्यापक उपाय आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में ब्रह्म प्रकाश समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और

(घ) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी हां, सहकारी समितियों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए किए जा रहे उपायों में सहकारी समितियों को गतिशील प्रजातांत्रिक संस्था बनाने के लिये विधिक ढांचा प्रदान करना राज्य तथा राष्ट्र स्तर पर संघीय सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करना तथा प्राथमिक सहकारी समितियों को पुन: सक्रिय बनाने के लिये व्यवसाय विकास योजना क्रियान्वित करना तथा राष्ट्रीय सहकारी नीति का निरूपण शामिल है।

(ग) और (घ) जी हां। समिति की मुख्य सिफारिशें सहकारी समिति के कार्यों में सरकारी भूमिका मे कमी लाने तथा प्रबंध में सदस्यों की सक्रिय सहभागिता द्वारा सहकारी समितियों को

विशुद्ध प्रजातांत्रिक संस्था बनाने से संबधित हैं ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में मैंगनीज पर आधारित उद्योग की स्थापना

3468. श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार मध्य प्रदेश के बालाघाटा जिले में मैंगनीज पर आधारित उद्योग स्थापित करने का है और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के यमुना-पार क्षेत्र में डी. एम. एस. दूध की आपूर्ति

3469. श्री फूलचन्द वर्मा

श्री वी. एल. शर्मा प्रेम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना-पार क्षेत्र में डी. एम. एस. द्वारा दूध की आपूर्ति मांग से कम रह जाती है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में डी. एम. एस. दूध की आवश्यकता तथा आपूर्ति के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है,

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस क्षेत्र में डी. एम. एस. दूध की आपूर्ति बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. लेंका) : (क) और (ख) जी, हां । दिल्ली दुग्ध योजना यमुना-पार के क्षेत्रों में प्रति दिन लगभग 35000 लीटर दूध की सप्लाई कर रही है । शेष भाग की पूर्ति अन्य स्रोतों से की जा रही है ।

(ग) और (घ) जी, नहीं ।

(ङ) क्षमता अवरोधों के कारण इस समय दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की आपूर्ति में वृद्धि करना संभव नहीं है ।

राजस्थान में पेट्रोल पम्प तथा रसोई गैस एजेंसियां खोलना

3470. श्री अयूब खां :

श्री रामनारायण बैरवा :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के झुंझनू जिले तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने पेट्रोल पम्प तथा रसोई गैस एजेंसियां खोली गयीं; और

(ख) झुंझनू जिले तथा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में निकट भविष्य में कितने पेट्रोल पम्प तथा रसोई गैस एजेंसियां खोले जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान झुनझनू जिले में। खुदरा बिक्री केन्द्र और 2 एल. पी. जी. की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोली गई। विपणन योजनाओं, उत्पाद की उपलब्धता आदि के अनुसार राजस्थान सहित विभिन्न जगहों पर एल. पी. जी. की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा पेट्रोल पम्प खोले जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में भूमि कटाव

3471. श्री भुवन चन्द्र खंडुरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि-कटाव को रोकने के लिए अतिरिक्त राशि आबंटित करने हेतु केन्द्र सरकार को राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव मिले हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भुस्खलन को रोकने के लिए योजनाएं बनायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली राम चन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नही।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने भूस्खलन को रोकने के लिए योजना का निरूपण नहीं किया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से होकर कोई भी राष्ट्रीय राजपथ नहीं गुजरता।

[अनुवाद]

लौह अयस्क खानों का निजीकरण

3472. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार का विचार कुछ लौह अयस्क खानों का निजीकरण करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

3573. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के बारे में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव मिली है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के ब्यौरे के साथ-साथ उनकी मूल्यांकन स्थिति तथा की गयी कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रुपये में/लाभ हजार हेक्टे. में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	लाभान्वित जिले	अनुमानित लागत	मार्च, 91 तक किया गया व्यय	लाभ हजार हेक्टेयर में	केन्द्राय जल आयोग में प्राप्त की तारीख	मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4	5	6	3	8
क. परियोजना जिसके लिए परामर्शदात्री समिति को संक्षिप्त टिप्पण प्रस्तुत किए गए							
I. नयी वृद्ध परियोजनाएं							
1. फर्रुखाबाद शाखा का आधुनिकीकरण		एटा फार्रुखाबाद	365.58	सातवीं योजना में पूर्ण	0.'8	4/83	8/88 में परामर्शदात्री समिति को संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत की गई क्योंकि परियोजना निर्माण के उन्नत चरण में थी
2. बेदार शाखा का आधुनिकीकरण		एटा फार्रुखाबाद	171,00	सातवीं योजना में पूर्ण	13.74	2/87	8/88 में परामर्शदात्री समिति को संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत की गई क्योंकि परियोजना

1	2	3	4	5	6	7	8
							निर्माण के उन्नत चरण में थी।
3.	भोगनीपुर शाखा का आधुनिकीकरण	इटावा मैनपुरी कानपुर	501,00	448 00	135,00	2/87	4/88 में परामर्शदात्री समिति को संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत की गई क्योंकि परियोजना निर्माण के उन्नत चरण में थी।
II.	मध्यम परियोजनाएं	शून्य					

ख. विभिन्न कारणों की वजह से राज्य सरकार को लौटाई गई परियोजनाएं

I, बृहद परियोजनाएं

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अनुपशहर शाखा का आधुनिकीकरण	अलीगढ़ बुलन्दशहर मेरठ, एटा	1174.40	सातवीं योजना में पूर्ण	20.40	3/83	परियोजना रिपोर्ट 1/87 में राज्य सरकार को लौटा दी गई। राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।

2. आगरा नहर का आधुनिकीकरण	आगरा मथुरा	1721.00	1203.00	12.17	3/76	यमुना जल की हिस्से-दारी के संबंध में अंतर्राज्यीय विवाद का हल न होने के कारण इस परियोजना रिपोर्ट को 11/87 में राज्य सरकार को लौटा दिया गया था।
3. पूर्वी यमुना नहर का आधुनिकीकरण	मुजफ्फरनगर सहारनपुर	931.00	864.00	27.03	3/77	—वही
4. घाघर नहर प्रणाली आधुनिकीकरण	मिर्जापुर	2619.54	1480.00	0.00	4/90	इस परियोजना रिपोर्ट को अक्तूबर, 1991 में राज्य सरकार को लौटा दिया गया था। राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है
5. बुंदेलखण्ड और भागलखण्ड क्षेत्र में चैनलों को पक्का करना	मिर्जापुर वाराणसी इलाहाबाद झांसी ललितपुर, बांदा	4325.31	680.00	24.48	6/91	—वही

[अनुवाद]

संदपुर में पेट्रोल पम्प

3474. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कार्य कर रहे पेट्रोल पम्पों का ब्योरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1991 के दौरान सैदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को डीजल की कितनी मात्रा सप्लाई की गई और गत दो वर्षों में सप्लाई किए गए डीजल की मात्रा से यह कितनी कम अथवा अधिक है ;

(ग) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में कुछ और पेट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) सैदपुर संसदीय क्षेत्र में 15 खुदरा बिक्री केन्द्र है ।

(ख) 1989-90 के दौरान 31,107 कि ली. के प्रति 1990-91 के दौरान 31,711 कि. ली. ।

(ग) और (घ) विपणन योजनाओं, उत्पाद की उपलब्धता आदि के अनुसार विभिन्न स्थानों पर पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र खोले जाते हैं ।

[हिन्दी]

मदर डेरी बूथों का आवंटन

3475. श्री बी. एल. शर्मा प्रेम :

श्री रामप्रकाश चौधरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मदर डेरी बूथों के आवंटन हेतु क्या मापदण्ड अपनाए जाते है ;

(ख) क्या मदर डेरी बूथ के आवंटन में बेरोजगार स्नातकों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन व्यक्तियों को भी बूथ आवंटित किए जायें, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. सी. लेंका) : (क) से (घ) तक मदर डेयरी, दिल्ली

शुरू से हो, अपने दुग्ध बूथों को केवल भूतपूर्व सैनिकों को ही आवंटित करने की नीति अपना रही है। इस प्रयोजन हेतु भूतपूर्व सैनिकों को नाम पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा भेजे जाते हैं। उनकी उपयुक्तता की जांच करने के बाद बूथ चुनिन्दा भूतपूर्व सैनिकों को कमीशन के आधार पर आवंटित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की गोरे मैग्नेटाइट परियोजना

3476. श्री मंजय लाल :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पलामू जिले में वर्ष 1990 के दौरान सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की गोरे मैग्नेटाइट परियोजना चलाने पर कितना खर्च हुआ ;

(ख) क्या वहां भारी मात्रा में मैग्नेटाइट पड़ा है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका अनुमानित मूल्य कितना है ;

(घ) क्या इस परियोजना को अर्द्ध-यंत्रीकरण के साधनों से पुन: खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की गोरे मैग्नेटाइट परियोजना को चलाने पर वर्ष 1990-91 के दौरान 81.69 लाख रु. का व्यय हुआ।

(ख) और (ग) गोरे मैग्नेटाइट परियोजना में 7,421 टन मैग्नेटाइट पड़ा है। कोयला कंपनी के वित्तीय लेखे के अनुसार इस स्टाक की कीमत 44.53 लाख रु. है।

(घ) गोरे मैग्नेटाइट खान को पुन: शुरू किए जाने के लिए माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा) से इस बारे में एक संदर्भ प्राप्त हुआ है।

(ङ) चूंकि हाल में किए गए भू-गर्भीय अन्वेषणों का कोई उत्साह वर्द्धक परिणाम दिखाई नहीं पड़ा, अत: सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (से. को. लि.) के निदेशक मंडल ने गोरे मैग्नेटाइट खान को बन्द करने का निर्णय ले लिया था। श्रमिकों को से. को. लि. की अन्य खानों में पुन: नियोजित कर दिया गया है।

भारत सऊदी संयुक्त आयोग

3477. श्री ई. अहमद :

श्री मोरेश्वर सावे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-सऊदी संयुक्त आयोग की हाल में नई दिल्ली में बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ;

(ग) क्या सऊदी अरब ने अपनी परियोजनाओं में भारत का सहयोग मांगा है ;

(घ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है और उन परियोजनाओं में कितनी धनराशि लगी हुई है ; और

(ङ) इस संबंध में सरकार का क्या प्रत्युत्तर है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) से (ङ) भारत-सऊदी संयुक्त आयोग का तीसरा अधिवेशन नई दिल्ली में 13 और 14 नवम्बर, 1991 को हुआ। इसमें हुए विचार-विमर्श से यह पता चलता है कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय, आर्थिक और तकनीकी सहयोग मजबूत करने के लिए इच्छुक हैं। सऊदी पक्ष ने 50 परियोजनाओं में भारतीय सहयोग मांगा जिसका कुल परिव्यय 50 बिलियन अमरीकी डालर है और इच्छुक भारतीय कम्पनियों को परियोजनाओं से संबंधित जानकारी दी जा रही है। सरकार सऊदी अरब में परियोजनाओं में भाग लेने और उनके साथ सहयोग बढ़ाने और उसमें विविधता लाने का हार्दिक स्वागत करती है।

[हिन्दी]

बिहार में सूखा

3478. श्री कमल मिश्र मधुकर :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री नवल किशोर राय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय बिहार में अभूतपूर्व सूखा पड़ रहा है जिसके कारण कृषि उत्पादों पर कुप्रभाव पड़ने की सभावना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या बिहार सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से अतिरिक्त सहायता मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) अभी चालू वर्ष के लिए फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित फसल उत्पादन की मात्रा के बारे में बताना संभव नहीं है क्योंकि अभी यह देय नहीं हुआ है। तथापि वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार सूखे और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण बिहार में विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कुछ फसलों के उत्पादन में कमी होने की संभावना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बिहार के बरौनी तेलशोधक कारखाने में कोलतार का उत्पादन

3479. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के बरौनी तेल शोधक कारखाने में कोलतार का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाता है और उसका मूल्य क्या है,

(ख) इसमें से कितने प्रतिशत कोलतार बिहार में सड़कों, उद्योगों तथा अन्य निर्माण कार्यों हेतु (अलग-अलग) उपयोग में लाया जाता है और उसकी मात्रा तथा मूल्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस उत्पाद का कितना प्रतिशत, कितनी मात्रा प्रतिदिन जलाकर नष्ट की जाती है तथा इसका मूल्य कितना है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) बरौनी रिफाइनरी में कोलतार का उत्पादन नहीं होता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैस को जलाकर नष्ट करना

3480. श्री मदनलाल खुराना :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान कितनी प्राकृतिक गैस जलाकर नष्ट की गई और गत तीन वर्षों के दौरान तेल शोधक कारखाना बार जलाकर नष्ट की गई, गैस की तुलना में यह कितनी कम अथवा अधिक है ;

(ख) अप्रयोज्य ऊर्जा स्रोत को जलाए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस गैस का उपयोग करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान जलाई गई 5161 मि. मानक घन मीटर गैस (एम एम एस सी एम) की तुलना में गत तीन वर्षों के दौरान जलाई गई गैस का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

	(एम एम एस सी एम)
1987-88	3423

1988-89	3874
1989-90	5733

किसी भी रिफाइनरी में कोई भी प्राकृतिक गैस नहीं जलाई जाती है।

(ख) कच्चे तेल के साथ आवश्यक रूप से उत्पादित होने वाली संबद्ध प्राकृतिक गैस का दहन संपीडन और परिवहन सुविधाओं की कमी और डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं की कमी के कारणों से किया जाता है।

(ग) गुजरात में निम्न दाब वाली गैस के संपीडन की योजनाओं और पश्चिमी अपतटवर्ती क्षेत्र में गैस की अतिरिक्त संपीडन और परिवहन क्षमता को इसलिए कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि गैस के दहन को रोका जा सके। असम में डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं की स्थापना को तीव्र करने के संबंध में भी प्रयास किये जा रहे हैं।

जायफल का उत्पादन

3481. श्री पी. सी. थामस :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जायफल का राज्यवार उत्पादन क्या रहा ;

(ख) क्या जायफल का जितना उत्पादन किया जाता है वह देश की अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा जायफल उत्पादों को प्रोत्साहित करके इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) देश में जायफल के उत्पादन के सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तीन वर्षों के उत्पादन के मोटे अनुमान नीचे दिये गए हैं :—

राज्य	उत्पादन (मीटरी टन में)		
	1987-88	1988-89	1989-90
केरल	2385	2596	2768
कर्नाटक	64	65	67
तमिलनाडु	15	20	25

(ख) जी, नहीं। घरेलू उत्पादन तथा मांग के मध्य के अन्तर को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष, जायफल का छोटी मात्रा में आयात किया जाता है।

(ग) जाय-फल की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(1) गुणवत्ता वाली पौध रोपण सामग्री का उत्पादन किया जाता है तथा किसानों को पौधों को लागत की 50 प्रतिशत राज सहायता पर उनका वितरण किया जाता है।

(2) आयकल के किसानों को लागत को 25 प्रतिशत राज सहायता या 3000/- रुपये प्रति सिंचाई यूनिट, जो भी कम हो, उपलब्ध कराई जाती है।

(3) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में गुणवत्ता बीज सामग्री के उत्पादन के लिए 5 हैक्टेयर के एक संतति उद्यान की स्थापना की गई है।

तेल की खोज के लिए बोली का चौथा दौर

3482. **श्री राम नाईक :**

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल की खोज के लिए बोली लगाने के लिए चौथे दौर पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पहले लगाई गई बोलियां, इनमें भाग लेने वाले देशों तथा प्रत्येक बार लगाई गई बोली के परिणाम का ब्यौरा क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) भारत सरकार ने बोली के चौथे दौर में 72 ब्लाकों में 39 अपतट और 33 तटवर्ती क्षेत्र के लिए विदेशी और भारतीय निजी कम्पनियों से बोलियां आमन्त्रित की हैं बोलियों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 29-2-1992 है।

(ग) 1. वर्ष 1980 में बोली के पहले दौर के अन्तर्गत 32 ब्लाक 17 अपतटीय और 15 तटवर्ती आफर किये गये थे। अमेरिका की मैसर्स शेवरान के साथ एक उत्पादन भागीदारी संविदा पर हस्ताक्षर किया गया था। तेल का पता नहीं चला।

2. वर्ष 1982 में, बोली के दूसरे दौर में 50 ब्लाक, 42 अपतटीय और 8 तटवर्ती ब्लाकों के लिए आफर दिये गये थे, किन्तु, किसी भी उत्पादन भागीदारी संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किये गये थे।

3 वर्ष 1986 में, बोली के तीसरे दौर में 27 अपतटीय ब्लाक आफर किये गये। भी ब्लाकों के लिए पांच विदेशी तेल कंपनियों के साथ, जो संयुक्त राज्य अमरीका, नीदरलैंड दुबई और आस्ट्रेलिया की थी, उत्पादन भागीदारी संविदाएं की गई। हाइड्रोकार्बनों की कोई प्राप्ति नहीं हुई है।

ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड की जल संसाधन परियोजनाएं

3483. **श्री विजय नवल पाटील :**

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत का विचार ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड की जल संसाधन परियोजनाओं में किस रूप में भाग लेने का है ;

(ख) इससे होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत का विचार इसमें भाग लेने के लिए किस तरह से धनराशि जुटाने का है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) भूमण्डलीय अवसंरचना निधि के अन्तर्गत कोसी तथा तिपाईमुख उच्च बांध जल संसाधन परियोजनाओं में भाग लेने का भारत का प्रस्ताव है। कोसी परियोजना से नेपाल और भारत को तथा तिपाईमुख परियोजना से भारत और बंगलादेश को लाभ होगा। इन परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण का तरीका निर्धारित नहीं किया गया है।

कोयले के भण्डार

3484. **श्री चित्त बसु** :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्तम कोकिंग कोयले के प्रमाणित भंडार हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित मात्रा कितनी है ;

(ग) कोकिंग कोयले के इस विशाल भंडार का उपयोग करने के लिए अब तक क्या विशेष कदम उठाये गए हैं ; और

(घ) आज तक इस कोयले की कितनी मात्रा का उपयोग किया गया है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) और (ख) 1-1-1991 की स्थिति के अनुसार भारतीय भू-सर्वेक्षण ने 600 मीटर की गहराई तथा 0.5 मीटर तक की मोटाई वाली सीमों में कोककर कोयले के कुल 23,231.72 मिलियन टन भंडार होने का अनुमान लगाया है। श्रेणीवार कोयले के भंडारों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(मिलियन टन में)

	प्रमाणित	विनिर्दिष्ट	अनुमानित	जोड़
(1) प्राइम कोककर	3713.00	32[illegible].00	—	4039.00
(2) मध्यम कोककर	8889.37	8327.99	801.50	18018.86
(3) अर्ध-कोककर	343.61	614.93	315.32	12[illegible]3.06
जोड़	12,945.98	9,268.92	1,116.82	23,33[illegible].72

(ग) और (घ) कोककर कोयले के उत्पादन में वृद्धि किए जाने के संबन्ध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) विद्यमान खानों की उत्पादकता तथा उत्पादन में सुधार।

(2) कोयला वाशरियों के कार्य-निष्पादन में सुधार।

(3) चालू परियोजनाओं पर गहन निगरानी।

(4) धातुकर्मी किस्म के कोकर कोयले की उपलब्धता में कुछ ऐसे कोकर कोयले की मात्रा की धुलाई करके, जिसकी वर्तमान में धुलाई नहीं की जा रही है, वृद्धि किया जाना।

वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान कोकर कोयले का उत्पादन 44.43 मिलियन टन तथा 44.26 मिलियन टन हुआ। इसमें से कोल इंडिया लि. द्वारा वर्ष 1989-90 तथा वर्ष 1990-91 के दौरान धातुकर्मी ग्रेड कोयले का क्रमशः 20.10 मिलियन टन तथा 19.89 मिलियन टन उत्पादन किया गया।

अन्तर्राज्यीय जल विवाद

3485. श्री ए. चार्ल्स :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अन्तर्राज्यीय जल विवादों का ब्यौरा क्या है, जिनका निपटान लम्बित है;

(ख) इन विवादों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या देश में पानी के बंटवारे के मामलों में क्षेत्रीय असंतुलन व्याप्त है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अन्तर्गत, दो विवाद अर्थात रावी व्यास के अतिरिक्त जल का बंटवारा और कावेरी जल का बंटवारा क्रमशः अप्रैल, 1986 और जून, 1990 में अधिकरणों को भेजे गए थे। रावी और व्यास जल अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1987 में दी है, भारत सरकार और पक्षकार राज्यों ने इस अधिनियम के अन्तर्गत की गई परिकल्पना के अनुसार अधिकरण से इसकी रिपोर्ट पर और आगे स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन के लिए अनुरोध किया। कावेरी जल विवाद अधिकरण ने तमिलनाडु और पांडिचेरी को अन्तरिम राहत की अनुमति देते हुए 25-6-1991 को एक आदेश पास किया है। जहां तक अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम के अन्तर्गत माही बजाज-सागर से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार करने हेतु मध्य प्रदेश से प्राप्त प्रस्तावों का सम्बन्ध है, एक प्रारम्भिक अन्तर्राज्यीय बैठक का आयोजन 6 फरवरी, 1991 को किया गया।

इसके अतिरिक्त, पहले के समझौतों की व्याख्या और अतिरिक्त जल का बंटवारा अर्थात् यमुना जल का बंटवारा (ओखला तक), सोन जल पर बाणसागर समझौते की व्याख्या राजस्थान और गुजरात के मध्य माही जल समझौते की व्याख्या जैसे कुछ अन्तर्राज्यीय मामले भी हैं। राज्यों के मध्य जल संसाधनों में अन्तर्राज्यीय मामलों को सौहार्दपूर्ण रूप से सुलझाने के लिए, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थाई समिति का गठन अप्रैल, 1990 में किया गया। स्थाई समिति ने यमुना जल (ओखला तक) के बंटवारे से सम्बन्धित मामले को सुलझाने के लिए सितम्बर, 1990 में एक बैठक का आयोजन किया था।

(ग) भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा की परिवर्तनशीलता के कारण विभिन्न नदियों में प्रवाह का पैटर्न भी परिवर्तनशील है। अन्तर्राज्यीय नदी बेसिन राज्यों के मध्य जल का बंटवारा सामान्यतया आपसी सहानुभूति/समझौतों द्वारा किया जाता है। जल की कमी वाले क्षेत्रों की कठिनाइयों को कम करने के लिए, केन्द्र ने जल संसाधन विकास का एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया है, जिसमें दो घटक अर्थात् प्रायद्वीपीय नदी विकास और हिमालयायी नदी विकास सम्मिलित हैं। इन प्रस्तावों को निश्चित करने के लिए भारत सरकार ने 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का गठन किया है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में छोटे जलमार्गों और पनचक्कियों को हुई क्षति

3486. प्रो. प्रेम धूमिल :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में शाह नहर परियोजना से छोटे जलमार्गों और पनचक्कियों का कोई नुकसान हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : पंजाब सरकार द्वारा शाह नहर बराज मुकेरियन हाइडल चैनल को जल व्यपवर्तित करने के लिए ब्यास नदी पर पौंग बांध के अनुप्रवाह पर वर्ष 1981 में बनाया गया था। इस बराज का थोड़ा सा हिस्सा हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में आता है। बराज के निर्माण के कारण, वर्तमान कुहलों (लघु जल चैनलों) को आपूर्ति में कुछ बाधा आई है और कुछ घराटें (जल मिलें) भी निष्क्रिय हो गई हैं।

4-8-83 को पंजाब और हिमाचल प्रदेश सरकारों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार पंजाब 228 क्यूसेक जल बिना लागत के भुगतान किए नियमित आधार पर सप्लाई करना, 3465 हेक्टेयर क्षेत्र जो शाह नहर बराज के निर्माण से पहले सिंचाई प्राप्त कर रहा था, की सिंचाई के लिए पक्की वाहक चैनल की लागत वहन करना, 11822 हेक्टेयर सम्भावित सिंचाई योग्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के साथ ऐसे चैनलों की लागत बांटना तथा 60 घराटें (जल मिलें) जो निष्क्रिय हो गई है के लिए उपयुक्त मुआवजा देना स्वीकार किया है।

(क) से (घ) जल मिलों, भूमि तथा फसलों के लिए मुआवजा देने से सम्बन्धित मामले पर दोनों राज्य सरकारों के बीच आपसी विचार-विमर्श किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रमण्डलीय देशों के मन्त्रियों का सम्मेलन

3487 श्री पी एम. सईद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में रोम में आयोजित किए गए राष्ट्रमण्डलीय देशों के मन्त्रियों के सम्मेलन में भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, देश में कृषि की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में किन मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। इस बैठक में विश्व खाद्य और कृषि स्थिति, कृषि की तकनोलोजी के मामले में हाल ही की उन्नति से जुड़ी बातों तथा कृषि में पूंजी निवेश बढ़ाने की कार्यनीतियों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा की गई जिसमें भारत सहित राष्ट्र मंडल के देशों पर विशेष ध्यान दिया गया।

कर्नाटक में कोडाचद्री की पहाड़ियों में लोह अयस्क की खोज

3488. श्री जी. मादे गौडा :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कोडाचद्री की पहाड़ियों में लोह अयस्क का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं तो वहां लोह अयस्क का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कर्नाटक के शिमोगा जिले की कोडाचद्री की पहाड़ियों में चुम्बकीय लोह अयस्क के लिए जांच कार्य किया है और कोडाचद्री की पहाड़ियों के थिरताबारे खण्ड में 19.97 प्रतिशत से 52 79 प्रतिशत के बीच लोह अयस्क अंश वाले 5687·3 लाख टन तक इस खनिज की उपलब्धता का अनुमान लगाया है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम नेशनल मिनरल डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने भी कोडाचाद्री स्थित हेमाटाइट के एक छोटे निक्षेप जो कोडाचद्री की पहाड़ियों का एक हिस्सा है, के पता लगाने का आरम्भिक कार्य किया है और 60-62% लोहांश ग्रेड के 250 लाख टन के निक्षेप का अनुमान लगाया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में भूकम्प से सिंचाई परियोजनाओं को हुआ नुकसान

3489 श्री राम बदन :

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हाल ही में आए भूकम्प से सिंचाई परियोजनाओं पर पड़े प्रभाव का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त भूकम्प के कारण पौड़ी गढ़वाल बांध को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने कोई अध्ययन किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में उक्त एजेंसी ने क्या सिफारिशें की हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने, प्रारम्भिक अनुमानों के आधार पर, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई चैनलों, स्थायी और अस्थायी रिहायशी तथा कार्यालय भवनों, सड़कों, पुश्ता-दीवारों तथा तिलोथ पर विद्युत घर जैसे सिंचाई कार्यों को हुई क्षति लगभग पांच करोड़ रुपए आंकी है।

(ख) से (घ) पौड़ी-गढ़वाल बांध अर्थात हेड रेस सुरंग, अपवर्तन सुरंगों तथा बांध आधार की निर्मित संरचनाओं को कोई हानि नहीं हुई है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन नहीं किए है।

महाराष्ट्र में कोयले के भण्डार

3490. **श्री विलास मुत्तेमवार :**

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में चन्द्रपुर जिले के मुरपार, नन्द तथा बन्देरग्राम में कोयले के विशाल भण्डार हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित मात्रा कितनी है ; और

(ग) वहां खनन कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है और इस सम्बन्ध में देरी के क्या कारण हैं ?

कोयला मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस. बी. न्यामगौडा) : (क) और (ख) चन्द्रपुर जिले के मोरपार, नन्द तथा बन्डर के ब्लाकों के कोयले के भण्डार, जिन्हें अनुमानित किया है, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(भण्डार मिलियन टन में)

ब्लाक	प्रमाणित	विनिर्दिष्ट	अनुमानित	जोड़
1. मोरपार तथा				
मोरपार विस्तार	18 4	85.1	—	103.5

1	2	3	4	5
2. नंद	—	—	70.0	70.0
3. बंदेर	51.0	11.3	—	63.2

(ग) वेस्टर्न कोलीफील्ड्स लिमिटेड ने 0.28 मि. टन प्रतिवर्ष की लक्ष्य क्षमता और 18.14 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से जून, 1989 में मोरपार परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। 1994-95 तक इस खान में उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है। बंदेर के ब्लाकों के लिए अन्य परियोजना रिपोर्ट निष्पादन-अधीन है। शेष ब्लाकों का अन्वेषण कार्य प्रगति पर है।

आतंकवादियों का भाखड़ा नहर को उड़ाने का प्रयास

3491. **श्री शिवसरण वर्मा :**

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संदिग्ध आतंकवादियों ने हाल ही में पंजाब के रोपड़ जिले में भाखड़ा नहर को उड़ाने का प्रयास किया था;

(ख) यदि हां, तो इस नहर को कितनी क्षति पहुंची है; और

(ग) उक्त नहर की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) 11 नवम्बर, 1991 को बम विस्फोट के फलस्वरूप भाखड़ा मुख्य नहर पर सिसवान सुपर पैसेज में कांक्रीट का थोड़ा हिस्सा टूट गया था। इसकी शीघ्र मरम्मत कर दी गई।

(ग) पंजाब सरकार ने मुआयना किया है और वह नांगल हाइडल चैनल तथा भाखड़ा मुख्य लाइन पर निगरानी के लिए सुरक्षा प्रबन्ध सुदृढ़ कर रही है। नहर के तटों पर नियमित गश्त के अलावा, सभी महत्वपूर्ण संरचनाओं पर पुलिस चौकियां बना दी गई हैं।

[अनुवाद]

बोंगाईगांव तेल शोधक कारखाने तथा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का विस्तार

3492. **श्री उद्धव बर्मन :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोंगाईगांव तेल शोधक कारखाने तथा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (बी. आर. पी. एल) के विस्तार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) बोंगाईगांव तेल शोधक कारखाने को भेजे जाने वाले कच्चे तेल की मात्रा कितनी है;

(घ) क्या अतिरिक्त कच्चे तेलको ले जाने हेतु भारतीय तेल निगम की पाइप लाइन की वर्तमान क्षमता पर्याप्त है ;

(ङ) यदि नहीं, तो पाइप लाइन क्षमता में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(च) सेपों तथा नूनमति के बीच लूप लाइन के निर्माण की क्या प्रगति है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) 222.99 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि. की शोधन क्षमता को 1.35 एम. एम. टी. पी. ए. से बढ़ाकर 2.35 एम. एम. टी. पी. ए. करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) 2.35 एम. एम. टी. पी. ए. कच्चे तेल को बोंगाईगांव रिफाइनरी ले जाना होगा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) पम्पिंग सेट और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, जोरहट—गुवाहाटी क्षेत्र में दो लूपों को उपलब्ध कराकर और गुवाहाटी-बोंगाईगांव क्षेत्र में एक लूप को उपलब्ध कराकर आयल इण्डिया लिमिटेड की पाइपलाइन का विस्तार करना होगा।

(च) आयल इण्डिया लिमिटेड ने पहले ही मेकोनी-गुवाहाटी क्षेत्र में चनी-जगी मार्ग के बीच लगभग 31 किलोमीटर की लूप लाइन बिछाई। तथापि, स्थानीय असन्तोष के कारण मई, 1990 से यह काम स्थगित पड़ा है।

सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर परियोजना

3493. श्री नारायण सिंह चौधरी :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा सरकार ने सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर पर कितनी धनराशि खर्च की है;

(ख) उसमें केन्द्रीय सरकार का हिस्सा कितना है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार हरियाणा सरकार को कोई राशि वापस देगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उक्त राशि हरियाणा सरकार को कब तक देने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना, जिसमें पंजाब से गुजरने वाली 121 किलो मीटर लम्बी सम्पर्क चैनल शामिल है, का वित्त पोषण पूर्णतः संघ सरकार द्वारा किया जाता है और वर्ष 1986-87 के बाद से इस परियोजना पर व्यय करने के लिए तदनुसार संघ सरकार द्वारा निमुक्तियां की जा रही हैं। वर्ष 1985-86 तक

इस परियोजना पर व्यय हरियाणा और पंजाब सरकारों द्वारा बांटा जा रहा था और उस अवधि तक इस परियोजना पर पंजाब द्वारा किए गए 9.57 करोड़ रुपये के व्यय और हरियाणा द्वारा किए गये 110.50 करोड़ रुपये के व्यय की प्रतिपूर्ति उन्हें पूर्णतः कर दी गई है।

सिंधु दुर्ग जिले में खनिज भण्डार

3494. श्री सुधीर सावन्त :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के सिन्धु दुर्ग जिले में कौन-कौन से खनिज उपलब्ध हैं;

(ख) उनकी वाणिज्यिक उत्खनन सक्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से किसी खनिज का निर्यात किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खानों के विकास और वहां से इन खनिजों के निर्यात के लिए भविष्य के लिए कौन-सी प्रस्तावित योजनायें हैं ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्रत्येक ग्राम पंचायत को रसोई गैस एजेंसी का आवंटन

3495. श्री भेरू लाल मीणा :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी बहुल क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत स्तर पर रसोई गैस की एक एजेंसी आवंटित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का कार्यान्वयन कब तक आरम्भ कर दिए जाने का विचार है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का राजस्थान में विशेष रूप से उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रसोई गैस एजेंसियां आवंटित करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) विपणन योजनाओं, उत्पाद की उपलब्धता आदि के आधार पर राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र सहित देश के विभिन्न स्थानों में नई एल. पी. जी. की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोली जाती हैं, न कि किसी क्षेत्रीय अथवा सामाजिक पहलुओं के आधार पर।

[अनुवाद]

कर्नाटक में नहरों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव

3496. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार को मैसूर जिले की कट्टेपुरा, कृष्ण राजा और चमराजा नहरों के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव वित्तीय सहायता हेतु विश्व बैंक को भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) कावेरी जल की हिस्सेदारी से सम्बन्धित अन्तर्राज्यीय मुद्दों के हल न होने के कारण,कावेरी बेसिन की इन परियोजनाओं पर केन्द्र में तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन हेतु विचार किया गया है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड तथा राष्ट्रीय स्टील लिमिटेड के सह-उत्पाद

3497. श्री मोहन सिंह :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, इसकी सहायक कम्पनियों तथा राष्ट्रीय स्टील लिमिटेड द्वारा उत्पादित किये जा रहे सह-उत्पादों का ब्यौरा क्या है और इन संयत्रों की वार्षिक उत्पादन-क्षमता कितनी-कितनी है, और

(ख) इन उत्पादों के विपणन/वितरण के लिए क्या नियम/मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियों तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की विशाखा-पट्टनम इस्पात परियोजना द्वारा उत्पादित उपोत्पादों की मात्रा और वार्षिक क्षमता के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :—

उपोत्पाद	वार्षिक क्षमता (लाख टन)	
	सहायक कम्पनियों सहित सेल	विशाखापट्टनम इस्पात परियोजना
1. अपरिष्कृत बेंजोल उत्पाद	1.25	—
2. अपरिष्कृत द्वारा उत्पाद	5.C0	0.58
3. अमोनियम सल्फेट	1.80	0.21

(ख) उपोत्पादों के सम्बन्ध में वितरण और विपणन के लिए मानक, मानदण्ड और प्रक्रिया जिसका सेल और इसकी सहायक कम्पनियों तथा विशाखापट्टनम इस्पात परियोजना द्वारा अनुपालन किया जा रहा है, निम्नलिखित है :—

सेल सहायक कम्पनियों सहित	विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र
उक्त उपलब्ध उपोत्पादों का 85-90% प्रतिबद्ध सप्लाई योजना के तहत दीर्घ-कालीन योजना के अन्तर्गत बेचा जाता है।	अमोनियम सल्फेट का वितरण फर्टिलाइजर नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र रखने वाले डीलरों के माध्यम से किया जाता है।
शेष 10 से 15% उत्पाद तदर्थ उपलब्धता) को उन ग्राहकों को उनके द्वारा सेल से पिछले तीन वर्षों के दौरान उठाए गए माल के आधार पर बेचा जाता है जिन्होंने सेल में अपनी मांग पंजीकृत करा रखी हो।	अपरिष्कृत टार को खुली निविदा के माध्यम से बेचा जाता है। कुछ मात्रा को सहयोगी इस्पात संयंत्रों को भी बेचा जाता है।
तदर्थ उपलब्धता का 30% तरजीह आधार पर स्थानीय प्रयोक्ता उद्योग को आबंटित किया जाता है।	
जब तदर्थ उपलब्धता पंजीकृत मांग से अधिक होती है तो अधिशेष मात्रा को इच्छुक ग्राहकों को बेचा जाता है।	

[हिन्दी]

कालीसिंध तथा पार्वती नदियों के जल का उपयोग

3498. श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश से बहने वाली कालीसिंध और पार्वती नदियों के जल के उपयोग हेतु कोई प्रस्ताव भेजा गया,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्र में प्राप्त कालीसिन्ध और पार्वती नदी बेसिनों की नयी बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विवरण संलग्न है।

विवरण

कालीसिन्ध और पार्वती नदी बेसिनों की नयी बेसिनों की नयी वृहद तथा मध्यम परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र सं.	राज्य	परियोजनाओं का नाम	नदी बेसिन	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	लाभ (हजार हेक्टेयर)	प्राप्ति की तारीख	मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
क. वृहद् परियोजनाएं							
1.	मध्य प्रदेश	पार्वती बहुउद्देशीय परियोजना	पार्वती	24.86	90.562	1/74	संशोधन के लिए 5/79 में राज्य को लौटा दी गई
2.	राजस्थान	हरीशचन्द्र सागर	कालीसिन्ध	13.7	12.59	9/85	संशोधन के लिए 9/87 में राज्य को लौटा दी गई
3.	राजस्थान	मनोहर थाना	कालीसिन्ध	45.00	87.98	1/81	संशोधन के लिए 6/83 में राज्य को लौटा दी गई।
4.	राजस्थान	गगरिन सिंचाई	कालीसिन्ध	11.01	10.98	5/81	संशोधन के लिए 9/84 में राज्य को लौटा दी गई
5.	राजस्थान	पार्वती नहर (कोटा) का आधुनिकीकरण	पार्वती	10.95	10.41	3/91	संशोधित रिपोर्ट में मूल कमियों को तथा इसे और संशोधन करने के लिए 5/91

							में राज्य को लौटा दिया गया है।
ख. मध्यम परियोजनाएं							
6.	राजस्थान	चौली सिंचाई	कालीसिन्ध	8.71	5.78	1/83	परामर्शदात्री समिति की
				28.67	8.963	10/91	टिप्पणियों की राज्य द्वारा अनुपालना न किए जाने के कारण 11/87 में निकाल दी गई 10/91 में प्राप्त संशोधित रिपोर्ट अपूर्ण थी तथा इसमें और संशोधन करने के लिए 10/91 में राज्य को लौटा दी गई।
7.	राजस्थान	पिपलाद सिंचाई	कालीसिन्ध	5.08	4.32	6/82	परामर्शदात्री समिति की टिप्पणियों की राज्य द्वारा
				16.93	4.13	2/91	अनुपालन न किए जाने के कारण 4/85 में निकाल दी गई। 2/91 में प्राप्त संशोधित रिपोर्ट अपूर्ण थी तथा इसमें और संशोधन करने के लिए राज्य को लौटा दी गई।

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	राजस्थान	बरनी सिंचाई	पार्वती	5.25 —— 15.05	4.61 ——	6/81 —— 3/91	परामर्शदात्री समिति की टिप्पणियों की राज्य द्वारा अनुपालना न किए जाने के कारण 4/84 में निकाल दी गई। 3/91 में प्राप्त संशोधित रिपोर्ट अपूर्ण थी तथा इसमें और संशोधन करने के लिए 3/91 में राज्य को लौटा दी गई।
9.	राजस्थान	ल्हासी सिंचाई	पार्वती	5.45 —— 16.27	5.595	5/82 —— 10/91	परामर्शदात्री समिति की टिप्पणियों की राज्य द्वारा अनुपालना न किए जाने के कारण 4/84 में निकाल दी गई। 10/91 में प्राप्त संशोधित रिपोर्ट अपूर्ण थी तथा इसमें और संशोधन करने के लिए 10/91 में राज्य को लौटा दी गई।

10.	राजस्थान	बेताली सिंचाई	पार्वती	5.25 / 12.93	4.32	8/82 / 10/91	परामर्शदात्री समिति की टिप्पणियों का राज्य द्वारा अनुपालना न किए जाने के कारण 4/84 में निकाल दी राज्य को 10/91 में भेजी गई केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करना अपेक्षित है।
11.	राजस्थान	परवान आधुनिकीकरण	कालीसिन्ध	2.64	4.41	10/88	संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने में मूल कमियो के कारण 6/89 में राज्य को लौटा दी गई।
12.	राजस्थान	गुलांदी सिंचाई	कालीसिन्ध	3.65 / 12.6	2.21 / 2.47	2/85 / 3/91	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की राज्य द्वारा अनुपालना न किए जाने के कारण 1/87 में निकाल दी गई। 3/91 में प्राप्त संशो- रिपोर्ट अपूर्ण थी तथा इसमें और संशोधन करने के लिए इसे 3/81 में राज्य को लौटा दिया गया।
13.	राजस्थान	तकेली सिंचाई	कालीसिन्ध	4.53	5.17	1/82	संशोधन के लिए 5/83 में राज्य को लौटा दी गई।

[अनुवाद]

राउरकेला इस्पात संयंत्र के कारण प्रदूषण

3499. श्री गुरुदास कामत :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र को प्रदूषण फैलाने के कारण बन्द करने के नोटिस प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इसके प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) उड़ीसा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से "सेल" के राउरकेला इस्पात संयंत्र को अपने सिन्टरिंग प्लांट के सम्बन्ध में निम्न-लिखित स्वीकार्य शर्तों का उल्लंघन करने के बारे में दिनांक 3 जुलाई, 1991 का एक कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ था :—

(i) 31-3-91 के पूर्व दूसरे इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर को चालू करना ।

(ii) 31-3-91 के पूर्व चूना-पत्थर और कोल क्रशिंग यूनिट में अपेक्षित विधूलीकरण प्रणाली की स्थापना करना और उसे प्रचालन में लाना, और

(iii) 31-3-91 के पूर्व भूमिगत बंकरों के वातयाचक तंत्रों को प्रचालन में लाना ।

(ग) हालांकि वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में अनेक उपाय किए गए हैं फिर भी "सेल" द्वारा राउरकेला इस्पात संयंत्र के सिन्टरिंग प्लांट से प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) दूसरे "इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर" को चालू करना, जो कच्चे माल की अनुप-लब्धता के कारण विलम्बित था, के मार्च, 1992 तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(ii) "सेल" द्वारा चूना-पत्थर और कोल क्रशिंग यूनिट में विधूलीकरण प्रणाली और भूमिगत बंकरों में वातयाचक तंत्र चालू कर दिए गए हैं ।

[हिन्दी]

फलदार पेड़ लगाने के लिए धनराशि

3500. श्री ललित उरांव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में फलदार पेड़ लगाने के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि नियत की है ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने-कितने क्षेत्र में फलदार पेड़ लगाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) (i) वर्ष 1988-89 के दौरान अन्ननास और केले पर पैकेज कार्यक्रम की एक योजना कार्यान्वित की गई थी जिसके अंतर्गत निम्नलिखित धनराशियां आबंटित की गई थी। यह योजना 1988-89 के बाद बन्द कर दी गई थी।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटित धनराशि
अरुणाचल प्रदेश (अन्ननास)	3.931 लाख रु.
गोवा (केला)	1.649 लाख रु.
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह (अन्ननास)	2.900 लाख रु.
कुल :—	8.480 लाख रु.

(ii) भारत सरकार ने 1990-91 के दौरान दो योजनाएं कार्यान्वित की हैं जिनमें फलदार वृक्षों का रोपण शामिल है। ये योजनायें हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पौष्टिक फलोद्यानों की स्थापना तथा उष्णकटिबन्धीय और शुष्क क्षेत्र के फलों के समेकित विकास पर केन्द्रीय क्षेत्र की योजना। इन योजनाओं के अन्तर्गत आबंटित संलग्न विवरण-I और II में दर्शाया गया है।

(ख) (i) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अन्ननास और केले के तहत कवर किया गया कुल क्षेत्र इस प्रकार है :—

अरुणाचल प्रदेश (अन्ननास)	32
गोवा (केला)	100
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह (अन्ननास)	40

(ii) प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में उष्णकटिबन्धीय और शुष्क क्षेत्र के फलों के समेकित विकास के अन्तर्गत क्षेत्र की कवरेज संलग्न विवरण-2 में दी गई है। पौष्टिक फलोद्यान योजना के बारे में कवर किया गया क्षेत्र बताना संभव नहीं है क्योंकि ये बागान खुदे हुए कुओं/नलकूपों/रिहायशी इकाइयों के निकट/आस-पास है। साथ ही, फलों की विभिन्न किस्मों के पौधे भिन्न-भिन्न दूरियों पर रोपित करने का प्रस्ताव किया गया था।

विवरण-I

1990-91 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पौष्टिक फलोद्यानों की स्थापना की योजना के तहत आबंटित धन

क्रम सं.	राज्य	आबंटित धन (रु. लाखों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	6.43

1	2	3
2.	बिहार	10.81
3.	हरियाणा	0.80
4.	हिमाचल प्रदेश	0.62
5.	जम्मू व कश्मीर	1.12
6.	कर्नाटक	3.18
7.	मध्य प्रदेश	4.50
8.	महाराष्ट्र	4 75
9.	मणिपुर	1,25
10.	उड़ीसा	2.87
11.	पंजाब	0.50
12.	राजस्थान	2.38
13.	तमिलनाडु	7.00
14.	उत्तर प्रदेश	17 37

विवरण II

वर्ष 1990-91 के दौरान उष्णकटिबन्धीय और शुष्क क्षेत्रीय फलों के समेकित विकास की योजना हेतु आबंटित धन

क्रम संख्या	राज्य	आबंटित धन (रु. लाखों में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5.05
2.	बिहार	5.05
3.	गोवा	0.59
4.	गुजरात	4.02
5.	हरियाणा	2.22
6.	कर्नाटक	4.02
7.	केरल	0.59
8.	मध्य प्रदेश	4.02
9.	महाराष्ट्र	4.02
10.	उड़ीसा	2.22
11.	तमिलनाडु	4.02
12.	उत्तर प्रदेश	5.05

1	2	3
13.	पश्चिम बंगाल	1.99
14.	अरुणाचल प्रदेश	1.02
15.	असम	1.02
16.	मेघालय	1.02
17.	मणिपुर	1.02
18.	मिजोरम	1.02
19.	नागालैंड	1.02
20.	पंजाब	1.63
21.	सिक्किम	1.02
22.	त्रिपुरा	2.05

विवरण-III

उष्णकटिबन्धीय और शुष्क क्षेत्रीय फलों के समेकित विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत फलों की राज्यवार कवरेज का विवरण ।

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	फल			
		आम	नीबूजातीय	अमरूद	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	150	100	100	350
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	50	—	50
3.	असम	—	50	—	50
4.	बिहार	150	100	100	350
5.	गुजरात	150	50	100	350
6.	हरियाणा	50	50	50	150
7.	कर्नाटक	150	50	100	300
8.	मध्य प्रदेश	150	50	100	300
9.	महाराष्ट्र	150	100	100	350
10.	मेघालय	—	50	100	50
11.	मणिपुर	—	50	—	50
12.	मिजोरम	—	50	—	50
13.	नागालैंड	—	50	—	50
14.	उड़ीसा	50	50	50	150
15.	पंजाब	—	50	50	100
16.	सिक्किम	—	50	50	150

1	2	3	4	5	6
17.	तमिलनाडु	150	50	100	300
18	त्रिपुरा	—	100	—	100
19.	उत्तर प्रदेश	150	100	100	350
20.	पश्चिमी बंगाल	150	100	100	250
21.	गोवा	50	—	—	50
22.	केरल	50	—	—	50
कुल		1550	1300	950	3800

[अनुवाद]

गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और बालिया शहरों में गैस की सप्लाई के लिए पाइपलाइन

3501. श्री हरिन पाठक :

क्या पेट्रोलियम और तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और बालिया शहरों में गैस की सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) गुजरात गैस कम्पनी द्वारा सूरत में उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति सितम्बर, 1991 में प्रारम्भ हुई। गैस की वर्तमान उपलब्धता को मद्दे नजर रखते हुए अहमदाबाद और बालिया में आपूर्ति हेतु किसी गैस का आबंटन करना सम्भव नहीं हुआ है।

चम्बल कमांड एरिया विकास परियोजना का दूसरा चरण

3505 श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चम्बल कमांड एरिया विकास परियोजना के दूसरे चरण की विस्तृत जांच पूरी कर ली गयी है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को वित्तीय सहायता पाने हेतु विश्व बैंक के पास भेजा गया है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत चम्बल कमान क्षेत्र विकास परियोजना सोपान-ii के प्रस्ताव की जांच जल संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई है। राज्य सरकार को सलाह दी गयी है कि वह केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति तथा योजना आयोग से निवेश स्वीकृति प्राप्त करने के लिए संशोधित परियोजना रिपोर्ट भेजे। राजस्थान सरकार संशोधित परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे रही है।

महाराष्ट्र में ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई

3503. डा. वसंत पवार :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की कितनी आवश्यकता है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ताप विद्युत केन्द्रों को समय पर कोयले की सप्लाई करने हेतु कोई कार्य योजना बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के बीच बिजली के उत्पादन लक्ष्यों के सम्बन्ध में हुई सहमति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा वर्ष 1991-92 के लिए तापीय विद्युत गृहों की कोयले की आवश्यकताओं का 20.162 मि. टन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग) विद्युत गृहों को की गई कोयले की आपूर्ति पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है। तापीय विद्युत गृहों को कोयले के प्रेषण में, रेल-लदान में वृद्धि करके, वृद्धि किए जाने के प्रयास किए जा रहे और अन्य साधनों, जैसे—एम. जी. आर., सड़क, कन्वेयर बेल्ट, आदि के जरिए अधिकतम आपूर्ति का सुनिश्चय किया जा रहा है।

पोषणीय कृषि सम्बन्धी विकास पर राष्ट्रीय सेमिनार

3504. डा. आर. मल्लू :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 और 13 सितम्बर, 1991 को पांडिचेरी में पोषणीय कृषि सम्बन्धी विकास पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सेमिनार में की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई/करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। पोषणीय कृषि विकास पर एक राष्ट्रीय सेमिनार 12-13 सितम्बर, 1991 को पांडिचेरी में भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ द्वारा आयोजित किया गया था। सेमिनार ने सिफारिश की कि कृषि रसायन के उपयोग में निहित स्वास्थ्य के प्रति खतरों पर ध्यान देते हुए, अत्यधिक खतरनाक कृषि रसायनों को क्रमिक रूप से बदलने के लिए कृषि की पारम्परिक विधियों का बारीकी से मूल्यांकन करने और

समेकित कीट प्रबन्ध, पौध-आधारित उत्पादों के उपयोग, जैविक नियंत्रण जैसी विधियों और नई तकनीकी का उपयोग करने के लिए प्रयास शुरू किये जायें ।

उड़ीसा में तेल के भण्डारण की सुविधा

3505. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने भारतीय तेल निगम और एच. पी. सी. एल. को उड़ीसा में तेल के भंडारण की सुविधा हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना और भूमि उपलब्ध कराई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजनाओं को चालू कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जबकि परियोजना के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा जमीन उपलब्ध करा दी गई है, इंडियन आयल कारपोरेशन को जमीन का औपचारिक अन्तरण अभी तक नहीं किया गया है। कोई अन्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

तेल शोधन कारखाने

3506. श्री मोरेश्वर सावे :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में कितने तेल शोधन कारखानों की स्थापना को स्वीकृति दी गई है;

(ख) इन परियोजनाओं से तेल की पूरी होने वाली मांग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन तेल शोधक कारखानों को सम्भवतः कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) सरकार ने नारीमनम, तमिलनाडु में 0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली क्रूड आसवान यूनिट और मंगलोर, कर्नाटक में 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली एक तेल रिफाइनरी की स्थापना की मंजूरी दे दी है । इन परियोजनाओं के क्रमशः वर्ष 1993-94 और 995-96 के दौरान पूरा होने का कार्यक्रम है ।

केरल में मत्स्यन विश्वविद्यालय

3507. श्री रमेश चेन्नितला :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना के दौरान केरल में एक मत्स्यन विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. लेंका) । (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय संबंध

3508. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही के लिए क्या कार्यक्रम बनाया है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं के नियमित और निरन्तर आदान-प्रदान से बेहतर समझ-बूझ बनी है। जिसकी वजह से विभिन्न क्षेत्रों में भारत-यू. के. सहयोग पर लाभप्रद प्रभाव पड़ा।

प्रधान मंत्री ने अक्तूबर, 1991 में हरारे में यू. के. प्रधान मंत्री जानमेजर के साथ बैठक की; विदेश मंत्री सितम्बर, 1991 में न्यूयार्क में यू. के. विदेश मंत्री से मिले और विदेश राज्य मंत्री, नवम्बर 1991 में लंदन गए। ब्रिटिश विदेश सचिव श्री डोगलस हर्ड और राजकुमार चार्ल्स क्रमशः जनवरी, 1992 के तीसरे सप्ताह में और फरवरी, 1992 में भारत यात्रा पर आएंगे।

भारत सरकार की नई उदार आर्थिक नीतियों को यू. के. में व्यापक रूप से प्रचारित किया गया है और ब्रिटिश उद्योग को भारत में और अधिक निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

पूर्वी राज्यों में कृषि उत्पादन

3509. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पूर्वी राज्यों, विशेषकर उड़ीसा में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं प्रारम्भ की हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत उड़ीसा को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) पूर्वी राज्यों विशेषतौर पर उड़ीसा में कार्यान्वित की जा रही ऐसी केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को कृषि फसलों के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करने में सहायता करती हैं, और पिछले तीन वर्षों

के दौरान इन योजनाओं के तहत उड़ीसा राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें		वित्तीय सहायता (रुपये लाख में) 1988-89	1989-90	1990-91
1.	चावल का मिनीकिट कार्यक्रम	7.15	9.10	30.25
2.	मक्का मिनोकिट कार्यक्रम	1.19	1.18	—
3.	समेकित चावल विकास कार्यक्रम	454.04	5:7 00	557.06
4.	विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम-मक्का	—	—	15 0.)
5	विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम-दालें	13.00	5 50	10.50
6.	राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना	9.79	13 00	31.48
7.	कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए छोटे और सीमांत कृषकों को सहायता	927.23	368.57	267.95
8.	गहन कपास विकास कार्यक्रम	—	0 23	0.11
9.	विशेष जूट विकास कार्यक्रम	29.88	32.71	0.61
10.	राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना	57.05	69.30	—
11.	तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रम	259.20	179.20	—
12.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	—	—	271.39

बिहार को पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन

3510. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गत दो वर्षों के दौरान बिहार को पेट्रोल/डीजल के कुल कितने खुदरा बिक्री केन्द्र आबंटित किये गये हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ बिक्री केन्द्र मुजफ्फरपुर को आबंटित किये गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. कृष्णकुमार) : (क) 25

(ख) जी, हां।

(ग) बेहिबाद और नरसंडा प्रत्येक में एक-एक।

गैस सिलेंडरों पर मीटर लगाना

3511. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैस सिलेंडरों में गैस की मात्रा दर्शाने हेतु सिलेंडरों पर मीटर लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्णकुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) तेल कम्पनियों द्वारा ऐसे किसी भी गैजेट को उपलब्ध कराए जाने की रिपोर्ट नहीं है।

एल्यूमिनियम का निर्यात

3513. **श्री एस. बी. सिदनाल :**

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान कितनी मात्रा में एल्यूमिनियम का निर्यात किया गया;

(ख) इसके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई;

(ग) 30 अक्तूबर, 1991 की स्थिति के अनुसार देश में बाक्साइट का कितना भण्डार था; और

(घ) सीसा तथा जस्ते के जिन भण्डारों का अब तक पता चला है उनका मात्रा, सहित, ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 1989-90 और 1990-91 के दौरान एल्यूमिनियम धातु निर्यात की मात्रा और अर्जित विदेशी मुद्रा (भारतीय रुपयों के बराबर) नीचे दी गई है :—

वर्ष	एल्यूमिनियम का निर्यात	
	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1988-89	15,096	47.94

1989-90	27,671	81.76
1990-91	30,487	96.45

(ग) राष्ट्रीय खनिज सूची के अनुसार, देश में बाक्साइट के कुल खनन योग्य भण्डार 2,333 मिलियन टन हैं।

(घ) राष्ट्रीय खनिज सूची के अनुसार, देश में सीसा-जस्ता के खनन योग्य 160.5 मिलियन टन भण्डार हैं, जिसमें 2.73 मिलियन टन सीसा धातु के तथा 7.49 मिलियन टन जस्ता धातु के हैं।

रसोई गैस का आयात टर्मिनल

3514. श्री एस. बी. सिदनाल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए कांडला गुजरात में और मंगलौर, कर्नाटक में दो रसोई गैस आयात टर्मिनलों की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस समय रसोई गैस आयात को संभालने हेतु कौन-कौन से पत्तन सुसज्जित हैं और पत्तनवार उनकी क्षमता कितनी है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। दोनों के लिए वर्तमान अनुमानित लागत लगभग 240 करोड़ रुपए है।

(ग)	टी एम टी प्रति वर्ष
विजाग	250
बम्बई	200

कर्नाटक में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं

3515. श्री एस. बी. सिदनाल :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ये सम्भवतः कब तक पूरी हो जाएंगी ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) कर्नाटक की निर्माणाधीन बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

करोड़ रुपए/हजार हेक्टेयर

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित (ए) अथवा अनुमोदित (यू. ए.)	योजना जिसमें शुरू की गयी	नवीनतम अनुमानित लागत	1990-91 के अन्त तक आया व्यय	चरम सिंचाई क्षमता	1989-90 के अन्त तथा सृजित क्षमता	योजना जिसमें पूरा किए जाने की आशा है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क. वृहद परियोजनाएं								
1.	तुंगभद्रा बांध एवं बा. त. न.	ए	I	112.41	98.30	244.38	244.38	कर्नाटक के आठवीं योजना (1992-97) प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।
2.	माला प्रभा	ए	III	342.00	252.00	218.19	143.16	
3.	तुंगभद्रा दा. त. उ. स्त. न. चरण-II आई. एस	ए	ए पी 1966-69	27.58	19.58	80.19	68.27	
4.	अपर कृष्णा चरण-I	ए	Iv	1214.97	641.37	425.00	109.38	
5.	घाटप्रभा चरण-III	ए	V	370.50	115.85	170.86	24.52	
6.	करंजा	यू ए	V	98.00	64.45	35.61	3.58	
7.	बीनिथोरे	यू ए	V	68.00	19·51	20.24	—	
8.	हिप्पार्गी बराज	यू ए	V	186.70	6.05	59.62	—	
9.	दूध गंगा आई एस	यू ए	VI	26.C0	5.70	19.67	—	
10.	वारही	यू ए	VII	70.00	3.16	15.70	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	कावेरी बेसिन की गैर-योजना स्कीम							
11.	काब्रिनि	यू ए	II	471.00	141.50	87.90	39.22	
12.	हरंगी	यू ए	III	156.00	110.00	54 63	34.90	
13.	हेमावती	यू ए	ए पी 1966-69	588.00	336.14	283.29	61.92	
14.	वरुण (डा. देवराज अर्स नहर) (के. ई. एस. आरबी नहर)	यू ए	ए पी 1978-80	70.00	25.00	32.37	0.3[illegible]	
15.	यागाची	यू ए	VII	35.38	7.19	21.45	—	
ख.	मध्यम परियोजनाएं							
1.	वोटेहोल	ए	IV	23.07	17.44	7.69	4.45	कर्नाटक के आठवीं योजना (1992-97) प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।
2	मनचनबाले	ए	V	27.67	3.64	19.88	0.08	
3.	अमरजा	ए	V	32.00	12.25	8.90	—	
4.	लोअर मुल्लामारी	ए	V	31.45	9.61	8.10	—	
5	मसिकनाला	ए	V	15.90	2.39	2.83	—	
6.	रानीबेंडे की पोषक नहर	यू ए	V	7.06	4.42	3.24	0.28	
7.	चुल्कीनाला	ए	V	19.45	6.45	4.05	—	
8.	हीराहल्ला	ए	V	36.29	2.64	8.01	—	
	कावेरी बेसिन की गैर-योजना स्कीम							
9.	इगालूर	यू ए	ए पी 1978-90	13.00	3.64***	4.05	1.21	

10. अकविधी	यू ए	VI	33.00	5.56***	8.50	—
11. उडूथोरेहल्ला	यू ए	VI	32.42	1.47***	6.48	—
ग. विस्तार, पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण स्कीमें						
1. कृष्णाराजासागर नहरों का आधुनिकीकरण	यू ए	ए पी 1978-80	67.00	19.11***	2.02	—

आई एस—अन्तर्राज्यीय परियोजना

ए पी —वार्षिक योजना

***—1989-90 के अन्त तक व्यय (1990-91 के व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत

3516. श्री एस. बी. सिदनाल :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूएल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस तथा मोटर स्प्रिट जैसे प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की खपत का, 1988-89 तथा 1989-90 के आंकड़ों सहित, विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस कृष्ण कुमार) :

(आंकड़े टी एम टी में)

उत्पाद	1988-89	1989-90
एल. पी. जी.	1962	2268
एम. एस.	3052	3491
ए. टी. एफ	1713	1775
एस. के. ओ.	7731	8239
एच. एस. डी.	18795	20706

कांडला भटिंडा उत्पाद पाइप लाइन परियोजना का क्रियान्वयन

3517. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कांडला-भटिंडा उत्पाद पाइप लाइन परियोजना के क्रियान्वयन का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने परियोजना की लागत में संशोधन किया है क्योंकि इसमें असाधारण रूप से विलम्ब हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी संशोधित लागत कितनी है ;

(घ) परियोजना का निर्माण किस चरण में है ; और

(ङ) परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) मूल डिजाइन और इन्जीनियरिंग का काम पूरा हो गया है और परामर्शदाता की नियुक्ति कर ली गई है। मार्ग के उपयोग के लिए भूमि के अधिग्रहण का काम चल रहा है। देशी लाइन पाइपों की आपूर्ति के लिए आदेश दे दिए गए हैं।

प्राकृतिक गैस के आबंटन हेतु निवेदन

3518. कुमारी दीपिका चिखलिया :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने बिजली उत्पादन और उद्योगों के लिए कम से कम 80 लाख वर्ग मीटर प्राकृतिक गैस आबंटित करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या प्राकृतिक गैस का मूल्य कम करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) प्राकृतिक गैस की अतिरिक्त मात्रा के आबंटन के लिए गुजरात सरकार से समय समय पर अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं। गुजरात में उत्पादित होने वाली संपूर्ण गैस और अपतटवर्ती गैस की बड़ी मात्रा के लिए पहले ही गुजरात में विभिन्न उपभोक्ताओं को वचनबद्धता की गई है। आगे इनका आबंटन गैस के उत्पादन और उपलब्धता सहित विभिन्न घटकों पर आधारित होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अन्वेषण और उत्पादन लागत में वृद्धि कीमत में कमी को उचित नहीं ठहराती है।

पासपोर्ट जारी करना

3519. श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री वी. एस. विजयराघवन :

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

श्री रमेश चेन्निथला :

श्री के. मुरलीधरन :

श्री पाला के. एम. मैथ्यू :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अक्तूबर, 1991 के "ट्रिब्यून" में "क्यूईंग अप फार पासपोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो चण्डीगढ़ कार्यालय सहित विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा शीघ्र पासपोर्ट जारी करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो पासपोर्ट कार्यालय-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी हां।

(ख) पासपोर्ट शीघ्र जारी करने के उद्देश्य से पासपोर्ट प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। जो कदम उठाए गए हैं उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों की कर्मचारी संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है।

विवरण

पासपोर्ट जारी करने में कम से कम समय लगे, इस उद्देश्य से किए गए उपायों का विवरण :

1. निम्नलिखित वर्गों के आवेदकों के मामले में यह छूट दी गई है कि पासपोर्ट जारी करने से पूर्व पुलिस और सी. आई. डी. जांच रिपोर्ट की अपेक्षा से उन्हें मुक्त रखा जाए ;

   (क) सभी सरकारी कर्मचारी, और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो अपने आवेदनों के साथ सरकारी स्टेशनरी पर अपने विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षरों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ;

   (ख) जब कोई आवेदक अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित में से किसी के द्वारा हस्ताक्षरित सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें :

      (i) भारत सरकार का कोई उप सचिव या उसके ऊपर का कोई अधिकारी
      (ii) किसी राज्य सरकार का कोई संयुक्त सचिव या उसके ऊपर का कोई अधिकारी ;
      (iii) कोई सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट या उसके ऊपर का कोई अधिकारी ;
      (iv) कोई डिस्ट्रीक्ट पुलिस सुपरिटेन्डेंट अथवा उसके ऊपर का अधिकारी ;

   (ग) सेवा निवृत्त राजपत्रित सरकारी कर्मचारी।

   (घ) संघ संसद (राज्य सभा और लोक सभा) और राज्य विधान-मण्डलों (विधान सभा और विधान परिषद) का कोई भूतपूर्व सदस्य।

2. ऐसे अन्य सभी मामलों में जिनमें क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी/पासपोर्ट अधिकारी आवेदक की वास्तविक सच्चाई से अन्यथा सन्तुष्ट हों और अगर व्यक्तिगत विवरण फार्म भेजे जाने के बाद चार सप्ताह के भीतर-भीतर पुलिस और सी. आई. डी. की रिपोर्ट न मिले तो उन्हें जारी किया जा सकता है।

3. 15 साल से कम उम्र के बच्चों को पुलिस जांच के बिना पासपोर्ट जारी किया जा सकता है।

4. सामान्य पासपोर्ट धारी व्यक्तियों को पासपोर्ट की दस वर्ष की वैधता पूरी होने पर पुलिस/सी. आई. डी. से पहले जांच करवाए बिना पासपोर्ट जारी किया जा सकता है।

5. इसके अलावा इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि पासपोर्टों को जारी करने का काम तेजी से हो इसलिए जारी किए जाने वाले पासपोर्टों की और शेष काम की साप्ताहिक रिपोर्ट प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय से मंगाई जाती है।

6. 16 अगस्त, 1990 से एक साथ दस वर्ष की अवधि के लिए पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं ताकि किसी पासपोर्टधारी को पांच वर्ष की वैधता की अवधि पूरी होने पर पुनः न आना पड़े जैसा कि अगस्त, 1990 से पहले होता था।

7. पासपोर्ट कार्यालयों में कार्योत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है पासपोर्ट लिखने वाला व्यक्ति प्रतिदिन 50 पासपोर्ट लिखेगा और साथ ही पासपोर्ट रजिस्टर में प्रविष्टियां भी करेगा। इन्डेक्सिंग सेक्शन में काम करने वाला प्रत्येक कर्मचारी रोजाना कार्यसमयोपरि अवधि में बैठे बिना कम से कम 100 आवेदन पत्रों की जांच करेगा।

अल्पसंख्यकों के अधिकारों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा

3520. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :**

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग और इसके अल्पसंख्यक उप-आयोग के पिछले सत्र की विशिष्टताएं क्या हैं ;

(ख) इन दोनों निकायों में भारतीय प्रतिनिधियों/विशेषज्ञों ने क्या भूमिका निभाई है ; और

(ग) अल्पसंख्यकों के अधिकारों की मसौदा घोषणा की वर्तमान स्थिति क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) मानवाधिकार सम्बन्धी-संयुक्त राष्ट्र आयोग और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव को रोकने और उनके संरक्षण के सम्बन्ध में इसके उपायोग के पिछले अधिवेशन में मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनेक मसलों पर विचार किया गया था जिनमें शामिल थे बाधित अथवा अनैच्छिक विलोपन, शारीरिक यंत्रणा देना, मनमानी

नजरबन्दी अथवा कारावास, जातिय भेदभाव, धार्मिक असहिष्णुता, विकास का अधिकार, आत्म निर्णय का अधिकार तथा अनेक देशों में मानवाधिकारों के दुरुपयोग का प्रश्न जिसमें वे देश भी शामिल हैं जिनमें मानवाधिकारों का भारी और निरन्तर उल्लंघन का पता चला है।

(ख) भारत के प्रतिनिधिमण्डल ने इन निकायों के काम में सक्रिय भाग लिया और विभिन्न मसलों पर हमारी स्थिति को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया।

(ग) मानवाधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र आयोग का एक कार्यकारी दल राष्ट्रीय अथवा जातिय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों पर घोषणा के प्रारूप" का पाठक तैयार कर रहा है।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय आम अनुसंधान केन्द्र

3521. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में नुज्वीड क्षेत्र में एक राष्ट्रीय आम अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. सी. लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयल पाम की खेती

3522. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ऑयल पाम की खेती प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है :

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु तैयार की गई योजनाओं का ब्योरा क्या है ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप पिछले एक वर्ष के दौरान पाम आयल के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ;

(घ) क्या इसके विपणन और प्रसंकरण के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) आयल पाम के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं ये हैं :

(i) आयल पाम इंडिया लिमिटेड की स्थापना, केरल में आयल पाम की खेती तथा इसके परिसंस्करण के विकास के लिए, केरल सरकार (51 प्रतिशत) तथा

भारत सरकार (49 प्रतिशत) के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में, 1977 में की गई। इस परियोजना के तहत, इस राज्य में लगभग 3300 हैक्टेयर क्षेत्र को आयल पाम की खेती के अन्तर्गत लाया गया है।

(ii) भारत सरकार के बायो-तकनोलॉजी विभाग ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से आयल पाम प्रदर्शन परियोजना (ओ. डी. पी.) शुरू की है। इस परियोजना के तहत इन राज्यों में लगभग 3100 हैक्टेयर के कुल क्षेत्र को आयल पाम की खेती के अन्तर्गत लाया गया है।

(iii) कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा रेड आयल पाम के विकास की संभाव्य क्षमता के साथ, राज्यों के लिए नर्सरियों, बीज उद्यानों, प्रदर्शन पौधों तथा क्षेत्र विस्तार के विकास की योजनाएं तैयार की गई हैं।

(ग) आयल पाम इंडिया लिमिटेड द्वारा पाम आयल का उत्पादन 1989-90 के दौरान 2108 मीटरी टन के स्तर से बढ़कर, 1990-91 के दौरान 2484 मीटरी टन हो गया।

(घ) और (ङ) आयल पाम इंडिया लिमिटेड के एस्टेट में उत्पादित पाम आयल के लिए आयल पाम इंडिया लिमिटेड की अपनी परिसंस्करण तथा विपणन व्यवस्था है। परिसंस्करण क्षमता को बढ़ाया जा रहा है।

[हिन्दी]

पिछले बकाया आरक्षित रिक्त पद

3523. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में 1 नवम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछले बकाया आरक्षित पद कितने हैं ;

(ख) गत तीन महीनों के दौरान श्रेणी वार ऐसे कितने पद भरे गये ; और

(ग) इन पिछले बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं। उठाने का विचार है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) 1 नवम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पिछले बकाया पदों की संख्या (विभिन्न श्रेणी के पदों में) नीचे लिखे अनुसार है :

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
समूह "ख" पद	शून्य	2	2

1	2	3	4
समूह "ग" पद (निम्न श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, ग्रेड-3 आशुलिपिक)	19	17	36
समूह "ख" पद (सहायक, साइफर सहायक, ग्रेड-2 निजी सहायक, वैयक्तिक सहायक)	19	35	54
समूह "क" पद	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) गत 3 महीनों के दौरान श्रेणीवार भरे गये ऐसे पदों की संख्या नीचे लिखे अनुसार है :

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
समूह "घ" पद	5	3	8
समूह "ग" पद (निम्न श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, ग्रेड-3 आशुलिपिक)	4	2	6
समूह "ख" पद (सहायक, साइफर सहायक, ग्रेड-2 निजी सहायक, वैयक्तिक सहायक)	4	1	5
समूह "क" पद	शून्य	शून्य	शून्य

(ग) सभी श्रेणियों के पदों की भर्ती (समूह "घ" और साइफर सहायकों को छोड़कर) कर्मचारी चयन आयोग/संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाती है, पिछले वर्षों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जो पद नहीं भरे गए थे उन्हें चालू वर्ष के दौरान आयोजित/प्रायोजित होने वाली परीक्षाओं से उम्मीदवारों के आबंटन के लिए कर्मचारी चयन आयोग को भेजे गए मांगपत्र में शामिल किया गया है। पिछले बकाया पदों को भरने के लिए जो विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है, मंत्रालय उसमें भाग ले रहा है।

जहां तक समूह "घ" के पदों का सम्बन्ध है इन रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र पहले ही मंगा लिए गए हैं।

जहां तक साइफर सहायकों का सवाल है उनकी भर्ती एक सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से की जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को इस बात के लिए

प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इस परीक्षा में भाग लें और उन्हें आरक्षण का लाभ तथा मानदण्डों में छूट भी दी जाती है ताकि आरक्षित रिक्तियों के बकाया पद न रहें।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में एल. पी. जी. एजेंसियों का आवंटन

3524. श्री के. पी. रेड्डय्या यादव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 के आंध्र प्रदेश में आवंटित की जाने वाली एल. पी. जी. एजेंसियों का, जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : नई एल. पी. जी. एजेंसियों का आवंटन समय-समय पर स्वीकृत विपणन योजना के आधार पर किया जाता है। वर्ष 1991-92 के लिए अलग से किसी नई विपणन योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजना के लिए विदेशी सहायता

3525. श्री राम टहल चौधरी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी संस्थाओं ने प्रत्येक राज्य को सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई थी, और

(ख) क्या ऐसी सहायता आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहायता से सिंचाई परियोजनाएं आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ख) उक्त राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता आठवीं योजना के दौरान मिलते रहने की आशा है।

बिहार में सिंचाई परियोजनाएं तथा बांध

3526. श्री राम टहल चौधरी :

श्री ललित उरांव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए पड़ी बिहार की सिंचाई परियोजनाओं तथा बांधों का ब्योरा क्या है ;

(ख) राज्य में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं तथा बांधों का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या उनमें से कुछ परियोजनाएं कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

(ङ) उक्त विलम्ब के परिणामस्वरूप उनकी लागत में किस सीमा तक वृद्धि हुई है ; और

(च) उनके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बिहार की सिंचाई परियोजनाओं का ब्योरा तथा उनके मूल्यांकन की स्थिति दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है ।

(ख) से (च) बिहार की मूल्यांकित निर्माणधीन बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्योरा तथा उनके पूरा करने की योजना दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है ।

विवरण-I

(लागत लाख रुपए/लाभ हजार हेक्टेयर)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लाभांवित जिले	अनुमानित लागत लाख रुपए	3/91 तक हुआ व्यय	लाभ हजार हेक्टेयर	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
ए. वृहद/बहुप्रयोजनी							
i. निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार किया गया तथा स्वीकार्य पायी गयी							
1.	पुनासी जलाशय	सन्थाल परगना	14084.8	3149.00	24.29	10/89	अद्यतन अनुमान 10/89 में प्राप्त हुए। राज्य सरकार को अभी परामर्शदात्री समिति की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।
2.	सुबर्नरेखा परियोजना	सिंहभूम	142900.0	4146.00	245.00	7/89	इस स्कीम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए 75% विश्वसनीयता पर जलाशय प्रचालन तालिका के साथ वन स्वीकृति बिहार

1	2	3	4	5	6	7	8
							सरकार द्वारा प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।
3.	सिकसिया बराज परियोजना	सन्थाल परगना	11500.0	6119.00	40.48	1/88	बिहार सरकार द्वारा वित्त विभाग की स्वीकृति तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्तुत की जानी है।
4.	कोसी बराज की मरम्मत		1125.14	—	—	2/86	इसे परामर्शदात्री समिति द्वारा 6/87 में स्वीकृत किया गया बशर्ते कि पश्चिमी कोसी मुख्य नहर से धन व्ययवर्तित न किया जाये। इसके लिए अलग से प्रावधान किया जाना है।
5.	सोन नहर आधुनिकीकरण	औरंगाबाद, भोजपुर, गया, पटना, रोहतास	24700.00	2937.00	906.00	8/83	सोपान—1 को परामर्शदात्री समिति द्वारा 9/84 में स्वीकृत किया गया। योजना आयोग ने बिहार सरकार से अनुरोध किया है कि वह परियोजना लागत को अद्यतन

							को जिससे कि इसकी नये सिरे से जांच की जा सके।
6.	उत्तर कोयल जलाशय स्कीम	पलामू	43903.00	33152.00	109.42	3/86	राज्य सरकार को वन स्वीकृति प्राप्त करनी है।
.II परामर्शदात्री समिति को प्रस्तुत की गयी परन्तु विचार विमर्श आस्थगित किया गया							
1.	कोनार सिंचाई	गिरीडिह हजारी बाग	18767.00	6948.00	62.83	8/88	परामर्शदात्री समिति को 3/84 में प्रस्तुत की गयी परन्तु बिहार, पश्चिम बंगाल और दामोदर घाटी निगम के बीच अन्तर्राज्यीय पहलुओं को हल न किये जाने के कारण इस पर विचार-विमर्श आस्थगित कर दिया गया।
2.	तिलैया धाधर	नवादा	3674.00	962.00	35.46	10/74	परामर्शदात्री समिति को 3/83 में प्रस्तुत की गयी परंतु मैथान की भूमि अधिग्रहण तथा लागत के बंटवारे के संबंध में बिहार, पश्चिम बंगाल और दामोदर घाटी निगम के बीच अन्तर्राज्यीय मुद्दों को हल न किए जाने के कारण विचार विमर्श

1	2	3	4	5	6	7	8
							आस्थगित कर दिया गया।
III. परियोजनाएं जिन पर राज्य सरकार के साथ पत्राचार चल रहा है :							
1. सुलेणघाट पम्प नहर		सन्थाल परगना	2061.65	—	23.1)	11/89	अद्यतम संशोधित परियोजना रिपोर्ट मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग में 11/89 में प्राप्त हुई। सिचाई आयोजना, जल विज्ञान भू जल और वित्तीय पहलुओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पनणियों को अनुपालना राज्य सरकार को करनी है।
2. कोसी परियोजना चरण II		पूर्णिया	7523.50	1723.00	73.00	11/90	इस अद्यतन रिपोर्ट पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना राज्य सरकार को करनी है।
3. गंडक परियोजना चरण II		मधुबनी सिवान मुज्जफरपुर	7802.85	4039.C0	—	1/89	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने टिप्पणियां अनुपालन हेतु राज्य सरकार को 7/91 में भेजी है।
4. जमानिया पम्प नहर		सन्थाल	9487.40	—	30.06	11/90	मशीनरी तथा डिजाइन पहलुओं

	परगना					के निर्माण पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना राज्य सरकार को करनी है।
5. बुरहई जलाशय	सन्थाल परगना	2620.42	—	17.52	10/90	अद्यतन संशोधित परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में 10/90 में प्राप्त हुई। सिंचाई आयोजना तथा लागत इ जानिकारी पहलुओं के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना राज्य सरकार को करनी है।

ख. मध्यम परियोजनाएं

1. परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार किया गया तथा निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन स्वीकार्य पायी गयी :

1, सलइया जलाशय स्कीम	हजारीबाग	920.4	11,23	2.67	8/83	राज्य सरकार को वित्त विभाग की स्वीकृति तथा वन स्वीकृति प्राप्त करनी ह।
2. रामरेखा जलाशय स्कीम	रांची	1555.00	266.00	4.34	8/88	राज्य सरकार को वित्त विभाग की स्वीकृति तथा वन स्वीकृति प्राप्त करनी है।

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	धर्मखुदोबी जलाशय स्कीम	रांची	1333.00	1085.00	2.45	8/88	राज्य सरकार को वित्त विभाग की स्वीकृति तथा वन स्वीकृति प्राप्त करनी है।
4.	सतपोटकी जलाशय स्कीम	सिंहभूम	1268.89	15,00	2,35	8/88	राज्य सरकार को वित्त विभाग की स्वीकृति तथा वन स्वीकृति प्राप्त करनी है।
5.	कतरी जलाशय स्कीम	रांची	318.00	1780.00	5.C0	8/88	राज्य सरकार को वित्तीय और तकनीकी पहलुओं पर टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।
6.	कुंडघाट जलाशय स्कीम	मुंगेर	560.94	—	1.80	11/82	परामर्शदात्री समिति द्वारा 8/88 में स्वीकृति की गयी बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा उसकी टिप्पणियों की अनुपालना की जाए।
7.	केषो जलाशय स्कीम	हजारीबाग	1169.43	517.00	3.56	8/88	परामर्शदात्री समिति द्वारा 11/89 में स्वीकृति की गयी बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा उसकी टिप्पणियों की अनुपालना की जाए।

1.	2	3	4	5	6	7	8
8.	भैरवा जलाशय स्कीम	हजारीबाग	2019.66	934.00	4.85	8/88	परामर्शदात्री समिति द्वारा 1/89 में स्वीकृति का गयी बशर्ते कि राज्य सरकार उसकी टिप्पणियों की अनुपालना करे ।
9.	पंचखेरो जलाशय स्कीम	हजारीबाग	9[illegible]4.90	690.00	2.22	5/87	परामर्शदात्री समिति द्वारा 10/89 में स्वीकृत की गयी बशर्ते कि राज्य सरकार उसकी टिप्पणियों की अनुपालना करे ।
III.	परियोजनाएं जिन पर राज्य सरकार के साथ पत्राचार चल रहा है—						
1.	अमानत जलाशय स्कीम	पलामू	5340.00	10.00	—	3/90	वित्तीय और तकनीकी पहलुओं पर टिप्पणियों की अनुपालना राज्य सरकार को करनी है ।

विवरण-II

(लागत करोड़ रुपए/लाभ हजार हेक्टेयर)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	लाभान्वित जिले	योजना जिसमें शुरू की गई	मूल लागत	नवीनतम अनुमानित लागत	सातवीं योजना की समाप्ति तक हुआ व्यय	वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्याशित व्यय	चरम क्षमता	सातवीं योजना के अन्त तक सृजित क्षमता	वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्याशित क्षमता	पूरा किए जाने की योजना
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(क) निर्माणाधीन बृहद परियोजनाएं											
1.	सुवर्ण रेखा बहु-प्रयोजनी (बी)	सिंहभूमि	V	357.70	1428.80	464.16	77.31	209.00	0.20	9.00	आठवीं योजना से आगे
2.	बागमती बहुप्रयोजनी (ए)	सीतामढ़ी	V	185.70	314.67	33.85	4.00	101.60	0.00	0.00	—वही—
3.	पश्चिमी कोसी नहर (ए)	मधुबनी दर-भंगा समस्तीपुर	III	161.00	357.44	169.95	11.00	289.30	60.00	2.00	आठवीं योजना

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	उत्तरी कोयल जलाशय (बी)	पलामू (औरंगाबाद)	V	113.77	475.00	306.53	25.00	131.00	78.40	0.00	आठवीं योजना से आगे
5.	दुर्गावती जलाशय (ए)	रोहतास	V	25.00	147.40	60.08	9.00	36.40	0.00	0.00	—वही—
6.	बरनार जलाशय (ए)	मुंगेर	V	8.03	102.78	24.28	3·16	72.40	0.00	0.00	—वही—
7.	कोनार (डाइवर्जन (बी)	हजारीबाग	V	11.43	225.50	64.48	5.00	62.80	0.00	0.00	—वही—
8.	तिलैया डाइवर्जन (ब)	नालंदा	V	13.43	121.33	8.67	0.95	48.60	0.00	0.00	—वही—
9.	बतेश्वरस्थान पम्प फेस-I (ए)	भागलपुर	V	15.88	136.67	15.54	0.84	25.40	0.00	0.00	—वही—
10.	बाणसागर बांध का हिस्सा (ए)	भोजपुर	V	91.30	140.00	49.36	8.50	कोई सीधा लाभ नहीं			आठवीं योजना
12.	सिकटिया में अजाय बराजे (बी)	दुमका देवघर	V	9.21	133.11	53.20	8.00	40.47	0.00	0.00	आठवीं योजना

12. ओरंगा जलाशय (ए)	पलामू	VII	उप. नहीं	257.00	8.00	2.00	55.40	0.00	0.00	आठवीं योजना से आगे
13. पुनासी जलाशय (बी)	दुमका	VIII	26.14	145.00	27.41	1.50	24.00	0.00	0.00	—वही—
मध्यम परियोजनाएं										
1. बकरनाला पम्प फेस-1 (ए)	मुंगेर	वा. यो. 78-80	8.45	79.57	39.61	3.00	17.20	9.00	0.00	आठवीं योजना
2. ओरनी जलाशय (ए)	भागलपुर	V	2.96	32.74	23.12	4.50	9.60	5.00	1.00	—वही—
3. बतेश्वरस्थान पम्प फेस-II (ए)	भागलपुर	V	2.97	24.23	4.72	0.00	6.50	0.00	0.00	—वही—
4. बिलासी जलाशय (ए)	भागलपुर	वा. यो. 78-80	1.46	12.02	5.21	2.40	4.00	0.00	0.00	—वही—
5. बताने (ए)	पलामू	V	9.78	34.77	25.08	2.50	8.50	6.00	0.00	—वही—
6. तोराइ जलाशय (ए)	दुमका	V	2.46	56.18	13.97	0.88	8.00	0.00	0.00	—वही—
7. गुमनी जलाशय (ए)	दुमका	V	2.86	28.42	20.18	2.50	16.20	0.00	0.00	—वही—
8. कंसजोर जलाशय (ए)	रांची	V	1.37	18.40	9.69	1.00	3.32	1.00	0.00	—वही—
9. झरझरा जलाशय (ए)	सिंहभूम	V	4.47	24.50	48.50	0.00	4.50	0.00	0.00	—वही—
10. सकरीगली पम्प (ए)	संथाल परगना	V	0.62	8.14	5.97	1.00	1.90	1.90	0.00	1991-02
11. सिधवरनी जलाशय (ए)	मुंगेर	VI	4.45	21.95	5.04	0.04	9.39	0.00	0.00	आठवीं योजना

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	सोनुआ जलाशय (ए)	सिंहभूम	VI	8.92	37.47	17.91	4.00	9.38	0.00	0.00	आठवीं योजना
13.	सुरु जलाशय (ए)	सिंहभूम	VI	3.12	14.66	2.68	0.45	3.97	0.00	0.00	—वही—
14.	लटराटु जलाशय (ए)	रांचि	VI	10.09	41.98	33.42	2.12	10.10	8.00	0.00	3991-92
15.	बकनरला पम्प फेज-II (ए)	मुंगुर	VI	4.76	11.98	5.43	0.90	4.02	0.00	0.00	आठवीं योजना
16.	मरवा जलाशय (बी)	हजारीबाग	VII	20.09	25.08	5.84	3.50	4.00	0.00	0.00	—वही—
17.	केसो जलाशय (बी)	हजारीबाग	VII	11.69	16.83	2.97	2.50	3.80	0.00	0.00	—वही—
18.	पंचखेरो जलाशय (बी)	हजारीबाग	VII	9.55	16.85	4.15	2.75	2.80	0.00	1.00	—वही—
19.	नकती जलाशय (ए)	सिंहभूम	VII	4.14	16.99	8.42	3.00	2.32	0.00	1.00	—वही—
20.	सुरंगी जलाशय (ए)	सिंहभूम	VII	4.60	17.55	8.64	0.60	2.14	0.00	1.00	—वही—
21.	कंसजोर जलाशय (ए)	गुमला	VII	8.66	25.75	12.98	4.00	7.04	0.00	0.00	—वही—
22.	अप्पर संख जलाशय (ए)	गुमला	VII	0.19	29.22	6.86	2.00	7.11	0.00	0.00	—वही—

ए—योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं दर्शाता है।

बी—योजना आयोग की तकनीकी परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनायें दर्शाता है।

टिप्पणी : लागत वृद्धि बढ़ जाने के फलस्वरूप इन परियोजनाओं के पूर्ण करने में विलम्ब के मुख्य कारण इस परियोजना के कार्य-क्षेत्र तथा डिजाइन में परिवर्तन, धन की कमी, भूमि अधिग्रहण, दुर्लभ निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता, वन भूमि की निर्मुक्ति, परियोजना की प्रारम्भिक योजना पर अपर्याप्त अन्वेषण तथा परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना में विलम्ब है।

गुजरात में पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र तथा रसोई गैस एजेंसियों के आबंटन हेतु आवेदन

3527. श्री काशीराम राणा :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में नये पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस वितरण एजेंसियों के आबंटन हेतु कितने आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े हैं; और

(ख) इन आवेदन पत्रों को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) अनेक आवेदन पत्र नियमित रूप से सरकार को प्राप्त होते हैं। ऐसे आवेदनों का कोई अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है। विभिन्न विपणन योजनाओं के अन्तर्गत आवश्यक होने पर नये पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र और एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के सतत प्रयास किए जाते हैं बशर्ते कि उत्पाद की उपलब्धता हो।

मेन्था की खेती

3528. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मेन्था की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना को शुरू करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) तथा (ख) इस समय सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी मेन्था की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद द्वारा अधिक तेल तत्व वाली उन्नत किस्मों के विकास, उन्नत सस्य विज्ञान सम्बन्धी प्रणालियों कृमियों, कीटों तथा रोगों पर नियन्त्रण, आदि, कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

[अनुवाद]

भारत और बंगलादेश के बीच अन्त: क्षेत्रों का आदान प्रदान

3529 श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश में भारत के कितने अन्त: क्षेत्र हैं और और उनका क्षेत्रफल कितना है;

(ख) भारत में बंगला देश के ऐसे अन्त: क्षेत्रों की संख्या और उनके क्षेत्रफल का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त दोनों देशों की सरकारें इन विदेशी अन्तः क्षेत्रों के आदान प्रदान करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) बंगलादेश में भारत के 130 एनक्लेव हैं जिनका क्षेत्रफल 32.75 वर्ग मील है और भारत में बंगलादेश के 95 एनक्लेव हैं जिनका क्षेत्रफल लगभग 19.20 वर्ग मील है।

(ग) और (घ) भारत और बंगलादेश के प्रधानमन्त्रियों के बीच मई, 1974 में हस्तांतरित भू सीमा करार के अनुसार भारत और बंगलादेश के एनक्लेव का आदान-प्रदान किया जाना है।

विदेश मन्त्री की मास्को यात्रा

3530. श्री सनत कुमार मण्डल :

श्री रवि राय :

श्री हरिभाई पटेल :

श्री साईमन मरांडी :

श्री आर सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनकी हाल ही की मास्को यात्रा के दौरान उन्होंने सोवियत संघ तथा रूसी नेताओं के साथ व्यापार और रक्षा सहित विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर हुई बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ख) क्या बातचीत में कश्मीर के मसले का जिक्र भी हुआ था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(घ) क्या रूस के राष्ट्रपति ने बातचीत के दौरान भारत के साथ सीधे राजनयिक सम्बन्धों का प्रस्ताव रखा था; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) राष्ट्रपति गोर्बाचोव और अन्य वरिष्ठ सोवियत नेताओं ने मुझे आश्वासन दिया कि सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ भारत को दी गई अपनी सभी वचनबद्धताओं को निभाएगा। रूसी महासंघ के राष्ट्रपति येल्तिन ने भी इस बात की पुष्टि की।

इस बात पर सहमति हुई कि भारत का एक उच्च स्तरीय बहु-विधा वाला ग्रुप दिसम्बर में मास्को की यात्रा पर जाएगा और वहां पर सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ तथा रूसी महासंघ के अपने समकक्ष से मिलेगा ताकि सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में जो कठिनाइयां आ गई हैं उन पर विचार किया जा सके।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी हां। इस दिशा में कुछ अन्तरिम सुझाव दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में किसी फैसले को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

बिहार सासाराम और भभुआ में रसोई गैस की एजेंसियां

3531. **श्री छेदी पासवान :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या बिहार में सासाराम और भभुआ में 20,000 लोगों के लिए एक एजेंसी स्थापित करने के निर्धारित नियम के समनुरूप गैस एजेंसियां आबंटित की गई हैं।

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) 20,000 लोगों के लिए एक गैस एजेंसी स्थापित करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) वर्तमान नीति के अनुसार आर्थिक व्यावहार्यता और उत्पाद की उपलब्धता के आधार पर उन शहरों में एल. पी. जी. की डिस्ट्रीब्यूटरशिप चरणबद्ध ढंग से खोली जाती हैं जहां की आबादी (1981 की जनगणना के अनुसार) 20,000 और इससे अधिक होती है। तदनुसार सासाराम में एक एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोली गयी है।

[अनुवाद]

मास्को जाने वाला बहु आयामी भारतीय दल

3532. **श्री रवि राय :**

डा. सी सिलवेरा :

श्री पीयूष तीरकी :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई बहु आयामी भारतीय दल निकट भविष्य में मास्को की यात्रा करने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो दल के सदस्य कौन-कौन होंगे;

(ग) यात्रा के दौरान कौन से द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा की जाएगी;

(घ) क्या सोवियत संघ के साथ किसी व्यापार समझौते को अन्तिम रूप दिया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) सोवियत संघ में जो राजनैतिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं उनकी वजह से भारत सोवियत सम्बन्धों में हाल ही में उत्पन्न समस्याओं के सम्बन्ध में बातचीत होने की उम्मीद है । इनमें व्यापारिक, आर्थिक' सुरक्षा और वित्तीय मामले शामिल होंगे। कार्य सूची को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही प्रतिनिधिमण्डल की संरचना तय की जाएगी ।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए आधुनिकीकरण का ठेका

3533. श्री रविराय :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण हेतु ठेका देगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) राउरकेला इस्पात संयंत्र की आधुनिकीकरण परियोजना के चरण-I की 9 स्वदेशी पैकेजों और चरण-II की 11 स्वदेशी पैकेजों के लिए संविदाओं को पहले ही अन्तिम रूप दे दिया गया है । शेष 4 स्वदेशी पैकेजों के और 5 अन्तर्राष्ट्रीय पैकेजों के बारे में जनवरी, 1992 तक अन्तिम निर्णय ले लिया जाने की सम्भावना है । 5 अन्तर्राष्ट्रीय पैकेजों के लिए प्राप्त लागत बोलियों के बारे में 'सेल' में मूल्यांकन किया जा रहा है उनके बारे में बातचीत चल रही है ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियां

3534. श्री बलराज पासी :

डा. लाल बहादुर रावल :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम की रसोई गैस की कितनी एजेंसियां हैं; और

(ख) ये कहां-कहां पर स्थित हैं तथा इनकी क्षमता क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री. (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) 1 अक्टूबर 1991 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन की क्रमशः 44 और 93 रसोई गैस एजेंसियां थी।

[अनुवाद]

कोयला क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को शामिल करना

3535. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव केंद्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) (क) जी, नहीं इस सम्बन्ध में कोयला क्षेत्र में कार्यरत होने के लिए किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी का कोई प्रस्ताव वर्तमान में कोयला मंत्रालय के विचाराधीन लम्बित नहीं पडा है।

उड़ीसा में पान पत्ता अनुसंधान केन्द्र

3536 डा. कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पान के पत्तों की खेती में रोगों का पता न लगा पाने और खेती की पुरानी पद्धति अपनाने के कारण उत्तर बालासोर क्षेत्र में पान पत्ता उत्पादकों को घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उड़ीसा में उत्तर बालासोर के भोगराई में एक पान पत्ता अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि नही तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. लेंका) : (क) महोदय, जिस रोग से नुकसान हुआ है उसे एन्थ्रेक्नोज के नाम से पहचाना गया है। कवकनाशियों के प्रयोग से इस रोग की रोकथाम की जा सकती है।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा. कृ. अ. प.) पहले से ही पान की एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना पर कार्य कर रही है। उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इस प्रायोजना का एक केन्द्र है जिसके अन्तर्गत उत्तर बालासोर क्षेत्र आता है।

गैस को व्यर्थ जलाने से रोकने के लिए योजना

3537. श्री नवल किशोर राय :

क्या पेट्रोलियम तथाप्राकृतिकगैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार की गैस को व्यर्थ जलाने से रोकने एवं वनों को बचाने के लिए इसका घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग करने की कोई योजना है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : जी हां। पश्चिमी अपतटीय और गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में अतिरिक्त संपीडन और परिवहन क्षमता को स्थापित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि जलाई जा रही गैस के इस्तेमाल में वृद्धि की जा सके। घरेलू गैस के रूप में आपूर्ति गैस का आबंटन निम्नलिखित शहरों में किया गया है :—

1. बड़ौदा
2. भरोज—अंकलेश्वर
3. सिबसागर
4. दुलियाजान
5. मोरन
6. सूरत
7. अगरतला
8. बम्बई

विश्वेश्वरैया लोह और इस्पात लिमिटेड द्वारा इस्पात का उत्पादन

3538. श्री सी. पी. मुदालगिरियप्पा :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वेश्वरैया लोह और इस्पात लिमिटेड, भद्रावती, कर्नाटक की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) विश्वेश्वरैया लोह और इस्पात लिमिटेड में विभिन्न प्रकार के कौन-कौन से इस्पातों का उत्पादन होता है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार वहां पर इस्पात उत्पादन क्षमता बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) अलाय और विशेष इस्पात तथा मृदु इस्पात के उत्पादन के लिए विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड कम्पनी लिमिटेड की निर्धारित क्षमता क्रमशः 77,000 टन और 48,000 टन वार्षिक है।

(ख) विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड निम्नलिखित इस्पात का उत्पादन करती है :—

(i) हाई स्पीड इस्पात

(ii) हार्ड इस्पात

(iii) बेदाग इस्पात

(iv) टूल इस्पात

(v) बाल-बियरिंग इस्पात

(vi) फ्री कटिंग इस्पात

(vii) स्प्रिंग इस्पात

(viii) अलाय एण्ड कार्बन कन्सट्रक्शन इस्पात

(ix) अन्य अलाय इस्पात, और

(x) मृदु इस्पात

(ग) और (घ) हालांकि संस्थापित इस्पात क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है फिर भी धमन भट्टी और संतुलन इस्पात निर्माण सुविधाओं की स्थापना द्वारा "सेल" की 1994-95 तक अलाय और विशेष इस्पात निर्माण क्षमता उपयोग को 100 प्रतिशत और 1993-94 तक मृदु इस्पात क्षमता उपयोग को 75% तक प्राप्त करने की योजना है।

इस्पात का उत्पादन और मांग

3539. श्री सी. पी. मुदालगिरियप्पा :

श्री के एच मुनियप्पा :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान आज तक देश में इस्पात की कुल कितनी मांग थी;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इस्पात का कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) मांग और उत्पादन के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) परिसज्जित इस्पात के बारे में वर्ष 1990-91 के लिए सूचना निम्नानुसार है :—

आंकी गई मांग	155 लाख टन
उत्पादन	134 लाख टन

(ग) विदेशी मुद्रा की समग्र उपलब्धता के भीतर घरेलू उपलब्धता को यथासम्भव आयात से पूरा किया जाता है।

गेहूं की नई किस्में

3540. श्री सी. पी. मुदालगिरियप्पा :

श्री के. एच. मुनियप्पा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में उगाने के लिए हाल ही में गेहूं की नई किस्में जारी की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक किस्म की प्रति एकड़ सम्भावित उपज कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री के. सी. लेंका : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1991 के दौरान जारी की गई गेहूं की किस्में तथा उनसे प्रति एकड़ प्राप्त की जाने वाली पैदावार का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

किस्मों का नाम	पकने की अवधि	किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं	कृषि की स्थिति	मुख्य विशेषताएं	पैदावार प्रति हैक्टे. क्विंटल में
1	2	3	4	5	6
एम. ए. सी. एस. 2496	बीच का समय	महाराष्ट्र, कर्नाटक और दक्षिणी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र	सिंचित, समय पर बुआई, अधिक उर्वर स्थिति	भूरा और काला रतुआ का अत्यधिक रोधी और अधिक गर्मी सहने वाली	16
एच यू. डब्ल्यू 318	बीच का समय	नीलगिरि और पालनी पहाड़ियां	सीमित सिंचाई, समय पर बुआई, अच्छी उर्वर स्थिति	तीनों रतुआ रोगों को बहुत हद तक सहने वाली	17-23
पी. बी. डब्ल्यू- 215	बीच का समय	पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान	सिंचित समय पर बुआई, अच्छी उर्वर स्थिति	पत्ती रतुआ और करनाल बन्ट को अधिक सहने वाली	22
सी. पी. ए. एन. 3004 (संगम)	बीच का समय	पंजाब हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान	—वही—	पत्ती और तना पर लगने वाले रतुआ रोगों को काफी हद तक सहने वाली	18

गन्ने का उत्पादन

3541. श्री सी. पी. मुदालगिरियप्पा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लपल्ली राम चन्द्रन) (क) और (ख) 1990-91 के दौरान अपेक्षित राज्यों में गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार निम्न प्रकार से थी :

राज्य	प्रति हेक्टेयर पैदावार (कि. ग्रा. में)
उत्तर प्रदेश	55795
बिहार	52490
कर्नाटक	75713
तमिलनाडु	102972
आंध्र प्रदेश	69870

कुछ राज्यों की तुलना में बिहार तथा उत्तर प्रदेश में गन्ने की पैदावार कम है ।

(ग) उत्तर प्रदेश तथा बिहार सहित प्रमुख उत्पादक राज्यों में, गन्ने की अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए कार्य योजना में, गुणवत्ता बीजों का उत्पादन और वितरण, सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना, उर्वरकों का उचित उपयोग, पेड़ियों का बेहतर प्रबन्ध, पौध रक्षण उपाय, विकासात्मक कार्यकलापों आदि में गन्ना फैक्ट्रियों की भागीदारी तथा प्रभावकारी मूल्य एवं मण्डी समर्थन, शामिल है ।

महानन्दा बेसिन बाढ़ नियंत्रण योजना

3542. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानन्दा बेसिन बाढ़ नियंत्रण योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इस योजना के अंतर्गत क्या योजनाएं बनाई गई हैं;

(ख) महानन्दा बेसिन का क्षेत्र कितना है और उसकी जनसंख्या कितनी है,

(ग) इसकी सहायक नदियां कितनी हैं और उनकी कुल लम्बाई कितनी है; और

(घ) योजना के क्रियान्वयन के लिए 1991-92 के दौरान योजना-वार सरकारी आवंटन कितना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बिहार में बाढ़ प्रबन्ध स्कीमों के लिए 17.73 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। योजना के अंतर्गत कार्यों की अनुमानित लागत 225 करोड़ रुपए है।

(ख) महानन्दा बेसिन का क्षेत्र तथा जनसंख्या क्रमशः लगभग 17,440 वर्ग किलोमीटर और 1,17,00,000 है।

(ग) लगभग 1185 किलोमीटर लम्बाई की 15 बड़ी सहायक नदियां इसमें शामिल हैं।

(घ) वर्ष 1991-92 के लिए बृहद स्कीमों के वास्ते कोई आवंटन नहीं किया गया है।

अमरीकी कांग्रेस में भारत विरोधी संशोधनों को हटाना

3543. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीकी कांग्रेस में भारत विरोधी सभी संशोधनों को हटाने के लिए किये गये निर्णय के सम्बन्ध में हाल ही के समाचारों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी हां। अमरीकी कांग्रेस की हाऊस सीनेट कांफ्रेंस समिति ने यह स्वीकार नहीं किया था कि प्रेस्लर संशोधन को भारत पर भी लागू किया जाए और उसमें भारत में मानवाधिकारों का के उल्लंघन से संबंधित कई संशोधन हटा दिए थे।

(ख) सरकार इस घटना का स्वागत करती है।

संयुक्त राष्ट्र प्रतिबन्धों के परिणाम

3544. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यह दृष्टिकोण है कि संयुक्त राष्ट्र को भविष्य में इराक पर प्रतिबंध लगाने से पहले इसके अनभिप्रेत प्रतिकूल परिणामों पर विचार करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने अपने विचारों से संयुक्त राष्ट्र को अवगत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो अन्य सदस्य देशों की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) सरकार का विचार है कि सार्वभौम आर्थिक अन्तर निर्भरता के मौजूदा युग में अन्य देशों पर प्रतिबन्ध लगाने से जो अनाशयित परिणाम निक-

जाते हैं उन पर किसी भी देश के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाते समय विचार किया जाना चाहिए और यदि ऐसे प्रतिबंध लगाये जाते हैं तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद-50 के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था कायम की जाए जिससे इन अन्य देशों की भरपाई के लिए स्वतः कार्रवाई शुरु हो जाए।

(ख) जी हां। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में विदेश मंत्री ने भी इस विचार की जानकारी दी थी।

(ग) अनेक देशों के भी ऐसे ही विचार है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी इस मसले को अपनी रिपोर्ट में किया है।

कुवैत में भारतीय मिशन के परिसर को क्षति

3545. श्री ई. अहमद :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत में भारतीय मिशन के परिसर को कोई क्षति पहुँची थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत स्थित भारतीय चांसरी परिसर अथवा राजदूतावास निवास को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची थी। तथापि, निर्माणाधीन नए राजदूतावास भवन के भीतरी और बाहर की साज-सज्जा, सामान और जुड़नारों को कुछ क्षति पहुंची थी। सरकार आवश्यक मरम्मत कराने की व्यवस्था कर रही है जिसके खर्च को मुआवजे के लिए संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

[हिन्दी]

पुष्प कृषि

3546. श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पुष्प कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने की काफी संभावना है ?

(ख) यदि हां, तो देश में पुष्प खेती में वृद्धि करने और उसके द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पुष्प उगाने के लिए कोई केन्द्रीय योजना आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने पुष्प कृषि के विकास पर एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था,

जिसकी सिफारिशों के आठवीं योजना के दौरान पुष्प कृषि के विकास के प्रस्तावों में शामिल कर लिया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत पुष्प कृषि विकास की एक योजना के कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

नारलैण्ड वाटर ग्रिड स्कीम

3547. श्री यशवंत राव पाटिल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का माला जल ग्रिड योजना तैयार करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है,

(ग) क्या इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है,

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं, और

(ङ) इस योजना को अन्तिम रूप कब तक दिया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने जल संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया है जिसमें अधिशेष जल वाले क्षेत्र से जल की कमी वाले क्षेत्र को जल अन्तरित करने के वास्ते प्रायद्वीपीय क्षेत्र को वृद्ध नदियों तथा हिमालयी नदियों को अलग-अलग आपस में जोड़ने की परिकल्पना की गयी है।

(ख) इस परिप्रेक्ष्य में हिमालयी नदी विकास और प्राय: द्वीपीय नदी विकास नामक दो घटक हैं। इसमें हिमालयी नदी विकास के लिए 19 जल अन्तरण सम्पर्कों पर तथा प्राय: द्वीपीय नदी विकास के वास्ते 17 जल अन्तरण सम्पर्कों पर अध्ययन करना शामिल।

(ग) और (घ) जल संसाधन मंत्रालय के राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के लिए 7 सम्पर्कों पर प्रारम्भिक व्यवहार्यता रिपोर्ट पहले ही तैयार कर ली हैं। ये रिपोर्ट टिप्पणियों के वास्ते संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी गयी हैं :

(ङ) फील्ड सर्वेक्षण तथा जांच सहित सभी अध्ययन 2009 ईसवी तक पूरे करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

खाद्यान्न उत्पादन

3548. श्री वी. एस. विजयराघवन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1991-92 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन का प्रत्येक राज्य में फसीवार-वार ब्योरा क्या है।

(ख) खाद्यान्नों का वर्तमान भंडार कितना है;

(ग) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान चावल, गेहूं और चीनी का निर्यात करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) प्रत्येक राज्य में अनाज वार उत्पादन अभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि 1991-92 के लिए खरीफ खाद्यान्न उत्पादन के अन्तिम अनुमान राज्यों से मिलने का समय अभी नहीं हुआ है और रबी की बुवाई चल रही है।

(ख) पहली नवम्बर, 1991 को केन्द्र और राज्य सरकारों के खाते में खाद्यान्नों का 14.9 मिलियन मीटरी टन का मण्डार भौतिक रूप से पड़ा हुआ था।

(ग) जी, हां।

(घ) विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि करने के प्रयास के एक अंग के रूप में 1991-92 में भारतीय खाद्य निगम के मण्डार में से 8 लाख, मीटरी टन गेहूं का निर्यात करने का निर्णय लिया गया है। 1991-92 के दौरान 7 लाख मीटरी टन गैर-बासमती चावल की अधिकतम सीमा निर्यात के लिये निर्धारित की गई है। बासमती चावल का निर्यात खुला साधारण लाइसेंस पर किया जाता है। 1991-92 के दौरान 5.61 लाख मीटरी टन चीनी का निर्यात करने का फैसला भी किया गया है।

खाड़ी देशों से वापस आए लोगों को उनके संबंधित खाड़ी देश में वापस भेजना

3549. श्री वी. एस. विजयराघवन

श्री पी. सी. थामस

श्री के. मुरलीधरन

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुवैत सहित खाड़ी देशों से वापस आए उन लोगों की स्थिति क्या है जो अपने सम्बन्धित खाड़ी देश को अभी तक वापस नहीं गए हैं और

(ख) उन्हें इन देशों को शीघ्र वापस भेजने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) सरकार ने खाड़ी से लौटे भारतीय राष्ट्रिकों की शीघ्र वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं इनमें शामिल है उत्प्रवासन निकासी अपेक्षा को हटाना, पासपोर्ट शीघ्र जारी करना और कुवैत के लिये एयर इंडिया की उड़ानें फिर शुरू करना। 150,000 में से लगभग 60,000 लोग पहले ही कुवैत वापस जा चुके हैं और इस समय लगभग 1000 लोग प्रति सप्ताह वापस जा रहे हैं।

[हिन्दी]

उड़ीसा में हुई सुरंग दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच समिति का गठन

3550 श्री मृत्युंजय नायक

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा के कालाहांडी जिले में हुई सुरंग दुर्घटना की जांच के लिए कोई समिति गठित की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां। 28-7-1991 को सुरंग में बाढ़ के पानी के प्रवेश करने के कारणों का पता लगाने, नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड की मशीनों तथा अन्य कार्यों को हुई क्षति का आकलन करने तथा इन कार्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के वास्ते निर्माण आयोजन की जांच करने हेतु ऊपर इन्द्रावती जल विद्युत परियोजना के सुरंग कार्य की सुरक्षा पर एक समिति 3 सितम्बर, 1991 को गठित की गई, जिसके अध्यक्ष सदस्य (आर. एम.) केन्द्रीय जल आयोग हैं तथा केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रतिनिधि इनमें शामिल हैं। इस समिति ने 14 से 18 नवम्बर, 1991 तक परियोजना स्थल का दौरा किया।

सुरंग में बाढ़ के कारण कार्यों को पहुंची क्षति तथा उसके मरम्मत कार्यों की लागत का पता लगाने के लिए 27 सितम्बर, 1991 को केन्द्रीय जल आयोग तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के मुख्य इंजीनियरों का एक संयुक्त दल भी गठित किया गया है। इस दल ने 18 से 20 नवम्बर, 1991 तक परियोजना स्थल का दौरा किया। कचरा निकालने का कार्य तथा मरम्मत कार्य पहले ही शुरू कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

केरल में रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

3551. श्री पी. सी. थामस :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी स्थान पर रसोई गैस एजेंसी के आबंटन हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं :

(ख) क्या सरकार ने केरल में विशेषतः कोट्टायम और एर्णाकुलम जिलों में रसोई गैस एजेंसियों का और अधिक आबंटन करने हेतु कोई योजना बनायी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से और (ग) वर्तमान नीति के अनुसार, आर्थिक व्यवहार्यता और उत्पाद की उपलब्धता के आधार पर उन स्थानों पर नई एल. पी. जी. एजेंसियां चरणबद्ध तरीके से खोली जाती है जहां की आबादी (1981 की जनगणना के अनुसार) 20,000 और इससे अधिक है।

कृष्ण—गोदावरी बेसिन में लघु तेल शोधक कारखाने की स्थापना

3552. श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कृष्णा गोदावरी बेसिन में उत्पादित कच्चे तेल के शोधन के लिए वहां पर एक लघु तेल शोधक अथवा कच्चे तेल के शोधन की एक इकाई की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) से (ग) कृष्ण गोदावरी बेसिन में कच्चे तेल का उत्पादन वर्ष 1990 91 में 0.0123 मिलियन टन था और वर्ष 1991-92 में इसके लगभग 0.022 मिलियन टन होने की संभावना है। उत्पादन के इन स्तरों को देखते हुए कृष्णा गोदावरी बेसिन में क्रूड डिस्टीलेशन यूनिट व्यवहार्य नही होगी।

तुंगभद्रा बोर्ड

3553. श्री वी· शोभनाद्रीश्वर राव

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार को तुंगभद्रा बोर्ड भंग करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है,

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने उक्त प्रस्ताव का विरोध किया है, और

(घ) पहले के समझौते के अनुसार तुंगभद्रा के जल का कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां। कर्नाटक सरकार से वर्ष 1985 में तुंगभद्रा बोर्ड को भंग करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) कृष्णा जल विवाद अधिकरण के पंचाट में दिए गए विशिष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को सहमति प्रदान नहीं की गयी।

(ग) जी हां, आंध्र प्रदेश सरकार ने अप्रैल, 1989 में विस्तृत टिप्पणी भेजी है जिसमें तुंगभद्रा बोर्ड को भंग करने की उनकी आपत्तियों की सूचना दी गई हैं।

(घ) वर्ष के दौरान तुंगभद्रा बोर्ड की बैठकों में तथा दोनों राज्यों के अधिकारियों की संयुक्त बैठकों में भी जल के उपयोग की पुनरीक्षा की जाती है। तुंगभद्रा बोर्ड के अधिकारी तथा कर्मचारी कभी-कभी शीर्ष कार्यों और नहरों पर निर्मुक्तियों की जांच भी करते हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

3554. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत सिंचाई परियोजनाओं का ब्योरा क्या है,

(ख) महाराष्ट्र में चालू सिंचाई परियोजनाओं का ब्योरा क्या है,

(ग) इन परियोजनाओं पर निर्माण कार्य कब से चल रहा है, और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मध्य प्रदेश को 1993.67 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की नर्मदा (इंदिरा) सागर परियोजना नामक केवल एक परियोजना, जिसमें मध्य प्रदेश के 169000 हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई की परिकल्पना की गयी है, को निवेश स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

(ख) से (घ) महाराष्ट्र की निर्माणाधीन वृद्ध एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

महाराष्ट्र की निर्माणाधीन बृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्योरा

क्षमता हजार हेक्टेयर में
अनुमानित लागत एवं व्यय करोड़
रुपये में

क्र. सं.	परियोजना का नाम	योजना जिसमें शुरू की	नवीनतम अनुमानित लागत	3/91 के अंत तक व्यय	चरम सिंचाई क्षमता	6/91 तक सृजित क्षमता	पूरी होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8
बृहद्							
1.	जायकवाड़ी चरण-I एवं II (ए)	V	650.47	477.46	277.21	203.61	8वीं योजना
2.	भातसा (यूए)	V	83.41	31.77	42.55	8.88	—वही—
3.	अपरतापी (ए)	IV	101.32	77.37	55.14	46.66	—वही—
4.	खडकवासला (ए)	II	202.50	125.42	62.15	41.56	—वही—
5.	कृष्णा (ए)	III	224.14	142.14	113.26	78.58	—वही—
6.	लोअर दुधना (यूए)	VI	95.34	40.77	20.78	1.69	—वही—

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	कारवा (यूए)	VI	29.46	10.60	10.32	—	—वही—
8.	लोअर तिरना (ए)	VI	122.94	58.00	20.26	4.23	—वही—
9.	विष्णुपुरी (ए)	78-80	157.75	77.90	33.73	8.73	—वही—
10.	अरूनावती (यूए)	VI	89.57	37.69	30.87	—	—वही—
11.	तिल्लारी (यूए)	78-80	43.32	18.37	7.01	—	—वही—
12.	वान (यूए)	VI	70.80	16.87	17.56	—	—वही—
13.	वरना (ए)	IV	457.19	160.96	113.92	1.00	8वीं योजना के आगे
14.	कुकाडी (ए)	66.69	543.94	236.33	156 27	54.16	—वही—
15.	भीमा (ए)	III	571.39	311.62	162.50	106.81	—वही—
16.	ऊपर पेनगंगा (ए)	V	424.16	205.41	111.53	38.77	—वही—
17.	अपर वर्धा (ए)	V	356 56	153.28	80.25	—	—वही—
18.	अपर गोदावरी (ए)	66.69	132.99	58.01	67.29	59.25	—वही—
19.	सूर्या (ए)	78.80	155.99	82.46	27.19	20.62	—वही—
20.	बवनथाडी (यूए)	78-80	81.81	12.04	25.31	—	—वही—
21.	धास्कमान (ए)	V	177.79	3.68	38.62	—	—वही—

22.	बगूर (ए)	V	69.36	5.67	28 58	—	—वही—
23.	पुनाद (यूए)	VI	49.03	1.91	16.86	—	—वही—
24.	नन्दुर मधमेश्वर (ए)	V	100.20	8.56	45.12	—	—वही—
25.	अपर परबारा (ए)	V	182.55	10.03	6[illegible].90	—	—वही—
26.	लोअर दुधना (ए)	V	85.07	0.[illegible]2	29.80	—	—वही—
27.	गोसीखुर्द (यूए)	VI	542.90	12.15	190.00	—	—वही—
28.	कोयना कृष्णा लिफ्ट (यूए)	VI	293.27	28.82	36.31	—	—वही—
29.	दूधगंगा (यूए)	V	254.41	87.65	65.14	—	—वही—
30.	नीरा विघोषर (यूए)	VI	103.95	0.11	31.21	—	—वही—
31.	तुलतुली (यूए)	VI	51.93	3.51	30 39	—	—वही—
32.	हुमन (यूए)	VI	93.04	4 63	36.22	—	—वही—
33.	लोअर वर्धा (यूए)	VI	117.18	4.22	52.93	—	—वही—
34.	तलम्बा (यूए)	VI	106.71	6.30	16.15	—	—वही—
35.	लेन्दी (यूए)	VI	71.38	2.38	19.58	—	—वही—
36.	लोअर पेनगंगा (यूए)	VI	232.81	0.02	135.57	—	—वही—
मध्यम							
1.	धाम (ए)	V	45.98	31.20	10.21	7.50	आठवीं योजना

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	नादुवाडी (ए)	V	27.54	24.91	4.62	3.52	आठवीं योजना
3.	शाहनूर (ए)	VI	50.27	39.78	9.56	8.50	—वही—
4.	शस्त्र (ए)	VI	17.13	7.40	2.83	1.50	—वही—
5.	नागासाकी (ए)	VI	13.84	11.34	2.08	—	—वही—
6.	देहाली (ए)	VI	19.44	4.25	4.35	—	—वही—
7.	लोअर पुस (ए)	V	23.48	21.06	9.68	9.09	—वही—
8.	हरनवाडी (ए)	IV	15.39	10.79	4 88	4.90	—वही—
9.	अगन (ए)	V	26.80	2.54	10.71	0.00	—वही—
10.	मुन (ए)	VI	29.33	17.66	7.64	1.35	—वही—
11.	वाबीवाले (ए)	78/80	16.16	8.25	3.63	2.88	—वही—
12.	जावलगांव (ए)	V	11.54	9.12	5.34	1.26	—वही—
13.	कसारी (ए)	V	14.44	11.15	9.46	3.53	—वही—
14.	पावडी गुडम (ए)	VI	8.10	6.03	3.71	—	—वही—
15.	मसलगा (यूए)	VI	8.36	4.66	2.43	—	—वही—
16.	देवर्जन (ए)	VI	6.30	3.51	1.81	—	—वही—

17.	सकोल (यूए)	VI	8.95	5.45	2.06	—	—वही—
18.	डेहवाने (यूए)	VI	60.69	24.09	12.83	—	—वही—
19.	बहुला (ए)	V	14.66	4.07	4.65	—	—वही—
20.	हिवारा (ए)	V	8.01	4.00	2.70	—	—वही—
21.	पटगांव (ए)	VI	23.37	8.77	8.36	0.76	—वही—
22.	कुंभी (ए)	V	17.47	1.83	8.49	0.82	—वही—
23.	तेंभापुरी (यूए)	V	14.22	4.04	4.78	—	—वही—
24.	कसारखारी (ए)	VI	12 52	2.42	3.64	—	—वही—
25.	कडबी (ए)	V	15.2[illegible]	2.[illegible]9	9.22	1.40	—वही—
26.	पुरनान्योपुर (ए)	V	4.82	1.74	4.29	—	—वही—
27.	अमरावती (ए)	VI	10.05	1.65	3.25	—	—वही—
28.	जगमवती (यूए)	V	11.19	2.05	3.14	0.02	—वही—
29.	अंजनापलशी (ए)	V	6.46	1.54	2.55	—	—वही—
30.	सोनवाड (ए)	VI	13.27	2.38	2.36	—	—वही—
31.	जाम (यूए)	VI	14.69	3.12	8.71	—	—वही—
32.	अलंदी (यूए)	V	14.00	11.32	6.30	5.62	—वही—
33.	बोर-दहगांव (यूए)	VI	11.48	2.84	3.12	—	—वही—
34.	तजनापुर	VI	5.75	1.05	2,74	—	—वही—

1.	2	3	4	5	6	7	8
35.	मोर (ए)	V	14.83	1.44	1.54	—	—वही —
36.	चिक्कोतरा (ए)	V	14.66	0,60	4.69	0.32	—वही—
37.	करवप्पानल्ला (ए)	VI	17.54	2.60	5.25	—	—वही—
38.	उरमोडी (ए)	VI	20.46	0.94	9.04	—	—वही—
39.	शिवना तकाली (यूए)	VI	34.83	1.69	7.49	—	—वहीं—
40.	अप्पार मनार (यूए)	VI	34.57	2.21	13.91	—	—वही—
41.	देवगढ़ (यूए)	VI	27.77	3.64	8.35	—	—वही—
42.	पंधारी नल्ला (ए)	V	2.03	0.19	2.08	—	आठवीं योजना से आगे
43.	बोरी (यूए)	VI	16.06	0.30	10.45	—	—वही—
44.	हरणा (यूए)	V	17.25	0.02	2.51	—	—वही—
45.	डोंगरगांव (सी) (यूए)	V	6.85	0.49	3.59	—	—वही—
46.	चन्नालाडी (यूए)	V	7.90	1.03	2.12	—	—वही—
47.	येओटीमसोली (यूए)	V	7.62	5.50	1.80	1.50	आठवीं योजना
48.	बलपारा (यूए)	V	5.19	3.28	0.96	—	—वही—

49.	मंगरूलपुर (यूए)	V	2.95	0.45	1.50	—	आठवीं योजना से आगे
50.	तलानी (यूए)	V	2.80	0.49	2.44	—	—वही—
51.	उमरखारी (यूए)	78-80	3.15	1.14	2.03	—	—वही—

टिप्पण : 1. ए.—योजना आयोग द्वारा प्रदान की गई निवेश स्वीकृति दर्शाता है।

2. यू.ए.—योजना आयोग द्वारा प्रदान नहीं की गई स्वीकृति दर्शाता है।

3. सी.—यह सूचना महाराष्ट्र सरकार के आठवीं योजना प्रारूप (1992-97) तथा वार्षिक योजना (1992-93) के रूप में दी गई है।

महाराष्ट्र में कोयला खानों का आधुनिकीकरण

3555. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की किन कोयला खानों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है ;

(ख) कितनी नई कोयला खानें खोले जाने का प्रस्ताव है और वे कहां खोली जायेंगी ;

(ग) इन कोयला खानों के लिए कोयला खान-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ;

(घ) क्या उसके परिणामस्वरूप कोयला-उत्पादन में वृद्धि की संभावना है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. बी. न्याम गौड) : (क) विद्यमान कोयला खानों तथा नई परियोजनाओं को आधुनिकीकृत किए जाने की प्रक्रिया एक निरन्तर स्वरूप की है, जो कि तकनीकी-आर्थिक वित्तीय संसाधन आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रगामी रूप में शुरू की जाती है। महाराष्ट्र मे स्थित वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की निम्नलिखित खानों को आधुनिकीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट किया गया था/किया गया है।

स्थान/जिला	खान
नागपुर	सावोनेर-I
	सावोनेर-II
	सिलेवारा
	मकरठोकरा भू.ग.
	उमरेर
चन्द्रपुर	नाकोडा
	विरूर
	घुग्घुस
	चिन्चोली
	बल्लारपुर
	सस्ती
	राजुर
	दुर्गापुर ओ. का.
	पद्मपुर ओ. का.
	हिन्दुस्तान लालपेठ
	पंडरपोनी
	माजरी

पुगुस
वाणी

(ख) और (ग) आठवीं योजना (1992-93 से 1996-97) के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाएं तथा परियोजनाओं के निष्पादन का ब्योरा उक्त परियोजनाओं की प्रस्तावित/निर्धारित राशि के साथ संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र में वर्ष 1990-91 में कोयले का वर्तमान उत्पादन स्तर 16.85 मि. टन है। इस उत्पादन में वर्ष 1996-97 तक 23 मि. टन तक की वृद्धि हो जाने की संभावना है।

विवरण

महाराष्ट्र में नई खोली जाने वाली कोलियरियां

नाम	जिला, जिसमें स्थित है	क्षमता मि. टन प्रति वर्ष	8वीं योजना के लिए निर्धारित अतिरिक्त राशि (1992-93 से 1996-97)
			(करोड़ रु. में)
पहले से स्वीकृत			
1. चिकर भू.ग.	चन्द्रपुर	0.32	10.07
2. सुबाई भू.ग.	चन्द्रपुर	0.32	8.81
3. चिचोली भू.ग.	चन्द्रपुर	0 40	12.68
4. मोवधार भू.ग.	चन्द्रपुर	0.28	11.67
5. गौरी-II खो.का.	चन्द्रपुर	0 35	10.80
6. भाटाडीह खो.का.	चन्द्रपुर	0.25	10.30
7. चोरगांव खो.का.	चन्द्रपुर	0 38	12.28
8. चटगांव-I खो.का. (भिरना)	चन्द्रपुर	0.24	11.01
9. कोलारपिम्परी खो.का.ए.ए.	यवतमाल	—	1.81
10. उकनी खो.का.ए.ए.	यवतमाल	—	4.97
11. मुगोली खो.का.ए.ए.	यवतमाल	—	9.27
12. जुमाद ओ.का	यवतमाल	0.32	9.33
13. नायगांव खो.का.	यवतमाल	0.35	14.21
14. गोन्डेगांव खो.का.ए.ए.	नागपुर	—	6.26

निष्पादित, जिन्हें अभी अनुमोदन दिया जाना है ।			
1. लोलारपिम्परी ओ.का.	यवतमाल	0.65	25.24
2. उकनी ओ.का.	यवतमाल	1.10	27.29
3. भुगोली	यवतमाल	0.80	24.36
4. बोनसा-I	यवतमाल	0.25	16.63
5 गोन्डेगांव	नागपुर	0.75	22.23
6. पम्ब रीवर साइडस्थान	नागपुर	—	18.27
7. हुरन्ज-I ओ.का.	चन्द्रपुर	0.45	24.27

ए.ए. = अग्रिम कारंवाई योजना

[अनुवाद]

लौह अयस्क का उत्पादन और मांग

3556. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2000 तक देश में लौह अयस्क के सम्भावित उत्पादन और मांग का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई दीर्घकालीन योजना बनायी गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ) आठवीं योजना के लिए लोहा और इस्पात उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल की रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया है कि 1994-95 तक सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में एकीकृत इस्पात संयत्रों और स्पंज लौह उद्योग को 420 लाख टन लौह-अयस्क की आवश्यकता होगी । हालांकि 8वीं योजना अवधि (अब 1992.97) में परिवर्तन किए जाने के साथ कार्यकारी दल के इन अनुमानों को संशोधित किया जा रहा है ।

हाल में ही इस्पात मंत्रालय में लौह-अयस्क से संबंद्ध एक कृत्यक बल का गठन किया गया है । कृत्यक बल के विचारार्थ विषयों में सन 2000 ई. तक लौह अयस्क की संभावित मांग तथा उपलब्धता का अनुमान लगाना और लौह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि करना शामिल है ।

लघु इस्पात उद्योग

5557. श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु इस्पात उद्योग वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में उपचारात्मक क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) यह सच है कि आयातित इस्पात मेल्टिंग स्क्रैप की कमी के कारण लघु इस्पात उद्योगों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है।

(ख) पर्याप्त मात्रा में निर्बाध विदेशी मुद्रा के उपलब्ध न रहने से माध्यम अभिकरण मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन के माध्यम से स्क्रैप के आयात में कमी पाई हैं। मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन के माध्यम से आयात बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयोक्ता उद्योग निर्यात-आयात पत्र का प्रयोग करके स्क्रैप का सीधे आयात भी कर सकते हैं।

ऊपरी थुंगा परियोजना

3558. श्रीमती बासवा राजेश्वरी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक मे ऊपरी थुंगा परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने हेतु केन्द्र सरकार से कोई अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) ऊपरी थुंगा परियोजना रिपोर्ट में 94698 हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई किए जाने तथा 271 41 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आने की परिकल्पना की गयी है। यह तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए अप्रैल, 1991 में राज्य सरकार से प्राप्त हुई थी। इसकी जांच करने पर यह पाया गया कि इसमें सुरंग, सिंचाई आयोजना, मृदा सर्वेक्षण, डिजाइन बाढ़, पर्यावरणिक ब्यौरे तथा भूजल के संयुक्त उपयोग के लिए भू वैज्ञानिक जांच से संबंधित मूल कमियां थीं। इसलिए, राज्य सरकार से संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अगस्त, 1991 में अनुरोध किया गया है।

रागी का उत्पादन

3559. श्री वी. कृष्ण राव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1990-91 के दौरान "रागी" का राज्यवार कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या कर्नाटक में रागी की खेती का क्षेत्र प्रतिवर्ष कम हो रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) रागी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1990-91 के दौरान देश में उत्पादित रागी की कुल मात्रा 23.30 लाख मीटरी टन थी राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रागी का उत्पादन बढ़ाने के लिए, सात महत्वपूर्ण रागी उत्पादक राज्यों, अर्थात्, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में विशेष खाद्यान्न कार्यक्रम (एस. एफ. पी. पी.—रागी) सम्बन्धी एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना चल रही है।

विवरण

1990-91 के दौरान रागी के उत्पादन के राज्य-वार अग्रिम अनुमान

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादन ("000 मीटरी टन में)
1.	आंध्र प्रदेश	194.5
2.	बिहार	88.2
3.	गोवा	3.8
4.	गुजरात	25.4
5.	हिमाचल प्रदेश	4.1
6.	कर्नाटक	1039.9
7.	केरल	1 5
8.	मध्य प्रदेश	4.7
9.	महाराष्ट्र	213.8
10.	उड़ीसा	216.5
11.	सिक्किम	6.4
12.	तमिलनाडु	321.3
13.	उत्तर प्रदेश	194.2
14.	पश्चिम बंगाल	10.9
15.	दादरा तथा नगर हवेली	3.6
16.	पाण्डिचेरी	1.2
	अखिल भारत	2330.0

कृषि आदानों की सप्लाई

3560 श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमान्त और छोटे किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराए गए उत्तम बीज और उर्वरक जैसे कृषि आदान ठीक समय पर किसानों के पास पहुंच नहीं पाते हैं ;

(ख) क्या सरकार ने प्रखण्ड स्तर पर इन आदानों की सप्लाई को प्रणाली एवं प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके इस व्यवस्था की पुनरीक्षा की है ;

(ग) क्या सरकार ने बैंकों एवं सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों द्वारा इन आदानों की खरीद के लिए धन उपलब्ध कराने की प्रणाली को भी जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो सप्लाई की प्रणाली में क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : चल रहे विभिन्न उत्पादन प्रधान केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत राज सहायता प्राप्त अच्छे गुण स्तर के बीज किसानों को उचित समय पर सप्लाई किये जा रहे हैं। इसी प्रकार छोटे और सीमान्त किसानों को राज-सहायता प्राप्त उर्वरक भी सही समय पर प्रदान किये जा रहे हैं।

(ख) जी, हां। सरकार समय-समय पर क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करके राज्य-सरकारों के परामर्श से व्यवस्थाओं की समीक्षा करती रही है ताकि किसानों को समुचित समय पर आदानों की सप्लाई की पद्धति और प्रविधि को सरल और कारगर बनाया जा सके।

(ग) तथा (घ) जी, हां। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सहकारी बैंकों/समितियों आदि के लिये फसल ऋणों हेतु निर्धारित वित्तीय मानदण्डों में नकद और सामग्री के दो घटक शामिल हैं। फसल ऋण के नकद घटक में किसानों द्वारा अपेक्षित उर्वरकों कृमिनाशी दवाईयों बीजों आदि जैसे आदानों को हिसाब में रखा जाता है। "सामग्री" घटक का वितरण प्राथमिक कृषि समितियों द्वारा स्वयं किया जाता है। ऐसा वहां पर होता है जहां प्राथमिक कृषि समितियां ऐसे आदानों के भण्डारण और वितरण में जुटी हुई हैं। अन्य मामलों में ऋण लेने वालों द्वारा आदान/विपणन सोसायटियों/उर्वरक डीलरों से प्राथमिक कृषि समितियों द्वारा जारी किये गये प्राधिकार पत्रों के आधार पर स्वयं उठाए जाते हैं।

बैंकों को सलाह दी गई है कि वे कृषि उत्पादन के लिए किसानों को उचित समय पर और पर्याप्त मात्रा में ऋण मिलना सुनिश्चित करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण देने की पद्धतियों को सरल और उदार बनाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

किसानों को, विशेषकर छोटे और सीमान्त किसानों को; अधिक ऋण दिलाने की दृष्टि से अनेक कदम उठाये गये हैं। महत्वपूर्ण कदम प्रकार हैं :—

(1) 25000/-रुपये तक के ऋण के आवेदन पत्रों को दो सप्ताह में और 25000/-रुपये से

अधिक के ऋण के लिये आवेदन पत्रों को आठ से नौ सप्ताह में निपटा दिया जाये।

(2) ग्रामीण शाखा प्रबन्धकों को समुचित स्वीकृतियां सौंपना ताकि ऋण के अधिकतर आवेदनों को शाखा स्तर पर ही स्वीकृत किया जा सके।

(3) 10 000 रुपये तक के फसल ऋणों और 10,000/-रुपये तक सावधिक ऋणों के मामले में, जहां चल सम्पत्ति सृजित की जा रही हो, भूमि को बंधक/रेहन रखने या किसी तीसरे व्यक्ति से गारण्टी दिलाने जैसी ऋणाधार जमानत आदि नहीं ली जानी चाहिये।

(4) 10,000/-रुपये तक के अल्पकालिक, मध्यम/दीर्घकालिक दोनों कृषि ऋणों के लिए कोई मार्जिन अपेक्षित नहीं है।

(5) 7,500/-रुपये तक के फसल ऋणों पर ब्याज 11.5 प्रतिवर्ष ही रखा गया है।

(6) 2 लाख रुपये तक के सावधिक ऋण रियायती दर पर दिए जाते हैं।

(7) छोटे और सीमान्त किसान द्वारा लिए गए फसल ऋणों के मामले में लगने वाला ब्याज मूलधन से अधिक न हो।

(8) फसल नष्ट हो जाने के मामले में, वसूली जाने वाली रकम को 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए पुर्नर्निर्धारित किया जाना चाहिए और किसानों को नए ऋण दिए जाने चाहिए।

(9) कृषि क्षेत्र में वर्तमान देय रकम पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगना चाहिए।

(10) बैंकों को सलाह दी गई है कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों ऋणों के लिए अदायगी की समय सारणी ऐसे समय के साथ, मेल खाए जब कृषक अपना उत्पाद बेच चुका हों और उसके पास धन हो।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का विकास

3562. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के विकास हेतु सरकार द्वारा 1992-93 के दौरान क्या कदम उठाए जाने का विचार है।

खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड विशाखापत्नम में 22,000 टन सीसा और 30,000 टन जस्ता की वार्षिक क्षमता के एक प्रगालक का संचालन करता है। धातु की निकासी बढ़ाने और बेहतर पर्यावरण संरक्षण उपाय जुटाने की योजनाएं 1992-93 में क्रियान्वित की जाएगी।

[हिन्दी]

बाटलिंग संयंत्रों की स्थापना

3563. श्री राम नारायण बेरवा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में कितने एल.पी.जी. बाटलिंग संयंत्र स्थापित किए गए ;

(ख) राजस्थान में ऐसे कितने संयंत्र स्थापित किए गए हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या वहां ऐसे संयंत्र स्थापित करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कितने और से संयंत्र कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) 26.

(ख) एक।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

सिक्किम को मिट्टी का तेल

3564. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिक्किम सरकार की ओर से मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने तथा उसका पूरे साल एक ही दर पर आवंटन करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कारंवाई की है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) एस. के. ओ. आबंटन में वृद्धि करने के लिए अन्य राज्य सरकारों सहित सिक्किम से अनुरोध प्राप्त हुए है। सिक्किम को शामिल करते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नवम्बर, 1991 से आगे एकरूपता के आधार पर आबंटन किया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के जलाप्लवित क्षेत्रों का सर्वेक्षण

3565. श्री राम पूजन पटेल :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के जलाप्लावित क्षेत्रों, विशेषकर फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र में स्थित ऐसे क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या अनुवर्ती कारंवाई की गयी है।

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) (I) उत्तर प्रदेश में जल जमाव क्षेत्र 57684 वर्ग कि. मी.

(II) फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र में जल जमाव क्षेत्र-539.50 वर्ग कि. मी.

(ग) जल जमाव और जल निकास की समस्या को दूर करने के वास्ते शुरू किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नवत् हैं :—

(I) सतही और भूजल का संयुक्त उपयोग

(II) सिंचाई प्रणालियों में पर्याप्त जल निकास उपलब्ध करना,

(III) सुभेद्य पहुंचों में नहरों और फील्ड चैनलों को पक्का करना,

(IV) जल प्रबन्ध की उन्नत पद्धतियां, और

(V) भविष्य में शुरू की जाने वाली सभी नयी परियोजनाओं में सिंचाई के समग्र अंग के रूप में जल निकास की व्यवस्था करना।

बिहार में नलकूप

3566. **श्री राम टहल चौधरी** :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) 1992-93 के दौरान विश्व बैंक की सहायता से बिहार में कितने नलकूपों का निर्माण किया जाएगा ;

(ख) इन नलकूपों का निर्माण कितने चरणों में किया जायगा ; और

(ग) विश्व बैंक ने इस कार्य के लिए कितनी राशि मंजूर की है और उसमें से कितनी राशि दे दी गयी है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) संशोधित क्रियान्वयन अनुसूची के अनुसार वर्ष 1992-93 के लिए नए नलकूपों का लक्ष्य निम्नवत् है :—

	घटक	1992-93 के लिए लक्ष्य
1.	नलकूपों की ड्रिलिंग और विकास	100
2.	पम्प घरों का निर्माण	115
3.	उन्नत टैंकों का निर्माण	115
4.	पाइप वितरण प्रणाली	115
5.	समर्पित विद्युत-लाइन द्वारा विद्युतीकरण	120

(ग) "बिहार सार्वजनिक नलकूप परियोजना" के लिए 59.5 मिलियन एस. डी. आर. की

ऋण सहायता प्रदान करने के वास्ते विश्व बैंक सहमत हो गया है। 31 अक्तूबर, 1991 तक 14.225 मिलियन डालर का कुल भुगतान किया गया।

खनन क्षेत्र का विकास

3567. श्री राम टहल चौधरी :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में खनन क्षेत्र के लिये कोई विकास जन्य लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन विकास जन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में खनन क्षेत्र के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलरामसिंह यादव) : (क) से (घ) सरकार ने अब आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992-97 निश्चित की है, किन्तु खान क्षेत्र के लिए लक्ष्यों और आबंटित की जाने वाली राशि के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

गुजरात तेल शोधक कारखाने में हाइड्रोक्रैकर परियोजना

3568. श्री अवध कुमार पटेल :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात तेल शोधक कारखाने का हाइड्रोक्रैकर परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह परियोजना कब तक शुरू हो जाएगी और इस परियोजना की लागत में अब तक यदि कोई वृद्धि हुई है तो कितनी ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) (क) : अक्टूबर, 1991 की स्थिति के अनुसार परियोजना के संबंध में हुई वास्तविक प्रगति 87% के लगभग था।

(ख) परियोजना के अक्टूबर, 1992 तक शुरू होने की सम्भावना है। संशोधित लागत अनुमानों के अनुसार सितम्बर, 1990 के मूल्यों से 122 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

सहायता

3569. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना के लिये विदेशी सहायता प्राप्त किए जाने हेतु केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) जी हां। इस परियोजना में जालोर और बाड़मेर सूखा प्रवण जिलों में 73,157 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई करने के लिए सरदार सरोवर परियोजना से 0.5 मिलियन एकड़ फुट नर्मदा जल का उपयोग करने की परिकल्पना की गयी है। सिंचाई के अलावा, यह परियोजना सिंचाई कमान के आस-पास के 124 गांवों में लगभग 3.13 लाख आबादी को पेयजल भी उपलब्ध करती है।

वर्ष 1989-90 के मूल्यस्तर पर इस परियोजना की अनुमानित लागत 467.53 करोड़ रुपए है। विश्व बैंक से अनुरोध किया गया है कि वे इस परियोजना को सहायता वाली सूची (पाइप लाइन) में शामिल करें लेकिन अभी तक उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

राजस्थान में छिड़काव सेटों को बढ़ावा देना

3570. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में तिलहन के बढ़ते हुए उत्पादन को देखते हुए वहां छिड़काव सेटों को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छिड़काव सेटों को राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम के सहायक कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) जी हां। छिड़काव (स्प्रिंकलर) सेटों का वितरण करना केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत आने वाले घटकों में से एक है। यह कार्यक्रम अन्य राज्यों के साथ-साथ राजस्थान में चल रहा है : 1991-92 के दौरान, राजस्थान के किसानों को 500 छिड़काव सेट बांटने के लिए 50 लाख रुपए का आबंटन किया गया है।

सूरतगढ़ ताप बिजली परियोजना को कोयले की सप्लाई

3571. श्री गिरधारी लाल भार्गव

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोयले की सप्लाई न किए जाने के कारण रुकी हुई सूरतगढ़ ताप बिजली परियोजना को कोयले की सप्लाई करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) और (ख), इस संबंध में प्रस्तावित सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह चरण-I (2×250 मे. वा.) के लिए दीर्घावधि कोयले के संयोजन को पहले ही नार्थ करणपुरा कोयला क्षेत्र से स्वीकृति दे दी गई है। इस विद्युत संयंत्र के लिए कोयले की आवश्यकता वर्ष 1995-96 के बाद शुरू होने की संभावना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सिलेण्डर ढोने वाले रसोई गैस के टैंकरों के लिए सुरक्षा उपाय

3572. **श्री मदनलाल खुराना :**

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देशों में राज्यवार तथा संघ राज्य वार कितने रसोई गैस के टैंकर तथा अन्य सिलेण्डर खतरनाक उत्पादों को ढोते समय दुर्घटनाग्रस्त हुए जिसके परिणामस्वरूप कई लोग घायल हुए तथा कई मारे गये;

(ख) क्या रसोई गैस के टैंकर ले जाने वाले टैंकर सुरक्षा/सावधानी के उपायों के बिना चलते हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं और इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि खतरनाक और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले टैंकर उचित सुरक्षा/सावधानी के उपाय किये बिना न चलें, और

(घ) उक्त प्रकार की घटनाओं में मारे गये अथवा घायल हुए लोगों के परिवारों को दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उद्योगों से संबंधित 25 घटनाएं दर्ज हुई। राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा इस प्रकार से है—

क्रम सं.	राज्य/सं. रा. क्षेत्र.	घटनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	गुजरात	2
3.	गोवा	1

1	2	3
4.	केरल	1
5.	कर्नाटक	1
6.	मध्य प्रदेश	1
7.	पंजाब	3
8.	तमिलनाडु	1
9.	महाराष्ट्र	8
10.	राजस्थान	2

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) समस्त ट्रान्सपोर्ट कान्ट्रेक्टर उत्पादों को कम्प्रीहेन्सिव/थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अन्तर्गत करते हैं। बायल/कम्पनियों द्वारा अलग से कोई प्रति पूर्ति नहीं की जाती ।

नेयवेली लिग्नाइट खानों में तथाकथित अनियमितताएं

3573. श्री मदनलाल खुराना

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेयवेली लिग्नाइट खानों से काफी मात्रा में लिग्नाइट गायब पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) सरकार ने इन खानों में चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या नेयवेली लिग्नाइट खानों के कार्यकरण में किन्हीं अनियमितताओं का पता चला है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) से (ङ) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की खान-II में चक्रवात के बाद भारी वर्षा आने के कारण दिनांक 14 तथा 15 नवम्बर, 1991 को जलमग्न हो गई। उप कोयला मंत्री के मौके पर ही जायजा लेने संबधी दौरे के दौरान दिनांक 23-11-91 को नेयवेली के तापीय विद्युत गृह-II की खान-II में लिग्नाइट के स्टाक में कुछ विसंगति की बात नोटिस में आई थी। इस मत्रालय के संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति की नियुक्ति कर दी गई जो कि नोटिस में लाई गई विसगति के संबंध में जांच करेगी। संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस संबंध में आगे उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

पशु प्लेग रोग

3574. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या है जिन्हें पशु प्लेग रोग से मुक्त घोषित किया गया है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पशु प्लेग रोग उन्मूलन हेतु राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. लेंका) : (क) किसी भी राज्य/संघ शासित क्षेत्र को पशु प्लेग रोग से मुक्त घोषित नहीं किया गया है, यद्यपि भिन्न-भिन्न अवधियों में बहुत से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से इस रोग को घटना के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को मुहैया की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य	1988-9	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.69	12.50	30.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.51	5.00	5.00
3.	असम	3.00	11.00	19.00
4.	बिहार	6,75	12.50	17.50
5.	गोवा	2.00	5.00	5.00
6.	गुजरात	37.70	14.00	36.10
7.	हरियाणा	2.00	7.50	7.50
8.	हिमाचल प्रदेश	0.80	5.00	8.00
9.	जम्मू और कश्मीर	1.00	5.00	5.00
10.	कर्नाटक	0.50	12.00	47.00
11.	केरल	10.00	12.50	17.50
12.	मध्य प्रदेश	28.07	12.50	37.50

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	2.50	17.50	17.62
14.	मणिपुर	2.48	5.00	8.00
15.	मेघालय	2.00	5.00	5.00
16.	मिजोरम	6.33	5.00	5.00
17.	नागालैंड	2.00	5.00	5.00
18.	उड़ीसा	3.00	15.00	59.00
19.	पंजाब	—	5.00	15.00
20.	राजस्थान	4.00	15.00	15.00
21.	सिक्किम	1.80	5.00	30.00
22.	तमिलनाडु	10.44	17.50	24.50
23.	त्रिपुरा	2.00	5.00	6.00
24.	उत्तर प्रदेश	22.78	17.50	45.00
25.	पश्चिम बंगाल	19.38	11.50	13.50
संघ शासित क्षेत्र				
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.25	0.75	1.00
2.	चण्डीगढ़	0.11	0.75	1.00
3.	दादर और नगर हवेली	0.11	—	—
4.	दमन और दीव	—	—	—
5.	दिल्ली	4.54	3.50	5.00
6.	लक्षद्वीपीय	—	—	—
7.	पांडिचेरी	3.00	4.50	4.00

उर्वरकों और कीटनाशकों की खपत

3575. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1991 को स्थिति के अनुसार देश के सिंचित और वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में एन पी के उर्वरकों और कीटनाशकों की प्रति हैक्टेयर खपत कितनी है,

(ख) क्या उर्वरकों की कीमतों में हाल ही में की गई वृद्धि से इनकी खपत पर प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) सरकार का उर्वरकों और जैविक खादों की खपत बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1990-91 के दौरान देश में उर्वरकों और कीटनाशकों की प्रति हैक्टेयर खपत क्रमश: 72.75 कि.ग्रा. और 400 ग्राम होने का अनुमान लगाया गया है। सिंचित और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में होने वाली खपत के आंकड़े पृथक से एकत्र नहीं किये जाते।

(ख) तथा (ग) 1990-91 के दौरान 12.576 मिलियन मीटरी टन पोषक तत्वों की अनुमानित खपत की तुलना में 1991-92 के दौरान उर्वरकों की खपत लगभग 13.5 मिलियन मीटरी टन होने की संभावना है जो एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है।

(घ) देश में उर्वरकों और जैव उर्वरकों की खपत को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं।

(1) 1991.92 के दौरान उर्वरकों पर राज सहायता देने की एक योजना 405 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की गई ताकि छोटे और अत्यन्त छोटे किसानों को पुराने मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराये जा सकें।

(2) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि दस मीटरी टन तक के उर्वरक के स्टाक वाले उर्वरक विक्रेताओं को पंजीकरण कराने से छूट दी जाये।

(3) किसानों को उर्वरकों के प्रयोग के संबंध में सलाह देने के लिए देश में लगभग 463 मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें कार्य कर रही हैं।

(4) सूक्ष्मपोषक तत्वों सहित संतुलित उर्वरण अपनाने के लिये समय-समय पर राज्य सरकारों को कहा जाता है।

(5) राज्यों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे जैव उर्वरक का अधिकाधिक उत्पादन करें और उसे रासायनिक उर्वरकों के साथ समेकित रूप से प्रयोग में लायें।

विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस की बैठक

3576. श्रीमती वासवा राजेश्वरी

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस की एक उच्च तकनीकी बैठक में भाग लेने के लिए लन्दन सहित कई देशों का दौरा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया है और उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। उन्होंने उस विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस में भाग लिया जिसमें दूसरे देशों के मन्त्रियों ने भी भाग लिया था तथा जिसमें तकनीकी मामलों सहित पेट्रोलियम से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श किया गया था। विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस के लिए अर्जेंटीना और ओएनजी विदेश लि. के वियतनाम के अपतटीय क्षेत्रों में चल रहे अन्वेषण कार्यों के संबंध में वियतनामी सरकार के साथ विचार विमर्श के लिए वियतनाम का दौरा किया गया। सवन टोकियो और बैंकाक में ट्रांजिट विश्राम भी किये और विभिन्न वैसी तेल कंपनियों के साथ विचार विमर्श किये गये जो बोली के चौथे दौर में भाग लेने में अपनी गहरी रुचि रखती थी।

लघु इस्पात संयंत्रों को इस्पात छीलन की आपूर्ति

3577. श्रीमती बासवा राजेश्वरी :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लघु इस्पात संयन्त्र छीलन की आपूर्ति न होने के कारण बन्द होने के कगार पर हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा उन्हें इस्पात छीलन की आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) आयातित प्रगलन स्क्रैप की कमी के कारण लघु इस्पात संयन्त्रों में उत्पादन कार्य कुछ हद तक प्रभावित होगा।

(ख) पर्याप्त निर्बाध विदेशी मुद्रा की अनुपलब्धता के कारण इस वर्ष माध्यम एजेंसी, मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन के माध्यम से इस्पात प्रगलन स्क्रैप के आयात में कमी हुई है। मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन के माध्यम से स्क्रैप के आयात में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लघु इस्पात संयन्त्र भी निर्यात-आयात पत्र के द्वारा सीधे आयात कर सकते है।

भारतीय फर्मों के विरुद्ध जर्मन कम्पनियों से शिकायतें

3578. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बान मे भारतीय दूतावास को भारतीय उद्यमियों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि के विरुद्ध जर्मन कम्पनियों/फर्मों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ;

(ख) क्या कुछ भारतीय फर्मों/नियमों/कम्पनियों ने सरकार से अनुमति लिए बिना स्वयं के बचाव हेतु कानूनी नोटिस भी भेजे हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या इन वाणिज्यिक शिकायतों के कारण द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धों के भी प्रभावित होने की सम्भावना है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? और

(च) सरकार ने इस मामले के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) 1991 में, बोन स्थित भारतीय राजदूतावास को भारतीय उपक्रमियों/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, आदि के खिलाफ जर्मन कम्पनियों से 14 वाणिज्यिक शिकायतें मिली थी।

(ख) सरकार के पास इस मामले में कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) भारतीय कम्पनियों/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के खिलाफ जो भी वाणिज्यिक शिकायतें मिलती हैं उन सबको अनिवार्य रूप से संबंधित भारतीय कम्पनियों तथा नई दिल्ली स्थित मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक के कार्यालय के व्यापार विवाद सैल के ध्यान में लाया जाता है जो संगत नियमों और विनियमों के अन्तर्गत निहित मसलों के गुण-दोष के आधार पर प्रत्येक मामले पर कार्रवाई करता है ।

[हिन्दी]

कच्चे तेल की खरीद के लिए तेहरान गया शिष्टमण्डल

3579. **श्री जर्नादन मिश्र** :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में कच्चे तेल की खरीद के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के लिए एक शिष्टमण्डल तेहरान भेजने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) इस समय सरकार ने कच्चे तेल की खरीद के लिए किसी प्रतिनिधिमण्डल को तेहरान भेजने का निर्णय नहीं लिया है ।

[अनुवाद]

सरदार सरोवर परियोजना से सम्बन्धित स्वतंत्र पुनरीक्षा दल का ब्यौरा

3580. **प्रो. राम कापसे** :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर परियोजना से सम्बन्धित पुनर्वास तथा पर्यावरण मुद्दों की पुनरीक्षा हेतु

अक्तूबर/नवम्बर, 1991 के दौरान भारत के दौरे पर के आये स्वतंत्र पुनरीक्षा दल के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ख) क्या उक्त दल के दौरे का परियोजना हेतु विश्व बैंक सहायता/ऋण से कोई सम्बन्ध है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) स्वतंत्र पुनरीक्षा दल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा बम्बई में 25 अक्तूबर, को जारी किए गए वक्तव्य के अनुसार, इस दल ने ऐसे मुद्दे जो आगामी महीनों में सामने आएंगे, के विस्तृत मूल्यांकन के लिए सामान्य कार्यक्रम बनाकर अपनी जांच तथा पूर्वाभिमुखीकरण सोपान पूरा कर लिया है तथा इस दल की रिपोर्ट 31 मार्च, 1992 तक प्रकाशन हेतु तैयार हो जाएगी।

(ख) स्वतंत्र तथा व्यावसायिक राय जानने के उद्देश्य से विश्व बैंक द्वारा इस दल का गठन इसलिए किया गया था कि क्या किया जा रहा क्रियान्वयन सामान्य स्वीकार्य पुनर्वास और पर्यावरणिक नीतियों तथा भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच हुए करारों में व्यक्त की गयी आशाओं और संबंधित अभिकरणों एवं अधिकरणों के निर्णयों के अनुरूप वास्तविक रूप ले रहा है। इस दल की सिफारिशें पुनर्वास एवं पर्यावरण के क्षेत्रों में परियोजना क्रियान्वयन के सुधार के लिये उपयोगी होंगी।

[हिन्दी]

उत्तर बिहार में बाढ़ नियन्त्रण के बारे में भारत और नेपाल के बीच बातचीत

3581. श्री शिवशरण सिन्हा :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उत्तर बिहार में बाढ़ नियन्त्रण के बारे में हाल ही में नेपाल सरकार के साथ बातचीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तरी बिहार में बाढ़ों का प्रबन्ध करने हेतु अन्य बातों के साथ-साथ नेपाल में बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्र शीघ्र स्थापित करने की स्कीमें, नेपाल क्षेत्र के अन्दर सीमा पर कुछ बाढ़ तटबन्धों का विस्तार, कोसी उच्च बांध के वास्ते विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहमति हुई है।

[अनुवाद]

पैकेजिंग मेटिरियल

3582. श्री नवल किशोर राय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान एन. पी, सी एल द्वारा दुग्ध और दुग्ध उत्पादों, जूस, जूस पर आधारित पेय पदार्थ तथा वनस्पति तेलों के कितने पैकों का उत्पादन किया गया है ;

(ख) 1990-91 के दौरान इन पैकों की उत्पादन लागत और आय कितनी थी ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने कागज और एल. डी. पी. ई. की खपत हुई ;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की एल. डी. पी. ई. का आयात किया गया ; और

(ङ) इस परियोजना से अब तक कितना निवल लाभ/घाटा हुआ और आयात की गई मशीनों तथा सामग्री के लिए कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई और कितनी रायल्टी का भुगतान किया गया/भुगतान किया जाना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. सी. लेंका) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के दौरान, एन. पी. सी. एल., इटोला ने 3134 लाख रुपए की लागत से 200 मि. लीटर और अन्य समतुल्य वजन के कुल 432·45 मिलियन पैकों का उत्पादन किया जिनकी बिक्री से 3141 लाख रुपए का निवल राजस्व अर्जित किया।

(ग) गत तीन वर्षों के लिए कागज और एल. डी. पी. ई. की वर्षवार खपत निम्न प्रकार है : —

	कागज	एल. डी. पी. ई. (मी. टन)
1988-89	2545.25	1072.85
1989-90	3021.42	1047.83
1990-91	3383.19	1006.48

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आयातित एल. डी. पी. ई. की मात्रा और कीमत नीचे दी गई है :—

	मात्रा (मी. टन)	सी आई एफ कीमत (लाख रुपये)
1988-89	400	07.735
1989-90	200	36.346
1990-91	शून्य	शून्य

(ङ) इस परियोजना का निवल लाभ 55.6 लाख रुपये होने की सम्भावना है।
इस परियोजना पर विदेशी मुद्रा में निम्न प्रकार से खर्च हुआ है—

सामग्री	—	831 लाख रुपए
मशीनें	—	295 लाख रुपए

कुल अदा की गई रायल्टी 6.5 लाख रुपए है। आज की स्थिति के अनुसार देय रायल्टी शून्य है।

[हिन्दी]

हरियाणा में रसोई गैस एजेंसियां

3583. श्री शिवशरण सिन्हा :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में रसोई गैस की जिलावार कुल कितनी एजेंसियां है ;

(ख) क्या हरियाणा में रसोई गैस एजेंसियों की संख्या अपर्याप्त है ; यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1992 के दौरान हरियाणा के कौन-कौन से जिलों में रसोई गैस एजेंसियां खोले जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) विपणन योजना, उत्पाद की उपलब्धता, आदि के अनुसार देश के विभिन्न स्थानों पर नयी एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोली जाती हैं। तेल कंपनियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 1-10-1991 की स्थिति के अनुसार हरियाणा के विभिन्न जिलों में कुल 11 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें थी।—

अम्बाला	—	21
भिवानी	—	5
फरीदाबाद	—	17
गुड़गांव	—	7
हिसार	—	10
जींद	—	4
कैथल	—	1
करनाल	—	14
कुरुक्षेत्र	—	5
महेन्द्रगढ़	—	3
पानीपत	—	1
रिवाड़ी	—	2

रोहतक	—	11
सिरसा	—	5
सोनीपत	—	7
यमुनानगर	—	6
	जोड़	119

[अनुवाद]

दिल्ली में गैस पर आधारित वाहनों को चलाने के लिए सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस

3584. श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसों में परीक्षण के तौर पर गैस पर आधारित वाहन चलाने हेतु सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस उपलब्ध न कराने के लिए भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के कर्मचारियों की निन्दा की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड ने ऐसा करने से अपनी असमर्थता व्यक्त की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) उच्चतम न्यायालय ने अधिकारियों की निन्दा करने से सम्बन्धित अपने निर्देश का स्मरण दिलाया है।

(ग) जी, नहीं । दिल्ली में ऐसे परिचालन की तकनीकी साध्यता और वाणिज्यिक व्यावहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए दोहरी ईंधन प्रणाली पर दिल्ली परिवहन निगम की पांच बसों को चलाने के लिए गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा संपीडित गैस उपलब्ध कराया जाएगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

बासमती चावल में लकुन

3585. श्री जीवन शर्मा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बासमती चावल में सड़न के कारण इसका निर्यात व्यापार प्रभावित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने बासमती चावल से सड़न का उन्मूलन करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) बासमती चावल में सड़न (कंकर) जैसा कोई रोग नहीं है, इसलिए निर्यात व्यापार पर उक्त रोग के बुरे प्रभाव का प्रश्न ही नहीं होता ।

[अनुवाद]

विदेश मन्त्री और विदेश सचिव की विदिश यात्राएं

3586. श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने, विदेश सचिव तथा मन्त्रालय के अन्य सचिवों 1 जुलाई से 15 नवम्बर, 1991 तक की अवधि के दौरान जो विदेश यात्राएं की है, उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऐसी प्रत्येक यात्रा के क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) इन यात्राओं पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ।

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) यह सूचना सदन की मेज पर रखे गए विवरण-I, II, III तथा IV में दी गई है ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

विवरण-I

विदेश मन्त्री की विदेश यात्राओं का ब्यौरा

(1-7-91 से 15-11-91 तक)

क्रम सं.	जिस देश की यात्रा की	यात्रा की तारीख
1	2	3
1.	मालदीव	3-7-91—4-7-91
2.	मारिशस	9-8-91—11-8-91
3.	सिंगापुर	12-8-91
4.	घाना	2-9-91—7-9-91
5.	कीनिया	9-9-91—10-9-91
6.	जर्मनी	18-9-90—20-9-91

1	2	3
7.	यू. के.	20-9-91—23-9-91
8.	न्यूयार्क (संयुक्त राष्ट्र)	23-9-91 29-9-91
9.	कनाडा	30-9-91—3-10-91
10.	जिम्बाबे	15-10-91—22-10-91
11.	फ्रांस	23-10-91—25-10-91
12.	ईरान	9-11-91—12-11-91
13.	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	14-11-91—18-11-91

विवरण-II

विदेश सचिव की विदेश यात्राओं का ब्यौरा

(1-7-91 से 15-11-91 तक)

क्रम सं.	जिस देश की यात्रा की	यात्रा की तारीखें
1.	मालदीव	30-6-91 —4-7-91
2.	नेपाल	3-8-91—5-8-91
3.	जर्मनी	5-9-91—7-9-91
4.	न्यूयार्क (संयुक्त राष्ट्र)	23-9-91—30-9-91
5.	नेपाल	8-10-91—10-10-91
6.	पाकिस्तान	29-10-91— 1-11-91
7.	सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ	14-11-91—18-11-91

विवरण III

सचिव (पूर्व) की विदेश यात्राओं का ब्यौरा

(1-7-1991 से 15-11-91 तक)

क्रम सं.	जिस देश की यात्रा की	यात्रा की तारीखें
1.	मंगोलिया	7-7-91—12-7-91
2.	कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य	19-7-91—23-7-91
3.	मारिशस	7-8-91—13-8-91
4.	थाईलैंड	2-7-91—31-8-91
5.	न्यूयार्क	19-9-91—22-9-91
6.	पेरिस	20-10-91— 25-10-91

विवरण-IV

सचिव (पश्चिम) की विदेश यात्राओं का ब्यौरा

(1-7-81 से 15-11-91 तक)

क्रम सं.	जिन देशों की यात्रा की	यात्रा की तारीख
1.	पाकिस्तान	26-10-91—29-10-91
2.	ईरान	9-11-91—12-11-91

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना

3587. श्री शिव चरण माथुर :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को हर दृष्टि से आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा किया जाना था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और इसे पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है ; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए किन-किन विभिन्न स्रोतों से धन उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) वर्ष 1984 की परियोजना के अनुसार, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को वर्ष 1994-95 तक पूरा करने का प्रस्ताव है। परियोजना का चरण-I पूरा हो गया है। तथापि लागत में बढ़ोत्तरी, जल मार्गों को पक्का करने के निर्णय से परियोजना के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन आने, परियोजना कार्यकलापों के एक भाग के रूप में सड़क, मार्केट, पेयजल आपूर्ति और वनरोपण को अनिवार्य रूप से शामिल करने पर अवसंरचनात्मक कार्यों की कमी की वजह से बस्तों के निर्माण की धीमी प्रगति जैसे विभिन्न कारणों से अब राज्य सरकार ने यह निर्धारित किया है कि निधियां उपलब्ध होने पर परियोजना के चरण-II के पूरा करने का कार्य दसवीं योजना तक बढ़ जाएगा। तथापि, उन्होंने नहर के शेष कार्यों की अद्यतन लागत तथा जलमार्गों को पक्का करने की लागत के साथ संशोधित अनुमान को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(ग) यह परियोजना, जो छठी योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही है, नहर कार्यों और जल मार्गों के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रही है। वर्ष 1985-91 की अवधि के दौरान इस परियोजना के वास्ते निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता प्रदान की गयी :—

	सातवीं योजना के दौरान	1990-91
		(करोड़ रुपये में)
कमान क्षेत्र विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित	45.60	19.99

स्कीम के अन्तर्गत जल मार्गों के लिए नहर कार्यों के लिए

(i) अग्रिम योजना सहायता	45.00	—
(ii) सूखा राहत सहायता	20.00	—
(iii) सीमा क्षेत्र विकास अनुमान	60.70	28.60
नहर कार्यों के लिए कुल	1.5.70	28.60

मछली जीन बैंक

3588. श्री पी. एम. सईद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस में स्थापित किए जाने वाले मछली जीन बैंक में मछलियों की किन-किन प्रजातियों को शामिल किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी लेंका) : महोदय, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा स्थापित किए जाने वाले जीन बैंक में टार पिच्यूटोरा, टॉर खुद्री और टार टार की महासीर प्रजातियों तथा भारतीय बड़ी मछलियों की कटला कटला, लिबियो रोहिता और सिरहिनस मृगला प्रजातियों को शामिल करने का प्रस्ताव।

[हिन्दी]

विदेश यात्राएं

3589. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने अपना पद धारण करने के बाद से किन-किन देशों की यात्रा की हैं; और

(ख) इन यात्राओं का उद्देश्य क्या था और इससे उन पर तथा उनके व्यक्तिगत स्टाफ पर पृथक-पृथक कितना व्यय हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) तथा (ख) माननीय कृषि मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने के बाद किये गए सरकारी दौरों का विवरण निम्न प्रकार है :—

(1) माननीय कृषि मंत्री ने 10-12 सितम्बर, 1991 को लाठीजा में हुए मंत्रालयी स्तर के दूसरे विश्व मात्स्यिकी सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्पेन का दौरा किया था। इस दौरे हेतु कृषि मंत्री के लिए स्वीकृत व्यय 85, 217.00 रुपये तथा उनके साथ जाने वाले उनके वैयक्तिक स्टाफ के लिए 4,826.00 रुपए था।

(2) माननीय कृषि मंत्री ने राष्ट्र मण्डल के कृषि मंत्रियों की बैठक तथा रोम में आयोजित

26वीं कृषि एवं खाद्य संगठन के सम्मेलनों में भाग लेने के लिए इटली का दौरा किया। इस दौरे के दौरान, उन्होंने, कृषि क्षेत्र में गैर-आवासी भारतीयों के निवेश की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए "यूनाइटेड किंगडम" तथा "यूनाइटेड अरब—अमीरात" का भी दौरा किया। माननीय कृषि मंत्री के 6 से 15 नवम्बर, 1991 तक के इस विदेशी दौरे के लिए स्वीकृत व्यय 2,25,150.00 रुपए था इस दौरे के दौरान, उनके वैयक्तिक स्टाफ का कोई सदस्य उनके साथ नहीं गया था।

[अनुवाद]

विष मुक्त केशरी दाल

3590. डा. सी. सिलवेरा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विष मुक्त केशरी दाल उपलब्ध कराने के लिए अनुसंधान कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य खाद्यान्नों को विष मुक्त करने के लिए भी अनुसंधान किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) भविष्य में ऐसे अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश के रायपुर केन्द्र की अखिल भारतीय समन्वित दलहन सुधार प्रायोजना तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के तहत कम तंत्रिका विषाक्तता न्यूरोटाक्सिन वाली केशरी दाल की किस्मों के विकास अनुसंधान कार्य प्रगति पर है। इनमें से कुछ प्रजातियों का बहुस्थानीक परीक्षण भी किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) सोयाबीन में ट्रिप्सिन निरोधक पाये जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। ये निरोधक ताप से प्रभावित होते हैं तथा उन्हें निष्क्रिय करने के लिए प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

(ङ) संबंधित संस्थाओं/केन्द्रों को उनकी अनुसंधान आवश्यकताओं के आधार पर सुविधाएं मुहैया करायीं गई हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा

3591. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र महासभा के चालू अधिवेशन की कार्य-सूची क्या है;

(ख) भारत के लिए विशेष रुचि की मदें कौन-कौन सी हैं;

(ग) इन मदों पर गुट-निरपेक्ष देशों की तथा तीसरी दुनिया के देशों की और अन्तर्राष्ट्रीय आम सहमति जुटाने में भारत ने क्या भूमिका निभायी;

(घ) संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए शिष्टमंडल में कौन-कौन लोग होंगे; और

(ङ) इस शिष्टमण्डल पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौजूदा अधिवेशन की कार्य सूची में 130 से भी अधिक मदें थीं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, निरस्त्रीकरण, आर्थिक सहयोग और विकास, मानवाधिकार, सामाजिक मसले, प्रशासनिक और कानूनी प्रश्न और चुनाव जैसे विभिन्न मसले शामिल थे।

(ख) भारत इन सभी मसलों में रुचि रखता है।

(ग) भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने कई राजनैतिक और विकासीय मसलों पर एक समान स्थिति बनाने के लिए गुट-निरपेक्ष और ग्रुप 77 की बैठकों में सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाई है। ग्रुप 77 की एक विज्ञप्ति को मंत्री स्तर पर पारित किया गया था जिसमें विकास और आर्थिक सहयोग के मसलों पर इन देशों के समान दृष्टिकोण को प्रतिलक्षित किया गया था। भारतीय प्रतिनिधमंडल ने कई मसलों पर अन्तराष्ट्रीय सर्वानुमति को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अन्य देशों और ग्रुपों के साथ व्यापक बातचीत भी की है।

(घ) भारतीय प्रतिनिधिमंडल की संरचना नीचे लिखे अनुसार है :

1. श्री माधवसिंह सोलंकी
   विदेश मन्त्री
2. श्री सी. आर. गरेखान,
   स्थायी प्रतिनिधि,
   भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क
3. श्री ए. बी. वाजपेयी, संसद सदस्य,
4. श्री आर. एन. मिर्धा, संसद सदस्य
5. श्री विश्वजीत पी. सिंह, संसद सदस्य
6. श्री आर. आर. साहू, संसद सदस्य
7. श्री कपिल वर्मा, संसद सदस्य
8. श्री अबरार अहमद, संसद सदस्य
9. श्री देवी प्रसाद पाल, संसद सदस्य
10. श्री मणिशंकर अय्यर, संसद सदस्य
11. श्री वेंकेटेश्वर राव, संसद सदस्य

12. श्री एम. दुबे, विदेश सचिव

13. श्री प्रकाश शाह

स्थायी प्रतिनिधि
भारत का स्थायी मिशन,
जेनेवा

14. श्री टी. पी. श्रीनिवास,
संयुक्त सचिव (यू. एन.)

15. श्री टी. प्रभाकर मेनन,
उप स्थायी प्रतिनिधि,
भारत का स्थायी मिशन,
न्यूयार्क

भारत का स्थायी मिशन न्यूयार्क में प्रथम सचिव और उससे ऊपर के ओहदे के सभी अधिकारी भी प्रतिनिधिमंडल का अंग होते हैं।

(ङ) प्रतिनिधिमंडल पर लगभग 39 लाख रुपए खर्च होने की उम्मीद है।

नारियल अनुसंधान और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी

3592. **डा. सी. सिलवेरा :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1991 में नारियल अनुसंधान और विकास पर एक अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस विचार-गोष्ठी में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उनमें से कितने अन्य देशों के थे;

(ग) उक्त बैठक में किन-किन देशों ने भाग लिया; और

(घ) उक्त विचार-गोष्ठी में क्या-क्या सिफारिशें की गईं; और

(ङ) सरकार ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) कुल 269 प्रतिनिधियों में से 49 विदेशों के थे।

(ग) आस्ट्रेलिया, ब्राजील, फिजी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, आइवरी कोस्ट, किरीबाती, फिलीपीन, पपुआ न्यूगिनी, श्रीलंका, तंजानिया, यूनाइटेड किंगडम (इंगलैंड), वियतनाम, पश्चिम समोआ और नीदरलैंड के प्रतिनिधियों ने विचार-गोष्ठी में भाग लिया।

(घ) जिन बैंकों के संदर्भ में प्रौद्योगिकी के उन्नयन, बौने जीनों और सूखा रोधी जीनों के

उपयोग; समेकित कीट प्रबन्ध, डी. एन. ए. को आधार, नारियल की लकड़ी के समग्र उपयोग आदि के बारे में कई सिफारिशें की गई हैं।

(ङ) कार्यवृत के स्वीकृत मसौदे की प्रतीक्षा है।

नेपाल के साथ व्यापार और पारगमन सन्धियां

3593. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को नेपाल से व्यापार और परिवहन के सम्बन्ध में अलग से समझौता करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) नेपाल के साथ द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग सहित व्यापार सहित सम्बन्ध सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी हां।

(ख) व्यापार और पारगमन पर भारत और नेपाल के बीच अलग-अलग संधियों पर 6 दिसम्बर, 1991 को हस्ताक्षर हुए हैं।

(ग) व्यापार और पारगमन संधियां तथा अप्राधिकृत व्यापार पर नियंत्रण रखने में सहयोग रखने सम्बन्धी करार सम्पन्न करने के अलावा, नेपाल द्वारा भारत को किए जाने वाले निर्यातों विशेषकर शुल्क मुक्त/कोटा मुक्त श्रेणी के सम्बन्ध में प्रवेश व्यवस्था को सुव्यवस्थित और उदार बनाने के लिए अनेक कदम उठाये गए हैं। इसीके भारत नेपाल संयुक्त उद्यमों के निर्यातों के लिए एक विशेष अनुकूल प्रवेश व्यवस्था कायम की गई है। इन सबसे भविष्य में भारत-नेपाल व्यापारिक सम्बन्धों में पर्याप्त सुधार होना चाहिए।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित उद्योग

3594. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे और उद्योग लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) चार।

(ख) जी हां हां।

(ग) और (घ) आगे किये जाने वाले आबंटन एच. बी. जे. पाइप लाइन के मार्ग में गैस की उपलब्धता पर निर्भर होंगे जिसके लिए पहले ही अधिक वचनबद्धता की जा चुकी है।

[अनुवाद]

काजू उत्पादकों को रियायती दरों पर उर्वरक

3595. श्री के. मुरलीधरन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार काजू उत्पादकों को रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने काजू का उत्पादन बढ़ाने के लिये कौन-कौन सी योजनायें तैयार की हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) तथा (ख) काजू के लिये केन्द्रीय क्षेत्र के समेकित कार्यक्रम के अन्तर्गत, 3000 रुपये प्रति हेक्टेयर को राजसहायता दी जाती है जिसे एक हेक्टेयर में काश्तकारों के लिये आवश्यक उर्वरकों की लागत माना गया है। यह राजसहायता 5 वार्षिक किश्तों में वितरित की जाती है।

(ग) काजू की खेती में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिये निम्न योजनायें हैं :

(1) क्लोनल रोपण सामग्री के साथ क्षेत्र विस्तार।

(2) पौध रक्षण उपाय अपनाना।

(3) क्लोनल रोपण सामग्री के उत्पादन के लिये केन्द्रों की स्थापना और उनका रख-रखाव।

(4) किसानों में क्लोनल काजू की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिये एक मार्गदर्शी परियोजना।

[हिन्दी]

कोयला क्षेत्रों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन

3596. श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय में क्षेत्रीय और जोनल स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान इन समितियों द्वारा किए गए कार्य का ब्योरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. बी. न्यामगोड) : (क) जी, हां। राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कोल इंडिया लि. के मुख्यालय स्तर पर और इसके अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में, जिनमें कर्मचारियों की संख्या 25 से अधिक है, कार्यरत है। कोल इंडिया लि. की सहायक कम्पनियों में भी इसी तरह की समितियां मुख्यालय, क्षेत्रीय तथा मंडलीय स्तर पर गठित की गई है।

(ख) इन समितियों द्वारा किये गये कार्यों का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

(1) इन समितियों की बैठकें नियमित रूप में की जा रही हैं ;

(2) हिंदी में अधिक मात्रा में पत्राचार किया जा रहा है ;

(3) राजभाषा विभाग द्वारा चालित इंदिरा गांधी पुरस्कार योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि. के अधिकारियों द्वारा लिखित एक पुस्तक "कोयले की गवेषणा" को द्वितीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है ;

(4) इस अवधि में भारत कोकिंग कोल लि, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ;

(5) "खान भारती" का प्रकाशन कोल इंडिया लि. द्वारा और "कोयला भारती" का प्रकाशन भारत कोकिंग कोल लि. द्वारा किया जा रहा है ;

(6) पुस्तकालयों द्वारा हिंदी की अधिक पुस्तकों की खरीद की जा रही है ;

(7) कोयला कम्पनियों में हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह आदि का आयोजन किया गया ;

(8) नागपुर, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. को राजभाषा ट्राफी, 1990 से पुरस्कृत किया गया ;

(9) कोल इंडिया लि. ने कलकत्ता, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कलकत्ता में बैठकों तथा समारोह, आदि का आयोजन किया।

बारसिंगपुर ताप विद्युत संयंत्र के कारण भूमि से बेदखल हुए किसानों को मुआवजा

3597. श्री मनफूल सिंह :

श्री शिव चरण माथुर :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बारसिंगपुर ताप विद्युत संयंत्र का शिलान्यास कब तक किये जाने की संभावना है ;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने किसानों की भूमि अधिगृहीत की गयी है ;

(ग) यदि हां, तो कितने किसानों को मुआवजे का भुगतान किया गया है और कितने किसानों को अभी किया जाना है ;

(घ) सूरतगढ़ ताप विद्युत संयंत्र को कब मंजूरी दी गयी थी ;

(ङ) सूरतगढ़ ताप विद्युत संयंत्र के लिए इस वर्ष कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ; और

(च) इस ताप विद्युत संयंत्र की अनुमानित क्षमता कितनी होगी और इस पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एस. बी. न्यामगौड़) : (क) से (ग) बारसिंगसर खान (1.7 मि. ट.) सह-विद्युत परियोजना (2×120 मे. वा.) को अप्रैल, 1991 में सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। वर्तमान में बारसिंगसर परियोजना के शिलान्यास का कोई कार्यक्रम नहीं है।

ऐसे किसानों की संख्या, जिनकी जमीन बारसिंगसर परियोजना के लिए अधिगृहीत की गई है, 662 हैं। इनमें से 611 किसानों को पूरे मुआवजे का भुगतान कर दिया गया ; 15 को मुआवजे का भुगतान आंशिक रूप में किया गया है तथा 36 किसानों को अभी मुआवजे का भुगतान किया जाना है। इस सम्बन्ध में सभी शेष किसानों को पूर्ण मुआवजे का भुगतान करने की कारवाई की जा रही है।

(घ) से (च) सूरतगढ़ तापीय विद्युत संयंत्र (2×250 मे. वा.) चरण-I को सितम्बर, 1990 की कीमतों पर 205.16 करोड़ रु. की आई. डी. सी. की राशि सहित 1251.31 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर, 13 नवम्बर, 1991 को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। 9वीं योजना के दौरान परियोजना से लाभ प्राप्त होने की संभावना है। 8वीं योजना (1990-95) और वार्षिक योजना (1991-92) के सम्बन्ध में योजना विषय पर विचार-विमर्श के दौरान कार्यकारी दल ने योजना का अनुमोदन होने पर सूरतगढ़ परियोजना को 8वीं योजना के लिए 450 करोड़ रु. तथा वर्ष 1991-92 के लिए 30 करोड़ रु. की राशि व्यवस्था की सिफारिश की है।

12.00 म. प.

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के दो बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स आज संकट के दौर से गुजर रहे हैं। इन समाचार-पत्रों के मालिक, जो हिन्दी समाचार-पत्र नवभारत टाइम्स है, इसको केवल अंग्रेजी अखबार के अनुवाद के रूप में प्रसारित करना चाहते हैं। नतीजा यह है कि उसके सम्पादक सुरेन्द्र प्रताप सिंह त्याग-पत्र देने की स्थिति में हैं और लम्बी छुट्टी पर चले गए हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या वे निजी कम्पनी नहीं है । क्या हम उनके विषय में सभा में बहस कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : दीनानाथ मिश्र, जो चीफ हैं उन्होंने भी छुट्टी ले ली है और वे भी त्याग-पत्र देने वाले हैं । लगभग 2000 पत्रकार, जो वर्किंग जरनलिस्ट एक्ट है उसकी परिधि से बाहर रखे गए हैं । बन्धुआ मजदूर जैसी उनकी स्थिति है, कभी भी वे हटाए जा सकते हैं । आज पूरे हिंदुस्तान के समाचार जगत में और खास तौर से हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अनिश्चय की स्थिति है । जो हिन्दी समाचारों के पाठक हैं उनके सामने भी एक समस्या खड़ी हो गई है । क्योंकि नवभारत टाइम्स हिन्दी क्षेत्र का और हिन्दी पाठकों का सबसे अधिक प्रकाशित होने वाला अखबार है ।

ऐसी स्थिति में श्रीमन्, इस प्रश्न पर शासन की ओर से वक्तव्य आना चाहिए और इस बात का निर्देश देना चाहिए कि जो समाचार-पत्रों के मालिकान हैं उनके आपसी झगड़े का शिकार वहां के पत्रकार, उसमें काम करने वाले अखबारनवीस और पाठक न हों और इनके सामने अनिश्चय के वातावरण को समाप्त किया जाये . इस सदन की कमेटी इन दोनों समाचार-पत्रों के, टाइम्स आफ इंडिया को 100 वर्षों से अधिक हो गए और पांचवे दशक में नवभारत टाइम्स चल रहा है, हिन्दी पाठकों की समस्या को देखते हुए सदन की कमेटी जाए और उनकी हालत के बारे में एक विवरण इस सदन के सामने देकर शासन को इस बात के लिए प्रतिबद्ध किया जाए कि टाइम्स आफ इंडिया और नवभारत टाइम्स समाचार-पत्र के क्रिया कलाप के बारे में शासन हस्तक्षेप करे और और वर्किंग जर्नलिस्टस की हालत को सुधारे ।

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : श्रीमन् एन ए. सी. (एस.टी.) के कार्यकारी अधिकारी के निवेदन पर मैं टिम्बोर कालोनी, राउरकेला, की सरला महिला समिति के अध्यक्ष के बदलाव से सम्बन्धित विषय पर चर्चा के लिए 2.11.1991 को सायं 2.30 बजे उनके कार्यालय में गया था । जब चर्चा जारी था, तो कुछ 20 गुंडे जबरदस्ती हाल में आ गए और महिलाओं के साथ छेड़खानी की । इतना ही नहीं महिलाओं को तथा मुझे भद्दी गालियां दीं : वे अपने साथ कार्यकारी अधिकारी को भी ले गए ।

अचानक ही कुछ और गुंडे दरवाजे पर आ गए और हम पर पथराव आरम्भ कर दिया । उन लोगों ने कानून और व्यवस्था की समस्या खड़ी कर दी और मेरी गिरफ्तारी की मांग भी की । श्री आर. के. बिसवाल डयूटी डी. एस. पी. ने मेरे साथ करीब 1 0 महिलाओं और 100 पुरुषों को गिरफ्तार किया । हम लोगों को सायं 6 बजकर 30 मिनट पर पुलिस गाड़ी में सैक्टेयर सात के पुलिस थाने पर ले जाया गया । और फिर 3-11-1991 को प्रातः 4 30 बजे तक हमें रोककर रखा गया । पूरी रात बारिश होती रही और हमें पुलिस थाने के बरामदे में रात भर बिठाकर रखा गया

था। जिला सिविल और पुलिस प्रशासन ने इतनी भी आवश्यकता नहीं महसूस की कि वह थाने जाए इस समस्या का समाधान करें। जिला अधिकारी उस समय राउरकेला में ही मौजूद थे। लेकिन वह भी थाने नहीं आए :

अध्यक्ष महोदय, इस सम्मानीय सभा बाड में मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए और उन अधिकारियों के विरुद्ध यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए, जो इस प्रकार की घटना के लिए जिम्मेदार थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सारे बैठ जायें, मैं किसलिए उठा हूं। यह बिल्कुल बेकार की बात है, मैं किसलिए उठा हूं यह समझ लीजिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। यह बात हमारी जानकारी में लाई गई है। मैंने इस पर 8-11-91 को स्पष्टीकरण मांगा था। 15-11-91, 19-11-91, 2 -11-91 और 25-11-91 को स्मरणपत्र भेजे गए हैं। इसके पश्चात् कारण बताओ सूचना कि विशेषाधिकार सूचना क्यों नहीं स्वीकार किया जाए भेजा गया था ···।

[अनुवाद]

6.12.91 और फिर 12.12.91 को दुबारा पत्र भेजे गए।

अनेक पत्र भेजे जाने के बावजूद भी कुछ नहीं किया गया। इसीलिए, मैं यह मामला कड़ी कार्यवाही किए जाने हेतु विशेषाधिकार समिति को भेज रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : क्या आपने मामले को प्रिवीलेज समिति को भेजा है, लेकिन आप चाहें और सदन की स्वीकृति हो तो इस पर तत्काल कार्यवाही हो सकती है, उस अफसर को सदन में बुलाया जा सकता है और उसको झाड़ लगाई जा सकती है (व्यवधान)··· यह प्राइमा फेसी केस बनता है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी एम. सईद (लक्षद्वीप) : सम्बन्धित अधिकारियों को सभा के समक्ष लाया जाना चाहिए और उन्हें दण्ड देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम उनसे रिपोर्ट मांगेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, आप मुझे रेगुलेटरी पद्धति से काम करने दें। जो वाजपेयी साहब ने कहा है, पाणिग्रही जी भी कह रहे हैं और सभी कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं।

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : हम लोगों को कोई आब्जेक्शन नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : सारे सदन की भावना मुझे वही नजर आती है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं कि मैं आपके विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। मैं यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेज रहा हूं और मैं विशेषाधिकार समिति से अनुरोध करूंगा कि वे कम से कम समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। और यदि विशेषाधिकार समिति यह निष्कर्ष निकालती है कि कोई गलती हुई है—वास्तव में गलती है—तो हम उस पर कड़ी कार्यवाही करेंगे ।

लेकिन, इसके साथ ही, हम यह देखें कि उन्हें क्या कहना है और यह आखिरी अवसर है; इससे अधिक अवसर नहीं दिया जाएगा। ऐसा न लगे कि हम किसी की पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं। यह आखिरी अवसर होगा।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, हरिजन आदिवासी जाति की तरह नाई जाति हमारे देश में है। जिनकी संख्या लाखों में है। वे भूमिहीन हैं और उनके पास घर के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि नाई जाति को अनुसूचित जाति के साथ जोड़ा जाए और जो सुविधायें हरिजन आदिवासी लोगों को दी जाती हैं, नौकरियों में या अन्य जगहों में, उसी तरह से नाई जाति को भी दी जायें जिससे उनको भी समाज में सम्मान प्राप्त हो सके।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : अध्यक्ष जी, आश्चर्य का विषय है कोई भी खेल प्रतियोगिता एवं एकता के दृष्टिकोण से खेला जाता है। लेकिन हिन्दुस्तान में जिस तरह खेल की दुनिया में विभिन्नता घुस गयी है, यह बड़ा दुखद है। आज हमारे यहां कुश्ती के लगभग 100 नये एवं पुराने पहलवानों की बैठक हुई। उस बैठक में उन्होंने अपनी बुनियादी व्यथा बताई। उनमें बहुत रोष था। चूंकि मैं इस खेल का खिलाड़ी रहा हूं, इसलिए मुझे इस खेल पर गर्व है और मैं इसकी बुनियादी समस्याओं को जानता हूं। जो खिलाड़ी दूसरे खेल में जो तथाकथित शहरी खेल हैं, जिन्हें तमाम प्रचार प्रसार और सुविधायें मिली हुई हैं, जिनके खिलाड़ियों को ओलम्पिक में मैडल मिला, उन्हें हिन्दुस्तान की सरकार ने भी अपने पद्मश्री जैसे अवार्डों से विभूषित किया। लेकिन दूसरे ग्रामीण खेल और खिलाड़ी जैसे कुश्ती खेलने वाले खिलाड़ी जो ओलम्पिक में मैडल प्राप्त किए उन्हें अभी

तक भारत सरकार ने कोई पद्मश्री जैसे अवार्ड का सम्मान नहीं दिया। जो भी खेल संघ की व्यवस्था की दृष्टि से पदाधिकारी बनाये गए हैं, वे चाहे ओलम्पिक के हों, चाहे कुश्ती के हों, चाहे हाकी के हों

17.11 म. प.

(उपाध्यक्ष महोदय : पीठासीन हुये)

चाहे एथेलेटिक्स हो, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस खेल संघों की व्यवस्था में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं लेकिन जो व्यक्ति कभी उस तरह का खेल खेला नहीं होता, उसके बारे में कुछ जानता नहीं होता बतौर पदाधिकारी उस खेल की विकास की दृष्टि से कैसे सोच सकता है। इसलिए खेल की दुनिया में भारत का सम्मान दिनों दिन नीचे गिरता आ रहा है।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस तरह के खेल संघ की व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं? इस तरह की अव्यवस्था को देखते हुए आज पहलवानों ने रोष व्यक्त करते हुए यहां तक कह कर एक प्रस्ताव किया कि सारे हिन्दुस्तान के पहलवानों का एक सम्मेलन किया जाएगा जिसमें लोकसभा अध्यक्ष प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति एवं विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित किया जायेगा और उसमें अपनी बुनियादी समस्याओं और व्यथाओं को हल करने का आग्रह किया जाये। इसके लिए सरकार क्या उपाय करेगी, इसके बारे में सरकार से सम्मेलन में प्रस्ताव किया जायेगा। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है। आप इसके बारे में निर्देश जारी करें कि यह सरकार इस समस्या के निराकरण के लिए क्या कर रही है?

[अनुवाद]

श्री पी. एम. सईद : उपाध्यक्ष महोदय, आपको आप कृपया याद करें कि मैंने लक्षद्वीप में सिपाहियों की भर्ती के मामले को उठाया था। यह पहली बार नहीं है कि मैंने यह मुद्दा उठा रहा हूं। पिछले सप्ताहों में भी, इसी सत्र में ही मैंने इस बारे में उल्लेख किया था।

अब ऐसा लगता है कि गृह-मंत्रालय के अधिकारी इस मामले को दबाकर बैठे हुए हैं। वे नहीं जानते कि दूर-दराज के द्वीपों में क्या हो रहा है। तनाव बुरी तरह से बढ़ रहा है। गृह मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि लक्षद्वीप से ही सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। अब यह स्थिति है कि 45 प्रतिशत सिपाही आस-पास से लिए गए हैं और 55 प्रतिशत सिपाही बाहर से भर्ती किए गए हैं यहां पहले ही गुप्त संगठन है जो कि देश की एकता के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। मैंने मंत्रालय को पर्याप्त पूर्व सूचना भेज दी है। तब भी वे कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इस सभा के बीचोबीच बैठने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। (व्यवधान) वे 16 तारीख को फिर भर्ती करने जा रहे हैं। इसलिए मैं इस सभा के बीचोबीच बैठ रहा हूं। मैं मानने वाला नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री सईद का पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं भी उनके साथ सभा के बीचोंबीच बैठूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री मनोरंजन भक्त : केन्द्र सरकार इस तरह से संघ शासित क्षेत्र के छोटे द्वीप समूहों के साथ व्यवहार करती है। मैं भी उनके साथ बैठूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, यह ठीक नहीं है। (व्यवधान) यहां अन्य लोग भी हैं, जिनके पास महत्वपूर्ण विषय है।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) मैं भी इनके साथ बैठूंगा। (व्यवधान)

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय हम भी उनका समर्थन करते हैं। (व्यवधान)

12.13 म. प.

(इस समय, श्री पी. एम. सईद और और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गये।)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री आपके प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें :

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सिलसिला शुरू किया है, पी.एम. सईद जी इस सदन के काफी पुराने मेम्बर हैं, वे सीनियर मैंम्बर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुमार-मंगलम जी से कहूंगा कि इनकी जो दिक्कतें हैं इन दिक्कतों को दृष्टि में रखकर ये जो जवाब देंगे तो आगे चलकर हमारे इन भाइयों की तरह नार्थ ईस्ट के राज्यों में जो दूर-दराज लोग हैं, उनका भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। आपको उचित जवाब देना चाहिए ताकि इन लोगों का जो आपके दल के ही हैं, उनको शिकायत न हो और वे वल में आकर न बैठें : (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : होम मिनिस्टर को लाना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : क्या हम जवाब नहीं दे सकते है ? आप नहीं चाहते तो हम बैठ जाते हैं। क्या आपके लिए हम जूनियर हो गए हैं ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि उनकी शिकायतों को निश्चय ही न केवल गृह मंत्री के ध्यान में लाया जाएगा बल्कि निश्चय ही उसी समय में उनकी संतुष्टि के अनुरूप उसका समाधान भी किया जाएगा। जैसा कि उन्होंने बताया है कि यहां नयी भर्ती होने जा रही है। निश्चय ही मामले पर ध्यान दिया जाएगा।···(व्यवधान)···मैं आश्वासन देता हूं कि गृह मन्त्री निश्चय ही इस मामले पर विचार करेंगे और हम देखेंगे कि उनकी शिकायतें दूर हो गयी हैं। अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सभा के बीचोंबीच से उठ जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य अपने स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

12.17 म. प.

(इस समय, श्री पी. एम. सईद और कुछ अन्य सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मोहन सिंह जी ने जो कहा था, उस पर हमें बोलना है। मोहन सिंह जी ने जो मामला उठाया है हिन्दी पत्रकारिता के सम्बन्ध में कि जो हिन्दी पत्रकारिता का दिन पर दिन हरण हो रहा है और जिस तरह से बछावत कमेटी की रिपोर्ट टाली जाती है, उस पर हमें बोलना है। इस पर हम समय दीजिए। आज प्रेस की जो आजादी है, वह खतरे में है। फ्रीडम आफ प्रेस के ऊपर हम अपने विचार रखना चाहते हैं और उसकी हम निन्दा करना चाहते हैं हैं। इसलिए आप हमको समय दीजिए।

(व्यवधान)

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, एडीटर को निकाला जा रहा है। एडीटर को पब्लिशर और प्रिंटर बनाया जा रहा है···(व्यवधान)

श्री शरद यादव (माधेपुरा) : अध्यक्ष जी, यह मामला बहुत गंभीर है। इसे इस तरह से न टाला जाए। जो हम लोगों की भावना है, उसको सुना जाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अन्ना जोशी।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : श्रीमान, महाराष्ट्र राज्य में खाद्य तेल की कमी है, अतः इसे भारत सरकार द्वारा आयातित खाद्य तेल के आबंटन पर निर्भर करना पड़ता है। एक किलोग्राम प्रति

कार्ड की दर से महाराष्ट्र को 15,500 मीट्रिक टन प्रति माह की आवश्यकता होती है किन्तु विगत पन्द्रह माह की अपर्याप्त आपूर्ति को देखकर हमें आघात हुआ है। विगत ग्यारह माहों में 1,70,500 मिट्रिक टन खाद्य तेल की आवश्यकता थी जबकि कुल आपूर्ति केवल 12,600 मीट्रिक टन हुई। अतः सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि राज्य को 15,500 मिट्रिक टन प्रतिमास की दर से खाद्य तेल का वृहत्तर आवंटन किया जाय तथा अखिल भारतीय आवंटन को 26% की दर से आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अभी माननीय सदस्य, मोहन सिंह जी ने जो मामला सदन में उठाया, वह बहुत ही संवेदनशील है। नवभारत टाइम्स हिन्दी भाषा का एक दैनिक है। मैं मानता हूं कि भाषाई अखबारों में सर्वाधिक बिकने वाला यदि कोई समाचार पत्र है तो वह हिन्दी का नवभारत टाइम्स है। उसके एडीटर एस. पी. सिंह और चीफ ब्यूरो, श्री दीनानाथ मिश्रा है, इन दोनों व्यक्तियों को, अखबार का मैनेजमेंट कई प्रकार से तंग करके, उनके घर बिठालने का काम कर रहा है। माननीय मोहन सिंह जी ने जो सवाल उठाया, मैं उससे सहमत हूं कि ठेका प्रथा अकेले नवभारत टाइम्स या टाइम्स आफ इण्डिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं के बीच है। मतलब यह है कि इस संबंध में सरकार का जो एक्ट है, कानून है, उसकी सब तरह से अवहेलना करके, कान्ट्रेक्ट लेवल पर, पत्रकारों को बंधुआ मजदूर बनाने का सिलसिला पूरे देश के अखबारों में चला हुआ है। जितने भाषाई अखबार हैं, खासकर हिंदी भाषा के जितने अखबार हैं, उन्हें मात्र अनुवादित अखबार बनाने का बड़ा षड्यन्त्र पूरे देश में चला हुआ है। इण्डिया टुडे इस काम को पहले ही से कर रही है, परन्तु उसका अनुसरण अब नवभारत टाइम्स ने भी करना आरम्भ कर दिया है, जिसे अकेले दिल्ली में 11 लाख 30 हजार लोग पढ़ते हैं। इससे अधिक बिकने वाला कोई अंग्रेजी का अखबार भी नहीं है, किसी भी समाचार पत्र का सर्कुलेशन 5 लाख से अधिक नहीं है, जिसे इतने अधिक पाठक पढ़ते हों। उस नवभारत टाइम्स के जो एडीटर थे, हिन्दुस्तान के हिन्दी पत्रकारों में उनकी जितनी प्रतिष्ठा है, सच्चाई और ईमानदारी की, पिछले 20 वर्षों की पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका जो योगदान या कन्ट्रीब्यूशन है, मैं कहना चाहता हूं कि उसे ठेस पहुंचाने का काम हो रहा है इसलिए यह एक गम्भीर मामला है। यह निजी क्षेत्र का मामला नहीं है। पिछले सदन में, अपर हाउस में, कांग्रेस पार्टी के श्री रत्नाकर पाण्डेय ने भी इस सवाल को उठाया था। मुझे खुशी इस बात की है कि यह किसी एक पार्टी का सवाल नहीं बनना चाहिए और मोहन सिंह जी ने जो सवाल उठाया है, मैं समझता हूं कि उस सदन के सर्वाधिक सदस्यों का समर्थन हासिल है। जिस तरीके से यह ठेका प्रथा का कान्ट्रेक्ट सिस्टम है, जर्नलिस्ट के सम्बन्ध में जो हमारा कानून है, उस कानून की अवहेलना करके टाइम्स आफ इण्डिया से लेकर दूसरे सभी अखबार अपनाते जा रहे हैं, मतलब सम्पादकों को प्रबन्धक बनाया जाए और प्रबन्धक के बाद, उनको बन्द कर दिया जाये, यह एक नया तरीका निकला है, एक नया तरीका कम्प्यूटराइजेशन या मॉडर्नाइजेशन का निकला है। उससे हिंदुस्तान की पत्रकारिता समाप्त होने वाली है।

मेरा आपसे निवेदन है और इस सवाल पर मैं सारे सदन से निवेदन करना करना चाहता हूं कि पत्रकारिता के क्षेत्र के दो सबसे अधिक विश्वसनीय और पुराने आदमी—श्री एस. पी. सिंह और

दीनानाथ मिश्रा हैं, आज पत्रकारिता के क्षेत्र में जो षडयन्त्र चल रहा है, उसके वे सबसे बड़े भुक्तभोगी बन गये हैं। उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आपको पता है कि आज से एक या दो महीने पहले एक सर्कुलर निकला था, जिसमें कहा गया था कि इस अखबार के कम से कम 5 कॉलम्स, नवभारत टाइम्स के टाइम्स आफ इण्डिया से ट्रांसलेट करके लेने चाहिए। वहां का जो मैनेजमेंट हैं, उसके सारे लोग, इस चीज को रोजाना, अपनी टेबल पर, देखने का काम करते हैं। यदि आप आज्ञा दें तो वह सर्कुलर में आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं कि किस तरह पत्रकारों के बीच उनकी स्वतन्त्रता में, वहां का मैनेजमेंट और पूंजीशाही किस तरह से इंटरफियर कर रही है। इसलिए यह सवाल बड़ा गम्भीर है। मैं अटल जी और उनकी पार्टी के लोगों से कहूंगा, कम्युनिस्ट पार्टी और गीता जी से कहूंगा तथा कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि यह बहुत गम्भीर मामला है और हिन्दुस्तान के भाषा के अखबारों के साथ एक खिलवाड़ है। इसे तुरन्त बन्द किया जाना चाहिए, यही मेरी आपसे विनती है

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पसकुरा) : मुझे बोलने का अवसर दिए जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे विचार से इस प्रश्न पर सदन में दो राय नहीं होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स के कर्मचारियों को हम पूरा समर्थन देते हैं चाहे वे सम्पादकीय शाखा में हों अथवा अन्यत्र। पिछले दिनों मैंने इस मामले अर्थात बहुराष्ट्रीय सहयोग को उठाते हुए व्यक्त किया था कि ये हमारे कुछ समाचार तंत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तदुपरांत ये विदेशी हमारे समाचार पत्रों पर प्रभावी हो जाएंगे तथा कुछ सम्पादकों को भी हटाएंगे। अपने कामगारों और सम्पादकों विशेषकर नवभारत टाइम्स के हितार्थ हमें सतर्क रहना चाहिए।

श्री मदन लाल खुराना : मैंने भी जीरो आवर में इसको उठाने के लिए कहा है कि नवभारत टाइम्स के मालिक साजिश कर रहे हैं कि देश के राष्ट्रीय समाचार पत्र को कैसे समाप्त किया जाए। प्रथम पत्र के रूप में उन्होंने अनेक पत्रकारों को हटाने के लिए बहुतों से त्याग पत्र मांगे हैं। नवभारत टाइम्स के सपादक, जिनका अभी अभी जिक्र किया गया, बीस साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं। उनसे कहा गया है कि आप पब्लिशर और प्रिंटर बन जाइए। एक एडीटर को पब्लिशर और प्रिंटर बन जाने के लिए कहा, नहीं तो कहा कि आप नौकरी छोड़ दीजिए। उसका अनुवाद टाइम्स आफ इण्डिया का होगा। यह हिन्दी पत्रकारिता के साथ एक घातक कदम होगा। पत्रकारों की रोजी रोटी का भी सवाल है।

मैं कांट्रेक्ट सिस्टम, बंधुआ मजदूर के बारे में कहना चाहता हूं। जो नौजवान 24-25 साल की आयु में पत्रकारिता में आता है, 5-6 साल आप कांट्रेक्ट में रखें, 30-32 साल की आयु में अगर उसको छुट्टी कर दें तो वह कहां जाएगा। उसके सामने सारा जीवन अन्धकारमय हो जाएगा। इसलिए जो कांट्रेक्ट सिस्टम सारे अखबारों ने शुरू किया है, जब उनकी इच्छा होगी कान्ट्रेक्ट खत्म कर दें और जब इच्छा होगी कांट्रेक्ट आगे बढ़ा दें, इसको समाप्त करने के लिए मैं चाहूंगा कि मामले की महत्ता को देखते हुए केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री हाउस में आकर वक्तव्य दें।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : मुख्यतः यह सिद्धान्त की बात है कि नवभारत टाइम्स यहां का सबसे बड़ा हिंदी का पत्र है और दिन-प्रतिदिन लोकप्रिय होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में उस पत्र को नीचा गिराने के लिए क्या उसके मालिक ने ऐसा कोई षडयन्त्र रचा है। वहां की मौलिक प्रणाली को समाप्त करके केवल अनुवाद से उस पत्र की प्रतिष्ठा पहले से गिर जाएगी। किसी पत्र की प्रतिष्ठा को, खास तौर से नवभारत टाइम्स को गिराने के सबंध में षडयन्त्र हो रहा है। वेतन के सिलसिले में वेज बोर्ड तो होता है लेकिन अखबारों के सचालन के बारे में विचार करने के लिए कोई समिति, कमीशन या बोर्ड ऐसा माध्यम है जिसके जरिए ऐसा सोचा जाए। विदेशी लोग भी यहां के पत्रों को आकर खरीद सकते हैं, इस तरह से और भी खतरा दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से हमारे पेपर्स को दबाया जा रहा है। इसके क्या परिणाम होंगे। क्या कोई समिति, कमीशन नियुक्त करने का विचार है ?

श्री राम विलास पासवान : यह मामला कोई आसान मामला नहीं है, काफी महत्वपूर्ण मामला है। नवभारत टाइम्स तो एक उदाहरण है। लेकिन यदि इस बीमारी को नहीं रोका गया तो एक तरफ पैसा लगा हुआ है, एक तरफ पूंजी है और दूसरी तरफ दिमाग है वह सीधा दिमाग को खरीदने का प्रेस की आजादी पर खतरा है। अब सम्पादक को कहेंगे कि मेरे मन के अनुसार लिखो और उसके मन के अनुसार नहीं लिखा जाएगा तो उसे आप पब्लिशर बनाएंगे। आप जर्नलिस्ट को कहेंगे, चन्द्रावत जी ने कहा, यहां बछावत कमेटी की रिपोर्ट है, उसका सीधा उल्लंघन है। आज पहली बार हिन्दुस्तान के इतिहास में नवभारत टाइम्स का ऐसा उदाहरण बना है जहां वर्किंग जर्नलिस्ट, नॉन-वर्किंग जर्नलिस्ट एक है और मैनेजमेंट एक तरफ हो गया है। ऐसे पत्रकार जिनके सम्बन्ध में अभी शरद जी ने कहा, एस. पी. सिंह और दीना नाथ मिश्र जी, ये सारे देश की निधि हैं। ट्रांसलेशन की कापी, टाइम्स आफ इंडिया क्या करेगा, पत्रकार बैठकर सिर्फ टाइम्स आफ इण्डिया में जो निकलेगा उसका ट्रांसलेशन नवभारत टाइम्स में करेंगे। उसके आदेश को नहीं मानोगे तो हटाने की साजिश होगी। कैपिटलिस्टस के हाथों में आज जो सबसे बड़ा मीडिया है, उसका दुरुप्रयोग हो रहा है। यह सीधे प्रेस की आजादी के ऊपर खतरा है। कांटेक्ट सिस्टम का एबालिशन कानून के मुताबिक हो चुका है लेकिन आज वह प्रेस जगत में सबसे ज्यादा लागू है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह कोई दल का मामला नहीं है। सभी दलों के लोगों की राय है कि निश्चित रूप से सरकार को इसके ऊपर कोई कदम उठाना चाहिए और चेयर को इस सम्बन्ध में रूलिंग देनी चाहिए। यह प्रेस की आजादी संविधान की आत्मा है और वह उसकी आंख नाक व कान है। यदि उसको बन्द करने की कोशिश की तो इस देश में लोकतन्त्र खत्म हो जायेगा। इसलिए चेयर इस सम्बन्ध में जरूर रूलिंग दें और सरकार को बाध्य करें कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाएं। खुराना जी ने कहा कि एक संसदीय समिति बनायी जाए। जो भी कारगर कदम हों, आप उन्हें उठाएं लेकिन प्रेस की आजादी को खत्म नहीं होने देना चाहिए। यही हमें चेयर से अपेक्षा है।

श्री रवि राय : डिप्टी स्पीकर साहब, अभी बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है। इस संसद के आप उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष के आसन पर बैठे हैं। संसद का जो सार्वभौम है, उसमें हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि चतुर्थ राष्ट्र की आजादी को बरकरार रखें। चतुर्थ राष्ट्र की प्रतिनिधि हमारी प्रिंट मीडिया है। मेरी यह राय रही है और मैं इस बात से सहमत हूं कि इलेक्ट्रानिक

मीडिया सरकार के हाथों में है। सरकार जिस तरीके से चाहती है, उसका इस्तेमाल करती है। हम प्रिन्ट मीडिया ही से अच्छी खबरें पाते हैं। "टाइम्स आफ इण्डिया" और "नवभारत टाइम्स" का जो ग्रुप है, उनका जो मालिक है, उनके सम्बन्ध में मोहन सिंह जी ने जो सवाल उठाया है, वह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग एमरजेंसी को भुगत चुके हैं। चतुर्थ राष्ट्र जब इसके शिकार हो जाते हैं तो ऐसे में आजादी खत्म हो जाती है। यह सिर्फ पार्टी का सवाल नहीं है। हमको अच्छा लगा जब हमारे दोस्त चन्दूलाल जी ने जो कि कांग्रेस के सदस्य हैं, ने यह सवाल उठाया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन हड़ताल हुआ था, अमरीका की सरकार ने धमकी दिया कि फरवरी तक पेटेंन्ट लॉ उनके अनुसार नहीं करेंगे तो वह हमारे खिलाफ 301 स्पेशल ट्रेड ऐक्ट लगाएंगे। सन्तोष मोहन देव जी मेरी बात सुन रहे होंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मल्टी-नेशनल कारपोरेशन हिन्दुस्तान के जैसे जैन ग्रुप हैं, उनसे मिलकर प्रिंट मीडिया को खरीद रहे हैं, ऐसी हमको शंका है। उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं। इसलिए आप इस सम्बन्ध में सरकार को निर्देश दीजिए। जिस तरीके से और जिस नंगे ढंग से एक पत्रिका का मालिक कहता है कि तुम अंग्रेजी अखबार "टाइम्स आफ इंडिया" में जो छपा है, उसमें से अनुवाद करके छापो, अपने मन में जो कुछ है, उसे मत लिखो। आजादी के पक्ष में मत लिखो। यह ठीक नहीं इस सम्बन्ध में कुछ तय होना चाहिए। मैं चन्दूलाल जी से कहूंगा कि वह सरकार के ऊपर दबाव डाल कर यह कहें कि वह इसमें हस्तक्षेप करें। "नवभारत टाइम्स" अखबार की आजादी बरकरार रखी जाए। अन्त में मुझे इतना ही कहना है कि आप हिन्दी अखबारों की आजादी को बचायें।

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, वह राष्ट्र भाषा का भी अपमान है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

इस्पात मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : मैं इसकी सूचना सूचना और प्रसारण मन्त्री को दे दूंगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष जी, इसमें होगा क्या, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है ? (व्यवधान)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : इसमें सरकार को कहिए कि कुछ करे। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : उपाध्यक्ष जी, आपने सुन तो लिया लेकिन होगा क्या ? कोई मन्त्री है जो यहां कुछ कहेगा ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

जरा सुनिए। डिप्टी स्पीकर साहब, आप देख रहे हैं, यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूरा सदन एकराय है और यह हिन्दुस्तान के पत्रकारिता जगत में एक बहुत बड़ी साजिश है। तमाम पत्र

कार, जो हमारे श्रमजीवी संघ के पत्रकार हैं, वे लोग भी इस खतरे को पहले से जानते थे। यह अन्तर्राष्ट्रीय खतरा है और मैं आपसे बता दूं कि फिर यह होगा कि यहां आज हिन्दी के अखबारों पर हो रहा है, फिर हमारी सारी देशी भाषाओं के ऊपर यही अपनाया जाएगा और फिर अंग्रेजी के ऊपर भी कहा जाएगा कि जो हमारा अन्तर्राष्ट्रीय समाचार संघ है, वह जो भेजेंगे, वह छापो। यह गंभीर मामला है और अगर इसको नहीं रोका गया तो यह हमारी पूरी पत्रकारिता की आजादी से सम्बन्ध रखता है। इससे हमारा पूरा का पूरा मीडिया डिस्ट्राय हो जायेगा। आज यह अखबारों में होगा और कल यह रेडियो में और टैलिविजन में होगा। आप जानते हैं कि आजादी के नाम पर यह सारी की सारी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां आकर छा जायेंगी आज यह इतना बड़ा गम्भीर प्रश्न है। पहले तो हमारे यहां बैठे हुए केबिनेट के मिनिस्टर साहब का यह कहना काफी नहीं है कि हम इस को उनको बता देंगे। होना तो यह चाहिए कि मन्त्री को या तो बुलाया जाए या यह कहें कि यह तमाम एक्शाय इसके ऊपर है और सरकार इसके ऊपर पूरा वक्तव्य देगी और अगर वक्तव्य नहीं देगी तो मैं डिमाण्ड करता हूं कि सदन में इसकी पूरी चर्चा होनी चाहिए। इतनी गम्भीर चीज हो जाए और उसके ऊपर खाली यह कहें कि हम कन्वे कर देंगे, यह सदन को बिल्कुल हल्के-फुल्के ढंग से लेने की व्यवस्था हो रही है। इसलिए मेरी आप सरकार को आदेश दें कि इसके ऊपर वक्तव्य दें और जरूरत हो तो इसके ऊपर सदन में पूरी बहस होनी चाहिए, यह मैं मांग करता हूं।

(व्यवधान)

श्री शरद यादव : सरकार इसको गम्भीरता से नहीं ले रही है। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : सभी पक्षों के लोग इस संबंध में कह रहे हैं और मंत्री हैं ही नहीं। उनसे कहा जाय कि इसके बारे में एक स्टेटमेंट दें। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : इस सभा में आज एक प्रस्ताव आना चाहिए कि यह इस सदन पर चिन्ता व्यक्त करता है। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : पी. टी. आई. और यू. एन. आई. में भी यही हालत चल रही है। अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां चाहती हैं कि जो उनसे कहा जाएगा, वह वही छापें। यह खाली अखबारों तक ही सीमित नहीं है, वह आगे इंडस्ट्रीज में भी जाएगा, मीडिया में जाएगा, टी.वी. में जाएगा, रेडियो में जायेगा इसलिए यह गम्भीर चीज है···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अहमद।

(व्यवधान)

श्री ई. अहमद मंजेरी : सरकार को इस सभा को आश्वासन देना चाहिए कि वे बछावत आयोग की सिफारिशों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों को कार्यान्वित कराने की कोशिश करेगी तथा किसी तरह के उल्लंघन की आज्ञा नहीं देगी। अब प्रेस की स्वतंत्रता का तात्पर्य प्रेस के मालिकों की स्वतंत्रता से है। मेरा तात्पर्य प्रेस की वास्तविक आजादी है तथा सम्पादकों को बछावत आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जो कुछ भी उन्होंने व्यक्त किया है उस पर खयाल रखा जाएगा तथा प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समुचित आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : संसद के इतिहास में यह पहला अवसर है जबकि सम्पूर्ण संसद एक ही मुद्दे एकमत हैं और जिसका कारण एक अपूर्ववर्ती घटना घट रही जो बाहर से ही एक प्रबल शक्ति से, अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति से हमारे प्रेस की स्वतंत्रता को चुनौती दे रही है। मैं सोचता हूँ कि सभा के विभिन्न पक्षों के कई अनेक सदस्यों ने पहले ही हमारी मांगों के समर्थन में काफी कुछ कर दिया है कि सूचना और प्रसारण मंत्री को स्वयं इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए। बहुत कुछ कह दिया गया। जो मंत्री यहां मौजूद हैं कुछ बता सकने की स्थिति में नहीं हैं। मंत्री द्वारा यहां आकर वक्तव्य नहीं देने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। यदि हम इस सभा से कोई उपाय कर पाने में असफल रहते हैं तो हमें कोई अन्य साधन अपनाना होगा। बस। यह कहते हुए मुझे अत्यन्त खेद हो रहा है। अब इस प्रश्न पर सभी दल एकमत हैं तो या तो सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए और कम से कम आश्वासन देते हुए उपचारी उपाय ढूंढने में सहायता करे, अन्यथा हमें साथ मिलकर प्रधानमंत्रों के पास जाना होगा तथा वे बाहर किसी दूसरे तरह के आन्दोलन करने होंगे जो सबको मान्य नहीं होंगे।

श्रीमान् यह मामला यहां अत्यन्त आन्दोलित हो गया है, श्रीमन् आप जानते हैं कि सदस्यों का मनोबल कितना ऊंचा है। कोई कारण नहीं नजर आता है कि सम्बद्ध मंत्री को सूचित क्यों नहीं किया जा रहा है स्पष्टीकरण दें ताकि हमारा भर्म समाप्त हो।

यदि वे चुप नहीं रहेंगे तो इस सम्बन्ध में देश को निर्णय लेना होगा कि क्या किया जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना : महोदय, आप मिनिस्टर को कहिए कि वे यहां आकर स्टेटमेंट दें।

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्षपीठ द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश दिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : महोदय, मैं श्री गुप्ता का पूरा समर्थन करता हूं। महोदय मैं चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें और मन्त्री जी को यहां आकर इस पर सरकार का पक्ष स्पष्ट करने के लिए कहें। यह अति महत्वपूर्ण मामला है। हम किसी भी कीमत पर इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं।...(व्यवधान)

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलू (तेनाली) : महोदय, आपको हमारे वरिष्ठ सहयोगियों द्वारा व्यक्त की गई राय को महत्व देना चाहिए, भारत में प्रेस की आजादी दांव पर है और इसे बहुराष्ट्रिकों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय सरकार को निर्देश दें और मंत्री

महोदय से यहां आकर इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए कहें, यह गंभीर मुद्दा है। यदि इसे सदन में नहीं निपटाया जाता है तो जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगियों ने मत व्यक्त किया है कि इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण संसद के बाहर मांगना होगा···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : मान्यवर, इस पर बहस के लिए हाउस के अन्दर चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान) मंत्री जी यहां पर नहीं हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसलिए इसके ऊपर चर्चा अवश्य होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : महोदय, कृपा करके मंत्री जी को यहां पर बुलाइए और वे यहां आकर अपना स्टेटमेंट दें।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तु पुज्जा) : महोदय, इस मुद्दे पर सदन एकमत है। प्रेस की आजादी के साथ समझौता नहीं किया जा सकता सकता है, मैं सम्बन्ध में सदन में सभी पक्षों द्वारा किये गये मत का समर्थन करता हूं। मैं माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में बयान दें।···(व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय मैं सदन में सभी पक्षों द्वारा अभिव्यक्त भावनाओं की पूर्ण रूप से सराहना करता हूं। मांग यह है कि सरकार इस पर तत्काल अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। यहां पर बैठा होने के कारण मैं यह नहीं कह सकता कि क्या मंत्री महोदय दिल्ली में ही हैं। यदि वह यहीं हैं तो वे निश्चित रूप से इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में कोई भी एक मंत्री यहां आएंगे और इस पर सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट करेंगे इस बात मैं आपको आश्वासन देता हूं, महोदय (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब कभी भी सदन में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाते हैं सरकार साधारणतया उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। माननीय मंत्री महोदय ने सदन को स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है कि वे यह सूचना सरकार को दे देंगे और सरकार यथास्थिति इस पर आज या कल बयान देगी।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : बयान आज ही दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : कठिनाई यह है कि यह मामला कार्यसूची में शामिल नहीं है और आपके सरकार को इसके लिए पूर्व सूचना नहीं दी है। सरकार को इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करनी होगी तथा तैयारी करनी पड़ेगी तथा सदन में ठोस, तर्कपूर्ण और उचित जानकारी देनी होगी। अत: यह आवश्यक है। माननीय मंत्री महोदय ने कुछ समय मांगा है। मैं समझता हूं कि सदन इसकेलिए सहमत हो जाएगा। सत्ता पक्ष की ओर से आपकी भावनाओं को गहराई से महसूस किया गया है।······

(व्यवधान)···40 माननीय सदस्यों ने अपने नाम दिये हैं और वे अति महत्वपूर्ण मुद्दे यहां पर उठाना चाहते प्राथमिकता के आधार पर इन नामों की सूची बनाई गई है। मैं अब नाम पुकारूंगा। मैं गंभीरतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक सदस्य केवल एक या आधा मिनट का समय इसके लिये ले ताकि आज मामले पर विचार किया जा सके और वह सरकार के ध्यान में आ सके। मुझे उम्मीद है आप सब लोग इससे सहमत होंगे।···(व्यवधान)

कार्यालय में नाम देने पर उन्हें सूचीबद्ध किया जाता है। उदाहरण यदि नाम 9.50, 9-51 और 9.52 पर दिये जाते हैं तो तदनुसार ही उन्हें सूचीबद्ध किया जाता है। अतः यह हम पर निर्भर है कि हम समय की बचत करें और आपने छोटे और बड़े भाइयों को बोलने का अवसर दें। मुझे आशा है कि आप इससे सहमत होंगे।

श्री रामविलास पासवान : 10 से पहले स्थिति एक जैसी रहती है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि आप केवल अति महत्वपूर्ण मुद्दों को ही उठाते हैं। प्रत्येक सदस्य को अवसर मिलना चाहिए। अतः जगह हमारे दिलों में होती है।

श्री शोभनाद्रीश्वरराव वाड़े (विजयवाड़ा) : आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अपने चुनाव क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

विजयवाड़ा शहर में रेलवे क्वार्टर्स हैं जो 80 वर्ष पुराने हैं। वास्तव में वे बेकार क्वार्टर्स हैं। इसके बावजूद रेल विभाग अपने कर्मचारियों का किराया भत्ता काट रहा है जो उनमें रह रहे हैं। वहां पर सफाई की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। वर्षा होने पर इन क्वार्टरों में पानी भर जाता है और इससे सबसे अधिक परेशानी महिलाओं को होती है।

अतः मैं आपके माध्यम से उसी स्थान पर रेलवे कर्मचारियों के आवास हेतु बहुमंजिलें फ्लैटों का निर्माण करने के लिए सरकार से तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, 7 दिसम्बर के "अमर उजाला" में अलीगढ़ विश्व विद्यालय अलीगढ़ के मेडीकल कालेज के छात्रों के साथ हो रहे अन्याय का मामला प्रकाशित हुआ है। यह एक ऐसा घोटाला है, जिसमें बड़े बड़ों का हाथ है। इसकी जानकारी विश्व विद्यालय के कुलपति तक को है, लेकिन पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।

यह मामला है एमबीबीएस प्रथम वर्ष के मूल अंकों में व्यापक उलटफेर का, जिसके जरिए कुछ लोगों को लाभ तथा कुछ को नुकसान पहुंचाने का संकेत मिलता है। यह भी संकेत मिलता है कि हिन्दू और मुसलमान छात्रों के बीच खाई खोदी जा रही है।

इस घोटाले के चश्मदीद दो कागजात गवाह हैं, जिसमें प्रोफेसर ने अपने हाथ से अंक चढ़ाए हैं और दूसरा जिसमें अंतिम रूप से अंक चढ़ाए हैं। दोनों में दूर-दूर तक समानता नहीं है। अनु-

क्रमांक 61 से 80 तक के छात्रों के अंकों में घट-बढ़ी का मामला तो प्रकाशित हुआ है, इससे स्पष्ट होता है कि सांप्रदायिक दृष्टि से अंकों को घटाया-बढ़ाया गया है।

इस सम्बन्ध में जांच हेतु जो दो सदस्यीय समिति गांठत की गई थी, वह भी कोई विशेष जांच नहीं कर पाई। मेरा आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध है कि इस घोटाले की उचित माध्यम से जांच कराने की व्यवस्था करें ताकि शिक्षा क्षेत्र में हो रहे अन्याय से छात्रों को बचाया जा सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, मैं उस सूची के अनुसार नाम पुकार रहा हूं जो कि मेरे सामने है। हमें दूसरों को भी बोलने का अवसर देना है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से तात्कालिक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष बिहार को केन्द्र सरकार के द्वारा आवंटित खाद की आपूर्ति न होने के कारण, खाद की कमी के कारण सम्पूर्ण बिहार में किसानों में हाहाकार मची हुई है और असन्तोष तथा आक्रोश व्याप्त है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष बिहार को भारत सरकार के द्वारा 8 लाख मीट्रिक टन खाद आवंटित हुई थी उसमें से 50 परसेंट खाद की बिहार को आपूर्ति नहीं हुई। जिसके चलते रबी की फसल, जिसकी बुआई हो रही था, इसमे पोटाश और फासफास मिश्रित खाद की अत्यधिक आवश्यकता होता है, जिसकी कमी के लिए किसान को परेशानी हुई। उपाध्यक्ष महोदय, न केवल रबी की फसल पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा बलिक तिलहन और दलहन का जो राष्ट्रीय उत्पादन होने वाला है उस पर भी भयानक असर होने वाला है। अभी बिहार सरकार ने एक आवश्यक संदेश भेज कर भारत सरकार को यह कहा है कि आप 5 दिसम्बर, 1991 तक आवंटित खाद की आपूर्ति करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। लेकिन अभी तक खाद को आपूर्ति नहीं है। इतना ही नहीं खाद परे सब्सिडी के लिए 36 करोड़ की मांग की गयी और इस सब्सिडी के लिए भारत सरकार ने 35 करोड़ रुपया आवंटित किया, लेकिन एक पैसा भी बिहार सरकार को नहीं मिला··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिये। अन्य लोगों को अवसर से वंचित मत करिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आज बिहार में हाहाकार है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि तुरन्त भारत सरकार सब्सिडी के पैसे का भुगतान करे और जो खाद आवंटित है उसकी शीघ्र आपूर्ति करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तेज नारायण सिंह अनुपस्थित।

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता······

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया मेरी बात सुनिये। आप दूसरों को अवसर से वंचित नहीं कर सकते। यह न्यायोचित नहीं है······

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता को भाषण हेतु बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये। मामला-सचमुच अति महत्वपूर्ण है। यह शून्य काल है। आप सरकार से किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकते। हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा······

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जाइये।···(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : 8 करोड़ किसानों के साथ भारत सरकार क्रूर मजाक कर रही है।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, केवल एक सुझाव···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीकन्त जी, आप भी सरकार में रहे हैं। क्या आप सरकार से तुरन्त जैसे ही आप मामला उठाते हैं, जवाब की आशा रखते हो? मैं आपको बताता हूं कि शून्य काल एक असाधारण हथियार है······

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिये। जेना जी आप भी सरकार में थे। क्या आप अचानक जवाब दे सकते हैं? यह असंभव है···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रसाद जी, इससे क्या लाभ होता है।

(व्यवधान)

आपको इससे कोई लाभ नहीं है। आपने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं कि बिहार में उर्वरकों की कमी है आपने यह बात सरकार की जानकारी में ला दी है। अगर चार या पांच सदस्य एक ही विषय पर बोलना चाहेंगे तो उन लोगों का क्या होगा जो सभा में महत्वपूर्ण मामले रखने के लिये बहुत इच्छुक हैं ? क्या हमें उन्हें अवसर नहीं देना चाहिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : भावनायें गहराई से व्यक्त की गई हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बिहार में हजारीबाग जिला जो पर्यटन स्थल के रूप में सबसे अच्छा जिला है, उपेक्षित है। उसके अगल-बगल में तीन जिले हैं, नेशनल पार्क है। रजरप्पा और भदौली जैसे स्थान हैं जहां साल भर मेला भरता है। लेकिन केन्द्र सरकार ने उसके विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी जिले के पास बड़का क्षेत्र है जहां पांच हजार वर्ष पांडुलिपियां मिली हैं और मूर्तियां भी मिली हैं। हमने पुरातत्व विभाग और बिहार सरकार को भी लिखा है, लेकिन उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जो स्वतन्त्र रूप से पुरातत्व काम करते हैं उन्होंने जाकर देखा है कि वे मूर्तियां सिंधु घाटी और मोहन जोदड़ो की सभ्यता की द्योतक हैं। लेकिन हमारे पुरातत्व विभाग ने आज तक वहां पर ध्यान नहीं दिया। हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हजारीबाग जिले को पुरातत्व के महत्व को देखते हुए उसे पर्यटन स्थल घोषित किया जाये जो मूर्तियां निकली हैं परातत्व विभाग से जांच कराकर उसका विकास किया जाये।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली पेशावर काण्ड, स्वतंत्र सैनिक, के जन्म को दिनांक 25.12.1991 को 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। गढ़वाल राइफल्स में हवलदार मेजर के रूप में उन्होंने दिनांक 23 अप्रैल, 1930 को पेशावर में अंग्रेज अधिकारियों के आदेश के बावजूद निहत्थे लोगों एवं पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। फौज में देश की आजादी के लिए यह पहली बगावत थी। उनकी इस बगावत को देखकर अंग्रेजों को विश्वास हो गया था कि अब अधिक दिन तक भारत पर शासन नहीं, किया जा सकता है। उनकी इस बगावत को देखते हुए ही महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली सरीखा एक और वीर भारत में पैदा होता तो आजादी कभी की मिल गई होती। अंग्रेजों ने 12 जून, 1930 को उन्हें तथा उनके अन्य साथियों को कोर्ट मार्शल किया तथा गोली से उड़ा देने

की तैयारी कर ली किन्तु बैरिस्टर मुकुन्दीलाल की पैरवी के कारण उन्हें आजन्म कालापानी की सजा सुनाई। पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपनी वसीयत में जवाहर लाल नेहरू को लिखा था कि गढ़वाल व चन्द्रसिंह को कभी न भूलना। पंडित जवाहर लाल नेहरू उन्हें अपने भाई की तरह मानते थे। दिनांक 3 अक्तूबर, 1979 को स्वर्गीया इन्दिरा गांधी ने एक बड़ी सभा में वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली के निधन पर कहा था कि भारत की आजादी का एक बड़ा योद्धा चल बसा है, मैं उनके घर आती किन्तु सुना है कि उनके घर पर इस वक्त कोई नहीं है, उनके और मेरे बच्चे इलाहाबाद में एक साथ खेले हैं।

अतएव मेरा भारत सरकार तथा संचार मंत्रालय से अनुरोध है कि देश के ऐसे महान वीर सपूत, स्वतंत्रता सेनानी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु उनके नाम पर शीघ्र टिकट जारी किया जाये तथा उनका जन्म शताब्दी समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाये।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में हथियाम क्षेत्र में वर्षा न होने के कारण मेरा अनावृष्टि के कारण जिला सूखे से इस प्रकार से त्रस्त हो गया कि सरकारी सर्वेक्षण की रिपोर्ट है कि कृषि विभाग को, वहां 65 से 70 प्रतिशत खरीफ फसल मारी गई है। सरकार ने खरीफ फसल को भरपाई के लिये रबी की योजना बनाई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से चिन्ता जाहिर करना चाहता हूं कि विगत इतिहास में जब-जब कृषि विभाग, भारत सरकार, का जो काम है गेहूं की बुवाई और मक्का की बुवाई का समय आता है तो बुवाई के समय पर खाद को अलाटमेंट दी जाती है, लेकिन वह डी. ए. पी. खाद, प्रमाणित गेहूं और मक्का का बीज तब पहुंचता है जब गेहूं की कटाई का समय आता है। इसलिये जैसा कि माननीय सदस्य देवेन्द्र जी ने इस सवाल को मुस्तैदी से उठाया है।

1.00 म. प.

बिहार सरकार ने त्राहियाम् संदेश भेजा है। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार के कृषि विभाग ने डी. ए. पी. खाद मिक्चर खाद, प्रमाणित गेहूं का बीज, फास्फेट खाद, यूरिया खाद का पर्याप्त आवंटन किया है ? यदि वे एक सप्ताह के अन्दर नहीं पहुंचेगा या इस प्रकार से अनदेखा किया जायेगा और बिहार के साथ खाद, प्रमाणित बीज के मामले में अन्याय किया जायेगा तो इससे खरीफ की फसल मारी गयी है, बिहार में एक दिन आयेगा जब गांव का गरीब किसान बेमौत मरने की स्थिति में पहुंच जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप खत्म कीजिये···

श्री नवल किशोर राय : मैं समाप्त कर रहा हूं, मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी स्थिति को देखते हुए एक सप्ताह के अन्दर उर्वरक और प्रमाणित बीज पहुंचाये जायें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। इसका कभी भी समर्थन नहीं किया जा सकता। आपने दूसरों को बोलने के अवसर से क्योंकर वंचित करना चाहिये। अगर आपको अवसर दिया जाता है तो आप ज्यादा समय लेते हैं दूसरों का क्या होगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरेक मेम्बर को मौका मिलना चाहिये···

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो ठीक है···

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो ठीक है। मैं उन व्यक्तियों को बुलाऊंगा जिनके नाम सूची में हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : हम लोगों को क्यों नहीं नम्बर मिलता है। हम यहां काफी देर से बैठे हुए हैं···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो कार्यविधि हम अपना रहे हैं, उससे माननीय सदस्यों के मन में अनावश्यक अशान्ति पैदा होती है। यदि आप केवल एक या डेढ़ मिनट के लिये बोलना चाहते हैं, तो उसका उद्देश्य सभा के लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी देना ही है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जब मैं खड़ा हूं, तो आपको खड़ा नहीं होना चाहिए।

सरकार इस बात का ध्यान रखेगी। लेकिन यह उचित नहीं है कि आप बोलते जाएं और दूसरों को बोलने का मौका न दे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यहां अन्य लोग भी हैं। यहां 13 या 14 नाम हैं। यह सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक बिनती है, मुझे एक मिनट बोलने दें···हम लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता है तो मंत्रियों से कहिये कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण तो करें···

उपाध्यक्ष महोदय : वे जरूर करते हैं···

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : तो कैसे हम उनसे अपनी समस्यायें कहें ? इसके लिये कोई तो बताइये रास्ता। (व्यवधान) मंत्री लोगों के पास जाते हैं तो अन्दर जाने नहीं देते हैं, हम अपने क्षेत्र की समस्यायें कैसे रखें, बाद में इलेक्शन कैसे जीत पायेंगे ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री योगेन्द्र झा।

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज एक ऐसा प्रस्ताव रख रहा हूं जो किसी एक क्षेत्र या एक राज्य से सम्बन्धित नहीं है। महोदय, आज एक बहुत ही चिंताजनक मामला उठा है जो कि हमारी आजादी, आत्म-निर्भरता तथा आर्थिक स्वतन्त्रता को प्रभावित कर रहा है।

(व्यवधान)

महोदय, अमरीका सरकार ने पेटन्ट अधिकार के मामले में भारत सरकार को धमकाया है। पिछले कई सालों से व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौता (गैट) और बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों का मामला चल रहा था। हाल ही में, दिल्ली में वैज्ञानिकों (व्यवधान)

इसलिए, महोदय, हाल ही में कई कृषि वैज्ञानिक, जिसमें कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी सम्मिलित थे, दिल्ली में एकत्र हुए। उनको डर है कि नई किस्म के बीज जैसे कि गेहूं, चावल आदि के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय बीज कम्पनियां हमारे अधिक हड़प लेंगी तथा इससे हमारे अनुसंधान तथा विकास कार्यों में बहुत अवरोध होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे सदन में इस बात की घोषणा करें कि भारत सरकार अमरीकी आदेश के आगे घुटने नहीं टेकेगी तथा पेटेन्ट अधिकारों और बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों के मामले में भारत सरकार देश के हितों की पूरी दृढ़ता के साथ रक्षा करेगी।

महोदय, मैं अपने माननीय मित्र द्वारा उठाए गए मामले का भी समर्थन करता हूं। श्री चन्द्रसिंह गढ़वाली हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता अभियान कि एक प्रमुख पात्र थे तथा मैं विशेषकर इस बात से प्रसन्न हूं कि वे अन्दमान में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। इसलिए इस वर्ष उनकी 100वीं वर्षगांठ पर उनके नाम से एक डाक टिकट जारी करना चाहिए।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि, श्री अर्जुन सिंह इस मामले में पहले ही आश्वासन दे चुके हैं फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जैसे कि उन्होंने आरोप लगाया है, हमारी सरकार किसी भी हालत में इन शक्तियों के आगे नहीं झुकेगी चाहे वह विश्व बैंक हो या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारी राजनैतिक तथा आर्थिक प्रभुसत्ता हमेशा हर प्रकार से कायम रहे तथा फिर कभी जब आर्थिक मामलों पर चर्चा हो तो माननीय सदस्य वह सब कुछ कह सकते हैं जो वह आज कह रहे हैं।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यवश यह मामला सरकार द्वारा तथा सभा द्वारा बहुत ही ऊपरी तौर पर लिया जा रहा है तथा जब मेरे मित्र यह प्रश्न उठा रहे थे तो माननीय मंत्री जी उसका उपहास करने का प्रयास कर रहे थे। समस्या यह नहीं है। समाचार पत्रों की रिपोर्ट बताती है कि आप लोगों ने कुछ वचन दिए हैं तथा सरकार द्वारा इन रिपोर्टों का खंडन नहीं किया गया है। आप कहते हैं कि सभा आर्थिक स्थिति के बारे में 16 तारीख को चर्चा करेगी। आप न्यूयार्क तथा वाशिंगटन में विचार-विमर्श करने के पश्चात् तथा कुछ निष्कर्षों पर पूरे देश को

बाध्य करके आप किसी विषय पर सभा में चर्चा करते हैं जो कि देश के भविष्य के लिए विनाश-कारी तथा घातक है। मैं इस विषय को ऊपरी तौर पर नहीं उठाना चाहता। सरकार को सभा में इस विषय पर विचार विमर्श करने से पहले तथा किसी सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साफ-साफ बताना चाहिए कि उन्होंने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक को कोई वचन नहीं दिया है। वे सारी बातों पर यहां विचार-विमर्श करते हैं परन्तु प्रतिदिन वाशिंगटन से समाचार आते हैं कि उन्होंने वहां कुछ वचन दिए हैं। और भारत सरकार की तरफ से भी इनका खण्डन नहीं होता। भारत सरकार आज जो कुछ कर रही है, उससे अधिक शर्मनाक तथा लज्जा की बात देश के लिए कोई और नहीं हो सकती।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मुझे अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान संसद सदस्य श्री चन्द्रशेखर जी के प्रति अगाध सम्मान था। मैं समझता हूं कि उन्हें गलत नहीं समझना चाहिए। सरकार माननीय सदस्य श्री भोगेन्द्र झा द्वारा दिए गए इस बयान को गम्भीरता से ले रही है। मैं आपके माध्यम से उन्हें आश्वस्त करता हूं कि यह एक गम्भीर मामला है। यदि मैं कह सकता हूं तो इसे एक तरह का आरोप कहा जाए। लेकिन, मैं उन्हें आश्वस्त करूंगा कि यह सरकार किसी भी प्रकार से राष्ट्र की राजनैतिक और आर्थिक सम्प्रभुता को नहीं जाने देगी। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की शर्तों को देखते हुए सभा में यह स्पष्ट रूप में कहा गया है कि वित्त मंत्री द्वारा उन शर्तों को सभा पटल पर रख दिया जाएगा। हम विभिन्न समितियों में इस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं, विशेष तौर पर कार्य मंत्रणा समिति में कि बहस 16 तारीख को होगी और मैं आश्वस्त हूं कि 16 तारीख को इन सभा उठाए गए मामलों पर माननीय वित्त मंत्री महोदय एक-एक कर विस्तार पूर्वक जवाब देंगे। वास्तव में वह इस पर जवाब देने वाले सबसे उपयुक्त व्यक्ति रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो शर्तें स्वीकार की गई हैं उन्हें वित्त मंत्री द्वारा सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

महोदय, यह सभा को ध्यान दिलाने के लिए आवश्यक है कि श्री चन्द्रशेखर ने इस मामले को आरम्भ में उठाया था और उन्होंने कहा था कि जब वे प्रधानमंत्री थे तो ये शर्तें उनकी जानकारी में नहीं लाई गई थीं। तब से ही हम बार-बार इस सभा में सरकार से आग्रह करते रहे हैं कि उन शर्तों को सभा पटल पर रख दिया जाए। अब, वह कहते हैं कि हम नई आर्थिक नीति पर बहस करने जा रहे हैं, आप इस मामले को उठा सकते हैं।

अब मैं सरकार से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि चूंकि नई अर्थव्यवस्था पर बहस के लिए 16 तारीख निर्धारित कर दी गई है तो क्या सरकार अगले सोमवार को उन शर्तों को सभा पटल पर रख देगी ताकि उन शर्तों को दृष्टिगत कर सभा में अर्थपूर्ण बहस हो सके।

श्री भोगेन्द्र झा ने जो कहा है और प्रश्न उठाया है, उन्होंने इसका खंडन नहीं किया है। उन्होंने एक सामान्य बयान दिया है कि सरकार राजनैतिक और आर्थिक दबाव के सम्मुख झुकने वाली नहीं है। हम जो कह रहे हैं वह यह कि सरकार हर कदम पर झुकती जा रही है। अतः यह

राष्ट्र को बेचने के बराबर है। और यह भी आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में भी। हमारी संस्कृति, मीडिया, शिक्षा, राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी।

अतः मुझे आपका संरक्षण चाहिए कि एक स्पष्ट वक्तव्य दिया जाए कि दूसरे सप्ताह सोमवार या मंगलवार को सरकार को उन शर्तों का ब्यौरा सभा पटल पर रख देना चाहिए जिसे भारत सरकार ने अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ तय किया था।

श्री भोगेन्द्र झा : कृपया आप एक बात स्पष्ट कर दें क्या पेटेन्ट पर या बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर कोई संकेत दिया गया है। अन्यथा, सामान्य बातों की चर्चा यहां बार-बार नहीं करें।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मुझे खेद है। माननीय सदस्यों से साफ कहूंगा कि जब आप किसी विशेष मामले को उठाते हैं। भले ही इसे किया गया हो या नहीं, पूरे आरोप को देखते हुए कि मैं राष्ट्र को बेच दिया गया है, मैं इस पर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त अवश्य करता हू। और मन प्रतिक्रिया व्यक्त की। विशेष मामलों पर मंत्री विशेष कोई बोलना चाहिए। यह नहीं है कि मैं कर नहीं सकता। लेकिन मुझे पहले से सूचित कर दिया जाए तो मैं भी जवाब देता, और मैं जानकारी प्राप्त करता। लेकिन इस समय मेरे पास इन विशेष मामलों पर जानकारी नहीं है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास कुछ भी सूचना तो होनी चाहिए, तभी तो वह ब्यौरा प्राप्त कर पाएगा।

मैं केवल यही कह सकता हूँ कि बेच देने का सवाल ही नहीं है। हमारी सरकार कभी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों का सभा पटल पर रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने पहले ही इस आशय का वक्तव्य दिया है। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : कब वह करेंगे। अब तक तो पांच महीने हो चुके हैं। (व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर : मैं उन शर्तों के विषय में नहीं पूछ रहा हूँ। कार्ला हिल्ज जब यहां आई थी, तभी वह एक बयान दे गई थी। आज अमरीकी प्रशासन ने बयान दिया और भारत सरकार चुप्पी साधे हुए है। आखिर कार्लाहिल्स कौन होती है जो भारत सरकार को और यहां की जनता को एक विशेष नीति अपनाने के लिए निदेश दे और वह भी दिल्ली आ कर। यह गैर-लोकतान्त्रिक है और सभी लोकतांत्रिक मान्यताओं का हनन है एक अधिकारी वाशिंगटन से आता है और बयान जारी करता है। इतना ही नहीं यह भारत सरकार को और यहां की जनता को निदेश देता है।

आज अमरीकी प्रशासन का एक अधिकारी बयान जारी करता है और भारत सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए रहती है। क्या इस देश के पास इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है।

जब तक वह सत्ता में है तब तक उन्हें देश को बेच देने का पूरा अधिकार है···

कुछ माननीय सदस्यगण : नहीं।

श्री चन्द्रशेखर : यही वह महसूस करते हैं। लेकिन प्रश्न सिर्फ यह है कि क्या इस देश में

किन्हीं मानदण्डों का पालन किया जाएगा या नहीं। विदेशी है लोग यहां आकर जारी करते हैं···

[हिन्दी]

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय प्वाइंट आफ आर्डर नहीं, वैसे ही सब कुछ डिस-आर्डर है।

श्री चन्द्रशेखर : प्वाइंट आफ आर्डर इस पर नहीं। ऐसा मत कीजिए कि हाउस ही न चलने पाये।

[अनुवाद]

मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम किसी नियम का पालन करने जा रहे हैं या नहीं। मेरे गुरुजी यहां बैठे हुए हैं। मैं उनसे बात करना चाहूंगा। क्या किसी तरह का राजनीतिक शिष्टाचार है? क्या उस शिष्टाचार का इस देश में कभी पालन किया जाएगा या नहीं?

यदि कोई अन्य आएं और इस तरह के वक्तव्य दें जो पूर्णतः अपमानजनक हों, चाहे वह सही हो, अच्छा हो या बुरा और फिर उस वक्तव्य का विदेश भाग के प्रवक्ता के कार्यालय द्वारा अथवा प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री या भारत सरकार के किसी भी व्यक्ति द्वारा निवेदन नहीं किया जाता है तो इस देश के अन्य नागरिक क्या करें?

मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन वक्तव्यों को कोई चुनौती नहीं दी जाएगी। विदेशी प्रवक्ता का यह वक्तव्य भारत सरकार या संसद या सांसद यहां तक कि सरकार भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगी, कोई इस पर ध्यान नहीं देगा कि इस तरह के वक्तव्य क्यों दिए गए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : इस चर्चा में भाग लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन श्री चन्द्रशेखर जी के हस्तक्षेप के कारण यह चर्चा बहुत गम्भीर हो गई है। श्री जोगेन्द्र झा ने ऐसा प्रश्न उठाया था जिस पर सारे देश को चिन्ता है। सरकार को इसके बारे में फैसला करना है। बड़ी तादाद में संसद के सदस्यों ने दस्तखत करके यह कहा था कि जहां तक इनटलैक्चुअल प्रापर्टी राइट्स का सवाल है, देश को झुकना नहीं चाहिए। मंत्री महोदय यह आश्वासन दे रहे हैं कि देश झुक नहीं रहा है। लेकिन चन्द्रशेखर जी का आरोप गम्भीर है। मैं नहीं जानता काल-हिल्स ने क्या कहा। लेकिन जब बजट की बहस शुरू हुई थी तो उसे आरम्भ करते हुए अपनी पार्टी की तरफ से मैंने आई. एम. एफ. की कंडीशनेलिटीज को प्रकाशित करने की मांग की थी। उस समय वित्त मंत्री ने उसे नहीं माना। अब वे सारी शर्तें सदन को बताने के लिए तैयार हो गए हैं, यह अच्छी बात है। उन्होंने उस समय यह कहा था कि हमारे ऊपर कोई शर्तें थोपी नहीं गई हैं। बाद में आई. एम. एफ. के एक पदाधिकारी आए और उन्होंने कहा कि थोपने का सवाल ही नहीं है, आपका देश सारी बातें मान रहा है तो थोपेंगे कहां से। यह भारत के टेलीविजन पर मैंने देखा।

लेकिन क्या शर्तें हैं ? अगर यह सभापटल पर रखी जाती, मैं यादव जी के सुझाव से सहमत हूं कि चर्चा होने से पहले आप शर्तें सभापटल पर रखते तभी चर्चा सार्थक होती। जहां तक चन्द्रशेखर जी के आरोप हैं, वे गम्भीर हैं। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर देश के सम्मान के खिलाफ कोई बात कही जाती है तो उसका प्रतिकार होना चाहिए। यह ठीक है कि हम एक आर्थिक संकट में हैं और बड़े पैमाने पर विदेशी सहायता पर निर्भर हैं। लेकिन विदेशी सहायता इस ढंग से प्राप्त की जानी चाहिए कि हमारा गौरव भी बना रहे और जिस प्रभुसत्ता की चर्चा मंत्री महोदय कर रहे हैं, उसकी भी रक्षा हो जाए। अच्छा होगा अगर चन्द्रशेखर जी सदन को बताएं कि वे कार्लाहिल्स के किस वक्तव्य की ओर इशारा कर रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री रवि राय : यहां कुमारमंगलम जी मौजूद हैं और मैं श्री भोगेन्द्र झा और चन्द्रशेखर जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सवाल को सामने रखा। आप उस दिन सदन में होंगे, 29 तारीख, जिस दिन हड़ताल हुई थी मैंने कार्लाहिल्स के बयान को रखा था। मैं कार्लाहिल्स को कोट कर रहा हूं। श्रीमती कार्लाहिल्स ने 28 तारीख को वाशिंगटन में बयान दिया कि भारत सरकार इकनॉमिक रिफार्मस में बयान दिया कि भारत सरकार इकनॉमिक रिफार्मस की तरफ चल रही है और मैं उम्मीद करती हूं कि उस तरफ चलेगी और पेटेन्ट लाज के बारे में तीन महीने की मोहलत दे रही हूं। फरवरी तक अगर वे नहीं तो फिर हम 301 स्पेशल आर्टिकल को नहीं लगाएंगी। फिर आज चन्द्रशेखर जी को खटका लगा। मेरे दुबारा, मैं नहीं जानता, कुमारमंगलम जी हमारे दोस्त हैं, उनको भी खटका हुआ। हम फिर दुबारा भारत सरकार से कह रहे हैं कि पेटेन्ट लाज के बारे में और खास कर 301 के बारे में वह कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि स्पेशल एक्ट के बाद जरूर लागू होगा। मैं 6 महीने से देख रहा हूं कि यह सरकार जानबूझकर आर्थिक स्वाधीनता को गिरवी रख रही है। हम हिन्दुस्तान में रह रहे हैं या नहीं। आप दिमाग से कुछ इस बारे में सोचिए। यह गांधी जी का देश है, यह जवाहर लाल जी और जयप्रकाश नारायण जी का देश है। हमारा बहुत महान देश है और हम 85 करोड़ के बाशिंदे हैं व हमारा सार्वभौम देश है। कार्लाहिल्स जी कि मंत्री भी नहीं है, सिर्फ एक अफसर है हमको डायरेक्शन दे रही है। सब आफ हम लोगों को क्या नहीं है ? भले ही प्रधानमंत्री यहां नहीं हैं लेकिन संतोष मोहन देव जी जो कि यहां बैठे हुए हैं, क्या उनको भी नहीं खलता। हम कहां जा रहे हैं और किस हद तक जा रहे हैं ? आजादी के 44 साल के बाद भी ये सब कुछ हम देख रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं और अध्यक्ष के आसन पर बैठकर इस राष्ट्र के भी संरक्षक हैं। इण्डस्ट्री मिनिस्ट्री की कंसलटेटिव कमेटी की आज मीटिंग है। उसमें हम इसको जरूर उठायेंगे लेकिन हमें वहां पुराना घिसा-पिटा जवाब दे दिया जायेगा। आज सुबह ही सरकार के दिमाग में यह क्यों नहीं आया कि इस पर सो मोटो स्टेटमेंट दिया जाए। हमें ऐसा लगता है कि भारत सरकार को आत्म-सम्मान का ख्याल ही नहीं है। यह एक अहम सवाल है। अभी अटल जी ने भी इसका जिक्र किया। आप इसके सम्बन्ध में "हिन्दू" अखबार में सब कुछ देख सकते हैं। केवल "हिन्दू" अखबार में ही यह चीज निकली थी। जब यह चीज उसमें निकली थी, उसी दिन मैंने इस सवाल को उठाया था। वर्किंग क्लास इसके खिलाफ रहा है। आज ही देश के सामने इसके सम्बन्ध में एक मैसेज जाए। मंत्रिगण जो यहां बैठे हैं, वह भी इसमें शरीक होकर कहें कि हम कार्ला हिल्स की डायरेक्शन को

नहीं मानेंगे। आप हमारी आर्थिक सार्वभौमिकता को पेटेन्ट लाज के सिलसिले के बरकरार रखें।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं उन सभी वरिष्ठ नेताओं के प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए जिन्होंने इस सम्बन्ध में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा : हमने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है। हम इसे खोना नहीं चाहते।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : ठीक है, हम लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। मैं इसे नकारता नहीं हूं। मैं स्वातंत्र्योत्तर व्यक्ति हूं। किन्तु आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम स्वातंत्र्योत्तर युग के हैं। ठीक है। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि वित्त मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों और कागजात के सम्बन्ध में पहले ही सूचित कर दिया। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोगों के उपयुक्त समय पर कराने का कारण यह था कि हमें और समय मिल जाए और चर्चा प्रारम्भ करने से पहले सभी कागजात उपलब्ध हो जाएं ताकि चर्चा के दौरान आप उसका इस्तेमाल कर सकें। यह इस पहलू से सम्बन्धित है।

श्री भोगेन्द्र झा : वे लोग हमें चेतावनी की धमकी दे रहे हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं एक बात बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान मान्य सदस्य, श्री रबिराय इस बात को मानेंगे कि यदि सरकार अन्य सरकारों के प्रत्येक अधिकारी के वक्तव्यों पर स्वतः वक्तव्य देने लगे तो यह कुछ अधिक ही हो जाएगा।

श्री रबि राय : मुझे बहुत खेद है।

श्री राम कापसे (ठाणे) : क्या हमारी स्वतन्त्रता का अपमान नहीं है?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : श्री राम कापसे जी क्या आप मुझे बोलने देंगे?

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं थोड़ी देर के लिए मन्त्री जी से सहमत हो जाता हूं।

(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : इस तरह से मैं अनुगृहीत हुआ पेटेन्ट नियमों के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया है, कि सरकार पेटेन्ट कानून में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है। वास्तविक स्थिति यही है। इस मुद्दे के सम्बन्ध में कि क्या हम दबाव में आकर इसे स्वीकार कर लेंगे, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार

किसी दबाव में या किसी शर्त पर इसे स्वीकार नहीं कर सकती है। यदि हम किसी समय इस पर सहमत भी होते हैं तो हम ऐसा लोगों के हित में, अपने देश के हित में होने पर ही करेंगे। पेरिस कन्वेंसन के सम्बन्ध में हमारे विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं। हमने अपनी नीति पहले ही व्यक्त कर दी है कि हमारे पेटेन्ट कानून और वह पेटेन्ट कानून वैसे ही रहेंगे। वही वास्तविक स्थिति हैं। मैं इसे इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं ताकि आप ऐसे किसी भी व्यक्ति की भ्रांति दूर कर सके जो यह सोचता है कि हम इसमें परिवर्तन कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

01.26 म. प.

राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी लेंका) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(i) राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम, लिमिटेड, जयपुर के प्रति 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(ii) राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए एल. संख्य टी. 942/91]

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनिय, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचना और उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनिय, 1984 की धारा 109 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (पंजीकरण, सदस्यता, निदेशन तथा प्रबन्ध, विवादों का निपटारा, अपील तथा पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1991, जो 7 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 666(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 943/92]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 944/91]

1.27 म. प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 10 दिसम्बर, 1991 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 29 नवम्बर, 1991 को पारित किए गए चाय कंपनी रुग्ण चाय एककों के अधिग्रहण और हस्तांतरण संशोधन विधेयक, 1991, से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

$1.27\frac{1}{2}$ म. प.

लोक लेखा समिति

द्वितीय प्रतिवेदन

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : महोदय, मैं शक्तिमान वाहनों के लिए गैर-किफायती इंजनों की खरीद के संबंध में लोक लेखा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

उपसभापति महोदय : दोपहर के भोजन के स्थगन से पूर्व मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। उन सदस्यों को, जिन्होंने पहले अपने नाम दिए थे, प्रथम पन्द्रह या बीस आएंगे और जिन सदस्यों ने अपने नाम थोड़ी देरी से दिए थे उन्हें कुछ समय पश्चात् बुलाया जाएगा। इसके फलस्वरूप सभा में बड़ी अशांति है। आप 44 सदस्य सभा में अपनी शिकायतें रखना चाहते थे जिनमें से 11 सदस्यों को मौका मिला। कुछ आवश्यक मुद्दों पर अवश्य अधिक समय लग जाता है। अतः मैं संबद्ध पार्टियों के सचेतकों से अनुरोध करूंगा कि सूची बनाते समय अधिकारियों की सहायता करें ताकि जिन्हें बोलने का मौका नहीं मिला, उन्हें बोलने का मौका मिल सके।

दूसरे, हमें समय को कुछ महत्व देना चाहिए। जब भी आपको अवसर मिले आपको अगले वक्ता का भी ध्यान रखना चाहिए। छोटे-छोटे समूह हैं और उनके लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि हरेक को अपनी शिकायतें एक न एक दिन रखने का मौका मिल जाय। मैं समझता हूं कि इस छोटी-सी व्यवस्था से हम इस रोष को शान्त कर सकेंगे और मुद्दों पर सभा में विचार कर सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी व्यवस्था को चुनौती तो नहीं देता लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि आज मैंने शीला गौतम जी के पहले शून्य काल में अपना मामला उठाने के लिए दिया था। मुझे खेद है कि मेरे बाद के तीन व्यक्ति मेरे सामने अपना मामला देते रहे, मेरा नाम तो कट गया और शीला गौतम जी का मेरे से पहले आ गया, जिन्होंने मुझसे तीसरे नम्बर पर नाम दिया था। वह महिला सदस्य हैं, मुझे उनको मौका देने पर आपत्ति नहीं लेकिन उनके अलावा तीन अन्य व्यक्तियों के नाम आज काल किए गये और मेरा नाम रह गया। फिर एक ही विषय पर अनेक व्यक्तियों ने एक साथ प्रस्ताव दिया, उसके बावजूद उनको बुलाया गया। कृपा करके ऐसी कोई व्यवस्था करें कि रिपीटेशन नहीं हो। एक तरफ बार-बार एक विषय पर अनेक व्यक्ति बोलते रहें और हम जो नये मेम्बर हैं, जो अपनी समस्याओं को रखना चाहते हैं, हमारा नम्बर न आये। इसको आप जरूर देखें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री संतोष आपका नाम भी इसमें है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : महोदय, आम तौर पर इन मुद्दों पर कक्ष में विचार-विमर्श किया जाता है। मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इन मुद्दों को यहीं न उठाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने केवल एक सुझाव दिया है ताकि आप यहीं न सोचते रहें कि यहां पर कुछ हो रहा है। दूसरे माननीय सदस्यगण पांच से दस मिनट से अपने हाथ ऊपर उठा रहे हैं। परन्तु ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। अतः मैं संबद्ध दलों के सचेतकों से अनुरोध करूंगा कि आव-

श्यक व्यवस्था करें।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप सदस्यों का सूची अनुसार हो बुला रहे हैं परन्तु कुछ सदस्यों को विशेषतौर पर पुकारा जाता है। जब आप एक ही समस्या कई सदस्यों को उठाने की अनुमति दे देते हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इस वजह से उचित न्याय नहीं हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सरकार के ध्यान में एक मुद्दा लाना चाहते हैं। यदि एक ही माननीय सदस्य इस मुद्दे को उठाए तो यह पर्याप्त है और इसी से मुद्दा सरकार के ध्यान में आ जाता है। मान लीजिए यदि सभी सदस्य एक ही विषय पर अपने-अपने शब्दों में बोलेंगे तो इससे सम्भवत: बहुत-सा समय व्यर्थ हो जाएगा।

श्री लोकनाथ चौधरी : जब सदस्यगण नोटिस देते हैं तो वे उस विषय का भी उल्लेख करते हैं जिसे वे उठाने जा रहे हैं। अत. एक ही विषय बार-बार नहीं दोहराया जाना चाहिए।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : शून्य काल की बजाए हमें शून्य दिन रखना चाहिए ताकि उतने सदस्य बोल सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जेना का सुझाव बहुत अच्छा है। हम पांच बजे के बाद बैठकर मुद्दे उठा सकते हैं।

दोपहर के भोजनावकाश के बाद हम नियम 377 के अधीन मुद्दों को लेंगे।

सभा 2.30 अपराह्न पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.30 म. प.

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 म. प. तक के लिए स्थगित हुई

2.35 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.35 म. प. पर पुन: समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) चन्द्रपुर जिला, महाराष्ट्र के चिमूर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए ठोसठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : उपाध्यक्ष महोदय, 9 अगस्त, 1942 को राष्ट्र-पित

महात्मा गांधी के आह्‌वान पर भारत छोड़ो आंदोलन में चन्द्रपुर जिले का चिमूर क्षेत्र अग्रणी रहा, लेकिन आजादी के पश्चात्‌ इन 50 सालों में इस क्षेत्र की जितनी उपेक्षा हुई, उसे बयान किया जा नहीं सकता। इसी चन्द्रपुर, भंडारा और गढ़चिरौली क्षेत्र और चन्द्रपुर की जनता ने जंगल बचाकर रखे, लेकिन आज उनकी सिंचाई परियोजनाओं को मजूरी नहीं मिल रही है। यहां कोयला और अन्य खनिज पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन उनका खनन नहीं हो सकता। दूरदर्शन के माध्यम से इस पिछड़े और आदिवासी क्षेत्र के लोगों को दुनियां को नजदीक से देखने का मौका नहीं मिल पा रहा है और आज तक इससे वंचित हैं। खाना पकाने के लिए कोयला नहीं, लकड़ी नहीं और यहां तक कि रसोई गैस भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति इस क्षेत्र में है।

यहां के सिन्धेवाही, नागभीड़, चिमूर, ब्रह्मपुरी, आरमोरी, पोंभनी, साकोली, अर्जुनी और कुरखेड़ा ये सब तालुका के बड़े गांव हैं तथा इनकी आबादी 20 हजार से ऊपर है लेकिन यहां कहीं भी गैस एजेन्सी नहीं है और इसका फायदा उठा कर अवैध मार्ग से गैस उपलब्ध कराया जा रहा है। 70 रुपये का सिलेन्डर काले बाजार में 200 से 250 रुपये में आसानी से मिल रहा है।

अतएव मेरी प्रार्थना है कि आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले इस क्षेत्र की जनता पर हो रहे इस अन्याय को यथाशीघ्र दूर करें।

(दो) हिमाचल प्रदेश राज्य में और अधिक शैक्षिक संस्थान खोले जाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को और अधिक केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता :

श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में यद्यपि काफी स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय खोले गए। मगर दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार अभी तक ठीक प्रकार से नहीं हुआ है जिससे छात्र और छात्रायें अपनी पूरी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। सरकार द्वारा नवोदय स्कूल खोले जाने के बारे में निर्णय लिया गया जिससे गांव में बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है परन्तु हिमाचल प्रदेश के कई जिलों को नवोदय स्कूल के अन्तर्गत नहीं लिया गया है। जिला सोलन में नवोदय स्कूल हेतु भूमि कुनिहार के स्थान पर देख ली गयी थी और वहां के लोगों को यह विश्वास हो गया था कि यह स्कूल जल्दी ही बन जाएगा जिससे यहां के छात्र-छात्रायें शिक्षित हो सकेंगे, किन्तु अभी तक स्कूल नहीं खुल सका है। राज्य सरकार ने भी कई जगह शिक्षा का विस्तार करने के लिए कोशिश की है। जैसे पोंटा साहब, अर्की आदि में कालेज खोले जाने की घोषणायें, अधिसूचनायें इत्यादि जारी की परन्तु धन का अभाव होने के कारण यह अभी तक नहीं खोले गए।

अत: मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि हिमाचल में शिक्षा का विस्तार करने के लिए और कालेज और 10 प्लस 2 स्कूल अधिक मात्रा में खोले जाने के लिए भारत सरकार धन का प्रावधान करे ताकि लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में लाभ हो सके।

[अनुवाद]

(तीन) आंध्र प्रदेश, उड़ीसा सीमा पर गंजम तथा श्री काकूलम जिलों में नौपाड़ा, गुनुपुर छोटी लाइन खंड पर रेल सेवा की बहाली की आवश्यकता।

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 6 नवम्बर 1991 से लागू नौपाड़ा गुनुपुर छोटा लाइन खण्ड पर गुनुवाडा, पारलाकीमेडी तथा काशीनगर के बीच के स्टेशनों पर रेल सेवा बन्द किये जाने के सम्बन्ध में रेल विभाग के निर्णय से गंजम तथा श्री काकूलम जिलों में भारी संकट पैदा हो गया है। जुलाई 1990 में नियमित रेल सेवाओं में कटौती की गई थी और अब इस निर्णय से प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जन आन्दोलन व रैलियों का आयोजन किया जा रहा है।

दैनिक यात्री अपने कार्यालय, स्कूल, कार्य स्थल तथा व्यापार केन्द्रों पर जाने के लिए मुख्यत: परिवहन के इसी साधन पर ही आश्रित हैं। यह पुरानी रेल लाइन इन पिछड़े हुए क्षेत्रों में से गुजरने के कारण मूलत: आदिवासियों, हरिजनों और उपेक्षित लोगों की आवश्यकता को पूरा करती है।

इसलिए मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि गंजम तथा श्रीकाकुलम जिलों में नौपादा गुनुपुर छोटी लाइन खण्ड पर पहले जैसी रेल सेवायें तुरन्त बहाल की जायें।

(चार) एच. ई. सी. रांची, बिहार के कार्यकरण की समीक्षा की आवश्यकता।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : रांची में धूर्वा स्थित एच. ई. सी. उद्योग आज जर्जर हाल में पहुंच गया है। इसमें राष्ट्र की कई करोड़ की सम्पत्ति लगी हुई है और 19 हजार के करीब लोगों के परिवार का साधन बना हुआ है। वर्तमान समय में घाटा 284 करोड़ के लगभग है, सदन को यह बताते हुए दुख है कि यह प्रमुख उद्योगों में से एक था परन्तु आज एच. ई. सी. उद्योग घाटे में चल रहा है।

साथ ही साथ यह बताना चाहता हूं कि एच. ई. सी. ने जो भूमि अधिग्रहीत की थी उसका मुआवजा कई लोगों को नहीं दिया और न ही विस्थापित परिवार के लोगों को नौकरी की व्यवस्था करवाई है।

केन्द्र सरकार तत्काल इसकी जांच करने के लिए एक जांच दल एच. ई. सी. धूर्वा भेज एवम आवश्यक उचित मुआवजा दिया जाये।

(पांच) बीसलपुर पेय जल एवम् सिंचाई योजना राजस्थान को शीघ्र पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता।

श्री रासा सिंह रावत (अजमेर) : ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवम् धार्मिक समन्वय की नगरी अजमेर और सम्पूर्ण अजमेर जिला घोर अकाल एवम् दुर्भिक्ष तथा जलाभाव से त्रस्त है। वर्षा कम होने से फसलें नष्ट हो गई हैं। पेयजल के स्रोत कुएं, तालाब सब सूख गये है। आजादी के 44 वर्षों के बाद भी अजमेर शहर एवम् जिले के विभिन्न नगरों ब्यावर, नसीराबाद, विजयनगर, किशनगढ़, केकड़ी आदि में 72 घंटे में एक बार आधा घंटे के लिए पेयजल उपलब्ध हो रहा है। तथा ग्रामों में भी सिंचित साधनों एवम् पेयजल का घोर अभाव है। जलाभाव से औद्योगिक, आर्थिक एवम रोजगार सम्बन्धी समस्त विकास ठप्प है। इस विकट समस्या के निवारणार्थ आशा की किरण "बीसलपुर योजना" बनी थी जहां से पेय एवम् सिंचित जल उपलब्ध होना था पर साधनों के अभाव में वह भी अत्यन्त शिथिलगति से निर्मित हो रही है। अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बीसलपुर पेयजल एवम् सिंचाई योजना को विशेष सहायता प्रदान कर युद्ध स्तर पर शीघ्र पूरी कार्यवाही की जाये जिससे जन साधारण को राहत मिल सके।

(छ:) पोलिएस्टर धागे की कीमत में कमी लाने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता।

श्री राम बदन (लालगंज) : मेटेलाइज पोलिएस्टर फिल्मों, जिनका निर्माण चन्द कम्पनियां करती हैं, का मूल्य 1 जुलाई 1991 से 1 अगस्त, 1991 तक दो चरणों में 22 से 28 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया जिससे समस्त बुनकर वर्ग भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। ऐसा कोई कारण नहीं था जिससे उक्त फिल्मों जिनसे कि पोलिएस्टर यार्न तैयार किया जाता है, का मूल्य 28 प्रतिशत

तक बढ़ा दिया जाये। रुपये के अवमूल्यन के कारण हुई मूल्य वृद्धि का प्रभाव भी 3 से 8 प्रतिशत तक ही होना चाहिए। रुपये के अवमूल्यन एवम् मूल्य वृद्धि की आड़ लेकर बुनकर वर्ग को सरेआम लूटा जा रहा है जिससे तमाम हथकरघा एवम् पावर लूम बन्द पड़े हैं या बन्द होने की अवस्था में हैं।

अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि वह पॉलिएस्टर यार्न की कीमत में कमी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाये ताकि बुनकर वर्ग को राहत मिल सके।

(सात) बारपेटा, आसाम के सारथीबाड़ी, बनियाकूची तथा हजो गांवों में स्थित पीतल धातु तथा कांस्य धातु उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : महोदय, सारथीबाड़ी तथा बनियाकूची, बारपेटा में ऐसे दो गांव हैं जो दो पारम्परिक उद्योगों क्रमश: पीतल की धातु तथा कांस्य धातु के लिए प्रसिद्ध हैं। इन क्षेत्रों के सैंकड़ों लोग इन श्रम बहुल उद्योगों पर आश्रित हैं। इन उद्योगों के उत्पाद पूरे आसाम राज्य में लोकप्रिय भी हैं। आसाम राज्य के कामरूप जिले में स्थित हजो भी कांस्य धातु उद्योग का एक अन्य केन्द्र है।

आज कल यह उद्योग, प्रमुखत: कच्चा माल की कमी के कारण, संकट का सामना कर रहे हैं। यह देखा गया है कि पीतल की धातु के उद्योग के लिए कच्चे माल की वार्षिक आवश्यकता लगभग 6 लाख किलोग्राम है और कांस्य धातु उद्योग के लिए यह आवश्यकता 1.3 लाख किलोग्राम है। कच्चे माल की सामान्यत: आपूर्ति करने वाले व्यापारी बनावटी कमी और कीमतों में वृद्धि दर्शा कर बहुत अधिक लाभ कमाते हैं। कच्चे माल के न मिलने पर इस उद्योग को पुराने टूटे-फूटे बर्तनों (स्क्रेप) पर निर्भर रहना पड़ता है और यह भी आसानी से नहीं मिल पाता।

यदि इन उद्योगों के लिए कच्चे माल की नियमित आपूर्ति की जाये अथवा कच्चे माल के स्थानीय उत्पादन की व्यवस्था की जाये तभी प्रदेश के पीतल व कांस्य धातु के उद्योग ये सैंकड़ों कामगारों व उनके परिवार वालों के लिये आजीविका उपलब्ध करा सकते हैं। केन्द्रीय सरकार से मेरा आग्रह है कि ऐसी व्यवस्था की जाये जो आसाम के इन पारम्परिक उद्योगों को चलाये रखने में सहायक हो सके।

(आठ) पश्चिम तट, कन्याकुमारी में सागर के भीतर सीधा निरोधक दीवारें खड़ी करने की आवश्यकता।

श्री एन. डेनिस (नागरकोइल) : तमिलनाडु के पश्चिम तट पर कन्याकुमारी जिले में बहुत अधिक संख्या में मछुआरे रहते हैं। मानसून के दौरान, तमिलनाडु के पश्चिम तट पर स्थित अरब सागर वर्ष में लगभग पांच महीने प्रचण्ड हो उठता है और आक्रामक हिलोरें लेता रहता है। इस ऋतु के दौरान गरीब मछुआरे, जिनकी आय का साधन केवल मछलियां पकड़ना ही है, मछली पकड़ने वाली ऊपरी नौकाओं को नहीं चला सकते, जिससे उनकी दुर्दशा और भी बढ़ जाती है और उन्हें गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रचण्ड सागर व आक्रामक हिलोरों पर काबू पाने के लिए कन्याकुमारी जिले के तूफानी मौसम से प्रभावित क्षेत्रों में सागर के भीतर सीधा-निरोधक दीवारें खड़ी की जानी आवश्यक है जैसा कि केरल के विझिनजम तथा नीवाकरी में किया गया है। इसलिये मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि इस दिशा उचित में कदम उठाये जायें।

नियम 193 के अधीन चर्चा

[अनुवाद]

आतंकवाद, 'बघटनवाद एवं एवं अपहरण घटनाओं घटनाओं में हाल में हुई वृद्धि के सन्दर्भ में देश के विभिन्न भागों में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति :—

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आतंकवाद, विघटनवाद तथा अपहरण की घटनाओं में हाल में वृद्धि के सन्दर्भ में देश के विभिन्न भागों में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा 10 दिसम्बर 91 को उठाए गए मुद्दे पर अब हम आगे चर्चा करेंगे। श्री संतोष कुमार गंगवार बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष जी, वास्तव में जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, इतने महत्व का है कि चार घण्टे चर्चा तय हुई थी और दस घण्टे हो गए। जो कुछ इस समय देश में हो रहा है, उससे सारा राष्ट्र और यह सदन चिंतित है। मैं तो ऐसा मानूंगा कि पिछले कई वर्षों से ऐसा चल रहा है। एक कहावत है—"ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता गया"—आतंकवाद और अपहरण के ऊपर बहुत चिन्ता होती है जिसे मैं पिछले दो वर्षों से इस सदन में देख रहा हूं। फिर शासन की ओर से वक्तव्य आता है कि पूरी मुस्तैदी से सारा काम किया जाएगा परन्तु परिणाम क्या निकला है? ऐसा लगता है कि घटनाएं निरन्तर बढ़ती ही जा रही हैं। मैं केवल कुछ आंकड़े देना चाहूंगा जो अपहरण की घटनाएं हैं—

1988	15777
1989	17310
1990	18474

उपाध्यक्ष महोदय, ये सब सरकारी आंकड़े हैं। पिछले दिनों मैं एक अखबार पढ़ रहा था कि बड़े-बड़े उद्योगपति जब सफर करते हैं तो अपने साथ चैक-बुक रखकर चलते हैं कि ऐसी कहीं कोई घटना सामने आ जाए तो फिर वह अपहरणकर्ता को अपने पास से चैक दे दे। ये सारी बातें, सब चीजें हमारी जानकारी में हैं। मैं इसको बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं अभी पिछले दिनों सेना के एक बहुत बड़े अधिकारी की दिल्ली में हत्या हुई और जिस दिन हुई, मैं तब समझ रहा था कि एक विशेष जाति समुदाय ही इस प्रकार की हत्यायें करते हैं। पिछले 4-5 वर्षों में दिल्ली में इसी प्रकार की कई हत्याएं उसी जाति विशेष के लोगों ने की है। हम उस जाति को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और न ही कोई कारवाई कर पाये हैं। विदेशी राजनयिक श्री राडो की घटना सब को मालूम है। सब कुछ सोच समझ कर किया गया, उसमें किसी पाकिस्तान की संस्था का हाथ था और सारे कार्यकलाप वहां के माध्यम से हुए। वे दिल्ली की गलियों में से जिस प्रकार हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते गये, यह इस बात का प्रतीक है कि हमारे देश की शासन व्यवस्था कैसे चल

रही है ? सही मायनों में जो राष्ट्र का सत्ताधारी पक्ष होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है तो और वह जैसा बना होना है उसकी का असर उसी प्रकार से होता है। पुराने समय में यह बात की जाती थी कि घरों में ताला नहीं लगता था, हथेली पर सोना रखकर लोग चले जाते थे तो रास्ते में रोकने वाला कोई नहीं होता था।

इस सबके बहुत से कारण हैं। बहुत से लोगों ने कहा है पर मैं सारी बातें दोहराना नहीं नहीं चाहता हूँ। एक राजनीतिक आतंकवाद आजकल चल रहा है, एक आपराधिक आतंकवाद है और एक राजनीतिक धार्मिक आतंकवाद है और ऐसा लग रहा है कि इस समय हिंदुस्तान इन तीनों आतंकवाद से ग्रस्त है। आपराधिक आतंकवाद देखें तो फिर हमारा असम है, तमिलनाडु है, आन्ध्र प्रदेश है, यहां पर आपराधिक किस्म का आतंकवाद बहुत सक्रिय है और कुल इस प्रकार का सक्रिय है कि उन राज्यों के जो मुखिया हैं, चाहे कुमारी जयललिता हों या हितेश्वर सैकिया हों, वह अपनी स्थानीय पुलिस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अपनी सुरक्षा के लिए एस. पी. जी. की व्यवस्था करवा रहे हैं। यह बात सबको समझ में आ रही है।

पंजाब के बारे में बहुत कुछ अखबार में छपा। अखबार में लिखा हुआ था कि वहाँ पर एक दारोगा जो हमारी शासन व्यवस्था का हिस्सा है, वह कहता है कि मैं क्षमा मांगता हूं कि मैं भविष्य में कभी शराब नहीं पिऊंगा, सिगरेट नहीं पियूंगा। यह किस बात का प्रतीक है कि वहां पर सचिव स्तर तक के अधिकारी हिन्दी में लिख नहीं सकते। लिखने के लिए उन्हें दूसरी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा और वे इस बात को मानते हैं। वहाँ पर लड़कियों को एक विशेष प्रकार की पोशाक पहनने को कहा जाता है और नहीं पहनेंगे तो उनसे निपट लिया जाएगा। स्कूल के अन्दर राष्ट्रीय ध्वज गलती से फहरा दिया तो उसके खिलाफ कारंवाई होगी। मैं अभी पढ़ रहा था कि पुलिस वालों को नोटिस आते हैं कि हमने जो लिखकर भेजा है, उसे वैसे का वैसा छापिये। अगर कमी की तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये सब बातें हमारी जानकारी में आ रही हैं और हम इसके बारे में कोई कारंवाई नहीं कर पा रहे हैं। पिछले चार-पांच वर्षों के अखबार उठाकर देखिए तो देश में इतने आतंकवादियों की हत्यायें कर दी गयीं या मार दिए गए या पकड़े गये, ऐसा लगता है मानो जैसे कहावत है कि भस्मासुर का हाथ रख दिया और वह बढ़ता गया। संख्या कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। सरकारी आंकड़े भी बताते हैं और बाहर भी यही रहता है। इसके अन्तर्गत कितना क्षेत्र है। मैं तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। नैनीताल के अन्दर जो वहां दशहरा मेला पर रुद्रपुर में घटना हुई थी, वहां पर बिल्कुल साफ समझ में आता था कि मेले में सब लोग घायल हो गये तो उन्हें मालूम था कि ये लोग अस्पताल में जायेंगे और जब अस्पताल में पहुंचे तो वहाँ भी बम का विस्फोट हो गया। यह किस प्रकार की मानसिकता का प्रतीक है और वे किस प्रकार के लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं ! ये बहुत सी बातें हैं, इनको हम देखें और काम में लायें। कश्मीर की बहुत सी बातें सामने आयी हैं।

मेरे एक परिचित कश्मीर में अफसर हैं। उन्होने बताया कि वहां आतंकवादियों से काम कराने के लिये सहयोग लेना पड़ता है। अगर कफ्यूं की घोषणा कर दी तो मजाल कि कहीं कोई ऐसा काम कर दे ! मेरे परिचित कुछ बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि मैंने अपना चेक भुगतान के

लिये बैंक में भेजा और तीन दिन तक उसका भुगतान नहीं हुआ। बैंक के अधिकारी से संपर्क किया तो उसने बताया कि हमारे लिये ओ. के. नहीं हुआ है। किससे ओ. के. नहीं हुआ है यह बात समझने की है। वहां पर जब 14 अगस्त को पाकिस्तानी झंडा लहराया जाता है तो उसके ऊपर हम चिन्ता व्यक्त नहीं करते हैं और हम कहते हैं कि 26 जनवरी या 15 अगस्त को झंडा फहराएं तो लोगों को दिक्कत होती है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज जरूरत इस बात की है कि हम देखें कि हमारी इच्छा शक्ति कैसी है और राजनीतिक दल जो सत्ता में आते हैं, अगर उनकी इच्छाशक्ति प्रबल नहीं है तो निश्चित रूप से हम कुछ नहीं कर सकते और सभी राजनीतिक दलों को इस पर इच्छाशक्ति मजबूत करनी पड़ेगी। मैं यह मानता हूं कि जहां भी आतंकवाद है, हम लोग एक साथ रहे और हमने बहुत से कामों में गम्भीरता से भाग लिया और हमारे लोग लगे रहे। मैं एक जगह पढ़ रहा था। भगत सिंह ने कहा कि—"पिस्तौल और बम इन्कलाब नहीं लाते हैं, बल्कि इन्कलाब की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है।" वास्तव में हमें समझना है कि वास्तविकता क्या है, असलियत क्या है और इस पर यदि हमने मिल बैठकर फैसला नहीं किया कि इस देश का भविष्य क्या बनाना है तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। हमारे नौजवानों को काम नहीं होता, बेरोजगारी को दूर नहीं किया या आचरण नहीं सुधारा। अगर हमने उनसे समझौता किया इस हिसाब से कि हमारा स्वार्थ है, इसलिये हम आतंकवाद से समझौता कर लें तो कभी भी हम देश का भला नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अन्त में यही कहना चाहता हूं कि इस समय सरकार जो वक्तव्य दे, उचित वक्तव्य दे क्योंकि उत्तर प्रदेश से मैं आया हूं और तराई का जो प्रभावित हिस्सा रहा है उसके 9 जिले ज्यादा प्रभावित हैं और 25 जिले इसके अलावा प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश का पूरा हिस्सा, पंजाब के हिस्से से बड़ा है, जो प्रभावित है। स्थिति ऐसी है कि आसानी से उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। यदि उत्तर प्रदेश को 50 ए. के.-47 राईफलें मिलें तो उसका मुकाबला नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि आप आधुनिकतम हथियार उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायें ताकि वहां की सरकार स्थिति का मुकाबला कर सके। पी. ए. सी. की 40 बटालियनें उत्तर प्रदेश में तुरन्त भिजवाई जायें क्योंकि प्रभावित क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसलिए भी कि मेरा एस. एस. पी. मुझसे कहता है कि आप रात को कहीं न जायें, अगर जायें तो हिफाजत के साथ जायं और हमें बताकर जायें। यह किस बात का प्रतीक है। यह इसी बात का प्रतीक है कि स्थिति का साधारण राईफलों से मुकाबला नहीं किया जा सकता। उसके लिए आधुनिकतम हथियारों की जरूरत है। मेरा निवेदन है कि माननीय गृह मन्त्री जी, जो सदन में मौजूद हैं, वे भी उत्तर प्रदेश के हैं और स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं, अपने उत्तर में स्पष्ट तौर पर बतायें कि उत्तर प्रदेश सरकार को क्या देने जा रहे हैं ताकि वहां की सरकार स्थिति का मुकाबला कर सके। इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद।

[अनुवाद]

कुमारी फ्रीडा टोपनो (सुन्दरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन् देश के कई भागों में कानून

व व्यवस्था का प्रश्न गंभीर बन गया है। यह देश की एकता एवं अखण्डता को प्रत्यक्ष चुनौती दे रहा है। विघटनकारी शक्तियां जो केवल जम्मू कश्मीर तक ही सीमित थीं आज आतंकवाद के रूप में फैलकर पंजाब, हरियाणा, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश तक आ गई हैं। कुछ विदेशी शक्तियों, कुछ धार्मिक कट्टरवादियों और कुछ राजनीतिक अवसरवादियों के उकसावे में इन शक्तियों ने देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक आधारशिला को हिला कर रख दिया है। धर्म निरपेक्ष भारत आज इन आतंकवादियों द्वारा अपनी ही संतानों का रक्तस्नान देख रहा है।

धार्मिक कट्टरवादियों द्वारा समर्थित पंजाब और जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों के साथ कठोरता से पेश आना चाहिए। इन आतंकवादियों के कार्यक्षेत्र विश्व के विभिन्न भागों में हैं तथा इनका मुख्यालय पाकिस्तान में है। संत लोंगोवाल, श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री राजीव गांधी आदि जैसे देश के महान संतानों की इन आतंकवादियों द्वारा की गई हत्याओं ने लाखों भारतीयों के जन-मानस का भयाक्रान्त कर दिया है तथा हमारे राष्ट्र के अस्तित्व को भी खुली चुनौती दे डाली है। जो आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बना हुआ हैं ऐसे लोगों की रक्षा करना हमारा प्रमुख कर्त्तव्य हो जाता है। इन आतंकवादियों के साथ कठोरतापूर्वक पेश आने के साथ हमें युवकों के लिए रोजगार के अवसर भी तलाश करने होंगे।

मान्यवर, जिस युवावर्ग ने देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद का रास्ता अपना लिया है, हमें उनकी समस्याओं की तह तक जाना होगा। देश के पूर्वी भागों यथा, मणिपुर, नगालैंड, असम, में विद्रोह फिर एक बार गम्भीर विषय बन गया है और उनके साथ कोई और तरीका अपनाते हुए कड़ाई से पेश आना होगा।

देश के मध्य भाग में नक्सलपन्थी के रूप में आतंकवाद फिर से सिर उठा रहा है। जिसका आधार सामाजिक और आर्थिक दोनों ही हैं। बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के कुछ भाग, आन्ध्र-प्रदेश और अब मध्य प्रदेश भी इसके चंगुल में आ गये हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले हरिजनों, आदि-वासियों को युगों से सताया जा रहा है।

3.00 म. प.

मान्यवर, मैं सदन से अपील करता हूं कि इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए।

जब भी कभी आदिवासी क्षेत्रों में बांध, कारखाना जैसी बड़ी परियोजना की बात होती है तो इन लोगों से जमीन खाली करने को कहा जाता है। वह जमीन जिसे उन्होंने वर्षों कठिन परिश्रम करके कार्य योग्य बनाया होता है और जो उन्हें सबसे प्यारी होती है इन विस्थापित व्यक्तियों को न तो पुनः समुचित रूप से बसाया जाता और न ही उन्हें इन कारखानों में नियोजित किया जाता है।

आतंकवादियों ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अब एक नयी तकनीक अपनायी है और वह

है महत्वपूर्ण लोगों का अपहरण। ये लोग इस तकनीक का उपयोग, जेलों से खतरनाक अपराधियों को छुड़ाने के लिए कर रहे हैं। रोमानियाई कूटनीतिज्ञ का अपहरण, हमारे भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बन गया है। हमने भारत सरकार के आसूचना विभाग की पूर्ण असफलता के कारण ही इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी को खो दिया। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, आसूचना विभाग को पुनर्गठित किया जाये।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : आतंकवाद की समस्या आज केवल किसी राज्य की समस्या नहीं रह गयी है बल्कि देशवासियों की समस्या बन गयी है। सरकार को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में इस समस्या को देखना चाहिए। असलियत में आतंकवाद कांग्रेस की देन है— चाहे पंजाब में हो, असम में हो या कश्मीर में हो। कांग्रेस सरकार की हमेशा यह नीति रही है कि कहीं पर भी स्थिरता न आने पाए। उन्होंने महाराष्ट्र में भी ऐसा बर्ताव किया है।

पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और असम के आतंकवाद के पीछे बंगलादेश का हाथ है। सरकार को यह अच्छी तरह मालूम है। लेकिन न जाने सरकार किन कारणों से कोई कदम नहीं उठा रही है। हमारे प्रधानमन्त्री श्री राव, रक्षा मन्त्री श्री शरद पवार बार-बार कह रहे हैं कि आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। बार्डर पर हमारे जवान हर रोज मारे जा रहे हैं। लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। सरकार को पाकिस्तान की नीति स्पष्ट करनी चाहिये। समय आ गया है कि हमें पाकिस्तान पर आक्रमण करके उनको दबाना चाहिए तभी आतंकवाद बन्द हो सकता है।

आज आतंकवादियों के पास जो आधुनिक हथियार हैं वे हमारी पुलिस के पास कम हैं। महाराष्ट्र सरकार ने तो स्पीड मोटर वेहीकल्स की मांग की थी लेकिन अभी तक वह नहीं मिली है। आज निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है। सरकार मरने वालों के प्रति केवल संवेदना व्यक्त करके उन्हें कुछ रुपये अनुग्रह राशि के रूप में दे रही है।

सबको मालूम है कि भिंडरवाले को किसने उकसाया। यदि कांग्रेस सरकार ने भिंडरवाले को न उकसाया होता तो आज स्थिति यह न होती।

कश्मीर की समस्या ने एक भयंकर रूप धारण कर लिया है। यदि इस समस्या को शुरू में ही पनपने न दिया जाता तो कश्मीर में यह समस्या ही न होती। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर श्री जगमोहन ने अपने पत्र में भारत के तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी को समय-समय पर कश्मीर की स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन वे तो कश्मीर की सत्ता अपने मित्र अब्दुल्ला के हाथों में सौंप चैन की बंसी बजा रहे थे और उधर कश्मीर भभकने लगा। श्री जगमोहन के बार बार लिखने के बाद भी केन्द्र सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज कश्मीर की स्थिति सबके सामने है। वहां अपहरण होते रहते हैं और आतंकवादी अपने पकड़े गये साथियों को छुड़ाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं और उनको छुड़ाते हैं।

कश्मीर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री मुशीरुल हक का अपहरण हुआ है और बाद में उनकी हत्या कर दी गयी। सरकार ने आतंकवादियों के चंगुल से उनको छुड़ाने के लिए कुछ नहीं किया। सरकार ने कहा था कि उसके परिवार को पांच लाख रुपये देंगे लेकिन वह अभी तक नहीं दिया गया है। यह बड़े दुख की बात है।

असम में यह स्पष्ट हो गया है कि अल्फा आतंकवादियों को बंगला देश से सहायता मिल रही है लेकिन सरकार ने इस बारे में कोई कठोर कदम नहीं उठाये।

अपहरण, हत्याओं, चोरी कानून और व्यवस्था की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। हमारी पुलिस बेकार हो गयी है। अभी तक यह अपहरण की किसी घटना का पता नहीं लगा सकी है। रूमानियां के राजनयिक के अपहरण और मुम्बई के जोहरियों के अपहरण ने पुलिस के चेहरे से नकाब उतार कर रख दिया है और साबित कर दिया है कि दिल्ली की पुलिस निकम्मी है।

अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश और हरियाणा में आतंकवादियों ने बेरोकटोक दिन के समय निर्दोष लोगों की हत्यायें कीं। हमें सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आतंकवाद क्यों पनपा है और उसके कारण जान लेने के बाद उसका हल ढूंढना चाहिये।

हमें सच्चे दिल से आतंकवाद और कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिये ठोस कदम उठाने चाहिये और आवश्यक हो, सख्ती बरतनी चाहिए।

मैं आप सब से विनती करता हूँ कि चाहे हम अलग-अलग पक्ष के हैं लेकिन हमें इस बारे में एक होना चाहिये और देश को टूटने से बचाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, लॉ एंड आर्डर के मसले पर असल सवाल यहां पर ला एंड आर्डर का नहीं है बल्कि हम को जायजा लेना है कि हमने क्या गलतियां कीं जिसकी वजह से यह हालात पैदा हुए क्योंकि आजादी के जमाने में भी यह हालात नहीं थे, लेकिन 44 साल गुजरने के बाद जब यह हालात पैदा हुए तो जाहिर है कि सबसे पहले हम को यह देखना पड़ेगा कि आखिर वह क्या बात थी जिसकी वजह से यह हालात पैदा हुए। अगर हम सिर्फ टेररिस्ट्स को बुरा कहते रहेंगे तो यह मसले का हल नहीं है बल्कि उन लोगों को भी बुरा कहना चाहिए। जिन्होंने उनको टेररिस्ट बनाया। वे ताकतें जिन्होंने उनको टेररिस्ट बनाया वे हैं, सरमायादार और रिश्वतखोर।

इसके अलावा हम को इस बात का भी जायजा लेना होगा कि हमारी फारेन पालिसी के अन्दर क्या गलतियां थीं जिसकी वजह से आज हमारे पड़ोसी इतने खौफजुदा हैं। अगर हम इन तमाम चीजों का जायजा लेकर इसका हल निकालते हैं तो मुमकिन कोई अच्छे नतायज निकलेंगे। अगर आप के जरिये या और किसी जरिये से इसका हल निकालेंगे तो कुछ बात नहीं बनेगी।

मेरे से पहले तकरीर में यह कहा गया कि एकता-यात्रा को मुजफ्फराबाद को जा रही है। मैं यह कहूंगा कि जब आप यह समझते है कि पंजाब और कश्मीर में पाकिस्तान तमाम लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आपकी जो एकता-यात्रा है और 26 जनवरी को श्रीनगर में जो परचम लहराया जायेगा उसकी बजाय अच्छा होगा कि वह एकता-यात्रा मुजफ्फराबाद जाये और वहां परचम लहराये : ऐसे में तमाम लोग आपकी वाह-वाही करेंगे।...(व्यवधान)...

आपके 20 लाख आदमी जो चाकू, लकड़ियां और लम्बे लट्ठ लेकर जाते हैं. आखिर किस लिये ? आखिर आप क्या करना चाहते है ? अगर यहां कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप पैटंट टैंक चलाना सिखिये, एक जेड-16 चलाना सिखिये। आप तो अकलियतों के ऊपर ही जुल्म करने की बात करते हैं। आप मुजफ्फराबाद एकता-यात्रा ले जायें, लेकिन आप वहां जायेंगे नहीं। आप तो उसे श्रीनगर लेकर जा रहे है। वहां आपके पीछे आर. एस. एस. के लोग पहुंच जायेंगे तो मसला ही खत्म हो जायेगा और उसको वहां लहरा देंगे तो किस्सा ही खत्म हो जायगा।

इसी के साथ-साथ मैं आन्ध्र प्रदेश के ताल्लुक से भी कहूंगा कि आप गौर फरमायें। आंध्र प्रदेश के अन्दर, जहां हम टेरोरिज्म को बुरा कहते है, आपको जायजा लेना पड़ेगा कि हर देहात के अन्दर एक डाक्टर को, हैल्थ मिनिस्टर का रखा जाता है लेकिन न वहां लोगों को दवाई दी जाती है, न वहां डाक्टर नजर आता है लेकिन नक्सलाइट्स ने क्या किया, वहां पर जो डाक्टर्स और जो दवाइयां थी, उनको पाबन्द किया, मारा। उसके बाद से वहां डाक्टर भी नजर आता है तो आखिर अवाम उनका साथ दे रही है, आप उसका इलाज भी कीजिए।

मैं यह नहीं कहता, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, टैरेरिस्ट्स की मगर आपकी गलतियों की वजह से यह टेरोरिज्म फैला क्यों ? खुद आप गौर करें कि हैदराबाद के अन्दर हंगामा हुआ। एक हंगामे के बाद, एक कम्युनल फसाद के बाद एक चीफ मिनिस्टर को निकाला जाता है लेकिन वही चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को अपना लेटर लिखता है और अपने एम. एल. ए. के नाम बताता है कि इनकी वजह से यह हंगामा हुआ लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। एक साल में दो वक्त फसाद होता है, चीफ मिनिस्टर तो हटाया जा सकता है लेकिन वहां का पुलिस कमिश्नर नहीं हट सकता। आखिर क्या बात है, एक पुलिस कमिश्नर अपनी बेटी की शादी में 30 लाख रुपये जाबरी देता है और पैसा जमा करके किस-किस को हिस्सा देता है, क्या इस वजह से उसको नहीं हटाया जाता कि दो वक्त फसाद हुआ।

आप अंदाजा कीजिए कि तीन मील के फासले के ऊपर इन्तजाम के लिए गणेश के जुलूस के लिए 12 हजार पुलिस फोर्स आई लेकिन इसके बाद भी इन्तजाम नहीं कर सके, फसाद हुआ। उसके बाद भी आज वह पुलिस कमिश्नर को आन्ध्र प्रदेश में रखा जाता है। उसका नतीजा क्या हुआ, आज हैदराबाद के हर नाके पर कहा जा रहा है कि गुण्डों को पकड़ा जाय, सौ-सौ को। वहां उन लोगों को पकड़ा गया, जो बाहर थे, अपने बीवी-बच्चों से मिलने के लिए यहां पर आये और वह पासपोर्ट बता रहे है कि मैं वा हो नहीं, मैं तीन वर्ष के बाद आ रहा हूं तो उनसे कहा जाता है कि 5-5 हजार रुपये दो तो तुम बच जाओगे वरना तुम्हारी नौकरी भी जायेगी। आप बताइये, ऐसे

कई लोग है, आज जब उनसे मैंने पूछा तो आज वह कहते हैं कि हमारी सऊदी अरब की नौकरी भी गई, हमारी तमाम चीजें आज हम टेरेरिज्म के सिवा क्या करें ? जिसका नतीजा यह है कि आज आंध्र में एक गफूर ग्रुप बन गया और वह टेरेरिज्म फैलाते हैं। यह किसकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं, हम तो यहां बोल रहे हैं लेकिन हमारे होम मिनिस्टर साहब यहां पर मौजूद नहीं है, अब हम अपना दुखड़ा किसको सुनायें। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आप यह कहेंगे और मैं यह कहूंगा कि अहमियत का अंदाजा कीजिए, किसको बिठाया गया है ? क्या होम मिनिस्टर खुद नहीं आ सकते थे ··(व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : उन्होंने कल ही बोला था कि उनकी एक मीटिंग है, वे आज यहां नहीं आ सकेंगे।

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रामलाल राही) : आप सुन लीजिए। होम मिनिस्टर बाहर बिजी है। आप जो सवाल यहां उठाएंगे, उसका हम जवाब देंगे। एक-एक मेम्बर का जवाब देना हो तो मैं अभी जवाब दे दूंगा, वह भी दिया जा सकता है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : आप बुरा न मानें तो आप मुझे मौका दें।

सभापति महोदय : मिनिस्टर साहब कुछ कह रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : मैं माननीय सदस्य महोदय की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि गृह मन्त्री जी दुर्भाग्यवश पंजाब पर हो रही एक बैठक में व्यस्त हैं, अन्यथा वे यहां होते। जो भी मुद्दे यहां उठाए गए हैं उन्हें गृह राज्य मन्त्री महोदय ने नोट कर लिया है। इसे निश्चय ही गृह मन्त्री जी की जानकारी में लाया जाएगा और वह इनका उत्तर देंगे।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : सभापति जी, मैं आंध्र प्रदेश के ताल्लुक से वहां जो नक्सलाइट तहरीक चल रही है, आप बताइये कि एक सेंट्रल मिनिस्टर का लड़का और वह भी एम. एल. ए. हार्ट आफ दि सिटी के अन्दर से उठाकर ले जाया जाता है तो आखिर आपकी पुलिस और आपकी इण्टेलीजेंस क्या कर रही कर रही है ? क्या हमारे टैक्सों का पैसा इसीलिए है (व्यवधान) आप नाम लेते हैं तो मैं बोल ही देता हूं कि शिवशंकर जी का लड़का एम. एल. ए. है और उनको उठाकर ले जाया गया। तो क्या कहा गया, यह मैं पूछना चाहता हूं। पुलिस को कहां की इनफोरमेशन रहती है कि कहां शराब बिक रही है, कहां पैसे कमाने हैं, इन सब चीजों की उनको पूरी इनफोरमेशन रहती है। अगर इनफारमेशन नहीं रहता है तो दिल्ली के अन्दर उठा कर एक तस्वीर को लेकर चले गए और उसके बाद लाकर छोड़ते हैं, उसके घर पर पुलिस का पेहरा है और वह जवान अन्दर आने नहीं देता और कहता है कि आप कौन हैं ? अब आप अन्दाजा कर सकते हैं कि ला एण्ड आर्डर की सूरतेहाल क्या है और उसके क्या नतीजे मिल रहे हैं।

हम सिर्फ यहां पर बात करते हैं लेकिन यह बताना चाहिए कि आप इसके लिये क्या असली एक काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं और जितनी भी सरकारें हैं, अगर आप वहां पर देखें तो आप हमको क्या बुरा कह रहे हैं, अरे कहो उनको जो लोग रिश्वत खाते हैं और पूरे नक्सलाइट को वे पैसा देते हैं। आप उनको बताइए कि क्या किस से मिली भगत है तो आज आपके सामने आएगा कि किस तरह से हालात दिन-ब-दिन खराब होते चले जा रहे हैं। आज आप बगैर पैसे दिए कारोबार नहीं कर सकते हैं. बगैर पैसा दिए व्यापार नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोमप्रोमाइज न कर लिया जाए हम लखनऊ के बादशाह को जब वे नाच रहे थे तो उनके कमांडर ने कहा कि तुझे बात करना नहीं आती, तुझे यह कहना चाहिए कि फतह सरकार की और कब्जा दुश्मन का होता जाता है। तो क्या आप आज तेलंगाना के अजला में जा सकते हैं, अगर आप यह कहें कि वहां सब ठीक-ठाक है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर वहां सब ठीक-ठाक है तो 6 बजे के बाद बसिस को क्यों नहीं चलाया जाता। तेलंगाना के अजला के अन्दर अगर सब ठीक-ठाक है तो क्यों नहीं वहां पर कोई मिनिस्टर जाता, तो मालूम होगा कि सब के सब बेबस हैं और आवाम भी उनका साथ दे रहे हैं, इस वजह से कि ये पुलिस के लोग जिन्हा करते हैं, औरतों के साथ, ये तमाम चीजें करते हैं, लेकिन वे लोग तहाफुज कर रहे हैं। तो आप बताइए कि आवाम किस को अच्छा कहेंगे।

आज शराब बन्द कर दी गई तो आप बताइए गवर्नमेंट तो नहीं कर सकी, तो आप गौर कीजिए कि मामला क्या है और आप किस तरीके से उनका साथ करें। लेकिन खाली यहां बैठ कर बातें करते चले जाएं कि ऐसा हाल हो गया, वैसा हाल हो गया लेकिन यह भी हमको गौर करना है कि आखिर तमाम चीजों का, पोलिटिशन को भी यह चाहिए कि अपनी जायदाद का, अपने बैंक बेलेंस का हिसाब दें और बताएं कि पांच वर्ष के बाद उनकी जायदाद कितनी बढ़ गई। लेकिन जब ये तमाम आवाम को मालूम है कि हम तो गरीब हो रहे हैं और आप दौलतमंद हो रहे हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं, भूखे-नंगे हैं तो फिर आप बताइए, तब इकबाल ने कहा था कि—

"जिस खेत से दहकां को मयसर न हो रोजी,

उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो।"

तो वही चीजें आज हो रही हैं और आइन्दा वे वक्त आएगा कि आप हम सब अपनी हिफाजत का भी सम्मान नहीं कर सकेंगे और फिर हम सिर्फ वाहवाह करते रहे जाएंगे। हमारा मिजाज भी मुशाहरे का हो गया है जब अच्छा शेर कहा जाता है तो वाहावाहा कहते हैं, अमल कुछ भी नहीं होता। तो ये तमाम चीजें छोड़िये। जब पार्लियामेंट मे कोई हंगामा होता हैं, मुल्क में, तो हमारा हिसाब माफ करना, बुरा न माने उस ओर यात्रा जैसा हो जाता है यानी हर साल जैसे उसमें यात्रा में जाकर फूल चढ़ा देते है वैसा कुछ हुआ तो पार्लियामेंट में 377 वगैरह ला दिया गया। तो आपको जो बोलना है बोलते जाइए और आपको जो करना है वह आप करते जाइए, तो यह हिसाब बन रहा हैं तो आप अन्दाजा कर सकते हैं कि अंजाम क्या होने वाला है। (व्यवधान) 30 लाख डाबरी दे रहे हैं अपनी बेटी की शादी के लिए, इस रिश्वत को खत्म कीजिए। रिश्वत को खत्म कीजिए, ब्लैक मार्केटिंग को खत्म कीजिए, देहातों के अंदर औरतों के साथ जो बेइज्जती की जा रही है, उसको खत्म कीजिए। सिर्फ कहने से नक्सलाइट्स का मसला हल नहीं होता है, यदि आप यह सोचें

तो यावर लिए, एक दिन पूरा अवाम उठकर खड़ा होगा, आप चाहे नक्सलाइट्स का नाम लेकर कुछ भी कहें, अवाम, देश का गरीब आदमी आज तंग आ चुका है, यदि यही हालात रहे तो हिंदुस्तान को एक खूनी इन्कलाब से गुजरना पड़ेगा।

सभापति महोदय, यहां पर सिक्खों की बात की जाती है, उनको बुरा कहा जाता है, लेकिन 5000 आदमी मार दिए गए, उनकी औरतों की बेइज्जती हुई, लेकिन आज तक आपने किसी को सजा नहीं दी। क्या इसके बारे में भी आप यह कहेंगे, आप अपने को उस जगह पर रखकर कहिए, यदि हमारी मां-बहन होती और उसके साथ ऐसी बेइज्जती की जाती तो क्या आप-हम हथियार नहीं उठाते, क्या आप हम लड़ते नहीं उस बेइज्जती के लिए। अपने को वहां पर रखकर फिर गौर कीजिए कि 5000 आदमी मारे जाते हैं, लेकिन आज तक किसी को सजा नहीं होती, तो क्या आप उन लोगों को बुरा कहेंगे, आप उन लोगों को बुरा क्यों नहीं कहते जिन लोगों ने 5000 लोगों की हत्या की। खाली टेररिस्ट को बुरा कहने से मसला हल नहीं होगा।

मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा): मान्यवर, बहुत बड़ी देर से चल रही है, लेकिन उसके बाद भी कुछ मुद्दे अछूते हैं, जिन पर मैं कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय, आतंकवाद का जहां तक मामला है, इसमें केन्द्र सरकार ने अदूरदर्शिता से काम लिया है और राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार अदूरदर्शिता से काम लेती है, इसी तरह से आतंकवाद की समस्या पैदा हुई है। मेरे एक मित्र ने भिन्डरांवाले की बात कही है, लेकिन आज अनेक राज्यों में अनेक भिन्डरांवालों को पैदा कर दिया गया है और राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए राजनीतिक हाथ उन पर रख दिए गए हैं। इसके दुष्परिणाम आज हमको देखने को मिल रहे हैं और समूचे हिन्दुस्तान का आधे से ज्यादा हिस्सा आतंकवाद की लपेट में आ गया है। कौन नहीं जानता कि लिट्टे के लोगों को हिन्दुस्तान की सरकार ने संरक्षण दिया था। अनेक हिन्दुस्तान के फौजी लोगों ने उनको फौजी ट्रेनिंग दी और उसके बाद, हमारी गलत नीतियों के कारण वही लिट्टे हमारे खिलाफ हो गया और अब तमिलनाडु आतंकवाद की चपेट में झुलस रहा है।

उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति है। केन्द्र सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए कोई सुनियोजित प्रोग्राम नहीं बना सकी है, एडहाक बेसिस पर काम होते हैं। पंजाब के अंदर दबाव पड़ा तो उग्रवादी उत्तर प्रदेश के अन्दर आ गए। जब पंजाब के अंदर आपरेशन किया गया, उस समय यह ध्यान होना चाहिए था कि पंजाब से भागने के बाद वे उत्तर प्रदेश में आकर उत्पात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब की सीमाओं को अगर सील किया गया होता तो उत्तर प्रदेश में इतनी तबाही नहीं होती। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में जो आतंकवाद पैदा हुआ है, उसके लिए

केन्द्र सरकार की अदूरदर्शितापूर्ण नीतियां जिम्मेवार हैं। इसके अलावा केन्द्र सरकार राजनीतिक आधार पर भी उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव बरत रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 160 सी.आर.पी. अर्द्ध सैनिक दलों की कम्पनियां मांगी हैं, लेकिन वे उपलब्ध नहीं कराई गई, बल्कि जो 40 कंपनियां उत्तर प्रदेश को दी गई थीं, उनमें से भी 20 कंपनियां वापिस ले ली गई हैं। मात्र 20 कंपनियों के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार आतंकवाद को झेल रही है और इसलिए अनेकों मासूम लोगों की हत्याएं हो रही हैं। केन्द्र सरकार की गलत नीतियों और राजनीतिक दर्भावना के कारण आज वहां लोग मारे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने पुलिस बल के लिए हथियारों की मांग की थी, लेकिन आज तक अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। पंजाब के अन्दर 450 और दिल्ली के अन्दर 106 कम्पनियां लगी हुई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का इलाका पंजाब और दिल्ली दोनों से दुगना इलाका है, इसके बावजूद वहां पर अर्द्धसैनिक दलों की कम्पनियां मुहैया नहीं की जा रही हैं। इसके अलावा भी इस सारे मामले में केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार को अन्य प्रकार की पर्याप्त सहायता देनी होगी, समूचे देश के अन्दर, सभी स्टेट्स में नियोजित ढंग से सहायता देनी होगी, तभी काम बन सकता है, नहीं तो आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं हो सकता वह समूचे देश में फैल हो जायेगा।

इसी तरह से नारकोटिक्स ड्रग्स, विदेशों से आने वाला तस्करी का धन अवैध कार्यों में लग रहा है, आतंकवादियों को मिल रहा है। उस धन के माध्यम से हथियार लाए जा रहे हैं। इसलिए जैसा कि अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि हिन्दुस्तान को अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना होगा, यह बात सही है। जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, वे हमारे सीधेपन और शराफत को देखते हुए हमारे देश के अन्दर पेनीट्रेशन कर रहे हैं, इन्फील्ट्रेशन कर रहे हैं, आतंकवादियों को हथियार उपलब्ध करा रहे हैं। आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं। उसके लिए हमें विदेश नीति पर विचार करके कड़ाई से उनके साथ व्यवहार करना होगा। चाहे राजनीतिक तौर पर सन्धि करके करें चाहे कड़ाई से व्यवहार करके करें, लेकिन हमें सीमाओं को सील करके या कड़ाई करके या मित्रता करके आतंकवादियों की जो आवाजाही उन देशों से हो रही है और छिपने के जो ठिकाने हैं उनको समाप्त करना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की सरकार ने हथियारों के लाइसेंस पर पाबन्दी लगा दी है। कानून पसन्द आदमी हथियार लेना चाहता है अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन सुरक्षा के लिये हथियार नहीं मिल पाते। अवैध रूप से खरीदना चाहे तो बदमाश चाहे जितने हथियार ले सकता है। विदेशी हथियार भी तस्करी के माध्यम से उसे मिल जाते हैं। इसलिए बेगुनाह आदमी का मनोबल गिर जाता है। मैं इसलिए कहना चाहूँगा भारत सरकार से कि हथियार जो सुरक्षा के लिए लोग खरीदना चाहते हैं उन्हें लिबरली लाइसेंस ग्रान्ट किए जाएं। इसके साथ ही आतंकवाद के दो पक्ष हैं एक राजनीतिक पक्ष है दूसरा आर्थिक पक्ष है, लेकिन मुख्य रूप से आज आतंकवाद जो है वह राजनीतिक पक्ष के आधार पर है। अब आर्थिक पक्ष की बात करना चाहता हूं हां, गरीबी को दूर करना होगा। गरीबी को दूर नहीं किया जएगा तो कभी नैक्सलाइट जैसा आन्दोलन पैदा हो सकता है। इसलिये काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाकर नौजवान को रोजगार के अवसर दिये जा जाएं। उसमें राष्ट्रीयता को जगाने का भाव पैदा करें। अवैध हथियारों की आवक को रोकें और अपराधियों को जो राजनीतिक संरक्षण देने की प्रथा चल

गयी है उसको समाप्त किया जाए। अगर ये सब किया गया तो निश्चित रूप से आतंकवाद पर काबू पाया जा सकेगा और देश के अन्दर फिर से सुरक्षा, अमन-चैन और शान्ति स्थापित हो सकेगी। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति जी, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, कहने को तो वह राज्य का मसला माना जाता है, लेकिन इसकी व्यापकता और इसके लपेट में लगभग पूरा देश आ चुका है। यह मसला ऐसा है कि जिस तरह सरकार टुकड़े-टुकड़े में ला एण्ड आर्डर को लेना चाहती है, उस तरीके से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।

हिन्दुस्तान की आजादी के बाद जो समय गुजरा है उसके बड़े हिस्से में कांग्रेस की हकूमत रही है। आज केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है और ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम कोई आज पैदा हुई हो, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस सरकार को इस ओर जितना ध्यान देना चाहिए और जिस मजबूती से इसको बढ़ाने का काम करना चाहिए, वह काम नहीं किया गया है। इतिहास इसका उदाहरण है कि कांग्रेस सरकार ने समझौता किया है अपराध कर्मियों के साथ, आतंकवादियों के साथ और कई जगह अपनी राजनीतिक सिद्धि के लिये इन्होंने आतंकवादियों को बढ़ावा दिया है।

काश्मीर में आतंकवाद कैसे बढ़ा ? किस प्रकार कांग्रेस ने चाहा वहां उनकी हकूमत कायम हो, पंजाब में भिंडरवाले के साथ इनका क्या सम्बन्ध रहा और लिट्टे के साथ इनका क्या सम्बन्ध रहा, यह बात कई बार कही जा जा चुकी है और यह इतिहास के पन्नों पर लिखी हुई है।

आज देश के सामने जो ला एण्ड आर्डर का सवाल है इसके कई कारण हैं। एक मैंने राजनीतिक कारण कहा, लेकिन आज केवल कांग्रेस को बदनाम किया जाए या केवल कांग्रेस को इसके लिए दोषी माना जाए, मैं समझता हूं और भी कई पार्टियां हैं, जिनका इस तरह के कारनामों के साथ सहयोग रहा है। जब राजनीति का अपराधीकरण होगा तो जाहिर बात है कि राजनीतिक सत्ता जिनके हाथ में है उसके सहारे वे राजनीति पर कब्जा, देश पर कब्जा, और राज्यों पर कब्जा करना चाहेंगे। इन्हीं को बैठ कर विचार करना है। आखिर इसका समाधान कैसे होगा। यह सही है कि ला एण्ड आर्डर के कई कारण हैं। आतंकवाद, जो वार्ड 2 के इलाके में है, विदेशी शक्तियों का उसमें हाथ है और वे देश के अन्दर अस्थिर करना चाहते हैं, देश को टुकड़े-टुकड़े में बांटना चाहते हैं। एक कारण यह है लेकिन साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक स्थिति इसका बहुत बड़ा कारण है। देश के अन्दर और समाज के अन्दर जो असमानता आर्थिक तौर पर बढ़ती जा रही है इससे निराशा पैदा हो रही है और ऐसे लोगों को जो लोग यह समझते हैं कि मौजूदा आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था है उनका कहीं कोई निदान नहीं निकल सकता है। नतीजा है कि वह गलत रास्ते पर चले जाते हैं। राजनीति का अपराधीकरण और कई मामलों में पुलिस की अपराधकर्मियों के साथ सांठगांठ स्पष्ट परिलक्षित होती है। अभी जो आंकड़े हैं, हर साल, कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें काग्नीजेबल आफेंस है उसमें गिरावट आ रही हो। चाहे वह बलात्कार की बात हो, चाहे मर्डर की बात हो, चाहे लूट की बात हो, चाहे अपहरण की बात हो जितनी तरह की बातें ले ले लीजिए। अगर हम सही मायनों में देश के अन्दर अपराधों को कमक रना चाहते हैं तब सरकार को तमाम राजनैतिक पार्टीज की एक अलग से इस पर बैठक बुलानी चाहिए और विचार करना

चाहिए, तमाम राजनैतिक दलों से राय लेकर अखिल भारतीय पैमाने पर कोई कदम उठाये तभी इसका निराकरण हो सकता है।

मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मैं जिस क्षेत्र, नालन्दा क्षेत्र से आता हूं, बिहार उसका मुख्यालय है। परसों मुझे वहां टेलीग्राम मिला। हमारे एक जिला नेता वेद प्रकाश जी के बड़े लड़के सत्य प्रकाश सिंह जी कि एम. ए. एल. बी. थे, सुबह दस बजे थाने के सामने मोटरसाइकिल से चार-पांच अपराधी आये और हत्या कर थाने की बगल से फायर करते हुए भाग गये। इस तरह से दिन-दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। पुलिस थाना इन्चार्ज जो वहां के इन्सपेक्टर के. के. शर्मा हैं, उनकी अपराधियों से सांठगांठ है, एस. पी. उसके साथ है। ऐसी हालत में जहां हत्याएं होती हों राजनैतिक तौर पर निरपराध नौजवानों की हत्या हो, एक दो लाख रुपये लेकर हो उसका समाधान राज्य की पुलिस से नहीं हो सकता है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस मामले में सी. बी. आई. की इन्क्वायरी हो, क्योंकि इसमें पुलिस भी शामिल है जिससे सही आदमी पकड़ा जा सके और उसको सजा मिले।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : माननीय सभापति महोदय, कानून व्यवस्था के संबंध में इस हाउस के सामने पिछले 8-10 साल से बहुत बार चर्चा हुई है। आमतौर से उसी प्रकार की बातें कही जाती हैं, लेकिन मामला ज्यों का त्यों रहता है। हर माननीय सदस्य एक बात दोहराने की कोशिश करता है कि हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करना चाहूंगा कि यह बात हम, बहुत आदर के साथ मैं कहता हूं, खाली औपचारिकता निभाने के लिए कहते हैं। न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। न राजनीतिक दल अपने दलगत स्वार्थ से ऊपर उठेंगे, न इस समस्या का हल होगा। जब हम विरोधी दल में होते हैं तो हम चाहते हैं कि देश में जिसकी सरकार है उसकी हालत खराब हो ताकि हम आ जायें और वे जल्दी जायें। जब हम ताकत में होते हैं तो विरोधी भाई यह चाहते हैं कि जितनी जल्दी इनकी मिट्टी खराब हो रही है और हमारा दाव लग जाय। फैक्ट यही है। इसलिए इस औपचारिकता को निभाने से कोई लाभ नहीं है। मेरी गुजारिश मन्त्री महोदय से है कि उन्हें इस बात को सोचने के लिए समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आज जो हमारे गृहमन्त्री श्री चव्हाण साहब हैं वे बहुत बहादुर किस्म के आदमी हैं और उनका मुकाबला हम सरदार पटेल से कर सकते हैं। उनकी मजबूती और उनकी विल पावर हम देख सकते हैं। मैं यह बात कहना चाहता था कि आप यह नहीं चाहते हैं कि आज के गृह मन्त्री सरदार पटेल की तरह से मजबूती से काम करें।

आज आप यह चाहते हैं कि देश बरबादी की तरफ जाए ताकि आप उधर से इधर आ जाओ, इतनी ही बात है···

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : हम नहीं चाह रहे हैं। आपने जो कहा उससे तो हमारी ज्ञान वृद्धि हो रही है···

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : मैं तो यह कहना चाहता हूं कि चव्हाण साहब उस तरह की धरती से ताल्लुक रखते हैं जिस धरती से मराठा लोग अपने हठ के लिए मर जाते थे। चूंकि वे भी मराठा हैं और वे कहते हैं तो अपने हठ के लिए मरते हैं, तो वे अपने हठ पर मरने वाले हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : तो इस प्रकार वे सारे के सारे उस जाति के लोग हठ के लिए हो गये, खाली चव्हाण साहब तो नहीं हो गये...

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : आप भी अपने हठ पर मरने की कोशिश कर रहे हैं...

सभापति महोदय : आप यहां देखकर बोलिए...

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : चेयरमैन साहब, वे बीच में बोल रहे हैं। उनको यह बात अच्छी नहीं लगी कि हमारे गृह मन्त्री इसका समाधान करें। मैं दो-तीन बातें कह देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारी कांग्रेसपार्टी की जो वर्तमान सरकार हैं, या गृह मन्त्री हैं, उनकी यह विल्ल पावर की बात है। उन्होंने डिसीजन लेना है लेकिन बहुत सारे फैसले हम लेते हैं वोट के नजरिये को देखकर। जब तक हम यह फैसला लेंगे, कहीं इस प्रकार की समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं—चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी हो या जनता दल की पार्टी को या बी. जे. पी. हो, हमें अपने अगले पांच साल के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन नहीं लेना है तो मैं समझता हूँ कि यह खराब बात नहीं है। इस किस्म की बात से मुट्ठी भर लोग इस देश की कानून व्यवस्था को खराब करते रहे, ऐसी बात नहीं है। यह ठीक है कि मुल्क में बहुत गरीब थे, वह कम हुए हैं। इस सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे कि इसी गरीबी के कारण ही लोग फस्ट्रेटेड हो जाते हैं, रोटी-रोजी का मसला है, इसलिए वे आतंकवादी बन जाते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए जमीन तो हमेशा तैयार रहती है, खाली उसमें बीज डालने की बात होती है क्योंकि सभी लोगों की आर्थिक हालत सम्पन्न नहीं हो सकती, सभी को रोजगार नहीं मिल सकता है। उसके कारण है जिनको दूर करना चाहिये। मैं माननीय सदस्य की इस बात से मुत्तफिक हूं कि हमें यह सोचना चाहिये कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या बैकग्राउण्ड है, उसको कैसे खत्म करना चाहिये। मेरे विचार में वह बेरोजगारी ही मूल बात है। जो नवयुवक बेरोजगार हैं, उनकी तरफ से एक जमीन तैयार कर दी जाती है, उसको बनाने के लिए कोई मौका मिलना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था इतनी खराब है कि वह पुराने ढर्रे पर चालू है जो 1887 में अंग्रेजों के जमाने से आई. पी. सी. एक्ट बना हुआ है और सौ साल बाद भी वही है जिसके कारण हम ठीक समय पर किसी को न्याय नहीं दे पाते। कई केसेज ऐसे हैं जो 30-30 साल के बाद एक जेनरेशन के बाद दूसरी जेनरेशन तक चलते रहते हैं। एक छोटे से केस के लिए लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक साधारण आदमी धक्के खाता है और अन्त में हताश होकर यह समझता है कि न्याय तो मिलना नहीं, इसलिए वह कानून की जो बाधायें है, उनको तोड़कर कानून को अपने हाथ में लेकर कार्यवाही करना शुरू कर देता है।

तीसरी वजह यह है कि कई बार जब हम कहते हैं कि पंजाब के अन्दर सेना गई हुई है, पहले भी गयी थी लेकिन कुछ निर्दोष लोगों के खिलाफ आज कुछ लोग अत्याचार कर रहे हैं उससे वे निर्दोष लोग यह महसूस करते हैं कि हमने गलती नहीं की है फिर भी हमारे खिलाफ कारंवाई की जाती है, हमें तंग किया जाता है, उनके बच्चों को तंग किया जाता तो वे फिर खुद तंग आकर

आकर आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसलिए कहीं पर चाहे सेना भेजी जाए या पारा-फोर्सेज भेजी जानी चाहिये निर्दोष लोगों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, इसको बहुत ध्यान से देना चाहिये। यह सारा सिलसिला मेरे दिमाग के मुताबिक कैसे ठीक हो सकता है उसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

मेरा पहला सुझाव है कि हमारी जो न्यायपालिका का काम है, इसका सुधार किया जाए। सही मायनों में जो आदमी कलप्रिट है, जो क्रिमिनल है, उसको जल्दी से जल्दी सजा हो। ठीक आदमी को ठीक समय पर न्याय मिले वरना लोग यह सोचते हैं कि हम एनकाउन्टर करके उन लोगों को मार दें लेकिन आज तक पिछले चालीस साल के इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण आप दे दें कि किसी आतंकवादी को, जो आदमी समाज विरोधी कार्य करता हो, किसी को कभी सजा हुई हो! किसी को सजा नहीं हो पाती। इन्दिरा जी का मर्डर ग्रॉड डे लाइट में हुआ और उसके फैसले लिए भी 10 साल लग गए। कितना समय लगा उसके लिए! इसलिए आज के वर्तमान हालात के मुताबिक हम इस ज्यूडिशियल सिस्टम के अन्दर कोई परिवर्तन करना चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव है कि अभी माननीय साथी ने इधर से रावत जी ने कहा है कि हथियारों के लाइसेंस के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस नहीं दिए जायेंगे। मेरी कान्स्टी-ट्यूएंसी सोनीपत है। यहां संसद भवन से वहां जाने में एक घंटा लगता है और मेरा लाइसेंस जो बना हुआ है वह सिर्फ हरियाणा तक सीमित है। मुझे घर से आने के लिए बॉर्डर पर अपना हथि-यार जमा करना पड़ता है और वह कहते हैं कि पहले इन्क्वायरी करेंगे। अगर मेंबर आफ पार्लिया-मेंट की इन्क्वायरी करेंगे कि उसकी ज्यूरिस्डिक्शन क्या है तो क्या कोई मेंबर पार्लियामेंट··· (व्यवधान) कोई संसद सदस्य कैसे सुरक्षित रहेगा!···(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय सभापति जी, ये अपने घर की बात बता रहे हैं। क्या क्या इनके पास है ये बता रहे हैं।

सभापति महोदय : वह अपना अनुभव बता रहे हैं। आप चेयर को एड्रेस करिए मलिक जी।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करिए। ऐसी एक्टिंग सब कर सकते हैं जो ये सब कर रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : एक्टर कोई भी नहीं है यहां पर।

श्री धर्म पाल सिंह मलिक : हरेक आदमी चाहे तो ऐसा ड्रामा कर सकता है इसलिए मेहर-बानी करके आप बैठिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन लोगों के पास सॉफिस्टिकेटेड वीपन्स हैं, नाजायज हथियार हैं और जिस आदमी को खतरा हो सकता है, जिसको परेशानी हो सकती है, उन को जायज हथियार के लिए लाइसेंस भी न दिया जाए, यह कोई आर्ग्यूमेंट की बात नहीं। हमारे पास इतनी फोर्सेज नहीं हो सकती कि हर आदमी के साथ पूरी कम्पनी या बटालियन हो, लेकिन उनको लाइसेंस दे सकते हैं।

सभापति महोदय : आप अपनी अन्तिम बात कहिए ।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : मैं अन्तिम बात कह रहा हूं कि हमारे हरियाणा के अन्दर अभी दो-तीन घटनाएं हुई क्योंकि पंजाब में प्रेशर पड़ा और वे लोग हरियाणा की तरफ भागे और कुछ तराई के इलाके में गए । वे लोग उधर भागे जहां उनको जल्दी से जल्दी रास्ता मिल सकता था । इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि हमें पैरा मिलिट्री फोर्सेस ज्यादा से ज्यादा दी जाएं । अभी हमें पांच बटालियन दी थे और हरियाणा का जो बार्डर से लगता हुआ पंजाब और पाकिस्तान का इलाका है वह 500 किलोमीटर का है । 500 किलोमीटर के रास्ते के अन्दर 5 बटालियन से काम नहीं चल सकता आप उन्होंने हरियाणा से ही आना है चाहे वे उत्तर प्रदेश में जायें या कहीं और जायें क्योंकि उसके साथ लगता हमारा इलाका है । मेरी गुजारिश है कि उसे ठीक किया जाए ।

सभापति महोदय : आपका समय बहुत हो गया । आपने 12 मिनट ले लिए 5 मिनट थे आपके ।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : देखिये बीच में उधर से इन्टरप्ट कर रहे हैं और वे मेरा समय ले गये । मैं अन्तिम बात कहता हूं कि यह जो आतंकवाद का सिलसिला शुरू हुआ तो ज्यादा और पंजाब से हुआ और उसमें राजीव-लोंगोवाल एकार्ड हुआ और दोनों ही व्यक्ति इसी बात के शिकार हुए ।

इसमें मेरा एक सुझाव है कि कम से कम उन दोनों महान पुरुषों की याद में नेशनल लेवर पर, उन्होंने जो कुरबानी की है, टेररिज्म को खत्म करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया है, कुरबानी दी है, इसी समझौते के नाम से, कोई न कोई नेशनल लेवल पर, उनके नाम से एक स्मारक बनवा दिया जाय ताकि आगे आने वाले लोगों को यह ज्ञान हो सके कि इन आदमियों ने देश के लिए कुरबानी दी है और कुरबानी देने वाले महान पुरुषों की याद में यह स्मारक है, जिसकी वजह से उनका नाम आगे भी श्रद्धापूर्वक लिया जा सके । इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं ।

डा. खुशीराम हुगरोमल जेस्वानी (खेड़ा) : आदरणीय चेयरमैन साहब, पिछले तीन दिन से, पूरे सदन में, चिन्ता का जो विषय है, वह देश की वर्तमान कानून और व्यवस्था की स्थिति के ऊपर लगा हुआ है और विशेषकर हमारी चिन्ता जो है, वह यह है कि सरकार भी इस विषय पर चिन्तित है । जिनको इस देश की रक्षा करनी है, इस देश को चलाना है, वे ही फरियाद कर रहे हैं कि इस देश के अंदर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति अच्छी नहीं है । अंग्रेजी में कहते हैं : उद्धरण—हू विल वाच द वाचमैन । अगर वाचमैन ही बराबर ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा ।

काफी कारण यहां पर बताये गये और इस समस्या का इलाज भी बताया गया । उनमें से कई छोटे काल के इलाज हैं और कई लम्बी अवधि के इलाज हैं लेकिन पूरे देश को चाहिए कि इस सम्बन्ध में हम जो नीति भी अपनाने जा रहे हैं, उससे ऊपर आकर, देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति को, जितना हो सके, जल्दी से ठीक किया जाना चाहिए । यदि सरकार सही मायनों में

चिन्तित है तो उसे यह भी कबूल करना चाहिये कि ज्यादातर आतंकवाद जो पनपा है, वह उन्हीं के शासन में पनपा है, चाहे वह कश्मीर में हो, पंजाब में हो या देश के किसी दूसरे हिस्से में पनपा हो। इस समस्या का सही इलाज उनके हाथ में है, बस उन्हें अपनी नियत साफ रखनी है।

इस समस्या के कई कारण बताये गए—जिसमें आर्थिक कारण भी है और सामाजिक कारण भी है—परन्तु सबसे महत्वपूर्ण कारण, इस समस्या के पीछे राजनैतिक कारण रहा है। राजनैतिक तरीके से हम अपने साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार को हमें ठीक करना चाहिये। जिसे हम पोलिटिकल जौंडिस कहते हैं, हमारी आंखों पर जो पीलिया छाया है उस पीलिए को पहले हमें साफ करना होगा। हर राजनैतिक दल को साथ बिठा कर, निखालिस मन से, इस समस्या पर, बराबर विचार करके, देश की चिन्ता करनी चाहिए। सिर्फ अलग-अलग हिसाबों से, अलग-अलग दलों के ऊपर टीका-टिप्पणी करके, इस समस्या का इलाज नहीं निकाला जा सकता।

पूरे देश के अलग-अलग राज्यों में फैली कानून व्यवस्था की स्थिति पर यहां चिन्ता प्रकट की गयी है, अलग-अलग राज्यों और जिलों का ब्योरा दिया गया है। मैं गुजरात राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं और छोटे समय में, कुछ बातें, मैं आपके सामने गुजरात के सम्बन्ध में रखना चाहता हूं।

आप जानते हैं कि हमारे राज्य का जो अनुदान है, वह पूरे राष्ट्र में एक अगुवा अनुदान रहा है परन्तु पिछले एक-डेढ़ साल से गुजरात राज्य की परिस्थिति बिल्कुल अलग प्रकार की हो गयी है। गुजरात हमेशा से शांत प्रदेश रहा है। गुजरात ने सरदार पटेल और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों को जन्म देकर राष्ट्र को अर्पित किया लेकिन ऐसा लगता है कि आज गुजरात को नजर लग गयी है पिछले एक-डेढ़ साल से हमारी राजकीय परिस्थिति बिल्कुल अस्थिरता की परिस्थिति में बदल गयी है। हमारे यहां अस्थिरता की परिस्थिति चल रही है। सत्ताधारी लोगों के हाथ में हमारा गुजरात कुछ बंट सा गया है और गुजरात में कुछ विचित्र अस्थिरता की परिस्थिति पैदा हो गयी है, जिसकी चिन्ता केन्द्र को जरूर करनी चाहिए। उसका कारण यह कि गुजरात एक सीमावर्ती राज्य है, बोर्डर एरिया हमारे गुजरात का काफी पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है और उसकी विशेष परिस्थिति भी है। आज से 15-20 दिन पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की नजर हमारे गुजरात के बोर्डर एरिया पर लगी हुई है, कच्छ में जितना हमारा मूल्यवान द्रव्य मौजूद है, उस पर पाकिस्तान की नजर लगी हुई है। इसके अलावा, हमारे अन्य कुछ इलाके पर, पाकिस्तान की नजर लगी हुई है। हमारा लम्बा सामुद्रिक किनारा, लगभग 500 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल खुला है, जहां से दिन और रात तस्करी चला करती है। पिछले एक साल में, सिर्फ हमारे जामनगर जिले में ही, दो-तीन बंदरगाहों के जरिए 100 करोड़ से ज्यादा का तस्करी का सामान सरकारी अफसरों द्वारा पकड़ा गया और सैंकड़ों करोड़ रुपए का तस्करी का सामान घुसपैठ में निकल आया, वहां से चला आया। उसमें काफी स्थिरता थी लेकिन पिछले डेढ़ सालों से वहां पर संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है और गुजरात प्रदेश में लोगों के बीच कौमी तनाव, साम्प्रदायिक दंगा भी बढ़ता जा रहा है।

गुजरात में शराब की बंदिश है लेकिन फिर भी पुलिस के सहारे शराब अनाधिकृत तरीके से बिक रही है जिसने पुलिस का सम्पूर्ण चरित्र नष्ट कर दिया है। पुलिस के हाथ उन्हीं कानूनों से रंगे हुए रहते हैं। सीमावर्ती राज्य होने की वजह से वहां पर नशीले पदार्थ की हेराफेरी होती है,

तस्करी बहुत होती है और पाकिस्तानी नागरिकों की घुसपैठ गुजरात में बहुत होती है। पाकिस्तान की घुसपैठ का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि गुजरात के बाजारों में पाकिस्तान का विनिमय, उसकी करेंसी चलती है। यह करेंसी हमने सरकारी दफ्तरों में और सरकार को भी दिखाई हुई है और वहां पर भी यह सबूत है। इसके अलावा बड़ी चिन्ता की बात है, सीमावर्ती राज्यों में हम कह रहे हैं कि आतंकवादी पाकिस्तान की ट्रेड होकर आते हैं लेकिन हम कहते हैं कि गुजरात में करीबन लाख डेढ़ लाख लोग पाकिस्तान से आकर, घुसपैठ करके अनाधिकृत तरीके से रहते हैं। अब तो उनके दर्शन भी कौमी दंगों में हो रहे हैं। मेरे पास एक दृष्टांत भी है, अगर चाहेंगे, तो मैं यहां पर प्रस्तुत भी करूंगा।

एक हफ्ता पहले हमारे नडियाड शहर में कौमी दंगे हुए और शेड्यूल कास्ट की बस्ती पर, जो अनधिकृत तरीके से वहां पर रहती है उन लोगों ने हमला किया, उनके दस मकानों को तोड़ा, काफी लोगों की इंजुरी की और वहां के 30-40 हजार रुपये के सामान को नुकसान किया। इस दौरान वहां पर पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाए गए जिसकी हमने दफ्तरों में भी फरियाद की। हमारी केन्द्र सरकार से विनती है कि गुजरात प्रांत में जहां-जहां भी ऐसे पाकिस्तानी लोग इन-फिलटरेशन कर रहे हैं, अनधिकृत तरीके से वहां पर रह रहे हैं, केन्द्र सरकार को राज्य सरकार को बराबर इनटीमेशन देनी चाहिए कि आप उनको वहां से निकालें और गुजरात का शांत प्रदेश बनाएं।

गुजरात में पिछले डेढ़ सालों से काफी साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं और उनमें भी उन्हीं तत्वों का हाथ हमने देखा है। बड़ोदा, गोधरा में दंगे हुए हैं। गुजरात के बारे में ये बातें कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं श्री भीमसिंह पटेल को बोलने की अनुमति देता हूं।

श्री यादमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : मेरे दल की बारी कब आएगी। मैंने कल ही अपना नाम दे दिया था। जिन सदस्यों ने अभी-अभी नाम दिया है आप उन्हें बोलने का अवसर दे रहे हैं।

सभापति महोदय : मैं सूची की जांच करूंगा। अभी इस वक्ता को बोलने दें तब तक मैं आपको बता दूंगा।

श्री यादमा सिंह युमनाम : ठीक है, मैंने सिर्फ भेदभाव का जिक्र किया है। मैंने अपना नाम काफी पहले दे दिया था। सभी दलों को बोलने का अवसर दिया गया पर मुझे नहीं।

सभापति महोदय : मेरे पास पहले से तैयार की गई सूची है, अब ये वक्ता अपना भाषण समाप्त करें मैं सूची को देखूंगा और आपको बताऊंगा। यह सूची उपाध्यक्ष महोदय द्वारा बनाई गई है। मैं पहले इसे पूरा करता हूं फिर मैं देखूंगा कि आपको भी बोलने का अवसर मिल जाये।

[हिन्दी

श्री भीम सिंह पटेल (रीवा) : आपने आतंकवाद पर चर्चा के लिए मेरी पार्टी की तरफ से बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं मैं परसों से सुन रहा हूं। बहुत सारी बातें हुई हैं लेकिन आतंकवाद को खत्म करने के बारे में कम हुई हैं। मैंने देखा है, मैं शिक्षक रह चुका हूं। आतंकवाद बढ़ने की जड़ हमारी शिक्षा व्यवस्था भी है। मैं कक्षा पाठ में मध्य प्रदेश में सस्कृत पढ़ाता था। उसमें एक पाठ है, उज्जैनी, संस्कृत का पाठ है, उज्जैनी पाठ है। 14 के बालक को संस्कृत के पाठ में कौन सी नैतिकता की शिक्षा दी जाती है, उसमें कौन सा मोरल है। 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने के बाद आखिर में एक श्लोक उसमें लिखा है :—

"एतानि ज्योतिर्लिंगानि प्रातः सायं पठेत नरः"

इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम सुबह शाम आदमी को पढ़ना चाहिए तो परिणाम क्या होगा, 14 साल के बच्चे को यह चीज पढ़ाई जा रही है :

"सप्त जन्म कृतम् पापम् स्मरणे न विनस्यते।"

इस देश की परम्परा है, सात जन्म में किए हुए पाप, चाहे चोरी हो, डकैती हो, बलात्कार हो, व्यभिचार हो और अगर बच्चा यह समझ गया, 12-14 साल का कि जिन्दगी भर कत्ल करो, पाप करो एक कत्ल एक दिन में, जिन्दगी में नहीं तो 101 और 302 नहीं, 3' और 175 नहीं, 324 और 325 नहीं, सारा जन्म "सप्त जन्म कृतम् पापम स्मरणे न विनस्यते" का अर्थ कोई समझाएगा, उस बालक को कौन सा रहस्य समझाया जाता है और कहीं वह बालक यह समझ गया कि चाहे जितने कुकर्म करो और सुबह शाम ज्योतिर्लिंगों का नाम जपो तो स्वर्ग के रास्ते खुल जायेंगे तो इस देश में नैतिकता रहेगी ?

आतंकवाद के बीज यहां पर इतने जरूर हैं, मैं तो यह कह रहा हूं। मैं किसी भाषा पर टीका-टप्पणी नहीं कर रहा हूं और लिखने के बावजूद शायद यह बताया गया है, इसलिए मैं कहता हूं, यहां जो व्यवस्था, यहां जो सोशल सिस्टम है, उसके ऊपर से जाने का आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिस देश में आज आत्मोत्सर्ग और सर्वभूतेषू का उपदेश दिया जा रहा हो, जहां वसुधैव कुटुम्बकम् की बात हो रही हो, परिणाम क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा जातियां, इतनी ज्यादा छुआछूत और 44 साल के राजतन्त्र की बात तो छोड़िये, राजा के मुंह से निकली हुई बात ईश्वर की बात होती थी लेकिन आज 44 साल के बाद दुनिया में केवल एक देश ऐसा है, मुझे तकलीफ इस बात की है, मैला उठाने वाली गाय को, इस देश का, हिन्दुस्तान का आदमी मां कहकर पूज ले लेकिन उस आदमी का क्या हो जो कहे कि भंगी काछी, तेरी राय कहां की, मां बहन बेटी को उसका दर्जा आज तक नहीं मिल सका, इससे बढ़कर आतंकवाद हो क्या सकता है और आप चर्चा किसकी करते हो। मुझे तो इस बात का गर्व है, आप बैल को बाप कहो, गाय को मां कहो, यह तो ठीक है कि आप जानवरों से रिश्ता जोड़ेंगे लेकिन जो मां है, इससे पहले उसको तो मां का दर्जा देते। मैंने पिछले सत्र में कहा था, 3000 साइकिल, 1400 झोंपड़ियां जला दी गई, रीवा जिले में लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई। हमारे सम्माननीय भूतपूर्व मंत्री जी के रास्ते में कोई परेशानी हुई तो

बहुत बड़ी बात हो गई । बड़े लोगों को तो कोई छोटी सी तकलीफ है तो वह बहुत बड़ी होती है और यहां रोज रेप की घटना होती है लेकिन कुछ नहीं होता ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल नेताओं की नहीं, हमने देखा, सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, एक दूसरी पार्टी पर आरोप लगाते हैं, सबका तो यहां राज है । कम्युनिस्टों का भी राज इस देश में है, कहीं न कहीं, जनता दल का भी है, भारतीय जनता पार्टी का भी है, बार-बार राज्यों में, कांग्रेस का तो पूरे देश में है तो आप किसके ऊपर आरोप लगाना चाहते हो, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और आज तक किसने राज किया है । आप बार-बार समझाना चाहते हैं, कांग्रेस समझाना चाहती है, जनता दल जिम्मेदार है जनता दल समझाना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है । मैं कहता हूं कि आप सब यहां बैठे हुए लोग जिम्मेवार हो, आप सब जड़ हो गये हो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने राजतन्त्र की मर्यादा का, राजतन्त्र की परम्परा का, धर्म का, आचारसंहिता का प्रजातन्त्र में धर्म के नाम पर बनाकर रखने का आन्दोलन चलाया और मैं खुलेआम कहता हूं, वह भारतीय जनता पार्टी करती है ।

कानून और नियम बनाया गया है लेकिन किसने संविधान को ध्यान में रखा ? चुनाव के समय क्या-क्या नहीं हुआ । चुनाव में मैं गया था, ये सैंकड़ों गाड़ियां लेकर एक गांव में चुनाव में गए कांग्रेस की 20 गाड़ियां पहुंचीं, मैंने कहा कानून का पालन किया जा रहा है, मैंने मंच पर कहा कि बहुजन पार्टी वालों ने एक गाड़ी रख ली तो तू तीन-तीन रख ले । यह सब नहीं बल्कि पूरे बाजार में बनिया कहता है कि दुकानदारी बन्द हो गई, मैं बात नहीं कर सकता, उसको पैरालाइज हो गया, वह राज नहीं चला सकते इसलिए मैं कहता हूं केवल राजनेताओं की, राजनैतिक दलों की बैठक नहीं होनी चाहिए बल्कि इसमें इस देश के शिक्षाविद् लोगों को बुलाइये, मर्मज्ञ लोगों को बुलाइये, हर क्षेत्र के विशिष्ट लोगों को बुलाइए और उनको बैठा कर और कुछ चुनिन्दा राजनीतिज्ञों को सारे दल के लोगों को भी बुलाइए, वरना एक दूसरे पर आक्षेप करेंगे, अगर आप अनुपस्थित हो गये तो, आपको कहने का मौका मिलेगा कि मुझे अगर बुलाया होता तो यह समस्या हल हो जाती । मैं समझता हूं इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और आतंकवाद कैसे बढ़ता है, मैं आपको कहूं, मैं उस क्षेत्र से आता हूं, रीवा जिले से जो बांदा से और इलाहाबाद से लगा हुआ है और जो ददुआ हनुमान, सीताराम जैसे डाकुओं का क्षेत्र है, जहां आये दिन अपहरण होते हैं, अभी भी अपहरण हुआ है, जिस समय अगस्त महीने में अपहरण हुआ था तो मैं उधर से गुजरा था, वहां पर आज एक भी डाकू को करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद, दो साल पहले आंकड़ा आया था कि 8 करोड़ रुपये इस शासन ने खर्च किये लेकिन एक डाकू नहीं पकड़ सके, एक भी डाकू नहीं ।

ऐसा नहीं कर सकते लेकिन डकैतों की जाति जोड़कर, जाति विशेष के लोगों को पकड़-पकड़ कर बन्द करना और राजनैतिक फायदा उठाना, यह वहां आज भी हो रहा है । जिस आदमी को डाकू पकड़ कर ले गये, उसको आप छुड़ा नहीं सकते, गवर्नमेंट शासन छुड़ा नहीं सके और वह पैसा देकर छूटकर आये तो शासन ने उनकी सुरक्षा क्या की ? वहां ऐसा आतंक फैला है कि 15-15 दुकाने बाजार में बन्द हैं, शाम के 6 बजे के बाद वहां आदमी नजर नहीं आता । इतना ही नहीं रीवा जिले में एक जवा थाना है जवा थाने में आप आज भी देख लें वायरलैस से भी पता कर सकते हैं, मन्त्री महोदय बैठे हैं, वह पता कर सकते हैं, जवा थाने के बगल में एक पण्डित ने एक आवसवाल

के घर में दीपावली के दिन उसकी अनुपस्थिति में उसका ताला तोड़ा···

4.00 म. प.

30 हजार की चोरी की, उसके घर में रहने लगा।' थाने के बगल में, उसने लिखित रिपोर्ट की, मैं भी गया और मैंने थानेदार से कहा लेकिन पुलिस में कोई नहीं सुनता, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं ऐसा होता रहेगा और लोग चुप बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे। ये छोटी-छोटी जो घटनाएं हैं उनके पीछे जो जड़ है, इसके पीछे जो बुनियाद है इसे समझने की कोशिश की जानी चाहिए, आखिर कब तक आप इसको नजरअन्दाज करते रहेंगे।

कोई मंडल की बात करेगा, कोई कमंडल की बात करेगा लेकिन होता कुछ नहीं है, मंडल वालों से पूछो कि तुम्हारी पार्टी के अन्दर कितना मंडल-कमंडल लागू है। कल बाबा साहेब की बात को लेकर हाउस में कितना हंगामा मचाया गया, हम तो उनको बाबा कहते हैं: डाक्टर भी नहीं कहते क्योंकि हमको उनको बाबा कहना बहुत अच्छा लगता है। हमारा कहना यह है कि जिन का सम्मान देना होता है हम उनको सम्मान देते हैं लेकिन ये जो नाटक हो रहा है इसको बन्द करना चाहिए नहीं तो इससे आतंकवाद फैलेगा, इसकी जड़ें यहीं मौजूद हैं। मैं तो समझता हूं कि राजतंत्र में बहुत बड़ा गलती हुई, एक गलती हुई हिन्दुस्तान में कि संस्कृत में जो कुछ भी लिखा गया, जाने-अंजाने में, हिन्दी में कोई कविता लिखी जाए, साहित्य लिखा जाए तो उसे हम धार्मिक दृष्टि से नहीं देखते, उसे हम साहित्यिक दृष्टि से नहीं लेते हैं। लेकिन संस्कृत में जो कुछ भी लिखा जाए उसे धर्म माना गया है यह बहुत बड़ी गलती है। कोई भाषा धर्म नहीं होती लेकिन संस्कृत में जो कुछ भी लिखा गया है और राजतंत्र में डंडे के बल पर उसे आचरण में उतारा गया।

आज प्रजातंत्र में धर्म के नाम पर वे बरकरार रखेंगे, बी जे पी के, लेकिन ऐसा कितने दिन तक चलेगा। इसे खत्म करना चाहिए। अभी कल एकता यात्रा पर चर्चा हो रही थी, यात्रा होनी चाहिए, हर दल के लोग करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं, वे कहते हैं कि मेरी यात्रा से भयभीत हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर भयभीत हैं तो आपको यात्रा बन्द करके फायदा उठाना चाहिए। मैं भारत स्वयं सेवक संघ का सदस्य रह चुका हूं और मैं अच्छी तरह से इन चीजों को समझ सकता हूं। आप यहां तक पहुंचे हैं तो कोई यात्राओं से नहीं पहुंचे हैं और अगर आप आज यात्रा के कारण पहुंचना चाहते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। सब लोग अगर आज इस यात्रा से भयभीत हैं तो आपको मौका है आप सबके मुंह पर तमाचा क्यों नहीं मारते, लेकिन आपका इरादा हमको ठीक नहीं नजर आ रहा है। इसलिए अब करीब-करीब मैं अपना पूरा बात कह चुका हूं मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, जो बुनियाद जड़ है, जो बुनियाद कमजोर है उस पर आपको प्रहार करना चाहिए और उसे तोड़ने के लिए हम सबको तैयार होना चाहिए। राजतंत्र की गलतियों को प्रजातंत्र में धर्म के नाम पर बनाए रखने का आंदोलन कब तक चलता रहेगा और इसमें सब की जिम्मेदारी है, हर धर्म में गलतियां होती हैं और राजतन्त्र में हर धर्म ने गलतियां स्वीकार की हैं।

यहां पर कोई रावण का उदाहरण दे रहा था, बड़ी अच्छी बात है, भावनाओं का सवाल है, लेकिन अगर मैं यह कहूं कि रावण हमारा पूर्वज है, हम उसकी पूजा करते हैं और आपको

उसकी प्रतिमा जलाने का अधिकार नहीं है तो क्या मेरी भावना नहीं है। भावना कोई ले करके पैदा नहीं होता, भावना तो यहाँ आने पर उसकी बनती है, यहां पर आदमी धर्म करना सीखता है, उसकी ट्रेनिंग लेता है। पैदा होते ही वह जय-जय राम जी या पायलागों नहीं करता है, यहां आकर उसकी भावना बनाई जाती है और अगर वह भावना किसी गलत जगह में लगी है तो उसको डायवर्ट करने में सबका फर्ज है, क्या कोई ये जिम्मेदारी लेगा। बस, केवल चिल्लाते रहेंगे-परम्परो, धर्म, आचरण, नैतिकता, ये सब क्या है ? मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा कि आज जो ये गलतियां हो रही हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को बहुत गाली मिलती है, आज लोग धर्म विरोधी हैं।

मैं यहां पार्लियामेंटेरियंस को चेलेंज करता हूं और दुनिया के सारे धर्म के ऊपर टीका-टिप्पणी करने वाले लोगों को, आज तक लोगों ने कहा कि हिन्दु धर्म की वर्ण व्यवस्था है, उसका धर्म से संबंध है कर्म से संबंध है लेकिन मैं चेलेंज करता हूं कि हिंदू धर्म की इस हिन्दू वर्ण व्यवस्था का धर्म से, दर्शन से, कर्म से कोई नाता नहीं है, ये डिवाइड एण्ड रूल की थ्योरी है। अगर आप कहेंगे, कैसे, तो मैं कहूंगा हिन्दू धर्म में चार वर्ण होते है और जाति और वर्ण एक नहीं होता, अगर कोई एक शब्द लिखा हुआ दिखा दे कि जाति और वर्ण एक है तो मैं पार्लियामेंट से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। जाति और वर्ण एक नहीं है, वर्णों से जातियां बनी है, जैसे चमार, भंगी आदि उसकी जातियां हैं। आप बताएंगे चार वर्ण है, चमार को चमार का प्रमाण-पत्र, कोल को कोल का, कुमार को कुमार का, तेली को तेली का प्रमाण पत्र और नाई को नाई का, अब आप देखिए ब्राह्मणों में कितनी जातियां हैं। वह जाति कब बन गई। सभापति महोदय, यह ऐसा विषय है जिस पर आपको चर्चा करनी पड़ेगी। राजतंत्र में भी कमियां हैं, हम नाम जपते रहेगे तो क्या उससे राम राज्य आ जाएगा। क्या रामराज्य में गलतियां नहीं हो सकतीं, क्या गलत आदमी उस वक्त नहीं थे। हमेशा गलतियां भी होती हैं, अच्छी बातें भी होती हैं। हम केवल किसी के नाम पर रिजिड नहीं हो सकते। आज प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में राजतंत्र चलाने की बात खत्म की जाएगी, इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : सभापति महोदय, मान्यवर, पूरे देश में कानून व व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर विगत दो दिनों में बहुत कुछ कहा गया है। अतः मैं सदन का समय उस मुद्दे पर जाया नहीं करूंगा जिस पर सभा में बात हो चुकी है। अपितु मैं सदन का ध्यान एक नये अध्ययन की ओर आकर्षित करूंगा जो अत्यन्त खतरनाक है। यह एक नया अध्ययन है जिसे मैं राज्य द्वारा फैलाई गई अव्यवस्था' कहूंगा या राज्य सरकार द्वारा राज शक्ति का भयंकर दुरुपयोग कहूंगा जिस पर संविधान की सुरक्षा संरक्षा एवं सहायता का दायित्व है।

विगत छः नवम्बर को सिक्किम सरकार में मेरे निर्वाचन क्षेत्र दार्जिलिंग के एक शहर सिलिगुड़ी में संविधान और दण्ड प्रक्रिया संहिता के आवश्यक उपबन्धों की सरेआम अवहेलना की जिसे राज शक्ति का खुला दुरुपयोग कहा जाएगा इसने सादे कपड़ों में पुलिस का एक दल सिलि-गुड़ी भेजा जिसने लगभग 6.50 पर स्थानीय दैनिक जनपथ समाचार के सम्पादक श्री राजेन्द्र वैद

को बलपूर्वक उनके निवास के बाहर से अपहरण करवा लिया और एक मारुति कार से उन्हें रंगपो सिक्किम ले गए।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। महोदय, माननीय सदस्य ने एक ऐसी बात उठाई है जो सिलिगुड़ी न्यायालय, सिक्किम न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के सम्मुख विचाराधीन है। यह मामला निर्णयाधीन है, यही मेरा कहना है।

श्री इन्द्रजीत : महोदय, सर्वोच्च न्यायालय पहले ही एक आदेश पारित कर चुका है। जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर जा रहा हूं, वह राजेन्द्र बेद है। आपने इसके बारे में समाचार पत्र में पढ़ा होगा। वह सिलिगुड़ी के स्थानीय दैनिक जनपथ समाचार के संपादक हैं। मैं माननीय सदस्या से अनुरोध करता हूं कि वे थोड़ा सा धैर्य रखें। वे शायद कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि यह तो सरासर अराजकता है। मेरे पास उच्चतम न्यायालय के आदेश की एक प्रति है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरा सुझाव है कि अगर मामला न्यायालय के विचाराधीन है तो आप उस पर चर्चा नही कर सकते। इसके अतिरिक्त आप कुछ भी चर्चा कर सकते हैं। मैडम, अगर आवश्यक हुआ तो आपको भी उत्तर देने का अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत : महोदय, 6 नवम्बर को सिलिगुड़ी से प्रकाशित होने वाले एक दैनिक समाचार पत्र के एक स्थानीय सपादक का अपहरण कर लिया गया। अपहरण के पश्चात् उसे सिक्किम पहुचा दिया गया। चूंकि सिलीगुड़ी में मेरे निर्वाचन क्षेत्र दार्जिलिंग का एक भाग है इसलिए मैंने इस मामले में गृह मंत्रालय के साथ सम्पर्क स्थापित किया। गृह मंत्रालय ने मुझे बताया कि वह आदमी

... (व्यवधान)

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : सिक्किम की पुलिस की कार्यवाही ठीक है या गलत, इसका निर्णय न्यायालय करेगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैडम, उनसे बोलने दीजिए। मैंने आपके व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न को रदद कर दिया है। उनका इस बात की ओर संकेत नहीं है।

श्री याइमा सिंह युमनाम : सभापति महोदय, मैडम ने कहा है कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है तो वह इस पर चर्चा नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत : यह मामला न्यायालय के विचाराधीन नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : अन्य सदस्य कृपया बैठ जाइये। मैडम, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : चूंकि जो प्रश्न मेरे माननीय सहयोगी श्री इन्द्रजीत ने उठाया है वह न्यायालय के विचाराधीन है—मेरा यह कहना है कि यह उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और मैं यह मानती हूं कि यह निर्णय करने के जिम्मेदारी उसी न्यायालय की है कि सिक्किम पुलिस की कार्यवाही सही है या गलत। माननीय सदस्य इस बात का फैसला नहीं कर सकते। वहां जिला न्यायालय है, उच्च न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय है। मामला उनके सम्मुख है और यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि नियमानुसार माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत को इस मामले में आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री इन्द्रजीत जी, आप कृपया इस बात को स्पष्ट करें और फिर मैं व्यवस्था के प्रश्न पर अपना निर्णय दूंगा।

श्री इन्द्रजीत : अवश्य। महोदय, मैं पूर्णरूप से नियमानुसार कार्य करना चाहता हूं। जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूं वह संपूर्ण देश में बढ़ती हुई अराजकता समाप्त करने के लिए है।

सभापति महोदय : क्या आप उस मामले पर बोल रहे हैं जिस पर उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है ? आप कृपया उस बात को स्पष्ट करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : महोदया, ऐसी बात नहीं है, कृपया इस प्रकार बहस मत कीजिए। मैं उनकी बात सुन रहा हूं।

सभापति महोदय : अगर आवश्यक हुआ और मैं इसे ठीक समझूंगा तो मैं आपको पुनः और अधिक जानकारी देने के लिए अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस प्रकार से नहीं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री इन्द्रजीत : महोदय, मेरे पास उच्चतम न्यायालय के आदेश की एक प्रति है। मैं अभी आपके सामने उसे पढ़ देता हूं। यह बहुत ही स्पष्ट है इसमे कहा गया है :

"हम सिक्किम की सरकार को निर्देश देते हैं कि वह अस्पताल सम्बन्धी खर्च की तत्काल अदायगी करें ताकि नजरबन्द श्री राजेन्द्र बैद को उसी दिन वहां से अर्थात् अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से उसे छुट्टी मिल सके। दिल्ली पुलिस, जिसकी हिरासत में

श्री बैद हैं, अस्पताल से छुट्टी मिलने पर उन्हें सिलीगुड़ी पुलिस से अतिरिक्त अधीक्षक, श्री कुलदीप सिंह को जो इस समय न्यायालय में उपस्थित है, सौंप देंगी। श्री कुलदीप सिंह श्री बैद को अपने साथ सिलीगुड़ी ले जायेंगे जहां उन्हें सिलीगुड़ी उप-प्रभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जायेगा और उस मजिस्ट्रेट की संतुष्टि हो जाने पर श्री बैद को एक व्यक्तिगत बांड पर उनके हस्ताक्षर करने के बाद छोड़ दिया जायेगा। श्री कुलदीप सिंह श्री बैद के परिवार के एक सदस्य को दिल्ली से सिलीगुड़ी तक की यात्रा में साथ रहने की भी अनुमति देंगे। श्री बैद के सिलीगुड़ी तक जाने का खर्चा भी सिक्किम सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

सिक्किम पुलिस को इस मामले में और आगे जांच पड़ताल करने की अनुमति है परन्तु श्री बैद को इस कार्य हेतु सिलीगुड़ी को सिक्किम नहीं ले जाया जायेगा। अगर पुलिस श्री बैद से पूछताछ करना चाहती है तो यह कार्य सिलीगुड़ी के किसी उचित प्राधिकारी से लिखित आदेश प्राप्त करने के बाद सिलीगुड़ी में ही किया जा सकता है।

अगर जांच-पड़ताल के समाप्त होने के बाद, पुलिस का यह विचार हो कि श्री बैद के विरुद्ध चालान किया जाना चाहिये तो राज्य सरकार इस मामले में, जिसे इस सम्बन्ध में अगले आदेशों तक के लिए लम्बित रखा हुआ है, इस न्यायालय से अनुरोध करेगी।"

(व्यवधान) यह एक स्पष्ट मामला है।···(व्यवधान)···

सभापति महोदय : महोदया, इन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिएगा।

श्री इन्द्रजीत : महोदय, इसकी जांच की जा रही है।

सभापति महोदय : क्या आपके तथ्य पूरे हो गये हैं।

श्री इन्द्रजीत : जी हां श्रीमान, श्री जोशी जी आप कुछ कहना चाहते थे।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : सभापति महोदय, निवेदन करने से, कोर्ट के सामने जो प्रश्न है, उस प्रश्न पर कोई असर होता हो तो इस प्रकार का स्टेटमेंट यहां करना कोर्ट की बेअदबी होगी। यह सब जुडिस माना जाता है। 'स्टेट आफ फैक्ट्स' जो कोर्ट ने निकाल दिए हैं या जो एक्शन-आफ पुलिस होने वाला है, उसके बारे में अगर यहां कहा जाए, वह सब जुडिस नहीं होता और उसको कहना रोका भी नहीं जा सकता।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : महोदया, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो अब आप कह सकती हैं।

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी (सिक्किम) : महोदय, आदरणीय इन्द्रजीत जी ने जो आदेश पढ़ा था, मैंने भी उसके बारे में सुना है। मैंने देखा है कि उच्चतम न्यायालय ने यह कहीं भी नहीं कहा कि सिक्किम पुलिस ने कोई गलत कार्य किया है। केवल यही नहीं, मेरा संकेत यह है कि जब श्री इन्द्रजीत बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि वे पूरे देश की कानून और व्यवस्था की समस्या के बारे में जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मैं गर्व के साथ यह कह सकती हूं कि···

सभापति महोदय : महोदया, आप कृपया मुझे सम्बोधित करें। कृपया अपने तर्कों को व्यवस्था का प्रश्न तक ही सीमित रखें। हमें उनके बाहर नहीं जाना चाहिए।

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : महोदय, केवल सिक्किम ही एक ऐसा प्रदेश है जहां अपराध दर में कमी आई हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : महोदया, इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : बहुत से सदस्यों ने पर्याप्त रूप से मुझे मार्गदर्शन दिया है।

श्री इन्द्रजीत : दार्जिलिंग से संसद सदस्य होने के नाते केन्द्रीय गृह मंत्रालय के साथ इस मामले को सबसे पहले मैंने उठाया मंत्रालय ने सही कार्य करते हुए इस मामले को सिक्किम के अधिकारियों के साथ उठाया। इसके बाद मंत्रालय से मुझे यह सूचना मिली कि राजेन्द्र बैंच की गिरफ्तारी, कानून के प्रावधानों के तहत हुई है और इसके साथ-साथ यह भी सूचना मिली है कि यह गिरफ्तारी पश्चिमी बंगाल पुलिस के सहयोग से की गई है लेकिन मंत्रालय ने यह आरोप लगाए रखा कि सिक्किम के अधिकारियों ने नई दिल्ली को गुमराह किया है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी सूचना सही थी और गंगटोक ने नई दिल्ली को जान बूझकर गुमराह किया था। सिलिगुडी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री कुलदीप सिंह द्वारा उच्चतम न्यायालय में दिये गये हल्फनामें से यह पता चला है। उच्चतम न्यायालय में श्री कुलदीप सिंह ने यह कहा है अपने प्रति शपथ-पत्र में सिक्किम सरकार द्वारा दिया गया वक्तव्य कि सिक्किम पुलिस के तीन अधिकारियों ने "श्री बैंच को गिरफ्तार करने के लिए उनसे सहायता मांगी थी" गलत और अनुचित है। यह शपथपत्र सिलिगुडी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया गया था। (व्यवधान)

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : श्रीमान, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का कौन सा प्रश्न है ?

श्री याइमा सिंह युमनाम : यहां जो मामला उठाया गया है, वही मामला न्यायालय में है। इसलिए यह मामला न्यायाधीन है।

सभापति महोदय : यदि न्यायालय के पास जो तथ्य होते हैं, वे बता दिये जाएं तो वह निर्णयाधीन मामला नहीं रह जाता। यदि न्यायपालिका पर किसी लांछन की कोशिश की जाती है तो वह न्यायाधीन मामला बन जाता है और इसलिये ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए।

इन्द्रजीत जी, और भी कई बातें हैं जिन पर आप बोल सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत : यह शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष था और न्यायालय ने अपना आदेश जारी किया··· (व्यवधान) ···मैं नहीं जानता कि जो कुछ घटित हुआ है, उसे बताने के लिए आप मुझे अनुमति देंगे अथवा नहीं।

श्री बैद्य को सिक्किम ले जाया गया और पता नहीं वहां उनके साथ क्या व्यवहार किया गया। सिक्किम में अपनी इस अवैध हिरासत की पूरी अवधि में उन्हें कभी भी किसी न्यायाधीश के सामने नहीं लाया गया।

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : महोदय, यह ऐसा कैसे कह सकते हैं ?

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदय, जो कुछ बातचीत हो रही है, क्या यह विषय से संगत है ?

श्री इन्द्रजीत : मैं राज्य की कानून की खराब स्थिति के बारे में चर्चा कर रहा हूं।

सभापति महोदय : इन्द्रजीत जी, इसे स्वीकार करना आपके लिए अनिवार्य नहीं है। आप बोल सकते हैं। पढ़ना अनिवार्य नहीं है।

(व्यवधान)

श्री इम्चालम्बा (नागालैंड) : महोदय, इस शपथ पत्र को पढ़कर ये सिक्किम सरकार पर लांछन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : सरकार की आलोचना करना व्यवस्था में आता है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : व्यवस्था के प्रश्न नहीं। इन्द्रजीत जी, कृपया अपनी बात पूरी करें।

श्री इम्चालम्बा : महोदय, एक ही उदाहरण से, कोई लांछन नहीं लगा सकता। आप सिक्किम का रिकार्ड देखियेगा। यद्यपि यह एक छोटा सा राज्य है, तथापि यह देश के सबसे अच्छे राज्य में से एक है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह ली है। चूंकि आपने पहले ही पन्द्रह मिनट से ज्यादा समय ले लिया है, इसलिए इन्द्रजीत जी कृपया अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री इन्द्रजीत : महोदय, इस प्रक्रिया में जो कुछ भी हुआ है, उसमें पश्चिमी बंगाल की

सहायता कभी भी नहीं ली गई। यह अपराध प्रक्रिया संहिता का गम्भीर उल्लंघन था।

(व्यवधान)

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : महोदय, वे यहां नहीं थे। वे कैसे कह सकते हैं कि सिक्किम पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की।

सभापति महोदय : महोदया, यदि आप बोलना चाहती हैं तो आपको बाद में बोलने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत : पहले यह महिला सदस्य कांग्रेस पार्टी में थी और अब पुनः सिक्किम संग्राम परिषद में वापिस चली गई है। मैं इनकी पार्टी के अध्यक्ष, जो कि मुख्य मन्त्री भी हैं को खुश करने की इनकी इच्छा को समझ सकता हूं।

सभापति महोदय : इन्द्रजीत जी, कानून और व्यवस्था से इसका कोई संबंध नहीं है। आप अपने आप को चर्चाधीन विषय तक सीमित क्यों नहीं रखते हैं ?

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत : चर्चाधीन मामले से एक और मुद्दा भी सामने आता है जोकि कम महत्व का मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा प्रेस की स्वतन्त्रता पर बढ़ते हुए घोर आक्रमण के बारे में है। मेरा जानकारी के अनुसार श्री राजेन्द्र वैद्य ने सिलीगुड़ी से प्रकाशित अपने हिन्दी दैनिक "जनपथ समाचार" में मुख्य पृष्ठ के आलेखों की एक श्रृंखला लिखी है। इन आलेखों का उद्देश्य श्री वैद्य द्वारा सिक्किम के मुख्य मंत्री के गलत कार्यों तथा राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करना था। मुख्यमंत्री महोदय शायद इस लेख से नाराज होने का पूरा अधिकार है लेकिन कानून को अपने हाथों में लेने और इस प्रक्रिया में संविधान तथा अपराध प्रक्रिया संहिता को एक मजाक समझना उन्हें शोभा नहीं देता है।

अन्त में, गृह मंत्री जी से मैं यह आग्रह करूंगा कि सच्चाई, न्याय व ईमानदारी के हित में इस मामले पर गहराई से विचार किया जाये। तत्पश्चात मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि सदन में आकर हम सब को यह बतायें कि इन दोनों भयानक तथा बढ़ती हुई प्रवृत्तियों, यानि राज्य में बढ़ती हुई अनुशासन हीनता तथा प्रेस की स्वतन्त्रता पर बढ़ते हुए आक्रमणों को रोकने के लिये उन्होंने क्या कदम उठाये हैं।

मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रेस की स्वतन्त्रा पर बढ़ते हुए आक्रमण तथा राज्य सरकारों में भी बढ़ती हुई इस अनुशासनहीनता को ध्यान में रखते हुए, जब तक इस सम्बन्ध में कोई कठोर कदम नहीं उठया जाता, कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। यदि पुलिस इस प्रकार गैर-जिम्मेदारी ढंग से कार्य करती है जैसा कि चर्चाधीन मामले में है, तो राज्य का मूल आधार नष्ट हो जाएगा। हमारे सामने यह जो संकट आया है, जोकि कानून के शासन और संविधान, जिसके

प्रति हमने लोकतन्त्र के इस मन्दिर में निष्ठा बनाये रखने की शपथ ग्रहण की है, के प्रति भी विश्वासघातक है।

सभापति महोदय : अब उपमंत्री जी बोलेंगे।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : कृपया मुझे केवल एक बात कहने दीजिए।

सभापति महोदय : जी नहीं। कृपया बैठ जाइये। उपमंत्री जी केवल कुछ कहना चाह रहे हैं। वे चर्चा का उत्तर नहीं दे रहे हैं। चर्चा का उत्तर गृहमंत्री जी दे रहे हैं। उपमंत्री जी को अब बोलने दें। तब हम चर्चा जारी रखेंगे। अभी कई सदस्य बोलना चाहते हैं। आप अपनी बात बाद में कह सकते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : चूंकि यह उनका प्रथम भाषण है, इसलिए भी हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रामलाल राही : सभापति महोदय, आपने सही फरमाया कि मुझे नियम 193 के अधीन जो डिस्कशन हुई है, उस पर जवाब नहीं देना है। जवाब तो हमारे होम मिनिस्टर साहब देंगे। वे आज पंजाब समस्या को लेकर पंजाब के लोगों के बीच में बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं तथा लम्बी चौड़ी चर्चा हो रही है। मैं भी वहीं पर था लेकिन जब सदन में आवश्यकता पड़ी तो मुझे यहां आना पड़ा।

सभापति महोदय, मैं दो दिन से चर्चा को सुन रहा हूं। इस चर्चा में जिन सम्माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया है, अपने विचार व्यक्त किए हैं कि कैसे इन समस्याओं का उदय हुआ, कैसे बढ़ी, कैसे पनपीं और उनके कारण क्या है। यद्यपि गृह मन्त्री जी ब्यौरे से जवाब देंगे लेकिन मैं अपनी बात को वहीं से जोड़ते हुए 2-3 बिन्दुओं पर बात करना चाहूंगा।

श्रीमान्, यह आपराधिक प्रवृत्ति कोई आज की नहीं है और यह भी नहीं कि इस धरती पर अपराध आजादी के बाद होने लगे हों। आजादी के बाद पापुलर गवर्नमेंट बनी हो और तब से शुरू हो गया हो ऐसा नहीं। चाहे कांग्रेस की सरकार के समय रहा हो या उसके बाद किसी दूसरे की सरकार रही हो, ऐसा नहीं है और हम समझते हैं कि...

एक माननीय सदस्य : पंजाब में आपने किया है...

श्री रामलाल राही : आप इंटरफेयर मत करिए, आप मेरी बात सुन तो लें। मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहूंगा कि यह बात सही है कि वर्तमान में अपराध बढ़े हैं, और अपराधों का स्वरूप भी बढ़ा है, विकृत हुआ है। यह भी सही है कि हम सब लोग लोकतांत्रिक प्रणाली के अन्तर्गत चुनकर आते हैं, उन चुने हुए लोगों से ही सरकार बनती है तो हम प्रयास करते हैं कि देश और राज्य की कानून-व्यवस्था को सही रूप से चलायें। यह भी इत्तफाक की बात है कि इस देश में शायद ही कोई ऐसा राज्य रहा हो जिस राज्य में केवल एक दल के लोगों की सरकार चलाने का

अवसर मिला हो। केन्द्र में सभी दल के लोग या तो अलग अपने अस्तित्व के सहारे या सामूहिक रूप से मिल-जुलकर के सभी को केन्द्र में और राज्यों में सरकार चलाने का अवसर मिला है और सभी ने यह प्रयास किया है कि हम कानून और व्यवस्था को काबू में लाएं, स्थिति सुधारें, अपराध कम हों और आतंकवाद कम हो, अलगाववाद कम हो और अगर काबू पा जाएं तो अच्छी बात है लेकिन अभी सफलता नहीं मिल पाई है। हम समझते हैं कि हम ऐसे अवसरों पर जब बहस करते हैं तो उसकी जड़ में जाने की कोशिश करते हैं। यहां पर बहुत से सुझाव आपको आए हैं जिसमें जड़ जाने की कोशिश की गई है। कई कारण बताए गए हैं। उनमें से एक कारण सामाजिक दुराव, सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता है। तीसरा कारण न्याय न मिलना है। चौथा कारण है इस देश में कुछ लोगों का ही प्राकृतिक और आर्थिक साधनों पर नियंत्रण होना और उनका उपभोग करना, और उन साधनों में अगर समाज के दूसरे लोग लगे हैं, काम करते हैं सहयोग देते है तो यह दुर्भाग्य है कि हम आज अभी भी यह स्थिति नहीं बना पाए हैं कि हम देश में श्रमिकों को उनकी मेहनत का सही मूल्य दिला सकें। मेरा तो सौभाग्य है कि जहां से आवाज आ रही है, उस साइड भी मुझे बैठने का अवसर मिला और जब वहां भी बैठा हूं तो मैं सभापति महोदय एक कहानी एक माननीय सदस्य को बताता हूं।

एक बार मैं एक विरोधी पक्ष के सम्मानित सदस्य के साथ दौरे पर जा रहा था। हाथी पर गांव के लोग लेकर जा रहे थे क्योंकि पानी था। हमने देखा कि गांव के पास कुछ मजदूर खेत में निराई का काम कर रहे थे। हमने हाथी रुकवाया और मजदूरों को बुलवाया। उनको भी उतारा। वे भी साथ में उतरे। हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हमारे रिश्तेदार हैं और निराई का काम कर रहे हैं। हम और आगे बढ़े और उनसे पूछा कि आपको क्या मजदूरी मिल रही है ? तो मजदूर तो नहीं बोल पाए। वह हमारे साथ माननीय विधायक जी थे, बोले कि आइए, आइए, साथ में चलते हैं, इन्हें कहानी पूछ लेने दीजिए। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि एक रुपया देते है। हमारे सम्मानित विधायक जी बोले कि हमारे यहां 10 रुपए रोज पर एक नौकर चल रहा है। उससे पहले 6 रुपए पर था, अब हमने 10 रुपए कर दिया है। हम कह रहे हैं कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दें तो वह कहता है कि नहीं, नहीं, तनख्वाह न बढ़ाइए। यह दृष्टिकोण है। आप टीका-टिप्पणी तो कर सकते हैं लेकिन कथनी और करनी के अंतर को अगर आप बनाए रखेंगे तो आप हमारी टांग खींचेंगे और हम आपको कहेंगे। इससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। यह तरीका है। कि हम ऐसे इश्यू पर चर्चा करते बैठते हैं तो यह समझ कर चर्चा करते हैं कि यह अमुक दल का है और केवल वोट का बैंक हमारा कहां पर है वोट का आधार कैसे मजबूत हो, इस बात को दिमाग में रखकर हम बात करते हैं।

सभापति महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग एक तंत्रवादी देश में रहते हैं और हम लोग अपने देश में लोकमत का राज चला रहे हैं। हम भी इस सदन में लोगों द्वारा चुनकर आए हैं, हमारे विपक्ष में बैठने वाले साथी भी चुनकर आये हैं, आपको भी इस देश की जनता ने भेजा है, हमें भी भेजा है। हम यहां सरकार में बैठे हैं आप उधर बैठे हैं लेकिन कोई भी समस्या, आपका उत्तरदायित्व भी उतना ही है, अगर किसी राष्ट्रीय समस्या के समाधान के लिये हम प्रयास करें, यह सरकार कोई प्रयास करे तो आप इस दृष्टि से हमें सहयोग न दें कि हमने ज्यादा वोट लेने हैं, बल्कि इस दृष्टि से सरकार को सहयोग दें कि हमने वास्तव में एक राष्ट्रीय

समस्या का समाधान खोजना है, निराकरण करना है। वोट को ध्यान में रखकर सहयोग नहीं करना है। जब इस दृष्टि से आप सरकार के साथ सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार को सफलता मिलेगी, हम समस्या का हल निकाल पायेंगे, निराकरण कर सकेंगे।

यहां इस समस्या के कुछ कारण बताये गये परन्तु एक कारण और भी है।

[अनुवाद]

श्री चाइमा सिंह युमनाम : महोदय, जहां तक मुझे ज्ञात है, नियमानुसार उपमंत्री जी बीच में बोल सकते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वे बीच में बोल रहे हैं अथवा अपना भाषण दे रहे हैं?

सभापति महोदय : वे बोल रहे हैं। आप किसी भी तरह से इस की व्याख्या कर सकते हैं। इसलिये इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। उन्हें अपना तर्क देने दीजिए।

9.32 म. प.

[श्री पी. एम. सईद पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री रामलाल राही : सभापति जी, मैं कह रहा था कि हमारे साथियों ने कई मुद्दे यहां उठाये। एक मुद्दा यह भी उठाया गया कि हमारे यहां धार्मिक उन्माद और जातिगत उन्माद बढ़ाने का काम हुआ है। यह भी एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से हमारे देश में हिंसक वातावरण बना। हमारा दुर्भाग्य है। हम यह जानते हैं कि यह देश बहुजातिय देश है यहां अनेकों भाषाएं प्रचलित हैं और हर 80-100 किलोमीटर के बाद, हमारा रहन-सहन, खान-पान और उठने बैठने का तरीका बदल जाता है। इस सब के बावजूद हम सब भारत देश के नागरिक है। हर प्रांत, हर भाषा और हर मजहब के लोगों को जोड़ कर हमारा भारत देश बना है। हम यह भी जानते हैं कि कुछ विदेशी ताकतें हमारे देश में सक्रिय हैं। वे ताकतें हमारी बहबूदी को, हमारी बढ़ोत्तरी को हमारी उन्नति को देखना पसन्द नहीं करतीं। हमारे विकास कार्यों में हस्तक्षेप करती हैं और हमारे बीच के कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर काम कर रही हैं।

इसके अलावा कुछ राजनैतिक शक्तियां हमारे देश में ऐसी हैं जो जातिगत आधार पर काम कर रही हैं, जातिवादी भावना को बढ़ावा देती हैं। हम नहीं समझते कि आप सवाल तो उठाते। लेकिन इन बातों से क्या किसी समस्या का समाधान सम्भव है। हम चाहते हैं कि हमारे सोचने के तरीके में बदलाव आना चाहिये। हम राजनैतिक दलों की सोच में बदलाव आना चाहिये क्योंकि ऐसी बातों से जातिवादी, धर्म-उन्मादी ताकतों को बढ़ावा मिलता है, वे पनपती हैं।

सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि जब-जब इस देश में जातिवाद या धर्म-उन्मादी ताकतों को शक्ति मिली है, प्रश्रय मिला है, उनके साथ राजनैतिक ताकतें मिल गयी हैं, तब-तब हमारे दे

में आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ा है तथा आपराधिक मनोवृत्ति बढ़ी है। जब-तब इस धरती पर रहने वाले कमजोर वर्ग के लोग, हरिजन, गिरिजन, अल्पसंख्यक और आदिवासी लोग सहमे हैं, डरे हैं और सताये गये हैं। हम ऐसा वातावरण बनाना है। ताकि हमारे कमजोर वर्ग के लोगों की रक्षा हो सके। सरकार चाहती है कि उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनकी मदद होनी चाहिए।

इसलिए मैं इस सदन के सभी सम्माननीय सदस्यों से, सभी राजनैतिक दलों से अपील करूंगा कि इस समस्या का हल करने में वे सरकार का सहयोग करें और देश में ऐसे वातावरण का निर्माण करने में सहायता करें ताकि हम इस विषम समस्या का निराकरण कर सकें जिसने इस देश को परेशान कर रखा है, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जन को परेशान कर रखा है और हम इस स्थिति से उबर सकें। तभी देश में विकास सम्भव है और हम तेजी से देश को विकास के मार्ग पर ले जा सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, देश का औद्योगिक विकास कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को उस दिशा में लगा सकते हैं, समृद्धशाली बन सकते हैं। दूसरे देशों के मुकाबले में मजबूती से हम तभी खड़े हो सकते हैं। इस शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन (डिन्डीगुल) : चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

वर्षों से कानून और व्यवस्था की स्थिति अत्यधिक खराब और गम्भीर हो गई है। धर्म-निरपेक्षता के सिद्धांतों को आज खतरा है और साम्प्रदायिकता दावानल की तरह फैलती जा रही है। सरकार को इस बारे में आवश्यक-पग उठाने चाहिएं।

सभापति महोदय : कृपया आप सामने आइये। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है।

श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन : सरकार को पंजाब, कश्मीर और असम में बढ़ रहे उग्रवाद की समस्या का राजनैतिक हल अवश्य निकाले जाने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री महोदय समस्या के बातचीत के जरिए हल निकालने के लिए मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन, राष्ट्रीय एकता परिषद और सभी दलों की एक बैठक बुलाने जा रहे हैं। समस्या का समाधान इस प्रकार से निकालना चाहिए कि सभी प्रभावित पक्षों को संविधान के अन्तर्गत उनको हक मिले।

आज की परिस्थितियों में साम्प्रदायिक-पार्टियां दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही हैं। केन्द्रीय सरकार को सभी साम्प्रदायिक-दलों और पृथकतावाद को बढ़ावा देने वाले दलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाना चाहिए। उदाहरणार्थ, द्रविड़ मुनेत्र कषगम जैसे दलों, जोकि ब्राह्मण विरोधी हैं और जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

सरकार इस बात से अवश्य सहमत होगी कि राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की एक अहम, भूमिका है। पुलिस को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उसे आधुनिक मशीनरी और तीव्रतम यातायात के साधनों से लैस किया जाना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु राज्य सरकार ने केन्द्र से राज्य-पुलिस-बल के आधुनिकीकरण हेतु विशेष निधि की मांग की है। केन्द्र सरकार को राज्य सरकार की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर वांछित राशि की स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए।

तमिलनाडु अभी तक शान्त रहा है। जब डी. एम. के. सरकार सत्ता में आई, तो इसने अलगाववादी आंदोलन को प्रोत्साहित किया। उनका पृथकतावाद के आंदोलन को बढ़ावा देने का एक लम्बा इतिहास है। उन्होने लिट्टे को अस्त-शस्त्रों की आपूर्ति की जिसके फलस्वरूप कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी। इसके परिणामस्वरूप भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या भी की गई।

ऐसा तमिलनाडु पुलिस के मनोबल और दृढ़-संकल्प से हो सम्भव हो पाया कि वे ई. पी. आर. एल. एफ नेता पदमनाभम के हत्यारों को पुलिस द्वारा पकड़े जाने की कार्रवाई न किए जाने के निर्देश दिए जाने में संलिप्त भूतपूर्व गृह-सचिव * को बन्दी बना सके। भूतपूर्व गृह-सचिव ने न्यायिक-मैजिस्ट्रेट के सम्मुख अपने बयान में भूतपूर्व मुख्यमंत्री जिसने लिट्टे के कार्यकर्ताओं को सक्रिय रूप से सहायता प्रदान की थी, को इसमें संलिप्त बताया। भूतपूर्व मुख्यमंत्री ई.पी.आर.एल. एफ नेता पदनाभन की हत्या की जांच को बन्द करवाने के लिए भी जिम्मेदार थे। एक चुनी हुई सरकार हत्यारों और उग्रवादियों को सहायता एवं उनका बचाव कर रही थी। यह बहुत शर्मनाक है।

हमारे नेता पुरातची थालाईवी के कुशल नेतृत्व में लिट्टे की गतिविधियों या नियंत्रण पा लिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात राष्ट्र की अखंडता के प्रति निष्ठावान और देशभक्ति की भावना का होना है। देश का अपमान न होने देने और भारत की सीमाओं की अखंडता के लिए डी. एम. के. ऊपर आगामी पांच वर्षों तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

मद्रास में 11 दिसम्बर, 1991 को अखिल भारतीय पुलिस प्रतिस्पर्धा के अवसर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने लिट्टे के विरुद्ध कारगर कार्रवाई न करवाने का एक कारण राज्य पुलिस बल को आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से लैस न किया जा सकना बताया था। तमिलनाडु कार्यकुशलता के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि केन्द्रीय सरकार, तमिलनाडु में पुलिस बल को आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार को आवश्यक धन प्रदान करे।

(व्यवधान)

मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

मोहम्मद अली अशरफ फातमी : जनाब चेयरमैन साहब, अभी जो यह बात डी. एम. के. के खिलाफ रख रहे हैं, यह बहुत गलत बात है कि आप किसी पोलिटिकल लीडर के ऊपर, उनके बारे में अभी इन्होंने बयान में इस तरह की गलत बात कही है । डी. एम. के एक पोलिटिकल पार्टी है, वह कोई टैररिस्ट पार्टी नहीं है इसलिए इस तरह की बात कि 5 साल के लिए उनको बैन कर दिया जाय ताकि यह अकेले इलैक्शन लड़ते रहें और वहां जीतते रहें, बहुत गलत बात है, इसको डिलीट किया जाए, यहां से, कि इस तरह की बात को सदन के अन्दर न उठाया जाए ।

[अनुवाद]

श्री के. पी. पेड्डय्या यादव (मछलीपट्नम) : सभापति महोदय, श्रीमान, सुबह जब कुछ माननीय सदस्यों ने बिहार पुलिस के कुछ अधिकारियों के नामों का उल्लेख किया था, तो अध्यक्ष महोदय ने नामों को कार्रवाई वृतान्त में सम्मिलित न किए जाने का विनिर्णय दिया था । अब आप माननीय सदस्य को तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाम का उल्लेख की अनुमति क्यों करने दे रहे हैं, जो अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं । अतः इस टिप्पणी को कार्रवाई वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए । (व्यवधान) नामों को कार्रवाई वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय : मैं रिकार्ड की जांच करूंगा । यदि कोई बात आपत्तिजनक हुई, तो उसे कार्रवाई वृतांत से निकाल दिया जाएगा ।

श्री त्रिणासामी श्रीनिवासन : अंत में, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जैसाकि केन्द्रीय सरकार ने प्राकृतिक आपदा राहत कोष की स्थापना की है जिसमें से, प्राकृतिक आपदाओं की अवस्था में राज्य एक निश्चित राशि हिस्से के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, केन्द्र को एक साम्प्रदायिक दंगा राहत कोष भी स्थापित करना चाहिए । जिससे साम्प्रदायिक दंगों द्वारा प्रभावित लोगों की सहायता की जा सके ।

सरकार को मैं यह भी सुझाव दूंगा कि साम्प्रदायिक सद्भावना और भाईचारे के प्रचार के लिये दूरदर्शन और आकाशवाणी का उपयोग किया जाना चाहिए । प्रचार माध्यमों का उपयोग ऐसे टेलीसीरियल और वृत्तचित्रों को दर्शाने के लिए किया जाना चाहिए जोकि शांति और सद्भावना बनाये रखने की आवश्यकता को चित्रित कर सकें । टेली सीरियल तथा वृत्तचित्रों के ऐसे प्रस्तुतकर्ताओं तथा निदेशकों को, जो भाईचारे के संदेश का का सशक्त प्रचार करते हैं, हर माह भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री याइमा सिंह युमनाम : माननीय सभापति महोदय, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि कुछ राज्यों, जिनमें पंजाब, जम्मू और कश्मीर, असम व नागालैंड शामिल हैं, में कानून और व्यवस्था की बड़ी भयावह स्थिति रही है ।

इन राज्यों में स्थिति वास्तव में भयावह है और इसे नियंत्रित नहीं किया जाना है। वरन् देश बर्बाद हो जाएगा। जब तक कि हमारा देश पाकिस्तान के साथ मजबूती से नहीं निपटता, पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति का हल खोजना संभव नहीं होगा।

मेरी सुविचारित राय यह है कि हमें पाकिस्तान के साथ मजबूती से निपटना चाहिये। और यदि आवश्यक हो तो पाकिस्तान द्वारा इन आतंकवादियों इन अलगाववादी तत्वों को दी जाने वाली सहायता बलपूर्वक रोकी जानी चाहिए। ऐसा मेरा विचार है।

सेना को सभी आतंकवादियों को समाप्त करने के आदेश दिये जाने चाहियें और इसके साथ-साथ आर्थिक कार्यक्रम, विकासोमुखी कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने चाहियें। केवल इसी तरीके से ही इन राज्यों की समस्याओं का हल खोजा जा सकता है।

असम, मणिपुर तथा नागालैंड में सीमा समस्या के हल के लिये हमें चीन और बर्मा से बातचीत करनी चाहिये। अब, जबकि चीन के प्रधानमंत्री राजधानी में आये हुए हैं इस मुद्दे को उठाने का यह उचित अवसर है। हमें चीन सरकार से यह कहना चाहिये कि इन आतंकवादियों को पनाह न दें, इन्हें छुपने के ठिकाने अथवा अन्य सहायता न दें। यदि ऐसा किया जाता है तो यह समस्या हल हो जायेगी। चूंकि समय बहुत कम है, मैं इस पर अधिक समय नहीं लूंगा।

मणिपुर तथा नागालैण्ड में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो रहा है। पहले यह स्थिति बिगड़ती जा रही थी। अव्यवस्था का वातावरण था। अब वहां गैर-कांग्रेसी सरकारें आतंकवादी क्रियाकलापों तथा अलगाववादी वर्गों को कुचलने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं और वे लगभग सफल हुए हैं। इस तरह से नागालैंड और मणिपुर राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो रहा है।

असम में अलगाववाद तथा आतंकवाद के क्या कारण हैं? असम एक पिछड़ा हुआ राज्य है जहां ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। इसमें अपार पर्वतीय क्षेत्र तथा जंगल हैं जहां आदिवासी रहते। सरकार द्वारा इनकी उपेक्षा की गई है। यहां के लोगों की सन्तुष्टि के लिए विकास का कोई भी कार्यक्रम नहीं अपनाया गया है। इसलिए वर्तमान सरकार से वे निराश हैं। इसलिये वे विद्रोह कर उठते हैं। यदि प्रशासन इन क्षेत्रों के लोगों की मांगें पूरी करता है तो कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में आ जायेगी। इन क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि वहां के लोग घाटी अथवा अन्य लोगों की प्रभुत्व नहीं चाहते हैं। वे अपनी व्यवस्था, अपनी अपनी सरकार स्वयं बना चाहते हैं। इसलिए असम के इन क्षेत्रों के लोगों को स्वायत्तता प्रदान करना देश के हित में होगा। स्थिति को सुधारने में इससे बहुत अधिक सहायता मिलेगी। केवल सेना को तैनात करने से ही स्थिति में सुधार नहीं होगा। हमने, इन क्षेत्रों में सेना द्वारा किये जा रहे अत्याचारों के बारे में भी सुना है। कल, सेना को तैनात किये जाने के बाद हमने डा. जयन्त रोंगपी से सुना है कि बहुत सी लड़कियों और विवाहित महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है और बहुत से मासूम लोगों की सेना द्वारा गोली मार कर हत्या की गई है। वे उनके नाम बताने और ऐसे चित्र दिखाने के लिए तैयार है कि सेना ने इन क्षेत्रों में कैसे-कैसे जुल्म किए हैं। यह अमानवीय है। मैं, डा. जयन्त रोंगपी जिन्होंने कल यह कहा कि एक संसदीय समिति को वहां जाना चाहिए, के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अब मैं मणीपुर पर आना चाहूंगा। आतंकवाद, बगावत और अलगाववाद की यह घटनायें क्यों होती हैं। कारण यह है कि लोग, अधिकतर सामान्य युवा वर्ग तथा विद्यार्थीगण केन्द्रीय सरकार के रवैये से खुश नहीं हैं। वे अपनी भाषा मणीपुरी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार के रूप में मान्यता प्रदान करने की मांग कर रहे हैं लेकिन इससे उन्हें मना कर दिया जाता है। अब मणिपुर में विद्यार्थियों, तथा युवावर्ग ने हिन्दी फिल्मों को दिखाने की मनाही कर दी है। मणीपुर भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने से इंकार करने का यह परिणाम निकला है। वे आसाम राइफल्ज को कांगला से, जोकि एक पवित्र स्थल है, किसी अन्य स्थान पर ले जाने की भी मांग कर रहे हैं।

मणीपुर के लोग सरकार से यह चाहते हैं कि विलमन समझौते को पूरी तरह लागू किया जाये। जैसा कि आप जानते हैं कि मणीपुर 15 अक्टूबर 1949 को भारत संघ के साथ जोड़ा गया और इससे पूर्व मणीपुर भारत का अंग नहीं था। मणीपुरी भारतीय नहीं थे। केवल इसके बाद ही मणीपुर भारत का अभिन्न अंग बना। अब विलयन समझौते के अनुसार कुछ पद मणीपुरियों के लिए आरक्षित किये जाने चाहिए और मणीपुर भाषा को भी मान्यता दी जानी चाहिये। लेकिन यह सभी वायदे पूरे नहीं किये गये। मणीपुर किस-किस का त्याग करें। उन्होंने अपनी केबो घाटी छोड़ दी। इसे बर्मा को दे दिया गया है। सामान्य वर्ग के लोगों को इसके लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। अंत: वे लोग अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित हों उन्हें भारतीय कहलाने में गौरव का बोध नहीं होता सिर्फ इसके लिए कि वहां सुविधाओं का अभाव हो। अत: मणीपुर में अंतकवाद और अलगववाद की स्थिति क्यों पैदा होने दी गई।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मणीपुरी भाषा को मान्यता प्रदान की जाए और इसे राष्ट्रीय भाषण बनाए गए ताकि विद्यार्थी और युवा से अन्य वर्ग अपने को इस देश का अभिन्न अंग समझ सकें।

अन्त में, जहां हम उग्रवाद से निपट रहे हैं, विघटनवाद से निपट रहे हैं वहां शासन दल कांग्रेस वहां प्रजातांत्रिक ढांचे को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, ताकि सरकार को गिराया जा सके। वहां शासक दल यू. एन. एफ. के विधायकों को प्रलोभन देकर जा रहा है और ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा रही है जिससे प्रजातंत्र का गला घोटा जा सके। अत: मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह राज्य के प्रबन्ध में हस्तक्षेप न करे जो कि इतना अधिक संवेदनशील नहीं है। अर अति महत्वपूर्ण है। चूंकि मणिपुर के सीमान्त राज्य होने के कारण और संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण केन्द्र को राज्य की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रबन्ध कार्यकरों के लोगों के जिम्मे छोड़ दिया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री एस. एम. लालजान बाशा (गुन्टूर) : सभापति जी, आजादी प्राप्त करने के 44 साल बाद भी ला एण्ड आर्डर के बारे में इस हाउस में चर्चा हर साल होती है और कागजों में लिखा है। लेकिन उस पर कुछ भी कार्यवाही नहीं होती। 44 साल की हुकूमत में अपोजीशन पार्टी की हकूमत चार साल रही, बाकी 40 साल कांग्रेस की हकूमत रही। आज ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन के बारे में फिर चर्चा हो रही है। इसकी जवाबदेही कांग्रेस पार्टी पर 90 परसेंट पड़ेगी।

ला एण्ड आर्डर के बारे में कांग्रेस पार्टी की पूरी जिम्मेदारी है। उसने खुद ला एण्ड आर्डर को तोड़ा है। क्योंकि बहुत सालों से कांग्रेस की हकूमत जहां-जहां चली है वहां-वहां दंगा-फसाद, कम्युनल रायटस आप देख सकते हैं। आज ला एण्ड आर्डर के बारे में, काबिल अफसर जहां रहेंगे उनको बदल देंगे और फेवर में जो अफसर रहेंगे उनको ले आयेंगे, यह स्थिति है। ला एण्ड आर्डर बनाए रखने के लिए नीचे लोगों, नीची जाति के लोगों को पीछे रखकर चलते हैं। हर एक शहर में ऊंची जाति, नीची जाति बोल कर दंगा-फसाद बढ़ाते हैं। पुराने समय में जो बुजुर्ग थे, वे ऊंची जाति और नीची जाति बोलकर उनको नीचे बैठाते थे और स्वयं ऊपर बैठते थे। लेकिन आज वे दिन नहीं है। वे लोग भी समानता चाहते हैं, वे भी बगल में बैठना चाहते हैं। ऊंची जाति वाले

उनको बगल में बैठाना नहीं चाहते, इसलिए बहुत से झगड़े हो जाते हैं। आप पिछले सालों का रिकार्ड देखेंगे तो 93000 केसिज हुए हैं हरिजनों पर। लेकिन 50000 केसिज रिकार्ड ही नहीं हुए। क्योंकि पुलिस व्यवस्था को भी कांग्रेस पार्टी ने खराब करके रखा है। आज पूरी व्यवस्था बिगड़ गई है। एक एग्जामपल देना चाहता हूँ, पाकिस्तान से लड़ाई लड़नी है, ऐसी बात उछाली जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस वाले जाली बहका कर उन लोगों के वोट पाने के लिए पाकिस्तान की मिसाल देकर आज तक हकूमत चलाते आए हैं। पाकिस्तान से हम लोगों को डरने का सवाल नहीं है। डिफेंस का बजट इतना बड़ा रखा है कि आधा पैसा तो डिफेंस के बजट के लिए चला जाता। हर एक स्टेट में ला एण्ड आर्डर के लिए फण्ड्स की कमी है। मेरा सुझाव है कि इन्सीडेण्टली ला एण्ड आर्डर ठीक करने के लिए बहुत सा पैसा हर एक स्टेट को देना बहुत जरूरी है। डिफेंस पर खर्चा करने की जरूरत नहीं है।

आप मिसाल के तौर पर देखिए, कितने जवान एक साल में मारे जाते हैं और पुलिस वाले कितने मारे जाते हैं, कम्पेयर करके देखेंगे तो पुलिस वाले यदि 100 मारे जायेंगे तो जवान 25 ही मारे जायेंगे।

5.00 म. प.

लेकिन इनके लिये आप कितना फण्ड अलाट करते हैं और डिफेंस के लिये कितना करते हैं, यह भी देखने की जरूरत है। हरेक राज्य की पुलिस के लिए नई-नई मशीनगन्स और वाहन देने की तथा पुलिस संख्या बढ़ाने की जरूरत है। कई जगहों पर पुलिस बहुत कम है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पुलिस को फौरन नये-नये ट्रांसमीटर्स और व्हिकल्स मुहैया कराये जायें और डिफेंस बजट में कटौती करके स्टेट्स की पुलिस पर व्यय किया जाये।

हमारे आंध्र प्रदेश में एन. टी. आर. जब हुकूमत में थे तो उन्होंने जिलों के अधिकारियों के सहयोग से नक्सलवादियों को जेलों में बन्द कर दिया था। लेकिन जब चेन्ना रेड्डी की सरकार आई तो उस सरकार ने इनको छोड़ दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि आज वहां लोग बाहर आ गये हैं और हमारे राज्य में हालत बहुत खराब हो गई है। नक्सलवादियों ने फिर से लोगों को मारना और उनका अपहरण करना शुरू कर दिया है। यह सब कांग्रेस वालों की गलती है। दंगे-फसाद कराने और ला एण्ड आर्डर तोड़ने में कांग्रेस का बड़ा हाथ है। हैदराबाद का आपको उदाहरण देता हूँ कि वहां जब एन.टी.आर. का जमाना था तो इतना सुकून था कि लोग चैन से रहते थे। आज जब कांग्रेस की हुकूमत आ गई है तो वहां पर हर आदमी की नींद और चैन उड़ गया है। एन.टी.आर. के राज से कांग्रेस को सीखना चाहिए और उसको अपने लिये एक उदाहरण के रूप में अपने सामने रखना चाहिए। पूरे देश के अन्दर जो राज्य है, मैं तो कहता हूँ कि सबको एन.टी.आर. के जमाने की मिसाल को याद रखना चाहिये और उससे सीखना चाहिए।

मेरी पुनः मांग है कि डिफेंस डिपार्टमेंट के बजट में कटौती करके इसको पुलिस व्यवस्था पर व्यय करना चाहिए। जिन राज्यों में पुलिस के पास आधुनिक हथियार नहीं हैं वे उनको दिये जायें। क्योंकि जब भी कोई दंगा होता है, हमने देखा है कि पुलिस वालों के पास वहां तक पहुँचने के लिए

वाहन नहीं होता है। ऐसी जगहें आज भी मौजूद हैं।

आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति जी, आज देश में शांति और व्यवस्था की हालत जितनी बिगड़ रही है उतनी कभी बिगड़ी हुई नहीं थी। आज जिस तरह आतंकवाद, अलगाववाद और अपहरण और हिंसा का वातावरण देश भर में है, शायद सरकार का इस बात का एहसास नहीं है। जितनी बुरी स्थिति है उसका एहसास मैं समझता हूं कि सरकार को नहीं है। और आगे इसके बिगड़ने की सम्भावना और बढ़ती चली जा रही है। आज ऐसा लगता है कि सारे देश की स्थिति जहां आतंकवाद नहीं था, जहां हिंसा नहीं थी, जहां अपहरण नहीं था आज वहां भी है। महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में, बम्बई जैसे नगर में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, गुजरात में ये कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां शांति व्यवस्था दूसरों के मुकाबले में ज्यादा अच्छी हुआ करती थी। मगर आज ऐसा लगता है कि सारा देश एक हिंसा, अलगाववाद और आतंकवाद की चपेट में आता चला जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है, विल पावर इसकी वीक हो गई है। इसको इस बात की समझ नहीं है कि इसकी जड़ में, इसके मूल कारण में क्या कमजोरियां है। जब तक देश में यह वातावरण बिगड़ता रहेगा इसको गम्भीरता से समझने की कोशिश नहीं की जायेगी, इसके कारण का पता नहीं लगाया जायगा और इसका मुकाबला करने के लिए एक सही रणनीति नहीं बनाई जायेगी तब तक सरकार इस बात का मुकाबला नहीं कर सकती। आपने इस सदन में दो दिन से बातों को सुना है। एक मुख्य बात जो निकलकर आयी, वह यह है कि आज देश में आर्थिक, सामाजिक विषमता बढ़ती चली आ रही है, इसकी खाई चौड़ी होती जा रही है। 45 साल की आजादी के बाद भी इस देश में निहित स्वार्थ पैदा हो गया है जो पहले जमाने में काबिज था जिसके पास कारखाने थे, नौकरी थी, जिसके पास समाज में इज्जत थी, आज इस नए युग में भी दूसरे ढंग से राजसत्ता पर अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है। आज वह नौकरशाही पर हावी हो गया है। आज नये उद्योग-धन्धे, नये लाइसेंस उसके पास जाने चाहियें, आज विश्वविद्यालय उसके कब्जे में रहें, उसका कब्जा रेडियो और टी. वी. पर रहे, उसका कब्जा देश के अखबार और प्रचार के जितने साधन हैं, उस पर रहे। आज 45 साल की आजादी के बाद भी 85 फीसदी लोगों को प्रजातन्त्र में भी उसका लाभ नहीं मिल रहा है। वास्तविकता यह है कि यह शतक बहुत से परिवर्तनों का शतक होने जा रहा है। इस देश का गरीब अपने अधिकार, अपने सम्मान के लिए और अपने देश के शासन में हिस्सेदारी के लिये लड़ेगा। वह अपनी मांग करेगा वरना प्रजातन्त्र का कोई मतलब नहीं है। इस देश में जो लोग 15 फीसदी लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, वे अपना शिकंजा और मजबूत करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि उनका शिकंजा कमजोर हो जाये। आज लड़ाई दो विचारधाराओं, दो दृष्टिकोणों में और सत्ता में हिस्सेदारी का सवाल है।

सभापति महोदय, कश्मीर का क्या सवाल है, कश्मीर के लोगों को इस बात का एहसास है कि दिल्ली का शासन चलेगा, दिल्ली की हुकूमत चलेगी, वहां पर जो फैसला होगा, उसकी हिस्सेदारी होगी ? आज पंजाब में क्या है, क्यों वहां पर आज माइनरटीज लोग दुखी हैं ? बगावत कौन कर रहा है, कश्मीर में कौन कर रहा है, पंजाब में कौन कर रहा है, नार्थईस्टर्न जोन में कौन कर रहा है, माइनरटीज के लोग।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : कश्मीर में माइनरटीज के लोग कौन हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : जोशी जी मेरी बात तो सुनिये, आपको कहने का अधिकार है।

श्री अन्ना जोशी : अब तो निकाले जा रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं उसको गलत मानता हूं। कश्मीर के जो लोग……

सभापति महोदय (श्री पी. एम. सईद) : आप उनके बारे में मत बोलिये…

श्री चन्द्रजीत यादव : आप उनको रोकिये…

श्री अन्ना जोशी : मैं रिक्वेस्ट करता हूं ··

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो लोग कश्मीर से निकाले जा रहे हैं, वे…

सभापति महोदय : आप कन्क्लूड करिये, नेक्स्ट आईटम लेना है…

श्री अन्ना जोशी : कश्मीर में सबको रहने का बराबर अधिकार है। अगर आप सारे देश में, जहां की बात आप कर रहे हैं, आप उत्तर पूर्व में आयें…

सभापति महोदय : आप कन्क्लूड करें समय कम है…

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं बैठ जाऊंगा। मैं नहीं बोलता। आप अपने समय का ध्यान करिये…

सभापति महोदय : ऐसी बात नहीं है…

श्री चन्द्रजीत यादव : मैंने तो अभी शुरू नहीं किया आप कन्क्लूड कराना चाहते हैं…

सभापति महोदय : नहीं, प्लीज ··

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं तो थोड़े से बेसिक सवाल उठाना चाहता हूं वरना कोई बहस का अर्थ ही नहीं है। मैं इस बात को बहुत साफ कहना चाहता हूं कि यह डिकेट हिंसा, टकराव लेकिन बड़े ही परिवर्तन का द्योतक होने जा रहा है। इसमें गरीब अपनी सत्ता की हिस्सेदारी के लिए लड़ेगा, अपने सम्मान के लिए लड़ेगा। आज इस देश में वह व्यवस्था नहीं चल सकती है जो व्यवस्था इस देश में चली आ रही है। पिछले सालों में मेहनत करने वालों को व्यवस्था में अपमानित किया गया, यह आज प्रजातन्त्र में नहीं चल सकता है कि कुछ मुट्ठीभर लोग जिनके पास सारी जमीन हो, नौकरी पर कब्जे किये बैठे हो, सत्ता से उनकी हिस्सेदारी हो और हर चीज पर उनका प्रभुत्व नहीं चल सकता है। आज क्या वजह है कि हमारे आदिवासियों के इलाकों में बदलाव हो रहा है ? क्या वजह है कि हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के लोग 45 साल के बाद भी मारे जा रहे हैं। उनके मन में यह भावना मजबूत हो रही है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। यह व्यवस्था न्याय

नहीं कर रहा है, न आर्थिक व्यवस्था और न ही सामाजिक व्यवस्था न्याय कर रहा है, न नौकरशाही कर रही है और न न्यायपालिका कर रही है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि समय आ गया है कि गम्भीरता से पूरी व्यवस्था के ऊपर विचार होना चाहिए। पुराना आर्थिक व्यवस्था, पुरानी सामाजिक व्यवस्था, पुरानी सोचसमझ इस देश के अन्दर नहीं चल सकती। इस देश के अन्दर क्या कारण है कि हम साम्प्रदायिक दंगे नहीं रोक पा रहे हैं? क्या कारण है कि इस देश के अन्दर माइनोरिटीज में सुरक्षा की भावना पैदा हो रही है? यह सोचना पड़ेगा कि क्यों दंगे नहीं कर सकते हैं। एक बात आज मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं, 15 साल पहले मैंने इसी सदन में मांग की थी कि अगर इस देश में साम्प्रदायिक दंगे को आप रोकना चाहते हैं, इस देश में नृशंस सामूहिक हत्याओं को रोकना चाहते हैं तो जहां भी दंगा होता है, जहां भी सामूहिक हत्या होती है, तीन महीने के अन्दर स्पेशल कोर्ट बनाकर दंगे के लिए जिम्मेदार लोगों को, हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ऐसा पनिशमेंट मिलनी चाहिए फिर देखिए दंगे इस देश के अन्दर बन्द होते हैं या नहीं। मगर नहीं, इस देश में एक आदमी की हत्या करने वाले को फांसी हो सकती है मगर सामूहिक हत्या करने वाले, दंगा कराकर सैकड़ों को मार देने वाले को, उनकी जिन्दगी, उनका सम्मान, उनका सब कुछ तबाह करने वाले बचकर निकल जाते हैं। हम कमीशन बना देते हैं, कमेटी बना देते हैं, जांच करते हैं और रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट फाइल में बन्द रह जाती है और किसी को सजा नहीं होती है। कुछ मौलिक चीजों के ऊपर इस देश में नयी तरह की समझ आनी चाहिए। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं।

आरक्षण के प्रश्न ने इस देश की जड़ को हिला दिया। क्या वजह है कि नौजवान शेड्यूल कास्ट के लोगों को संतोष नहीं है? संविधान आरक्षण देता है। हमने फैसला किया है कि 45 साल के बाद 22 फीसदी के मुकाबले 8 फीसदी के मुकाबले शेड्यूल कास्ट्स और ट्राइब्ज का आरक्षण पूरा नहीं हुआ। क्या वजह है कि मंडल कमीशन 1980 से आया तो सत्ता में हिस्सेदारी का सवाल था। कोई नौकरी का सवाल नहीं था, मगर उसके ऊपर सरकार बैठी रही दस साल तक। कौन लोग करा रहे थे दिल्ली के अन्दर दंगे? क्या मालूम नहीं है, वही लोग दंगे करा रहे थे मगर दस साल के बाद जब उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया, बिहार में उनको जवाब मिल गया, जब उनके सत्ता से पांव खिसकने लगे तब लगा कि मंडल कमीशन में कुछ न कुछ करना चाहिए। उसके ऊपर सहमति निकालना चाहिए। मैं इस बात को मजबूती से कहना चाहता हूं कि आर्थिक नीति और सामाजिक नीति की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि इस देश के गरीब की गरीबी मिटे। इस देश की विषमता की खाई जो चौड़ी होती चली जा रही है, उसको और कम करने की कोशिश जाए। यह बुनियादी सवाल आर्थिक क्षेत्रों में सामाजिक क्षेत्रों में सत्ता की हिस्सेदारी में लोगों नहीं मिला तो श्रीमन्, इसके नतीजे बुरे होंगे। आज नौजवान विद्रोह कर रहा है। क्या वजह है? साढ़े तीन करोड़ शिक्षित नौजवान इस देश में बेरोजगार हैं, उसके बारे में हम सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? गांव के नौजवानों को छोड़ दीजिये तो 18 करोड़ युवक और युवतियां इस देश के अन्दर बेरोजगार हैं। उनके मां-बाप की महंगाई में स्थिति खराब होती जा रही है। कोई साधन नहीं है। बेरोजगार रहेंगे, उनके सामने कोई भविष्य नहीं दिखाई पड़ेगा, उनकी आशाएं-उम्मीद खत्म हो जाएगी तो वे गलत ताकतों में जाएंगे। मैं मानता हूं कि आतंकवाद और अलगाववाद का दर्शन, राजनीतिक दर्शन, गलत दर्शन और राष्ट्रविरोधी दर्शन है। इसमें लोग बहकावे में आए हुए हैं। पाकिस्तान जैसी शक्ति इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। हमारे और भी दुश्मन इसका लाभ उठाएंगे।

हम इस मोर्चे पर भी असफल रहे हैं। जिस तरह से हमको इन आतंकवाद करने वालों और उसको बढ़ावा देने वालों को सजा देनी चाहिए थी, उसमें हम सफल नहीं हुए हैं।

श्रीमन्, हम आपसे इस बात को कहना चाहता हैं कि आज सारे देश में एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि आप वास्तविकता पर पर्दा मत डालिए। शुतुरमुर्ग मत बनिए वरना उनके नतीजे खराब हो जाएंगे यह नहीं कि एक पार्टी कमजोर हो जाएगी बल्कि देश कमजोर हो जाएगा, प्रजातन्त्र कमजोर हो जाएगा और ये सारे का सारा मिलाकर स्थिति महज शांति और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना देश में एक चुनौती है हमारे आदर्शों के लिए, चुनौती है हमारे मूल्यों के लिए, चुनौती है हमारी व्यवस्था के लिए, चुनौती है आज जनतन्त्र के लिए। इसलिए श्रीमन, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता मगर मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो अपराधी निकल आता है क्योंकि उसके पास पैसा होता है, साधन है सिफारिश है और यह बात भी सही है कि अपराधीकरण को अगर हमने राजनीति में बढ़ावा दिया और कमोबेश इसमें प्रगति हो गई, इसमें कोई सर्व लिहाज नहीं रह गया कि एक अपराधी है, उसने अपनी शक्ति बढ़ा ली है और वह चुनाव जीत सकता है तो आज कम से कम इस सवाल के ऊपर तो एक कोड ऑफ कन्डक्ट बनना चाहिए।

कि कोई भी राजनैतिक पार्टी किसी भी ऐसे आदमी को जो जाना माना अपराधी हो, उम्मीदवार नहीं बनाएगी। इसमें फर्क क्या पड़ता है यदि कोई दो-चार सीटें कम जीते या अधिक जीते। हमने देखा है कि पिछले 6-7 सालों में यहां कई सरकारें बदली हैं और पिछले दो सालों में केन्द्र में तीन सरकारें बदली हैं। यदि कोई अपराधी नेचर का व्यक्ति जीत कर नहीं आयेगा तो क्या उससे कोई बड़ा फर्क पड़ जायेगा। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं क्योंकि ऐसा करने से लोगों का विश्वास प्रजातन्त्र से उठ जाएगा, यदि बूथ कैप्चरिंग के जरिये, पैसे से पार्टियां अपने उम्मीदवारों को जिताना शुरू कर दें। ये सब सवाल मिलकर ही आतंकवाद की स्थिति कह लीजिए या कोई और नाम दे लीजिए, वह स्थिति पैदा करते हैं। देश में बढ़ती हुई हिंसा की प्रवृत्ति और अपहरण उसी का परिणाम है।

कल हमारे शिबू सोरन भाई कह रहे थे कि आखिरकार आदिवासी लोग और कितने दिनों तक अत्याचार सहते रहेंगे। कितने दिनों से वे कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारी जमीन छीनी जा रही है, हमारे झोंपड़ों को ले लिया जाता है, हमारी इज्जत लूट ली जाती है। दिल्ली और पंजाब के कांट्रैक्टर तथा बड़े अधिकारी उनके इलाकों में जाकर उनकी सारी संपत्ति ले रहे हैं और वे असहाय बनकर रह जाते हैं। जब तक हम सारी स्थिति पर गम्भीरता से विचार करके कोई निर्णय नहीं लेंगे, स्थिति में कोई बदलाव नहीं आयेगा और ये ही व्यक्ति आगे चलकर, जिसे कहते हैं कि जब आदमी का दिल टूट जाता है, उसके पास कोई सहारा नहीं रहता है, वह स्थिति पैदा हो जाएगी।

हमारी तरफ कहते हैं कि एक बिलाव को अगर आप बिल्कुल दीवार से सामने मुंह करके बिठा दीजिए तो वह भी एक समय ऐसा आयेगा जब उछल कर कूदता है और अपनी रक्षा के लिए हमला करने में भी सक्षम हो जाता है। ऐसी स्थिति आप देश में पैदा मत होने दीजिये।

इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें नए युग को पहचानना चाहिये। भारत एक नए युग में

प्रवेश कर रहा है। दुनिया एक नये युग में प्रवेश कर रही है। दुनिया में जनतन्त्र की आवाज मजबूत हो रही है। दुनिया में सत्ता की हिस्सेदारी के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। दुनिया में लोग राष्ट्रीय साधनों में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। इन्हीं बातों को महात्मा गांधी ने भी कहा था। महात्मा गांधी जी जानते थे कि हमें इस देश में एक दूसरी आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि राजनैतिक आजादी का मकसद तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इस देश के हर आदमी की आंख से आंख से गरीबी और अभाव के आंसू पोंछ नहीं दिए जाते। आज देश में गरीबी बढ़ रही है, अभाव की स्थिति बढ़ रही है। हमारे बीच आपस में एक दूसरे के लिये जो विश्वास की भावना थी, वह विश्वास आज टूट रहा है।

डा. भीमराव अम्बेडकर का भी यही कहना था और उन्होंने उसी जमाने में कह दिया था मैं जानना चाहता हूं कि आजाद हिन्दुस्तान में हमारी क्या हैसियत होगी, क्या आजाद हिन्दुस्तान में भी हम अछूत रहेंगे, क्या आजाद हिन्दुस्तान में भी हमारा शोषण होगा और क्या आजाद हिन्दुस्तान में भी हमें सम्मान और आत्म सम्मान प्राप्त नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस युग में भी, गांधी जी ने जो विचार व्यक्त किए थे, डा भीमराव अम्बेडकर ने जो विचार व्यक्त किये थे, उनकी दुनिया में आज भी मान्यता है, हमारे देश में भी होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सरकार इन प्रश्नों पर गम्भीरता से ध्यान देगी वर्ना हमारा देश बिखर जाएगा, देश तबाह हो जाएगा। हमारे पास समय नहीं है। समय निकलता जा रहा है। अगर देश में यह ज्वाला प्रज्ज्वलित हो गयी, और ज्वाला बढ़ गयी तो फिर हम उसका निराकरण नहीं कर पाएंगे और फिर इस देश के टूटने का खतरा पैदा हो जायेगा। राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए मैं अपने बी. जे. पी. के भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि इस देश में कोई साधारण परिस्थिति पैदा नहीं हो गयी है। इस देश में कम्युनिस्ट भाइयों ने संसदीय व्यवस्था को मान लिया है, यह कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया में किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने संसदीय व्यवस्था को नहीं माना लेकिन जब केरल में एक गलती हो गयी, वे भी हथियार उठा सकते थे, परन्तु उस गलती को दुरुस्त किया गया। इसलिए हमारे देश में कम्युनिस्ट पार्टी के भाई, दुनिया के कम्युनिस्टों से ज्यादा समझदार निकले। वे संसदीय व्यवस्था को मानकर कई राज्यों में राज करते रहे। मैं बी. जे पी के भाईयों से भी कहता हूं कि इस देश में ऐसा वातावरण मत बनाईये जिससे इस देश के रहने वाले अल्पसंख्यकों के मन में ऐसी भावना पैदा हो जाये कि इस देश में हमें दूसरे दरजे का नागरिक ट्रीट किया जाता है। गलती हर किसी से हो सकती है। गलती करने वाले को सजा दीजिये। आज बी. जे. पी की ओर से एक नारा उठ रहा है कि हिन्दुस्तान में रहने वाला हिंदू कहलायेगा। बी. जे. पी. में यह नारा भी उठ रहा है कि इस संविधान को नहीं मानते, हम बिल्कुल दूसरा संविधान बनायेंगे।

बी. जे. पी का नारा उठ रहा है कि हम जन-गण-मन को नहीं मानेंगे, हम वन्दे मातरम को मानेंगे।...

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : बी. जे. पी. ने इस प्रकार की एक भी बात नहीं कही है।···

(व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। यादव जी बहुत अच्छे विचार यहां प्रस्तुत कर रहे थे और मैं उनके विचारों को सुन भी रहा था। उन्होंने बी. जे. पी. के बारे में बोला है कि हम यहां के लोगों को हिन्दू मानते हैं। इसका मतलब है कि हिन्दुस्तान में रहने वाले हिन्दू। मैं आपकी जानकारी के लिए कहता हूं कि मक्का मदीना में भी जब वहां के मुसलमान की बात होती है तो पाकिस्तान मुस्लिम और हिन्दू मुस्लिम कहलाते हैं। हिन्दू शब्द इस देश में रहने वालों की दृष्टि से उन्होंने कहा है। दूसरा पाइन्ट जो यहां बताया, बी. जे. पी. के किसी भी नेता ने, इस राष्ट्र के संविधान पर हमारा विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं कहा है।

सभापति महोदय : इसमें पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं जोशी जी को सम्मानित सहयोगी मानता हूं। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भारत में रहने वाले को हिन्दू कहते हैं। भारत में रहने वाले सब हिन्दू नहीं हैं चाहे उनकी पृष्ठ भूमि कोई भी रही हो। आज इस देश में हिन्दू के नाम से एक विशेष धर्म को माना जाता है। इस्लाम के मानने वाले इस देश में हिन्दू नहीं कहे जाएंगे। अगर आप ईसाई को हिन्दू या पारसी को हिन्दू कहेंगे तो इससे नुकसान होगा। यह बात सही नहीं होगी। आपने मान लिया, मुझे खुशी है।···(व्यवधान) आप भारतीय कहिए हम उसे स्वीकार करते हैं। इस देश में रहने वाला भारतीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ मौलिक सवालों पर देश के सत्ता दल का और इस सदन का ध्यान खींचना चाहता था। मैं कहना चाहता हूं कि तमाम स्थिति जो आज पैदा हो रही है उसमें केन्द्र का और राज्य का सम्बन्ध भी शामिल है। अब यह नहीं हो सकता है कि केन्द्र मनमानापन करे, यह भी नहीं हो सकता है कि राज्य मनमानापन करे। सत्ता का विकेन्द्रीकरण भी नहीं करेंगे और गांव से लेकर दिल्ली तक लोगों की अपनी नीति, अपने कार्यक्रम बनाने के लिए सत्ता में हिस्सेदारी नहीं होगी। ये प्रश्न आज मौलिक प्रश्न बन गए हैं।

देश के विभिन्न भागों में जो घटनाएं हो रही हैं, जो शक्तियां पैदा हो रही है, जो आवाज आज उठ रही है, मैं समझता हूं कि यह सब केवल चुनौती है, गम्भीर संकेत हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसमें मौलिक परिवर्तन के लिए सारी पार्टियों के साथ बैठकर विचार-विमर्श करना, इस देश के बुद्धिजीवियों को शामिल करना, इस देश के संविधान में भी अगर परिवर्तन की आवश्यकता है तो वह नहीं कि हर साल दो छोटे-छोटे संशोधन लाइये और उसमें परिवर्तन करिये 40-45 साल संविधान रह चुका है, बैठकर विचार करिए। फ्रांस में दो बार रिपब्लिक बन चुका, चाइना ने अपना सारा संविधान बदल दिया, सोवियत यूनियन में नई शक्ति बन रही है, नया यूरोप बन रहा है लेकिन हम आपस में बंट रहे हैं। यूरोप में एक सत्ता, एक संसद, एक सिक्का और एक सरकार बनाने की तरफ जा रहे हैं, यह हमारा दुर्भाग्य है कि सारे संसार की जो मजबूत शक्तियां हैं, वह मिल रही हैं और हम बंट रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी संसद के माध्यम से हमारे देश के लोग इस काम में परिवर्तनों को करने के लिए इस पर विचार करेंगे।

बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम) : मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं बहुत कम बोलूंगी और बोलने से पहले एक वाक्य मैं नेपाली में कहना चाहूंगी।

हमारे एक कवि ने कहा था कि "बड़ो दुर्लभ जानो, भारत भूमि को जन्म जननी।" इसका मतलब यह है कि सारे लोग यह जान लें कि भारत भूमि का जन्म बहुत दुर्लभ होता है। तो आज जिस परिस्थिति में हम लोग यहां शांति और व्यवस्था के लिये चर्चा करने के लिये बैठे हैं, ऐसे में आज यह कवि हमारे सामने होता, हमारे बीच में होता तो वह क्या कहता ? यह वही देश है, वही कश्मीर है, इसी कश्मीर के लिए एक कवि ने कहा था कि कहीं इस धरती पर स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। पंजाब एक प्रदेश था जो भांगड़ा नृत्य पर थिरकता था पर आज वहां विधवाओं की चीख और बच्चों का आलाप सुनने को मिलता है। जो देश के खाद्यान्न का भण्डार है, आज वह विधवाओं का देश बन गया है। हमें आज वहां किसने पहुँचाया है, यह हमें जानना है। मैं किसी के ऊपर दोष लगाना नहीं चाहती, चाहे कोई भी रहा हो लेकिन इसमें हमारा योगदान है। हम जो एक-एक नागरिक हैं, उसमें हमारा भी अंश रहा होगा, हमने भी गलत नेता चुने होंगे। प्रान्त-प्रान्त में जो हमारे भाई-बहन हैं, उन्होंने भी गलत आदमियों को चुनकर भेजा होगा, जिनके तरह जो कानून बने या जो शासन पक्ष में बैठे, उन्हें देश के लिए जो सही काम करना था, वह नहीं किया होगा, जिसका फल आज हम भुगत रहे हैं। हमारे जितने भी विभिन्न दलों के नेता हैं, अभी-अभी यहां चन्द्रजीत साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिये। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आठवीं लोक सभा में भी मैं थी, अभी दसवीं लोक सभा में भी मैं हूं, विपक्ष की बी.जे.पी. या जनता दल में काम करने का तो हमें अवसर नहीं मिला पर मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है और मैं जरूर कहूंगी कि अभी तक मैंने चाहे जितनी भी अपने राज्य की समस्याएं रखी हों, चाहे आर्थिक या चाहे राजनैतिक मैं ला रही हूं लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं शासक पक्ष जो है, वह देश के नागरिकों की समस्या के जो पहलू हैं, उसमें उनकी छानबीन नहीं होती बल्कि दुराग्रह और कई पूर्वाग्रहों के साथ हमारी जो मांगें हैं, उनको देखा जाता है।

किसी के ऊपर दोषारोपण करके आज जिस स्थिति में से हम गुजर रहे हैं, वह ठीक होने वाला नहीं है पर हम मानें या न मानें, हमें अच्छा लगे या न लगे, कांग्रेस पार्टी अभी शासन में है, शासन कर रही है, हम उनको केवल सुझाव दे सकते हैं, यह वह मान भी सकते हैं और हंसकर भी उड़ा सकते हैं। अब तक का इतिहास और जो पूर्व परम्परा रही है, कहीं भी गैर कांग्रेसी सरकार है तो वह सारे चोर हैं, वह सारे देशद्रोही हैं··· इस तरह की जब आप लोग भावना लेकर दिल में बैठते हैं तो आप सचमुच हमारे साथ बेइन्साफी करते है इतना तो आपको जरूर समझना चाहिए और सिक्कम के बारे में नार्थ ईस्ट के सारे लोग, सिक्किम का मैं नहीं बोलती क्योंकि मैंने अभी-अभी कहा इन्द्रजीत साहब के कुछ वक्तव्य के विषय में मैंने खंडन करना था तो मैंने बोला कि सिक्किम एक ऐसा पीस जोन है, सारे भारत में आज जहां इतना हुड़दंग मचा हुआ है। भगवान के लिए ऐसी

स्थिति सिक्किम में भी पैदा मत कीजिए। तो मैं यह कहना चाहूंगी कि जहां पर समस्या नहीं है और जहां पर है, जहां आग लग चुकी है हमें उसको बुझाना है। जो देश के बाहर जाना चाहते हैं कितने गुमराह होकर लोग, उनको अन्दर लाना है, जो अन्दर है उनको बाहर धकेलना आप क्यों चाहते हैं, यह मैं जानना चाहती हूं, तो ऐसे छोटे-छोटे पार्टीगत, अपने लाभ के लिए, ऐसी राजनीति खेलना तो देश का तो ऐसा होना ही है और इस तरह से तो इस देश की हालत कभी भी नहीं सुधरेगी।

इस लिए मैं कहना चाहती हूं कि पक्ष और विपक्ष से, जो हम राजनीति करते हैं, हां हम लोग मानव हैं और स्वार्थ का भाव हम सब में होता है, पर इस स्वार्थ से हमारा हरेक पार्टी का ऊपर उठने का, राज्य करने का, शासन संभालने का लाभ हम सभी में है। परन्तु सबसे ऊपर हमारी यह भावना होनी चाहिए कि हरेक इन्सान का, हरेक नागरिक का, एक नागरिक भारतीय होने का अहम और गर्व ले करके जीने का हक इस धरती पर है। जैसाकि हमारे कवि ने बोला है कि इस भारत भूमि पर गर्व करके हमारे नागरिकों को रहने का हक मिलना चाहिए और सभी को इसमें बराबर का हिस्सा लेकर और किसी अपने को छोटा समझ कर जीना न पड़े। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं।

समापति महोदय : अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि मिनिस्टर की रिप्लाई कल होगी क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और मेटर्स भी डिस्कशन करने हैं। (व्यवधान) तो इसलिए सारे विपक्ष के लोग और सरकार, सबने मिल करके, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इन्होंने मेरे ख्याल में यह तय किया है, मेरी ऐसी जानकारी है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : सभापति महोदय, कृपया उन्हें समझाएं कि चार घण्टे का समय आबंटित किया गया था किन्तु इसमें आठ घण्टे लग चुके हैं। हर दल अपने आबंटित समय से दो गुना समय ले चुका है। समय वितरण में सभी प्रकार की अनियमिततायें बरती गयी हैं और आप अनगिनत वक्ताओं से भाषण नहीं करा सकते हैं। वाद-विवाद को अब समाप्त होना चाहिए। अत्यधिक वाद-विवाद का क्या लाभ है ? आप एक सीमा से अधिक नहीं कर सकते हैं···

(व्यवधान)

समापति महोदय : बी.जे.पी. से दो सदस्य; कांग्रेस से दो, जनता दल से दो सदस्य परिवार न्यायालय विधेयक पर बोलेंगे।

यदि परिवार न्यायालय विधेयक पर हम अब चर्चा शुरू करते हैं तो हम इसे खत्म कर सकने की स्थिति में होंगे। अतः मेरा आग्रह है कि आप सब इस विधेयक को पूरा करने में अध्यक्षपीठ को अपना सहयोग दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) : सभापति महोदय, 2-2 मिनट दे दीजिए, हम लोग 2 मिनट में अपनी बात कह देंगे।

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) । किस दल के तहत।

श्री सूर्य नारायण यादव : मेंबर खड़ा हो गया, यही सबसे बड़ा रूल है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : तो फिर बैठने का भी रूल है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, 2-2 मिनट का समय दे दीजिए।

सभापति महोदय : 2-2 मिनट में कैसे बात हो सकती है, कम से कम 5 मिनट होने चाहिए। मेरे सामने 5-6 मेंबर्स के नाम हैं। इस हिसाब से इसी चर्चा में 6 बज जाएंगे, तो फैमिली कोर्ट बिल रह जाएगा, उसको आज टेकअप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप लोग कोआपरेट करिये और इस चर्चा को यहीं समाप्त करिये।

श्री सूर्य नारायण यादव : सभापति महोदय, 8 घंटे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है और मन्त्री जी अभी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। मेरा यह कहना है कि हमारे बहुत सारे साथी बोलना चाहते हैं। फैमिली कोर्ट बिल सोमवार को लाया जा सकता है। अभी आधे घण्टे में बिल भी नहीं हो पाएगा, फिर एक घंटा बढ़ायेंगे। सभापति महोदय, हम लोग हर वक्त सरकार के साथ कोआपरेट करते हैं, एक-एक घंटा सदन में ज्यादा बैठते हैं, कोरम पूरा करने में कोआपरेट करते हैं तो क्या हमारी भावनाओं की इतनी सी कद्र ये लोग नहीं कर सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरे प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार करें और हम लोगों को बोलने का अवसर दें।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : बदले में, मैं भावी सहयोग हेतु इनके प्रस्ताव का समर्थन करूंगा।

श्री राम नायक (उत्तरी बम्बई) : हमारे पास केवल 25 मिनट बचे हैं। आप हमारे दल के 2 सदस्यों को और दो शासक दल के सदस्यों को एवं अन्य दलों के दो तीन सदस्यों को अवसर दे सकते हैं। इस प्रकार छः सात सदस्य बोलने वाले होंगे। परिवार न्यायालय विधेयक भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए टुकड़ों में चर्चा करने के बजाय हम लोग इस विषय को पूरा करें तथा इस पर गृहमंत्री जी कल उत्तर देंगे। इससे चर्चा मे निरन्तरता भी बनी रहेगी।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : इस विधेयक को हम इसलिए पारित करा देना चाहते हैं क्योंकि अगले सप्ताह के लिए हमारे पास कई विधेयक लम्बित हैं जिन पर हमें विचार आरम्भ करना

है। पहले ही तीन विधेयक कार्यसूची में आ चुके हैं। हमारे पास अब केवल बीस मिनट बचे हैं और यदि सभा इस पर चर्चा खत्म कर लेती है तो यह बहुत अच्छा होगा। अतः 20 मिनट के भीतर आप जितने वक्ता चाहें बुलवा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : सभापति महोदय, फैमली कोर्ट बिल को पूरा समय देना होगा, इसलिए आज इसी चर्चा को चलने दीजिए और मंडे को फैमली कोर्ट बिल लीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब श्री गिरधारी लाल भार्गव की बारी है और मैं उन्हें केवल चार मिनट का समय दूंगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारीलाल भार्गव (जयपुर) : माननीयीय सभापति जी, आज देश मे पंजाब, कश्मीर, आसाम तमिलनाडु, सभी जगहो पर विद्रोही शक्तियाँ काम कर रही हैं, अपना सिक्का जमा रही हैं और प्रशासन दुबका पड़ा है, भयभीत है। आज देश मे अपहरणो के माध्यम से आतंकवादियों की रिहाई की बातें हो रही हैं और यह एक क्रम चल पड़ा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब में सायंकाल के बाद पुलिस का कोई रोल नहीं रहता। संपत्ति के बंटवारे आतंकवादी तय करते हैं और पुलिस अधिकारी अपने पत्र छपवाकर माफियां मांगते है। न्यायाधीश न्याय ठीक प्रकार कर नहीं पाते; हिन्दी का वहां का अपमान है। मान्यवर सभापति जी, आज हालत यह है कि व्यापारी जिस समय ट्रेन मे जाता वह चैक बुक लेकर जाता है। आतंकवादी कहता है कि इतना पैसा दे दो तो वह चैक काट देता और हर हफ्ते उसकी धनराशि बंधी हुई है। आज उग्रवादियो की जो वहां पर हालत है मेरा निवेदन करना यह है कि पाकिस्तान का स्पष्ट हाथ है। आतंकवादियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सारे के सारे लोगों को सैनिक साज-सामान और आवश्यक धनराशि पाकिस्तान के द्वारा दी जा रही है। आज पंजाब मे पाकिस्तान द्वारा दखल करके, बंगाल जो उनका हिस्सा था, उसका बदला लेने के लिए, पूर्व मे पाकिस्तान का हिस्सा और बन जाए, इसलिए इस प्रकार पाकिस्तान कार्यवाही कर रहा है। इसको मिटाने के लिए क्या तरकीब हो सकती है, वह भी मैं निवेदन करूंगा।

आज काश्मीर में पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा है, मारे जा रहे हैं, सैनिकों पर हमले हो रहे हैं, उग्रवादियो को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, घाटी मे ट्रेंड हुए व्यक्ति प्रवेश कर रहे हैं और करीब 2 लाख लोग शरणार्थियों के रूप मे आज इस देश में, अपने ही देश मे मारे-मारे फिर रहे हैं। आसाम में इसी प्रकार की हालत है; लिट्टे के कारण इसी प्रकार की हालत है। आज यह हालत है कि आतंकवाद, जिसके ऊपर हम यहां चर्चा कर रहे हैं, वह बराबर फैल रहा है। कुमारी जयललिता ने सुरक्षा के लिए पुलिस की बजाए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का दस्ता बुलाया है। उत्तर प्रदेश में भोलड़ी काण्ड हुआ, वे भी राज्य सरकार को चैलेंज कर रहे है। बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की कार्यवाही हुई है। मेरा मतलब है कि राज्य की सरकारें भी इन उग्रवादियों के संगठनों को

रोकने में नाकामयाब रही है। इसलिए मेरा माननीय मन्त्रीजी से निवेदन है राजस्थान कि श्री गंगा-नगर की सुरक्षा पट्टी बनाया जाए औ राजस्थार में अति आधुनिक शस्त्र सैनिकों को दिए जायें।

5.52 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन]

कश्मीर से कच्छ तक सुरक्षा पट्टी बनायी जाए।

मान्यवर, उपाध्यक्ष जी, मैं आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं। तीन चित्र मेरे पास हैं। जो पार्टी यहां पर राज कर रही है, कांग्रेस पार्टी आज जो यहां पर राज कर रही है, जो आतकवाद राजस्थान से ही नहीं, देश से मिटाना चाहती है, माननीय मंत्री जी मेरे सामने बैठे हैं, कांग्रेस के लोगों ने, बड़े-बड़े नेताओं ने सैक्रेटेरिएट के सामने भैंरो सिंह की सरकार, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको गिराने के लिए क्या काम किया है। हरिदेव जोशी, नवल किशोर बैठे हैं, परसराम मदेरणा बैठे हैं, कमला बेनीवार हैं, इन्होंने नंगी तलवारें उठाई हैं राज्य सरकार को गिराने के लिये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराने के लिए। आज गांधी जी की पार्टी, अहिंसा में विश्वास रखने वाली पार्टी इस प्रकार से नंगी तलवारें ले कर यदि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो राजस्थान में है, उसको गिराने के लिए कानून हाथ में ले लेगी तो मैं समझता हूं कि इसस बढ़कर कोई लज्जा की, शर्म की बात नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : यह राजस्थान में परम्परा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह परम्परा नहीं है। *** हाथ में तलवार दे दी। नवलकिशोर के हाथ में तलवार, नंगी तलवार, कमला बेनीवार, चन्दन मल के हाथ में नंगी तलवार है। इस-लिए मैं उन मित्रों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।...

उपाध्यक्ष महोदय : फोटो प्रदर्शन प्रतिबन्धित है। आप फोटो नहीं दिखा सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया कार्यवाही वृतांत देखें कि जो माननीय सदस्य अब बोल रहे हैं, वह क्या कहते रहे हैं, * * के बारे में कहा है। यह घोर अनुत्तरदायित्वपूर्ण है। यह संसदीय गरिमा और मर्यादा उपयुक्त नहीं है। महोदय वह सभा के सदस्य नहीं हैं और वह सभा में नहीं है इसलिए मेरा अनुरोध है कि ये सारी बातें कार्यवाही वृतांत में नहीं आनी चाहिए यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

* * अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

*** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा। श्री गिरधारीलाल भार्गव जी कृपया खत्म कीजिए।

(व्यवधान)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, आपका विनिर्णय क्या है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप ठीक कहते हैं। जो व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं है हम उनका नाम नहीं ले सकते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जा रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार का आचरण करेंगे गांधी जी की नीति में विश्वास रखने वाले तो मैं समझता हूं कि···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भार्गव, यहां फोटो दिखाने की अनुमति नहीं है। यह वर्जित है। कृपया फोटो न दिखाएं। अगली बात यह है कि जो सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं वे किसी भी मामले में बचाव नहीं कर सकते। अतः उनके नाम भी नहीं लिये जा सकते हैं।

[अनुवाद]

मैंने पार्टी के नेताओं के नाम लेकर कहा है कि इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : यह भी जानकारी सही है, प्रमाणित है। क्या सदन को ऐसी जानकारी देना आवश्यक नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, इस तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती हैं···(व्यवधान) ···उन्हें पहले नोटिस देना चाहिए था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यदि आपने पंजाब को, कश्मीर को और असम तथा तमिलनाडु को बचाना है तो कांग्रेस के लोग नंगी तलवारें लेकर सौगन्ध खाकर जो विपक्षी सरकारें हैं उनको गिराने का काम करेंगे तो आज दिन भी जो चर्चा हुई है वह निरर्थक साबित होगी। इसलिए जो एकता यात्रा मुरली मनोहर जोशी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर रहे हैं वह एकमात्र

उपचार है देश को बचाने का। वह किसी दल की यात्रा नहीं है, हमने प्रधानमंत्री जी से अपील की है कि 26 जनवरी को वे हमारे साथ आएं और वहां झण्डा लहराएं। मैं सभी दलों से निवेदन करना चाहता हूं कि एकता यात्रा में शामिल हों। कांग्रेस के लोग हिंसा का रास्ता छोड़ें, यही देश को अलगाववाद से बचाने का रास्ता होगा।

श्री अयूब खां (झुंझुनू) : हरिदेव जोशी का नाम निकाल दें, अगर कोई भी तलवार पकड़ता है वह बीच में से नहीं पकड़ता है, फोटो में उन्हें बीच में से तलवार पकड़े हुए दिखाया गया है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं दिखाता हूं, ये हाथ से पकड़े हुए हैं।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस पर जितनी चर्चा करेंगे कम ही होगा। विधि व्यवस्था, ला एण्ड आर्डर अब तक कश्मीर और पंजाब ही नहीं देश की कोई गांव, कोई शहर नहीं जहां यह आतंकवाद न हो। इसमें कोई उदाहरण देकर कोई विशेष बात कहने की आवश्यकता नहीं है। माननीय यादव जी अभी बता रहे थे कि जब तक लोगों को सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं दी जायेगी तब तक इस देश में कानून और व्यवस्था को कन्ट्रोल करना असम्भव है। मान्यवर, हम जितने माननीय सदस्य यहां बोलते हैं और इस प्रकार की चर्चा करते हैं कि हमारी पुलिस निकम्मी है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। आज उग्रवाद का सवाल हो, चाहे दिल्ली में उग्रवाद का सवाल हो। यहां लाखों की जनसंख्या है और जो उग्रवादी, बदमाश लोग आते है वे आधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं और हमारे पुलिस के जवानों और सैनिकों के पास वे हथियार नहीं होते हैं। उनके पास आधुनिक हथियार नहीं होने के कारण वे बेबस हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि क्राइम होते रहते है। दिल्ली की ही बात लें। दिल्ली में यहां की पुलिस अगर वायरलैस से एक जगह से दूसरी जगह बात करे और जो सात क्षेत्र हैं उनकी जितनी समस्यायें हैं मैं नहीं समझता कि उनसे आप मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, मद्रास हो, कलकत्ता हो या अन्य कोई जगह हो जो भी बड़े शहर है वहां आप निश्चित रूप से पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस करें ताकि उन बदमाशों से हमारी पुलिस सही ढंग से मुकाबला कर सके। मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि अगर आप इस पर कन्ट्रोल करना चाहते हैं तो दिल्ली में, महाराष्ट्र में, मद्रास में आप हेलीकाप्टर से सुरक्षा की व्यवस्था करें। यह आप सोचें। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? आप राइफल्स दे देते हैं, रिवाल्वर्स दे देते हैं और कहते हैं कि लड़िये ए. के. 47 और ए. के. 54 से जिसका बटन दबाने से विस्फोट होता है। उससे आप लड़ने के लिए कहते हैं तो सम्भव नहीं है। इसी समस्या का निदान हम कर सकते हैं। गांव की बात लें। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि गांव की स्थिति अगर आप देखेंगे तो 30 गांव पर एक पंचायत होता है, उस पर एक गांव का थाना है और उस थाने में पुलिस के 12-13 आदमी हों लेकिन आप को पता होगा कि थानेदार के पास जीप गाड़ी नहीं है। आप वायरलैस की बात तो छोड़ दें। गांवों में क्राईम्स को रोकने के लिए केन्द्र सरकार को राज्य सरकार के लिए अनुदान देकर मजबूत करना होगा, पुलिस बल आपको बढ़ाना होगा। जब तक आप नहीं, तब तक इस समस्या का निदान नहीं हो सकता है।

मान्यवर, इससे एक समस्या का निदान होने वाला नहीं है, दूसरी समस्या का भी निदान

होगा। अगर आप पुलिस बहाल करेंगे तो जो युवक बेरोजगार हैं, जो दिशा से भटके हुए हैं, जो ऐयाईस करने पर उतारू हैं, पाकेटमारी करते हैं, वहां उग्रवादी बने हुए हैं, चोरी, डकैती, अपहरण और न जाने क्या क्या करते हैं यह सब बन्द होगा। उस नौजवान को दिशा मिलेगी, वह काम करेगा और आपकी सेवा होगी। अंग्रेजों के जमाने में आपने देखा होगा कि पासवान को ज्यादा चौकीदार बनाया करते थे। उसका नतीजा यह था कि चूंकि उनको इसका अनुभव था। तो मेरा कहना यह है कि आपने जो नौजवानों को दिशाहीन रखा है, यह सामने देखने को आ रहा है।

मान्यवर, दिल्ली को अशान्त क्षेत्र नहीं घोषित किया गया है परन्तु बहुत जल्दी ही मंत्री जी को करना पड़ेगा। इसमें कतई दो मत नहीं हैं। दिल्ली में बाहर के लोग आये हुए हैं, उनका मूल्यांकन किया या नहीं किया हो, मुझे नहीं मालूम लेकिन मैं संस्था चला रहा था, मुझे मालूम है कि दिल्ली की 85 लाख आबादी में से 50 लाख लोग बाहर से आये हुए हैं। ये छोटे शहरों, गांवों के हैं। जो बड़ा आदमी है वह तो अपने घर में हीटर लगा लेता है, गर्म पानी से नहा लेता है लेकिन इन गरीब लोगों को चौक, चौराहे, रोड पर सोने के लिए मजबूर करते हो, तब वह उग्र रूप लेता है और वह चाहता है कि वह भी प्रशासन से मुकाबला करे। इसलिए मैंने समानता की बात की थी। जब तक आप इनसान को समान अधिकार नहीं देंगे तब तक आप समानता और बराबरी की बात नहीं करेंगे और फिर इन पर कंट्रोल नहीं कर पायेंगे।

मान्यवर, हमारे संगमा जी मेघालय में चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और अभी कोयला राज्य मंत्री हैं। उनको कैबिनेट का मंत्री नहीं बनाया है। श्री राम लाल राही, उप-मंत्री हैं उनको न राज्य और न कैबिनेट का मंत्री बनाया है। अगर यही असमानता करते रहे, यदि इस तरह से भेदभाव चलेगा तो भिन्न-भिन्न रूप से इनको उग्र होने से आप और हम नहीं रोक सकते हैं। अब पंजाब में नहीं रोक सके, कश्मीर में आप नहीं रोक सके तो क्या सारे हिन्दुस्तान का नौजवान अगर हथियार उठायेगा तो हम उसको रोक पायेंगे ? इसलिए मेरे 4-5 मुख्य सुझाव रहे हैं। मैं केवल भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हुआ परन्तु इसलिए सुझाव दिए कि आप इन पर अमल करेंगे। एक बात फिर दोहराता हूं कि पुलिस के लिए यह कहना कि निकम्मी है, चोर है, सुस्त है, यह कहना बन्द करें और उसे आधुनिक हथियार से लैस करें और उनको बहादुर कहें ताकि वे लड़ाई कर सकें, चोरों, डकैतों और उग्रवादियों का मुकाबला कर सकें, ऐसा काम करें तो मैं समझता हूं कि पुलिस का मनोबल बढ़ेगा और वह उग्रवाद का मुकाबला कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने समय बचाया।

[अनुवाद]

अभी पांच और सदस्यों को इस विषय पर बोलना है जिनके नाम इस प्रकार हैं श्री मंजय लाल, श्री तेज नारायण सिंह, श्री रती लाल वर्मा, श्री नवलकिशोर राम और अन्य, यदि हम अपने को पांच मिनट प्रति सदस्य तक सीमित रखें तो हम इसे पूरा कर सकते हैं। मैं किसी को भी बोलने से मना नहीं करना चाहता। अब श्री मंजय लाल बोल सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज तीन दिनों से विधिव्यवस्था पर हम बहस कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज वही जिन्दा है जिसको कोई मारना नहीं चाहता है और जिसे कोई मारना चाहता है तो उसको कोई बचाने वाला भी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जहां देखिए, आगजनी, डकैती, अपहरण की घटनाओं से अखबार के अखबार भरे पड़े रहते हैं और हम पुलिस को राइफल और गोली देकर इसमें सुधार करना चाहते हैं. यह बिल्कुल असंभव है। इसकी तह में हमको जाना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति क्यों हो गई है। नक्सलाइट की बात चलती है। तो जब मैं इस पर गौर करता हूं तो इसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी और गरीबी ही नहीं है, साथ-साथ जो टेलीविजन और सिनेमा है, यह भी बहुत बड़ा कारण है क्योंकि उसमें ऐसे गलत चित्र दिखलाते हैं, ऐसी-ऐसी डकैती और चोरी के तरीके बतलाते हैं, ऐसे छुरेबाजी के तरीके बतलाते हैं कि हमारे जो गरीब नौजवान हैं, जिनकों खाने के लिए नहीं मिलता है और एक तरफ बड़े लोगों के लड़कों की फिजूलखर्ची देखते हैं, ऐशो-आराम देखते हैं, उनकी फैशनपरस्ती को देखते हैं तो उनको भी लालच हो जाता है और वह भी टेलीविजन सिनेमा वाले चोरी-डकैती के तरीके करके बैंक वगैरह में डकैती डालते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि गरीबी दूर करना बेरोजगारी दूर करना सरकार का काम है और सरकार का यह भी काम है कि टेलीविजन और सिनेमा पर ऐसी सेंसरशिप करे कि लोगों के चरित्र का निर्माण हो, चरित्र की बरबादी नहीं हो। आज नक्सलाइट के नाम पर कहा जाता है कि ये आदमी नक्सलाइट हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि नक्सलपंथी कौन लोग हैं। सबसे पहले बिहार में नक्सलवाद शुरू हुआ था। मैं आज से 10 साल पहले वहां गया था, तब जहां कई लोग मारे गए थे और वहां से आकर हमने वहां के गवर्नर को लिखकर दिया था उस वक्त मैं विधान परिषद का सदस्य था। तो नक्सलाइट वहीं लोग हैं जिनकी मां-बहनों के साथ हजारों वर्षों से अत्याचार हो रहा है जिनका आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है। वह भी चाहते हैं कि इज्जत की जिन्दगी जिएं और पसीने की रोटी प्राप्त करें। जब इज्जत की जिन्दगी की बात आती है, उनकी मां-बहनों की इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है, तब वे उसका विरोध करते हैं, जब वह रोटी के लिए लड़ते हैं तो पुलिस से मिलकर बड़े लोग उनको नक्सलाइट कहकर मारने का काम करते हैं। इसलिए हम इस कानून और व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। नक्सलाइटों से अपने को बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते है, इसके लिए कुछ करना होगा, उसमें आर्थिक सुधार लाना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अपराध का राजनीतिकरण भी हो गया है और बड़े-बड़े अपराधियों को जो हम राजनीति करने वाले है, वे संरक्षण देते हैं और चुनाव में भी उनका इस्तेमाल करते हैं और जब हम उनका इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो चुनाव की जो पद्धति है, तरीका है उसमें भी आमूल परिवर्तन करना होगा। तब राजनीति में अपराधीकरण नहीं हो सकता है और हम उसे बचा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो अपराधी हो जाता है उसका ट्रायल जेल में शीघ्र नहीं होता है। मुझे अंग्रेजी राज में तीन बार जेल जाने का मौका मिला और कांग्रेस राज में 17 बार जेल में जाने का मौका मिला है। जब मैं जेल में जाता हूं तो देखा कि 5-6 साल से जो कैदी जेल में पड़े हैं, उनका ट्रायल नहीं होता है। हमें ऐसा करना पड़ेगा कि जो कैदी होता है जेल में

जाता है उसका ट्रायल जल्दी करना होगा, फैसला जल्दी करना होगा।

मैं अन्त में यही कहना चाहता हूं कि परिवर्तन के तीन रास्ते होते हैं। एक कत्ल का रास्ता होता है, एक कानून का रास्ता होता है, और एक करुणा का रास्ता होता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितने पैगम्बर दुनिया में हुए हैं उनमें गांधी जी भी एक पैगम्बर हैं। जितना फेल्योर

06.00 म. प.

जितनी असफलता उनके चेलों के द्वारा हिन्दुस्तान में हुई है, उतनी किसी पैगम्बर को असफलता या फेल्योर नहीं हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि इस परिवर्तन के युग में हम आज गांधी का बदलें। कत्ल का रास्ता दुनिया में फेल हो गया। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं।

फ्रांस में जब क्रान्ति हुई थी तो उसका नारा बहुत लुभावना था—ईक्वालिटी, फ्रटरनिटी एण्ड लिबर्टी—मगर वह कत्ल के जरिये हुआ था, जिसकी वजह से नेपोलियन जैसा डिक्टेटर वहां पैदा हो गया। मैं सारी दुनिया के उदाहरण तो आपको यहां नहीं दे सकता, कानून का रास्ता हमारे पास है। हमारे देश में अनेकों कानून बने हुए हैं परन्तु उन कानूनों को जब तक हम अमली जामा नहीं पहनाते हैं, तब तक कानून केवल किताबों की शोभा या अलमारियों की शोभा बन कर रह जाता है। उससे कोई काम नहीं चलता है। हम कानून बना तो देते हैं, मगर उसका पालन नहीं करते हैं। आखिर कानूनों का पालन कब होगा। हम बड़े लोगों की नकल करने लग जाते हैं, जैसे ही कोई हममें से सांसद बनता है, विधायक बनता है या बड़ा अफसर बन जाता है। कानून का पालन नहीं करता है जब तक कानून का पालन हम खुद नहीं करेंगे तो दूसरे उसका पालन कैसे करेंगे। इसलिए जब हम कहते हैं कि फिजूलखर्ची पर रोक लगनी चाहिये, परन्तु जब हम एम. पी. बनकर यहां आ जाते हैं तो अपने आप को एक नए वर्ग का व्यक्ति समझने लगते हैं। यदि ऐसा सोचकर चलेंगे तो कैसे हम देश में फैली विषमता को दूर कर पायेंगे। जिस हम प्रान्तवाद कहते हैं, आखिर वह हमारे देश में कैसे पनपा हिन्दुस्तान का बटवारा हो गया। महात्मा गांधी कहते थे कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बटवारा हमारी लाश पर होगा परन्तु ऐसा नहीं हो सका। हम लोग गद्दी के लिए उतावले थे। देश का बटवारा करके गद्दी पर बैठ गए इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : छः बज चुके हैं। अभी सदस्यों को बोलना है जिन्होंने इस विषय पर बोलने के लिए अपने नाम दे रखे हैं। अतः सदन चाहता है कि हम इसके लिए समय आधा घण्टा बढ़ा दें।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह(बक्सर) : उपाध्यक्ष जी, आज हम सदन में देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार कर रहे हैं और यह चर्चा दो दिनों से यहां चल रही है। हम सब लोग, जो यहां बोले हैं, तमाम आदमी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि देश में कानून और व्यवस्था नाम की आज कोई चीज नहीं है। हमें गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि आखिर यह स्थिति कैसे आयी। क्या कारण है कि आज देश में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है जब कि तमाम कानून हमारे पास, किताबों में उपलब्ध हैं।

एक बात यहां और हमारी समझ में आती है कि देश में कानून तो बनाये गये परन्तु उन कानूनों को लागू नहीं किया गया। अगर कानूनों को सही ढंग से लागू किया गया होता तो आज देश उस स्थिति में न पहुंचता, जिसमें हमारा देश पहुंच गया है। संविधान की धारायें 340, 332, 15 और 16 आज की बनाई हुई नहीं है। ये आर्टिकल उस समय बने जब हमारा देश आजाद हुआ था। उन दिनों हमने इन धाराओं को हरिजन भाईयों के हित में लागू किया था। लेकिन आज जब फिर देश के 50 प्रतिशत नौजवानों के लिये, गरीबों के लिए, उसे लागू करने का मौका आया तो लोगों के मन में दोरंगी बातें पैदा हो गयीं। लोगों ने कहा कि इसमें आर्थिक शब्द को लाना चाहिए उन लोगों ने सोचा कि अगर इसमें आर्थिक शब्द नहीं लगाया जायेगा तो देश में जो 50 प्रतिशत पिछड़ी क्लास के लोग रहते है यदि उन्हें आरक्षण दे दिया जायेगा तो वे सत्ता में चले जायेंगे और फिर हमारे से सत्ता निकल जायेगी।

मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक तो करीब 25 प्रतिशत लोग ही शासन में रहे होंगे, जब कि देश की तमाम पूंजी उन्हीं के पास थी, फिर क्या कारण है कि यह देश भिखारी बन गया। क्या कारण है कि जब तक हम अपने देश का सोना बाहर गिरवी नहीं रखते, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती। क्या कारण है कि तमाम फौज आपके पास मौजूद है, तमाम कानून की किताबें आपके पास हैं, फिर आप उन्हें लागू क्यों नहीं करा पाये। उन कानूनों को लागू कराने वाले आप लोग ही तो हैं। आप कहते हैं कि मैं ही केवल भगवान के यहां से सीधे आया हूं यदि कोई दूसरा आया है तो घूम कर आया है, इसके बावजूद क्यों देश की हालत खराब हो गयी।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक अकेले राज किया है, अगर अकेले राज करने की नियत रखेंगे तो इस देश की हालत बद से बदतर हो जायेगी और फिर देश को कोई बचा नहीं पायेगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अभी तक केवल 25 प्रतिशत लोगों ने राज राज किया है, अगर देश को ठीक करना चाहते हो, अलगाववाद और आतंकवाद से मुक्त कराना चाहते हो, चाहते हो कि देश में कोई दंगा न हो तो आरक्षण के सिद्धान्त को लागू कीजिये, वर्ना कोई भला नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हैं कि हम अकेले ही राज्य करते रहें तब भी काम चलने वाला नहीं है, इसमें कश्मीर को भी, पंजाब को भी, असम को भी, बिहार और उत्तर प्रदेश का, सभी का हिस्सा चाहिये। अगर आप चाहें कि एक ही समुदाय के लोग बैठकर राज चलाते रहें, वह जमाना अब लद गया है। तमाम का हिस्सा उसमें है और अगर तमाम का हिस्सा देंगे तो देश ठीक से चलेगा नहीं तो देश चलने वाला नहीं है।

आज कश्मीर हमसे अलग हो रहा है। कश्मीर की नीयत जरूर खराब हो गई है। जिस समय हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का बटवारा हुआ था उस समय पाकिस्तान की नीयत क्यों खराब हुई। उस समय ऐसा इसलिये नहीं हुआ क्योंकि कश्मीर के मुसलमान हिन्दुस्तान के प्रति ठीक थे और सोचते थे कि हिन्दुस्तान हमारा है, लेकिन जब हमारे देश में साम्प्रदायिक शक्तियों ने आग उठाई तो कश्मीर के मुसलमानों में भी कुछ दगदगी हो गई। यही कारण है कि कश्मीर के मुसलमान हिन्दुस्तान में रहते हुए भी आज अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो साम्प्रदायिक शक्तियों को आगे बढ़ाना चाहते मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि देश मे राज करने के लिए उनको फिरर से सोचना चाहिए। अगर मुसलमान को हिन्दू बनाना चाहेंगे तो यह काम होने वाला नहीं है। यह देश केवल हिन्दू का नहीं है यह सबका है। यदि कोई यह कहता है कि यह देश केवल हिन्दुओं का है तो वह देश को तोड़ना चाहता है। यदि आपको देश के प्रति मोहब्बत है तो मुसलमान को, सिख को हिन्दू बनाना छोड़ दीजिये। यदि नहीं छोड़ेंगे तो यह देश कई भागों में बट सकता है। देश को धर्म के नाम पर तोड़ने की कोशिश मत कीजिये।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि यदि देश को ठीक रखना चाहते हैं तो भूमि सुधार कानून को लागू कीजिये। 44 वर्षों के बाद भी भूमि सुधार कानून लागू नहीं किया गया है। कई लोगों के पास बहुत सी जमीन है और कई लोगों को रहने के लिये मकान भी नहीं है। यदि आप कानून-व्यवस्था नाम की चीज देश में चाहते है तो बेकार नौजवानों को काम दीजिये। काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़िए। देश का नौजवान मंदिर बनाने से जिन्दा नहीं रहेगा, उसे रोटी चाहिए, काम चाहिए।

जब श्रीमती इंदिरा गांधी थी उस समय हाई कोर्ट के जज का भी तबादला होता था। अभी भी हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर करें तभी कुछ न्याय मिल सकता है। पिछड़े वर्ग को भी हिस्सा दीजिए, केवल मंत्री जी को हिस्सा देने से काम नहीं चलेगा। यदि वह नहीं दिया गया तो देश टूटे बिना नहीं बच सकता है।

देश के लोग सुरक्षित रह सके ऐसी व्यवस्था करने के बारे में सोचें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री रामदेव राम (पलामू) : आज तीन दिनों से विधि व्यवस्था पर चर्चा हो रही है। लोगों ने राष्ट्रीय स्तर से लेकर अपने क्षेत्र तक की बातें कही है मगर आज जो देश की आबादी है, उसका संकट कैसे दूर होगा। इस समस्या का कैसे समाधान होगा इसका, यह कहा नहीं जा रहा है। आज पंजाब, कश्मीर, असम, नागालैण्ड और अनेक प्रदेशों की स्थिति हो गई है कि वहां दूसरे प्रदेश के लोगों का जाना मुश्किल हो रहा है। खासकर के बिहार में स्थिति हो गई है, सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा करती है, जिसमें बाई इलैक्शन में आपने देखा होगा, जब चुनाव हो रहे थे, उसमें सरकार ने आतंक और अत्याचार का नंगा नृत्य किया और दुर्दशा की। उसमें आप देखते होंगे कि कांग्रेस के लोग भी धराशायी हो गये, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धराशायी हो गये और अन्य लोग भी। इसका कारण है, उनके हाथों में सत्ता और सत्ता का उन्होंने खुलकर दुरुपयोग किया है।

अभी दिल्ली के निकट की बात है, नोएडा में सैक्टर 37 है, जहां पर देवकी नन्दन प्रसाद केसरी की 14 वर्ष की लड़की का 4 नवम्बर को अपहरण कर दिया गया है और सरकार ने उसका अभी तक पता नहीं लगाया है और हम विधि व्यवस्था की बात करते हैं। क्या इस विधि व्यवस्था से सर्वसाधारण का लाभ होने वाला है, कतई लाभ होने वाला नहीं है। 25 तारीख को अगस्त महीने में डाल्टनगंज में 20 वर्ष के लड़के की दिन-दहाड़े एक बजे गोली मारकर हत्या दुकान में कर दी गई लेकिन सरकार, प्रशासन अभी तक उसका पता नहीं लगा पाये लेकिन झूठी बात कही जा रही है कि वहां के एस. पी. ने उसे गिरफ्तार कर लिया है लेकिन अभी तक उसकी पूर्ण जानकारी नहीं हो पाई है कि सचमुच वह बात कहां तक सही है।

पलामू में मलवारिया नाम का छोटा सा ग्राम है। वहां उग्रवादियों ने दिन-दहाड़े घरों में आग लगाकर उसे जला दिया और जो लोग भाग रहे थे, उनको आग में झोंक दिया। वे कमजोर वर्ग के लोग कहां जायं, जिनकी सरकार रक्षा नहीं कर पाती है। उनका नाम लेकर वह जिन्दा रह रही है, पर उनके साथ वह दगा कर रहा है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि "दगा किसी का सगा नहीं, न मानो तो कर देखो, जिसने-जिसने दगा किया है, उसका जाकर घर देखो"। सरकार भी गरीबों के साथ, उन दलितों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, उसका मजा उन्हें बाद में चखना पड़ेगा, इसका उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि उनका समाधान कैसे होगा। अग्नि पुराण में कहा गया है :

न देवादण्डम् आदाय रक्षन्तु, यन्तु रक्षन्ति यक्षान्ति शक्तया विभूषतम्।

देवता किसी रक्षा दण्ड देकर नहीं करते बल्कि जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसे शक्ति से विभूषित कर देते हैं। नहीं कर सकते हैं बल्कि वह शक्ति से शक्तिविभूषित हो जाते हैं, उसके माध्यम से उनकी रक्षा कर सकते हैं लेकिन यह सरकार अब तक कान में तेल डालकर सोई हुई है, जिसके कारण से उनकी रक्षा नहीं हो पा रही है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जून में 4 तारीख को चन्दवा ग्राम में द्वारका साव के लड़के का अपहरण कर लिया गया और किसी तरह से उसने जमीन बेचकर 50 हजार रुपया निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचाया, तब उसके लड़के को छोड़ा गया, उस समय यह विधि व्यवस्था कहां गई।

इन सारी बातों को देखते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगा, पेपर के माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि इन बातों पर ध्यान दें।

इन सारी बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, आज तीन दिनों से सदन में विधि व्यवस्था पर गम्भीर चर्चा चल रही है। आज देश में विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है।

न केवल कश्मीर, पंजाब, असम और हरियाणा की बात है, अब उत्तर प्रदेश एवं अन्य जगहों पर भी, दिल्ली में भी अलगाववाद और अन्य विधि व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। हम और

आप इस सदन में 44 वर्षों से सत्ता की होड़ में नीतियां बनाये जाते रहे। 44 वर्षों की अवधि में सदन में हर साल विधि व्यवस्था पर चर्चा हुआ करती है, नीतियां बनती हैं, नीतियां बनती रहती हैं लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कागज पर ही नीतियां बनाकर रखी जाती हैं।

विधि व्यवस्था पर विचार करने से पहले दलीय हितों और शासन की गद्दी से उठकर सारे लोगों को विचारना होगा और नीति बनाते-बनाते नीति के साथ-साथ नीयत में जो गिरावट आ रही है, निरन्तर गिरावट होती जा रही है, उसको दूर करना पड़ेगा। नीति और नीयत में हो रहे दिनों दिन ह्रास में जब तक सुधार नहीं होगा, नीतियां कागज पर जब तक रहेंगी, नीयत को ठीक करके, मन लगाकर और नीयत से, इच्छाशक्ति से कागज में अपने सदन में पारित हुए···कानूनों को जब तक जमीन पर उतारा नहीं जाएगा तब तक आसाम, पंजाब, काश्मीर, हरियाणा या उत्तर प्रदेश के तराई में फैल रहे अलगाववाद को आतंकवाद को विधि-व्यवस्था में हो रहे उथल-पुथल को कभी भी दूर नहीं किया जा सकता है।

मान्यवर इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी नीतियां कागजों पर बनें, उनको लागू करने के लिए इच्छा-शक्ति को मजबूत करके एक ऐसा माहौल बनाया जाए, इस सदन के माध्यम से, इस सरकार के माध्यम से पूरे देश में, कि नीतियों को लागू करने में इच्छा-शक्ति मजबूत हो। आम जन से लेकर सत्ता के गुम्बद पर बैठे तमाम लोगों की नीयत में जो दरार हो रहे हैं वे दूर हो सकें और नीयत पक्का बन सके, तब ही हम इस विधि-व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, चन्द मिनटों में संक्षिप्त में हो कुछ सुझाव मैं रखना चाहता हूं, आज सवाल यह है कि देश में जितनी भी अलगाववादी ताकतें हैं, जहां कहीं भी विधि-व्यवस्था का सवाल आया है, पूर्ववक्ताओं ने भी गम्भीरता से रखा। मेरा ऐसा मानना है कि विधि-व्यवस्था बिगड़ने में एक अहम बिन्दु बेरोजगारी है, मैं भी नौजवानों के बीच में से आता हूं, नौजवान हूं, आपके जरिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बेरोजगारी, जो एक महत्वपूर्ण बिन्दु है, विधि-व्यवस्था का, उसको समाप्त करने की दिशा में कठोरतम दिल बनाकर कार्यवाही करनी चाहिए। संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में रोजगार के अधिकार को दर्ज करके नौजवानों की समस्या को हल करना चाहिए। मेरे जैसे व्यक्ति का मानना है कि जब रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया जाएगा तो विधि-व्यवस्था को ठीक करने में बहुत ही सहयोग मिलेगा। वहीं पर जो कानून हैं सी आर पी सी, आई पी सी या अन्य जो कानून हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मत रखना चाहता हूं।

मेरा राय है कि ये जो कानून हैं इसका स्वतन्त्रता के बाद व्यापक समीक्षा नहीं हुआ है और यह घिसे-पिटे हैं, ठीक से जमीन पर नहीं उत्तर पाते हैं। मैं आपके जरिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सी आर. पी. सी, आई. पी. सी., जो भी पुराने जमाने के बने हुए कानून हैं उनकी व्यापक समीक्षा होनी चाहिए और नए परिवेश में, आज की स्थिति के अनुसार कठोरतम ढंग से कानून बनने चाहिए, यह मेरा मानना है। जहां तक सहयोग का सवाल है, सहाय का सवाल है, अनुदान का सवाल है, जब समानता नहीं होती है तब भी विधि-व्यवस्था बिगड़ती है। इसलिए मेरा

मानता है कि जो रिलीफ कोड हैं अपने देश में, जो सहाय संहिता हैं, इसमें मेरा मानना है कि वे पुराने जमाने के हैं। गरीब के लिए रिलीफ कोड में बहुत कम व्यवस्था है, गरीब का घर जलता कमजोर के साथ अत्याचार होता है, तो उसको अनुदान कम मिलता। उदाहरणस्वरूप, दस हजार तक का कर्जा किसानों का, माननीय श्री वी. पी. सिंह जी के राज में माफी का सवाल होता है तो आज तक उसको पूरा नहीं किया गया। लेकिन टाटा, बिड़ला, मफतलाल, डालमिया का दो सौ करोड़, पांच सौ करोड़, 12 सौ करोड़, हजार करोड़ एक ही बार में, चंद मिनटों में कलम चला कर उसे माफ कर दिया जाता है। मेरा मानना है कि इसमें भी समानता आनी चाहिये और इस सहाय संहिता को भी बदल डालना चाहिए, नये परिवेश में सब के लिए समान रूप से सहाय मिले, ये लागू होना चाहिए।

दूसरा सवाल तेज नारायण बाबू ने उठाया है, भूमि का सुधार का। मेरा मानना है कि अपने देश में जो लैंड रिफार्म्स का कानून है, जो भूमि सुधार का कानून है या राजस्व से सम्बन्धित जो भी कानून हैं, जो अंग्रेजों से भी पहले चले आ रहे हैं वही घिसे-पीटे कानून हैं, थोड़ा-बहुत संशोधन उसमें हुआ है लेकिन वे कागज पर ही रह जाते हैं। मैं आपके जरिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि लैंड रिफार्म्स कानून, भूमि सुधार से संबंधित सारे पुराने कानूनों को बदल डालना चाहिए और आज के परिवेश में भूमि सुधार कानून को नए तरीके से, एक कठोरतम रूप में पेश करके जमीन पर उतारने का नौबत हम लोगों को, सदन को, इस देश के शासन पर बैठे लोगों को लाना चाहिए, तभी सम्भव है कि कुछ सुधार हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विशेष समय नहीं दूंगा।

अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं जोरदार ढंग से सदन में अपने विचार व्यक्त करते हुए अन्त में यह बात पुनः रखना चाहता हूं कि रोजगार के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल करना चाहिए और अविलम्ब शामिल करना चाहिए। इससे बहुत बड़ी युवा ताकत सिमट जायेगी और बेरोजगार नौजवान जो आज भटक जाते हैं, टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से, जैसाकि अभी श्री मंजय लाल ने बताया, उससे वे बच जाएंगे और संभलेंगे, अपने-अपने काम में लग जाएंगे। इससे विधि व्यवस्था ठीक होने में सहयोग मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें देश की विधि व्यवस्था के बारे हुई हैं, लेकिन आज विधि और व्यवस्था कायम क्यों नहीं है, हमको इसकी नींव में जाना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज कश्मीर में जो हालात हुए, उसका मुख्य कारण है धारा 370। अगर यह धारा नहीं होती तो बाकी सभी लोग वहां पर जाकर रहते, एक-दूसरे से उनकी आत्मीयता होती, दोस्ती होती, प्रेमभाव होता और आज जो कश्मीर के कुछ आततायी लोग हमसे अलग होने की बात करते हैं, वे नहीं करते। इसी तरह से पाकिस्तान से जो लोग कश्मीर में आकर हुल्ला मचाते हैं, उनको रोकने में भी सहायता मिलती।

इसी तरह से पंजाब में यदि भिंडरवाले को अगर इस तरह से सहयोग न दिया जाता, उसको संत न कहा जाता और शुरू में ही गिरफ्तार कर लिया जाता तो पंजाब की यह हालत न होती, निर्दोष लोगों की हत्यायें न होतीं। आज आसाम हो या दक्षिण भारत के हिस्से हों, हर जगह कारण भिन्न ही होता है। जब छोटी-ताकतों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सहयोग दिया जाता है, तब एक दिन वे ताकतें बड़ी हो जाती हैं और अपने हाथ में नहीं रहतीं और यह स्थिति उत्पन्न होती है। इसके बाद उनको कंट्रोल करने के बारे में सोचा जाता है, जिसमें नाकामयाबी मिलती है। इसलिए इन ताकतों को शुरूआत में ही, अपने राजनीतिक स्वार्थों से दूर रहकर और देश को आगे रख कर, देश को महान मानकर शुरू से ही इन ताकतों को कुचलना चाहिए, तभी विधि और व्यवस्था देश में ठीक तरह से कायम हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसका एक और बड़ा कारण है बेरोजगारी। ऐसी शक्तियां निर्दोष और बेरोजगार नौजवानों का इसमें सहयोग लेने में कामयाब हो जाती हैं, युवकों को लालच दिया जाता है और हिन्दुस्तान की विधि और व्यवस्था बिगड़ने में ये लोग सहयोग देने लग जाते हैं। इसलिए युवकों कोबेरोजगारी की समस्या के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई अलग प्रांत का या अलग प्रदेश का झगड़ा नहीं है, इसके कई और कारण भी हैं। भारत वर्ष में कई पिछड़ी जातियां हैं, जिनको गिरिजन और हरिजन कहा जाता है। इन लोगों को आज तक परेशान किया गया। ये लोग जंगलों में रहने वाले हैं, लेकिन आज जंगल उनके नहीं रहे हैं, जमीन उनकी नहीं रही है, खेत-खलिहान उनके नहीं रहे हैं। कई तरह के कानून बनाकर विकास के नाम पर उनकी जमीन ले ली गई है और उनको बेबस स्थिति में छोड़ दिया गया है। वे अपनी जमीन वापस लेना चाहते हैं, अपने अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए कभी-कभी कुछ लोग अलग रास्ता अपना लेते हैं, उनको एक दिन कोई नायक मिल जाता है और वे आक्रामक बन जाते हैं। इन लोगों को हमें पूरी सहायता देनी चाहिए। जिनकी भूमि गई है, उनको भूमि के बदले रोजी-रोटी के साधन देने होंगे। अभी तक हम लोग उनकी सहायता नहीं कर पाये हैं। विकास के नाम पर बहुत सारी ग्रांट दी जाती है, लेकिन उस ग्रांट का उपयोग दूसरी जगहों पर सड़कें बनाने में हो जाता है, बिजली लगाने में हो जाता है, लेकिन जो भूमिहीन हैं, जो जंगलों में रहता है, उसको इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है। उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पिछड़ी जाति के लोगों की मां-बहिनों की इज्जत लूटी जाती है, पिता के सामने पुत्री की इज्जत लूटी जाती है, भाई के सामने बहन की इज्जत लूटी जाती है, और इन स्थितियों से गुजर कर यह व्यक्ति एक दिन आक्रामक बन जाता है, देश का दुश्मन बन जाता है, समाज का दुश्मन बन जाता है। इस तरह के ही जाने लेने वाले गुनहगार जहां भी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। जब ऐसे गुनहगारों को सजा मिलेगी तो इससे जो पीड़ित व्यक्ति है उसको सान्त्वना मिलेगी, उसके दिल को तसल्ली होगी कि मुझे न्याय मिला है और वह अपने समाज से अलग नहीं होगा। जब उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता तब वह अपना हक लेने के लिए, अपनी जमीन लेने के लिए इस तरह के तरीके अपनाता है। सरकार की तरफ से जिन लोगों को जमीन दी गई, क्या वे उस जमीन पर खेती कर सकते हैं क्या वे दी गई जमीन पर मकान बना सकते हैं ? नहीं, क्योंकि वे उस जमीन पर गए तो उनकी हत्या हो गई, जब वे घर बनाने के

लिए गए तो उनको मार डाला गया। बिहार हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो या कोई भी प्रांत हो, हर जगह की यही स्थिति है। पिछड़ी जातियों के हितों की रक्षा के लिए बहुत कानून हैं, लेकिन इन कानूनों का सही उपयोग नहीं हो पाता है। सब बात कागजों पर रहती है। यही बात बार-बार हम दोहराते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि विधि व्यवस्था को बनाये रखने के लिये हमें विधि व्यवस्था को मानना पड़ेगा। हमें विधि व्यवस्था का अनुसरण करना पड़ेगा। जिन लोगों के अधिकार छीने गये हैं उन्हें पहले अधिकार देने पड़ेंगे तभी देश के अन्दर विधि व्यवस्था कायम रहेगी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज देश के अन्दर विधि और व्यवस्था की जो हालत है और जिस कारण से सदन चिंतित है, उस विषय पर मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ इस विषय पर जो भिन्नभिन्न वक्तव्य मेरे साथियों ने दिए हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है आज यह दन गम्भीरता के साथ सदन में रखा गया है। यहां गम्भीरता से चर्चा होती है कि देश के अन्दर ग्रवाद या आतंकवाद पनप रहा है इसके पीछे मुख्य कारण गरीबी है, शोषण है, भुखमरी है। मैं न कारणों को नहीं मानता। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं, उत्तर प्रदेश के अन्दर या सारे देश अन्दर ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं कि आर्थिक दृष्टि से इतने पिछड़े हैं, इतने गरीब हैं इतनी वहां भुख-री है और विकास का काम भी 42 वर्षों में वहां कुछ नहीं हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य ेश का बुन्देलखण्ड क्षेत्र है, वहां उग्रवाद की भावना क्यों नहीं है? वहां पर नौजवान देशभक्त क्यों ? वहां आज नौजवान कानून और व्यवस्था के अन्तर्गत देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर, ार्यक्रमों को लेकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केन्द्र सरकार हो, पर हैं, वहां पर आन्दोलन होते हैं, लेकिन आंदोलन की दिशाएं भिन्न हैं।

आज जो देश के अन्दर आतंकवाद पनप रहा है, उसके कारणों को जाना जाए, मुझे छोटी बात याद आती है, मैं उस परिपेक्ष्य में नहीं जाऊंगा "घर में आग लगी घर के चिराग से।" तंकवाद अगर पैदा हुआ है तो वह सदन में बैठने वाले राजनीतिज्ञों द्वारा पैदा हुआ है, बड़े-बड़े ाओं द्वारा पैदा हुआ है और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान के अन्दर आतंकवाद पनप रहा आतंकवाद देश की एकता, अखण्डता, एकात्मकता को चुनौती दे रहा है, एक प्रश्न बनकर खड़ा गया है। आज इस देश के सामने सबसे बड़ी आतंकवाद की चुनौती है। यही चुनौती है कि देश ा एकता और अखंडता को, जो देश के अन्दर आतंकवाद है, चाहे कश्मीर के अन्दर हो, पंजाब के दर हो, आसाम के अन्दर हो, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के अन्दर हो, राजस्थान हरियाणा, मध्य श के कुछ क्षेत्र के नैक्सेलाइट्स हो, मद्रास या तमिलनाडु में हो, किसी रूप में वहां आग सुलग है वह बन्द हो। अगर इसके पीछे कोई भी चुनौती है तो देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, ष्ट्रीय एकता, अखण्डता और एकात्मकता के लिए चुनौती है।

मान्यवर, उपाध्यक्ष जी, मैं इस स्थिति को क्षेत्रीय समस्या नहीं मानता। इस समस्या को मैं देसरकार की समस्या नहीं मानता हूं, यह सारे हिन्दुस्तान की, राष्ट्र की समस्या है और सभी जनीतिक दलों को इस सम्बन्ध में अपने राजनीतिक मतभेदों को भुला कर सच्चाई के आधार पर तार्किकता के आधार पर आज इस बात का निर्णय करना पड़ेगा। इस पर यह नहीं सोचना ा, मान लीजिए आज किसी भी राजनीतिक दल के अन्दर ऐसे कार्यक्रम हैं, ऐसी योजनाएं हैं,

2

कार्यकर्ताओं की मनोवृत्ति है जिससे देश की राष्ट्रीय एकता, अखण्डता की रक्षा हो सकती है यह मजबूत हो सकती है, तो सब दलों को उस प्रकार के कार्यक्रमों को बनाना पड़ेगा। आज मैं इस विषय को उठाना चाहता हूं कि जब तक काश्मीर के अन्दर 370 धारा समाप्त नहीं होगी, कश्मीर के अन्दर आतंकवाद की जड़ें नष्ट होंगी।

मैं एक बात को कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। क्योंकि कल माननीय मंत्री महोदय इस विषय पर उत्तर देने वाले हैं। अगर यह सरकार ईमानदारी के साथ अपनी राजनीतिक दुर्भावना से दूर रहकर सचाई के साथ आतंकवाद से निपटना चाहती है, आतंकवाद को समाप्त करना चाहती है तो इस आतंकवाद को उत्तर प्रदेश का ही विषय न माने। अपितु 8 राज्यों में जो आतंकवाद पनप रहा है, वहां के मुख्य मन्त्रियों को बुलाकर एक सम्मेलन करना चाहिए, बैठक करनी चाहिए। एक प्रदेश की नहीं, आठ प्रदेशों की योजना बनाकर सामूहिक रूप से लड़ाई को कैसे कहा जा सकता। क्योंकि आतंकवाद देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमारी एकता और अखण्डता के लिए खतरा है। आपने पंजाब में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए फौज लगा दी, लेकिन पंजाब की सीमाओं को सील नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के तराई में आतंकवाद फैल रहा है पंजाब में आतंकवाद दूसरी तरह का है, कश्मीर में दूसरी तरह का है और असम तथा तमिलनाडु में दूसरी तरह का है। लेकिन इससे कैसे निपटा जाय, सरकार अलग-अलग तरीके से सोच रही है इस सदन के बहुत से महानुभाव सोच रहे हैं, लेकिन इसको सोचने के लिए एक रूप देना पड़ेगा एक तरीका अपनाना पड़ेगा, एक पद्धति अपनानी पड़ेगी। एक कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। जब इस प्रकार की सोच होगी और सदन में सरकार सभी को विश्वास में लेकर, इन प्रदेशों के मुख्य मन्त्रियों के साथ बैठक करेगी और एक योजना बनाएगी तब तो आतंकवाद से निपटा जा सकता है, नहीं तो मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस आतंकवाद को यह सरकार खत्म नहीं करना चाहती है। अपनी राजनीतिक गुत्थियों को खोलने के लिए उनको समाप्त नहीं करना चाहिए। मंत्री जी इस पर कल उत्तर देंगे, आशा है इस पर भी विचार करेंगे।

[अनुवाद],

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तीन और सदस्य हैं, जो बड़े धैर्य से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उ बोलने का अवसर न देना ईमानदारी नहीं होगी। यदि सदन सहमत हो तो हम समय 15 मि और बढ़ा सकते हैं ताकि उन तीनों सदस्यों को भी शामिल किया जा सके। क्या हमें समय पन्द्रह मिनट और बढ़ाना चाहिए।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रो. रासा सिंह रावत।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां राजनैतिक, आर्थि और दूसरे कारण आतंकवाद के लिये बताये गये। इस संबंध में मैं केवल दो बातें ही आपके सा

रखना चाहूंगा। एक तो यह बात है जोकि सदन को स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान बंगलादेश का बदला लेना चाहता है। क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके देश बनाया गया है। उसके मन में यह भावना है कि भारत को कैसे तोड़ा जाये। तब से वह निरत प्रयास में था कि देश के अन्दर जो भी वर्ग अल्पसंख्यक ताकतवर ताकतें है उनको कैसे बढ़ावा दिया जाये ताकि सारे देश के अन्दर अलगाववाद की भावना हो सके। उसके लिए उन्होंने पंजाब को सबसे उपयुक्त चुना। क्योंकि देश को आजादी के समय से ही कुछ इस प्रकार का वातावरण चल रहा था कि हिन्दू हिन्दुस्तान ले गये, मुसलमान ले गये पाकिस्तान, लेकिन सिखों को क्या मिला। यह गलत नारा लगा। भारत का विभाजन हुआ, हमने इस बात को स्वीकार किया कि हम धर्म के आधार पर नहीं, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो भारत का नागरिक बनकर रह सकता है। इसी आधार पर हमने भारत का निर्माण किया है। लेकिन कई लोगों ने इस प्रकार का विषैला वातावरण पैदा करने की कोशिश की और जिसके कारण आज हमारे देश में अलगाववादी तत्व पैदा हुए। जिन्होंने गलत नारे लगाए थे, "धोती टोपी यमुना पार" और "दूसरा नारा लगाया, "जब झण्डा खड़कुगा तो नेहरू-गंगू भागेगा।" इस प्रकार की गलत बातें कही गयी।

सरदार पटेल लोह पुरुष थे। उनके समय मे जब ऐसे नारे लगाये गये तो उन्होंने नारा लगाने वालों को बुलाया और जेलों में सीखों के पीछे डाल दिया। उन्होंने जब यह समस्या पैदा हुई तत्काल इसका निराकरण कर दिया। इसलिए आतंकवादी ताकतें सरदार पटेल के समय में सिर नहीं उठा सकीं। पण्डित नेहरू के समय में भी इन्होंने सिर नही उठाया, हां, कभी-कभी ये अवश्य बोलती थीं। नागालैंड के अन्दर फिजो पादरी इंग्लैंड चला गया और वहां जाकर भारत के विरुद्ध अलगाववाद की बातें करता रहा और इसका परिणाम यह हुआ कि नागालेंड इस धरती पर बना। तब से इस देश के अन्दर यह भावना घर कर गया कि सरकार ताकत की भाषा समझती है, इसको झुकाया जा सकता है, झुकाने वाला चाहिये। तब से चाहे नागालैंड हो, मिजोरम हो, मेघालय हो या अरुणाचल हो, जितने भी छोटे-छोटे राज्य है ये बने हैं और आज गोरखालैंड की मांग भी हो रही है।

वह केवल इसलिए कि छोटे छोटे राज्य बनेंगे, विकास के हर साधन हमे केन्द्र सरकार जुटायेंगी, अनाप-शनाप पैसा हमारे पास आयेगा और हम मनमाना खर्चा कर सकेंगे और अपना काम होगा। इस प्रकार से क्षेत्रायतावाद पनपा। पंजाब के अन्दर अलगाववाद की भावना पनपी कि अब कश्मीर में धारा 370 के कारण उनको वह अधिकार दिया जा सकता है तो हम भी एक अल्प-संख्यक वर्ग के लोग हैं। हमने देखा कि पंजाब के अन्दर कभी पंजाबी सूबा, कभी पंजाबी भाषा, उसके बाद सिक्ख स्थान और अब खालिस्तान की बात की जा रही है। इसलिए इन समस्याओं को विकराल रूप में देखते हुए सरकार से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार को मानना चाहिए कि पाकिस्तान इस देश को तोड़ना चाहता है। कई अन्तर्राष्ट्रीय ताकतें भी इस बात का प्रयत्न कर रही है कि हिन्दुस्तान के लोगों में फूट कैसे डाली जाये। इतना बड़ा देश, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग, विभिन्न धर्म जाति का देश इसको किस प्रकार से बांटा जाये ? हमारे यहां रहने वाले लोग यह सही कहते कि (विभिन्न समुदाय विभिन्न राष्ट्र) यह इस प्रकार की थ्योरी को कहने वाले लोग हैं, वे देश में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और माननीय यादव साहब बहुत सुन्दर शब्दों में कह रहे थे कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ है

जिसकी लाठी उसकी भैंस—यह बात आज समाज में चल गयी जिसके कारण जो देखता है कि न्याय हमें कोई देता नहीं, हमारी ढंग की बात कोई मानता नहीं, कानून की कोई बात नहीं मानता है तो रिश्वत देकर या किसी और ढंग से जो चाहे सो कर लो आज यह भावना लोगों के मन में पैदा हुई है। इस प्रकार आज शासन खत्म होने लगा और कानून की अवहेलना होने लगी। जिसके पास ताकत हुई, उसकी बात मान ली।

उपाध्यक्ष महोदय, जब रामुल्लू आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, तमिलनाडु में थे तो उसने भूख हड़ताल को आमरण अनशन किया, उसके बाद कारें रेल चलीं और फिर आन्ध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक थे। जब बम्बई के अन्दर दुकानें जलीं, नुकसान हुआ तो फिर बम्बई प्रदेश का विभाजन कर दिया गया। इस प्रकार ताकत के सामने झुकने वाली बात देश के लोगों के मन में बैठ गयी। इसलिए हर राज्य का व्यक्ति सोचता है कि केन्द्र सरकार को झुकाया जा सकता है। अलगाववाद ताकत के बल पर, एके-47 के बल पर अपनी बातें मनवाने के लिए राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि यदि देश के नागरिकों में देशभक्ति की भावना पैदा होती कि भारत मेरा देश है, हम सब भारत के रहने वाले सभी भारतीय हैं, देश के किसी भी भू-भाग में कोई समस्या खड़ा होगी तो हमारी होगी, उससे हमें दुख होगा, यदि यही एकात्मकता की भावना की अनुभूति होती तो देश और आगे बढ़ता। हमारे महापुरुषों ने जो त्याग और बलिदान किये फांसी के तख्ते पर चढ़े, सूली पर चढ़ गये, अंग्रेजों की लाठियां और गोलियां खाई मन में आजादी की भावना लेकर इस देश को आजाद कराया था, उनके पदचिन्हों पर चलकर मां-भारती की सेवा में समर्पित भाव से राष्ट्र का संकल्प लेते सारे देश का संतुलित विकास करते समग्र विकास करते सारे देश के बारे में एक जैसा चिन्तन करते तो आज देश के अन्दर यह प्रान्तीयतावाद पैदा हो नहीं होता, देश में आतंकवाद की भावना पैदा ही नहीं होती। इसलिए समाज में मानव मूल्यों का प्रतिस्थापना का आये और अपराधों का राजनीतिकरण रोका जाये। राजनीति का अपराधीकरण बन्द किया जाये। इस तरह की महत्त्वाकांक्षा पर लगाम लगाया जाये, सारे आतंकवादियों के अन्दर देशभक्ति का भाव पैदा किया जाये, उनके सामने घुटने बिलकुल नहीं टेकें, सैन्य बलों को पूर्ण ताकत के साथ उनको पूरी छूट दिलावें क्योंकि कहते हैं :

तुम हो ताकत से भरपूर,
एक बार फिर मार दो ठोकर
करो शत्रुओं को चकनाचूर ॥

उपाध्यक्ष महोदय : हम तो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं लेकिन दूसरों के लिए जो समय था, वह आप ले लिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पी. सी. चाको को आमंत्रित करता हूं। आपको केवल पांच

मिनट का समय दिया जाता है। हमने दूसरी बार सदन का समय बढ़ाया है। कृपया इस बात का ध्यान रखें।

श्री पी. सी. थामस (मुवात्तुपुझा) : मैं थोड़ा बोलूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस समस्या पर हरेक ने बहुत गंभीरता से विचार कर लिया है। सभी राजनीतिक दल इस तथ्य से सहमत हैं कि विघटक पृथकतावाद, सम्प्रदायवाद और इन सभी अन्य कारणों को दूर किया जाए जो हमारे देश और समाज में कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर रहे हैं इनके विरुद्ध लड़ाई लड़ी जाए और इन्हें रोका जाए। लेकिन हम सभी इन मूल कारणों पर नियंत्रण पाने में असफल रहे हैं। हमें इस मामले के मूल कारण का पता लगाना होगा और पता लगाना होगा कि हम सब क्यों इस मामले में असफल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कई मामलों में कुछ हद तक और काफी हद तक सभी राजनीतिक दल अपेक्षाकृत रूप से इस बारी स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूं कि इस अत्यंत गंभीर संकट के समय इस समस्या का सामना करने के लिए सभी को राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए। राजनीतिक दलों को कुछ हद तक उन सभी तरीकों को भूल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए जिनसे वे ऐसी स्थिति से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं।

हम जानते हैं कि ऐसी स्थितियों से कुछ राजनीतिक दल राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। इसे आगे के लिए रोका जाना चाहिए। जब तक हम इसे नहीं रोक लेते हैं तब तक हम एक साथ मिलकर लड़ नहीं सकते हैं, हम इस अत्यंत गंभीर संकट का सामना नहीं कर सकते हैं। पंजाब, कश्मीर तमिलनाडु, असम आदि इस समस्या के कारण जल रहे हैं। अन्य राज्यों में भी स्थिति भिन्न नहीं है। राजनीतिक लाभ के लिए छोटे मुद्दों को बड़ा बनाया जाता है, और लोगों की संपत्ति को लूटा जाता है, अनेक तरह से जान माल की हानि होती है। मेरे राज्य केरल में कोई खास समस्या नहीं है। लेकिन हाल ही में कुछ घटनाएं हुई हैं जिनका उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ लेना था। कुछ विरोधी दलों ने मिलकर सार्वजनिक संपत्ति को लूटना आरम्भ कर दिया था इसका उद्देश्य केवल नुकसान पहुँचाना और अव्यवस्था उत्पन्न करके किसी भी तरह से राजनीतिक लाभ उठाना है, इसे रोका जाना चाहिए और राजनीतिक दलों को एक साथ आगे आना चाहिए और इस पर सहमति बनानी चाहिए तथा इस नतीजे पर पहुंचना चाहिए कि इसके विरुद्ध किस तरह से लड़ाई लड़ी जाए और किस तरह से इस देश को बचाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत सारगर्भित चर्चा हुई है, सभी चर्चा हुई है और सबका मंतव्य रही है कि हम सब लोग मिलकर इस देश को इस देश के अनुकूल बनाना चाहते हैं। भारतवर्ष को भारतवर्ष के अनुकूल बनाना चाहते हैं। यह हम सबको चिन्ता का विषय है किन्तु जो बात हम बोलते हैं, इस बात को सार्थक करने के लिए जो सार्थक प्रयास होना चाहिए, उस सार्थक प्रयास को करने के लिए जो सार्थक उपाय करना है, उसमें कहीं न कहीं भूल हम करते हैं। हमारे देश को आजादी प्राप्त करने के लिए अनेक कुर्बानियां हुई हैं। उन कुर्बानियों के और वीरों के सपनों को साकार करने के लिए उन बातों को करना पड़ेगा नहीं तो हम उनका सम्मान नहीं कर सकते, उनको अवमानना ही करेंगे। इसलिए सारी की सारी बातों का साथ

यही है कि हम इस देश के अंदर किसी प्रकार से फिर से एकता और इस देश की गरिमा को लाने के लिए क्या कर सकते हैं। वह प्रजातंत्र का देश है और प्रजातंत्र के देश के अंदर जो तंत्र स्थापित हुआ है उसकी व्यवस्था इस प्रकार की है कि हम सबको अलग-अलग बांटकर रखा जाता है।

"एक ओर प्रजा, दूसरी ओर तंत्र,
तीसरी ओर इंसाफ का लगा रखा है यंत्र।
लगा रखा है यंत्र इंसाफ तो यंत्रबद्ध होगा,
तंत्र-यंत्र के भरोसे ही ये देश चलेगा।"

तो देश में निश्चित रूप से प्रजातंत्र का दुराग्रह कर दिया है, इस को अलग-अलग कर दिया और प्रजातंत्र को, स्वतंत्रता को, जनतंत्र को स्थापित करने के लिए जिस शक्ति का आधार चाहिए, देश की शक्ति करने का आधार भारत में समन्वय का आधार चाहिए, परस्पर समझ का आधार चाहिए, वह हमने सत्ता के समीकरण में खो दिया है। सत्ता बड़ी नहीं होता. देश बड़ा होता और जब देश बड़ा है तो देश के लिए जो शक्ति का भाव है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव, इसके भाव का अभाव हो गया है। इसे पुन: प्राप्त करने के लिए उपाय करना चाहिए और मेरा आपके माध्यम से इस सदन से और देश से विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि इस देश को एक बनाए रखने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं, करें। सारी की सारी आर्थिक विषमताएं समाप्त करने के लिए हमें सार्थक प्रयास करना चाहिए और ऐसे प्रयास करने चाहिए कि जिससे उसका प्रभाव हमको दिखाई दे। समाज को बाँटने वाली किसी भी साजिश को, किसी भी षड्यंत्र को सार्थक करने के लिए हमको किसी को मौका नहीं देना चाहिए और समय रहते उस पर काबू पाने का उपाय करना चाहिए। परस्पर समन्वय और सद्भाव के आधार पर ही हम इस देश को एक बना सकते हैं। सिंध, हिमाचल और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यह देश एक है अलग-अलग कैसे हो सकता है? हमारा देश एक है और इसके अंदर प्राण फूंकने का जो काम है, हम सबके माध्यम से, आपसी सद्भाव के साथ, सदभावना के साथ होना चाहिए।

इसी सद्भावना के साथ मैं आपको बार-बार धन्यवाद देता हूं कि हमने इस प्रकार की सार्थक बहस को सार्थक सुझावों को सदन के सामने और देश के सामने रखा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कानून और व्यवस्था की स्थिति पर परिचर्चा अब समाप्त हो गई।

यह सभा अब कल 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

06.45 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार 13 दिसम्बर 1991 अग्रहायण 22, 1913 (शक) को 11.00 तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स 472 पुरानी साइकिल मार्केट दिल्ली 6

पी० एल० एस० 48.7.16/91 (एन०)
225

© 1991 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक,
गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स 472, एसप्लेनेड रोड दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित